खण्ड-284, अंक-9
सोमवार, 1 आषाढ़, शक संवत् 1892
(22 जून, 1970 ई0)

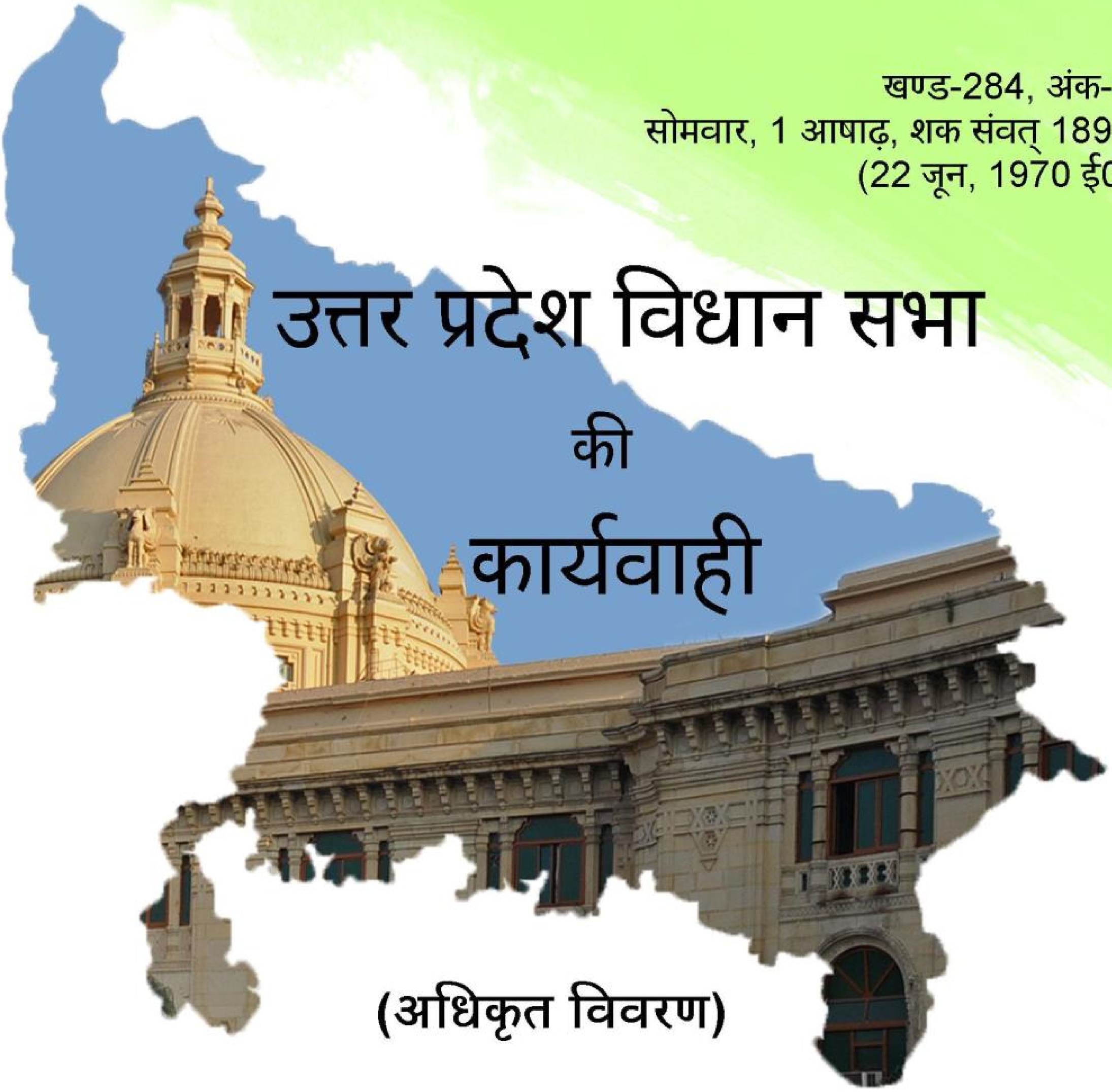

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 284 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	१०१३–१०१७
प्रश्नोत्तर	१०१७–१०६६
प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी	१०६६
कौमी आवाज अखबार में गलत खबर शाया होने के सम्बन्ध में शिकायत ..	१०६६–१०६७
विधायक निवासों में जल कष्ट के सम्बन्ध में शिकायत	१०६७–१०६८
प्रदेश में बिलगाव और तनाव के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा की मांग	१०६८–१०६९
राजस्व मंत्री के विरुद्ध प्रश्न का गलत उत्तर देने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	१०६९–१०७१
'चिटफण्ड' पर रोक लगाने सम्बन्धी सरकारी नीति सम्बन्धित घोषणा सदन के बाहर करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (निर्णय स्थगित)	१०७१
सदन के आगामी कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी	१०७१–१०७२
कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	१०७२–१०७३
कतिपय समितियों के निर्वाचन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना.. ..	१०७३
श्री गोपाल दत्त द्वारा सत्तारूढ़ कांग्रेस दल की सदस्यता ग्रहण करने के सम्बन्ध में सूचना	१०७३–१०७४
१९७०-७१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३३—सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं, अनुदान संख्या ३४—संचार साधनों का सुधार, अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण कार्यों अधिष्ठान तथा अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय.....(स्वीकृत)	१०७४–११२३
कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	११२३–११२६
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा पाठ्य पुस्तकों के चयन में अनियमितताओं के सम्बन्ध में वक्तव्य	११२६–११२८
नत्थियां	११२९–११३९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

---

२२ जून, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३६८

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदयनाथ, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
(बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ वालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ सिंह मोहरिया, श्री

गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्र मणिकान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जय राम यादव, श्री
जय राम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह बिष्ट, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाई लाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री

बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभो, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखनलाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
मुंशीलाल चमार, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री

रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़ फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामगूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
राम विलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति सम्पन्न शर्मा, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकूरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवनलाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सन्तराम, श्री

सन्तू, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुखवीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहनलाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—खाद्य मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य व शिक्षा मंत्री, श्री श्रीपति मिश्र भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २२ जून, १९७०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बी० टी० सी० ट्रेनिंग के लिये चयन समिति

**१—श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बी० टी० सी० के ट्रेनिंग के लिये आगामी जुलाई से भर्ती हेतु सरकार ने कोई आधार बनाया है एवं जिलों में चयन करने के लिये किसी समिति का गठन किया है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन सदस्य हैं ?

शिक्षा राज्य मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

जी हां—आगामी जुलाई में बी० टी० सी० की ट्रेनिंग में भर्ती होने हेतु शासन ने वही आधार रखे हैं जो सत्र १९६९-७० में लागू थे। एवं जिलों में चयन करने के लिये वही समिति गठित की गई है जो गत वर्ष थी केवल अन्तर यह है कि जिला परिषद् के अध्यक्ष के स्थान पर अब जिलाधिकारी इस समिति के अध्यक्ष होंगे। चुनाव समिति के सदस्य निम्नवत् है :—

१—जिलाधिकारी .. .. अध्यक्ष
२—(क) राजकीय बी० टी० सी० प्रशिक्षण विद्यालय का वरिष्ठ प्रधानाचार्य (केवल पुरुष अभ्यर्थियों के चुनाव हेतु) .. सदस्य
(ख) राजकीय कन्या बी० टी० सी० प्रशिक्षण विद्यालय की प्रधानाचार्या अथवा (यदि जिले में राजकीय कन्या प्रशिक्षण विद्यालय न हो) राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्या सदस्य (केवल महिला अभ्यर्थियों के चुनाव हेतु)
३—उप विद्यालय निरीक्षक .. .. .. सदस्य सचिव।

श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि बी० टी० सी० में बैठने के लिये हाई स्कूल पास विद्यार्थियों के लिये कुछ स्थान निश्चित किये जायेंगे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जो आधार निश्चित कर दिये गये हैं उन्हीं के मुताबिक चयन होगा । हाई स्कूल के लिये कोई विशेष परिस्थिति स्थापित करने की बात नहीं है ।

श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि सरकार लखनऊ से कुछ विद्यार्थियों का मनोनयन करेगी और उसी के साथ यह भी बताने की कृपा करे कि जिनको अध्यापन का अनुभव प्राप्त है उनके लिये कुछ स्थान सुरक्षित करेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मनोनयन का कार्य सरकार नहीं कर रही है । जहां तक सवाल है अध्यापकों को प्रशिक्षण देने का, सरकार ने निश्चय किया है कि अगले वर्षों में कोई भी अप्रशिक्षित अध्यापक नहीं रखे जायेंगे । इसलिये अध्यापकों को प्राथमिकता देकर ट्रेनिंग में भेजा जा रहा है ।

श्री गिरजा शंकर (जिला बाराबंकी)—

क्या शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि जिन अध्यापकों को सेवामुक्त कर दिया गया है उनको कुछ प्राथमिकता दी जायेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

७५ परसेन्ट ऐसे अध्यापकों को जो सेवा से मुक्त किये गये हैं, एक साल में अपनी ट्रेनिंग कम्पलीट कर लेंगे तो उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी ।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री जी को जानकारी है कि राज्य सरकार ने निश्चय किया है कि बी० टी० सी० में अनुसूचित जाति के लोगों के लिये २५ फीसदी रिजर्वेशन रहेगा ? जो चयन समिति है उसके पास २५ फीसदी के आदेश नहीं पहुंचे हैं । तो क्या माननीय मंत्री जी इसके आदेश भेजवाने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

चयन समिति का जो आधार है उसमें अब तक १८ प्रतिशत है । २५ प्रतिशत की बात हमारे सामने नहीं है ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो जिला परिषद् के अनट्रेन्ड अध्यापक हैं उनका कोटा फिक्स होने के बाद ही नये उम्मीदवार भेजे जायेंगे या यह होगा कि इसी बीच में इतने अध्यापक जिला परिषद् के होंगे और इतने नये उम्मीदवार होंगे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जिला परिषद् के जो अध्यापक निम्नतम योग्यता रखते हैं और जो १९६५ के पहले के हैं उन सभी को लेने की बात सरकार ने निश्चित की है । १९६७ में एक जी० ओ० निकला था जिसमें यह कहा गया था कि अनट्रेन्ड अध्यापक न रखे जायं किन्तु जिला परिषदों ने फिर भी अनट्रेन्ड अध्यापकों को रक्खा है तो यह उनकी जिम्मेदारी है । यदि उनकी योग्यता अच्छी है तो उनको प्राथमिकता दी जायगी ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी बतावेंगी कि गवर्नमेंट नामिनी की शक्ल में कितने लोगों को भेजने का सरकार का इरादा है और उन लोगों की योग्यता क्या होगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

इस वर्ष सरकार की ओर से कोई नामिनी नहीं भेजे जायेंगे ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बी० टी० सी० की भर्त्ती के लिए हाई स्कूल फर्स्ट, सेकंड और इंटरमीडिएट फर्स्ट और सेकेन्ड डिवीजन का कोई प्रोपोर्शन रखने का विचार कर रही है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

कोई प्रोपोर्शन तो नहीं रखा जा सकता । अगर सब के सब फर्स्ट और सेकेंड डिवीजन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट मिल जायंगे तो उनको रखेंगे । वह तो आनेवालों पर निर्भर करता है । कोई प्रोपोर्शन नहीं है ।

सोरांव तथा कोखराज थाना क्षेत्रों में डकैतियां

**२—श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि मई, १९७० के अन्तिम सप्ताह तथा जून के पहले सप्ताह में इलाहाबाद जिले में ६ बड़े डाके पड़े ? यह डाके थरवई सैनी, कोरांव तथा कोखराज थानों के अन्तर्गत ग्रामों में डाले गये ? क्या सरकार इन डकैतियों का पता चला सकी ? यदि हां, तो कितना माल लूटा गया, कितने ग्रामीण घायल हुये तथा पुलिस कितने अपराधियों को पकड़ सकी ? डाके न पड़ें इसके लिये कौन से पग सरकार उठा रही है ?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

पुलिस रिकार्ड के अनुसार मई,७० के अंतिम सप्ताह तथा जून के प्रथम सप्ताह में इलाहाबाद जिले में ६ डकैतियां पड़ीं । ये डाके थाना थरवई, सैनी, कोरांव नहीं वरन् सोरांव तथा कोखराज थानों के अन्तर्गत गांवों में डाले गये । इन डकैतियों में से एक के कुछ अभियुक्तों का पता लगा तथा एक के कुछ अपराधियों का सुराग लगा है । इन डकैतियों में लगभग २२,३१५ रु० का माल लूटा गया । दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, दो ने न्यायालय में आत्म-समर्पण किया । इन डकैतियों में १४ ग्रामीण घायल हुए । डकैतियों की रोकथाम के लिये समुचित प्रबन्ध किया गया है ।

चीफ इन्सपेक्टर, संस्कृत पाठशाला के विरुद्ध जांच

**३—श्री राम देव (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि चीफ इन्सपेक्टर संस्कृत पाठशालायें, इलाहाबाद के विरुद्ध शिकायतें माननीय शिक्षा मन्त्री, माननीय उपमंत्री, श्री राम किंकर एवं माननीय मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश की सेवा में दिनांक १४ मार्च, १९७० ई० को व्यक्तिगत रूप से श्री सुधाकर मिश्र आदि ने दिया है ? यदि हां, तो मूलभूत शिकायतें कौन-कौन सी हैं तथा उन पर क्या सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाहीं नहीं की ? यदि हां, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

जी हां । शिकायतें भ्रष्टाचार तथा चरित्रहीनता से सम्बन्धित हैं जिनकी जांच संयुक्त शिक्षा निदेशक को सौंप दी गई है । जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है । चूंकि जांच अभी पूरी नहीं हुई है, अतएव आरोपों पर सदन में चर्चा किया जाना उपयुक्त न होगा ।

डफरिन अस्पताल, गोंडा में बच्चे को कुत्ते द्वारा उठा ले जाने की जांच

**४—श्री सूरज लाल गुप्त (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जनपद गोंडा के डफरिन हास्पिटल गोंडा में दिनांक ५ जून, १९७० को श्री राजेन्द्र विक्रम सिंह, एडवोकेट की पत्नी के एक लड़की पैदा हुई थी, जिसे पैदा होने के बाद जच्चा खाने से कुत्ता उठा ले गया, फलस्वरूप लड़की की मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है, बताने की कृपा करेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनवार अहमद)—

श्री राजेन्द्र विक्रम सिंह, एडवोकेट की धर्मपत्नी के एक मरी हुई लड़की ५ जून, १९७० को डफरिन अस्पताल, गोंडा में पैदा हुई थी। मरी हुई बच्ची को राजेन्द्र विक्रम सिंह की मां को सौंप दिया गया था जो जच्चाखाने के बाहर मौजूद थीं और जब वे बच्ची के शव को छोड़कर अपने घर के आदमियों को बुलाने गईं तो एक कुत्ता मरी बच्ची को उठाकर भागा। इसमें अस्पताल के किसी कर्मचारी का कसूर नहीं था, अतः उनके खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। फिर भी इस सम्बन्ध में और जांच कराई जा रही है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न।]

विधायकों के लिये बसों में सीटें सुरक्षित करने पर विचार

*१—श्री जंगबहादुर यादव (जिला जौनपुर)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक १२ मार्च, १९७० को जंगबहादुर यादव आदि सदस्यगण, विधान सभा ने सरकारी बसों में विधायकों के लिये दो सीटें सुरक्षित करने तथा कूपन का प्रयोग बन्द करके परिचय-पत्र दिखा कर यात्रा करने की व्यवस्था करने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

परिवहन मंत्री (श्री रामजी लाल सहायक)—

जी हां। मामला शासन के विचाराधीन है।

श्री जंगबहादुर यादव—

क्या परिवहन मंत्री जी यह कृपा कर बतावेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार प्रदेश में विधायकों के लिए दो सीटें आगे की रिजर्व रहती हैं और उन पर विधायक लिखा रहता है ? अगर कोई सवारी उस पर बैठी है तो विधायक के आ जाने पर वह खाली करा दी जाती है और यहां पर परिचय पत्र देखकर...

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है। आवाज भर्राती है।

श्री जंग बहादुर यादव—

सरकार इस पर विचार करके कब तक लागू करेगी ?

श्री रामजी लाल सहायक—

कुछ समय तो लग ही जायगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो आइडेन्टिटी कार्ड है उसके आधार पर बसों पर यात्रा करने में क्या दिक्कत है ?

श्री रामजी लाल सहायक---

अभी प्रश्न विचाराधीन है । जब तक विचार न हो जाय तब तक यह कैसे बतलाया जा सकता है ।

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)---

जो कूपन रेलवे के हम लोगों को दिए गये हैं उनमें सुविधा रहती है जबकि बस में हर एक पर साइन करना पड़ता है, तो क्या मंत्री जी इस प्रकार की व्यवस्था तुरन्त करा देंगे कि जिस तरह से रेलवे में सुविधा रहती है बसों पर भी वही हो जाय ?

श्री रामजी लाल सहायक---

रेलवे और रोडवेज में बड़ा अन्तर है । हमारे हर जगह स्टेशन नहीं हैं । इसके अतिरिक्त हिसाब-किताब में भी दिक्कत होती है । इसलिए रेल और रोडवेज की बराबरी की बात नहीं कही जा सकती लेकिन हम सोच रहे हैं कि सुविधा दी जाय ।

श्री रामधारी शास्त्री---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो मौजूदा कूपन सिस्टम है उसकी जगह पास सिस्टम लागू करेंगे ? और कितने दिनों से यह प्रश्न विचाराधीन है और कितने दिनों तक और विचाराधीन रखने का इरादा है ?

श्री रामजी लाल सहायक---

अभी कोई ज्यादा समय तो हुआ नहीं है, केवल दो ही महीने से लिखा-पढ़ी हो रही है । हम कई मामलों पर विचार कर रहे हैं कि कौन-सी ऐसी तरकीब हो सकती है जिससे हमारे माननीय सदस्यों को सुविधा भी मिले और हमें हिसाब-किताब रखने में कोई झंझट न हो ।

श्री ईश्वर दयाल त्यागी (जिला मेरठ)---

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि उन्होंने क्या ऐसे आदेश दे रखे हैं कि ये कूपन केवल बुकिंग आफिस में ही एक्सैप्ट किये जायं और कन्डक्टर उन्हें एक्सैप्ट न करें ? मेरे कहने का आशय यह है कि कूपन्स बुकिंग क्लर्क तो एक्सैप्ट कर लेता है लेकिन कन्डक्टर जो अपने आप टिकट बनाता है उन्हें लेने में हिचकता है और दिक्कत महसूस करता है । इससे विधायकों को परेशानी होती है, तो क्या ऐसे आदेश हैं कि कन्डक्टर उन्हें एक्सैप्ट न करे ?

श्री रामजी लाल सहायक---

हां, ऐसे आदेश तो हैं ही । अगर वह कोई दिक्कत करते हैं, तो माननीय सदस्य लिख कर मुझे दे दें, मैं कोई इन्तजाम करूंगा ।

श्री लक्ष्मी रमण चाचार्य (जिला मथुरा)---

यह सब देखते हुए कि बस से सम्बन्धित जो यात्रा है उसमें विधान सभा के सदस्य गण को काफी कठिनाइयों का अनुभव होता है, जैसा कि अभी प्रश्न में पूछा गया है, मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह इस सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे जितनी कठिनाइयां हैं वह सब दूर हो सकें ?

श्री रामजी लाल सहायक---

जरूर विचार करेंगे, और यदि कठिनाई होगी तो दूर भी करेंगे ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--

श्रीमन्, मैंने इस दृष्टिकोण से ऐसा कहा था जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि लिख-कर दें। तो क्या यह जो कुछ कहा गया है उसको समझते हुये वह विचार करेंगे ?

श्री रामजी लाल सहायक--

मान्यवर, लिखकर देने में क्या कठिनाई है, इससे हमको आसानी हो जायगी। बाकी तो मैं यहां सब सुन रहा हूं।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

मान्यवर, इस बात पर तजुर्बा करने के बाद कि बस स्टेशन पर विधायकों को टिकट लेने में परेशानी होती है, क्या कोई ऐसी व्यवस्था माननीय मंत्री जी करेंगे जिससे आसानी से टिकट मिल जाया करे ?

श्री रामजी लाल सहायक--

मान्यवर, जैसा मैंने अभी निवेदन किया कि हमारे सामने यह प्रश्न विचाराधीन है और हम उस पर विचार कर रहे हैं। बराबर इस बात की कोशिश की जा रही है कि कोई ऐसी युक्ति निकले जिससे विधायकों को कोई तकलीफ न हो और असुविधा न हो। हम ऐसी ही कोई युक्ति खोज रहे हैं।

लखनऊ शहर में अतिरिक्त बसें चलाने की प्रार्थना

*२--श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या लखनऊ शहर में सी०आई०डी० कालोनी, महानगर से अमीनाबाद, चारबाग के रूट पर अतिरिक्त बसें चलाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो यह बसें कब से चालू की जायेंगी ?

श्री रामजी लाल सहायक--

सी०आई०डी० कालोनी, महानगर से अमीनाबाद होकर चारबाग को कोई बस सेवा नहीं है। अतः इस पर अतिरिक्त बसें चलाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री इन्द्रलाल--

परिवहन मंत्री जी, उस क्षेत्र के सरकारी परिवारों की समस्या को देखते हुये, क्या पुनः इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके एक बस सेवा चालू करने की कृपा करेंगे क्योंकि उस क्षेत्र के निवासियों को बड़ा भारी कष्ट है ?

श्री रामजी लाल सहायक--

जी हां, जरूर विचार किया जायगा अगर कोई नुकसान न होगा तो।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सी०आई०डी० कालोनी के लिये एक बार बस सेवा प्रारम्भ की गई थी लेकिन किन्हीं कारणों से, जिनका जिक्र मैं सदन में नहीं करूंगा उसको समाप्त कर दिया गया और यह देखते हुये कि वहां पर लगभग ६०० परिवार हैं, क्या पुनः आरम्भ करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री रामजी लाल सहायक--

मैंने तो अभी निवेदन किया कि हम दिखवा कर प्रारम्भ करने की कोशिश करेंगे यदि हमें नुकसान न हो।

श्री चन्द्र भान शर्मा---

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि सी० आई० डी० कालोनी के अन्दर सिर्फ तीन बसें जाती हैं और उसके मुकाबले बादशाहनगर में ज्यादा जाती हैं जबकि आबादी वहां की ज्यादा है और ऐसा सिर्फ इसलिये है कि बादशाहनगर में एक सरदार साहब, रोडवेज इन्स्पेक्टर रहते हैं और इसीलिये वहां का किराया भी कम रखा है और बसें भी ज्यादा लगाई हैं ? यदि हां, तो क्या इसको दूर करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

आखिर का हिस्सा छोड़ दें, बाकी का जवाब दे दें ।

श्री रामजी लाल सहायक---

जी हां, इसे दिखवा लेंगे और कोई अनुचित बात हो रही होगी तो बन्द करेंगे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

इस बात को ध्यान में रखते हुये कि विधायकों को सत्र शुरू होने और सत्र समाप्त होने तथा प्रत्येक शुक्रवार की शाम और सोमवार को सुबह स्टेशन आने-जाने में असुविधा होती है, क्या मंत्री जी कोई बस दारुलशफा से स्टेशन तक इन दिनों चलाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो नया सवाल है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

इसी से संबंधित है और बड़ा महत्वपूर्ण है, श्रीमन् ।

श्री रामजीलाल सहायक---

मान्यवर, दारुलशफा क्या हमारे माननीय सदस्य तो बहुत जगह रहते हैं, तो सब जगह कैसे व्यवस्था होगी ? हमारी बसें रेलवे स्टेशन जाती है, उनमें माननीय सदस्य जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ।

चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र में गन्ना क्रशरों का चलना

*३---श्री तेज नरायन (जिला खीरी), श्री छेदा लाल चौधरी (जिला खीरी), श्री माखन लाल (जिला खीरी) तथा श्री सेवा राम (जिला खीरी)---

क्या गन्ना मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक ३ अप्रैल, १९७० तक उत्तर प्रदेश के सुरक्षित क्षेत्र में कितने गन्ना क्रशर बन्द हो चुके थे और कितने चालू थे ? क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि दिनांक ४ अप्रैल, १९७० को क्रय-कर की छूट की घोषणा के बाद प्रदेश में कितने क्रशर पुनः चालू किये गये ?

श्रम राज्य मंत्री (श्री राज मंगल पाण्डेय)---

प्रदेश की चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र में ३ अप्रैल, १९७० तक १०१७ गन्ना क्रशर बन्द हो चुके थे और १०१० गन्ना क्रशर चालू थे । ४ अप्रैल, १९७० को क्रय-कर छूट की घोषणा के बाद ४१ गन्ना क्रशर पुनः चालू किये गये जो ३ अप्रैल, १९७० के पूर्व बन्द हो चुके थे ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या मंत्री जी इन सुरक्षित क्षेत्रों में जो क्रशर्स हैं उनका पेरने का प्रारम्भ कुछ बढ़ाने की कृपा करेंगे ताकि बढ़ा हुआ गन्ना पेरा जा सके, क्योंकि अब तक देखा गया है कि फैक्टरी

के बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस दिन बाद इन्हें आज्ञा मिलती है, तो क्या प्रारम्भ से ही उनको भी आज्ञा देंगे ?

श्री राजमंगल पाण्डेय---

श्रीमन्, बहुत से लोगों को लाइसेंस दिये गये । १२२० लोगों को दिये गये जिन्होंने क्रशर्स चलाये ही नहीं । अगर वह क्रशर्स चलायें तो हमें क्या एतराज होगा, हम लायसेंस लिबरली देंगे ।

श्री रामधारी शास्त्री---

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में लगभग ५० लाख क्विंटल गन्ना खेतों में पड़ा हुआ है और क्या उसके पेरने की कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री राज मंगल पाण्डेय---

जितना गन्ना मेरे लायक मित्र बता रहे हैं उतना तो नहीं है लेकिन यह जरूर है कि खेतों में गन्ना पड़ा हुआ है और वह उन फैक्टरियों को जिनकी क्षमता है पेरने की, डायवर्ट कर दिया गया है और जो फैक्टरियां चल रही हैं उनको हिदायत है कि जब तक एक-एक टुकड़ा न पिर जाय तब तक बन्द न हो ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो क्रय-कर की छूट दी गयी है वह कुल कितने रुपये की होगी ?

श्री राज मंगल पाण्डेय---

गन्ना तो हम आखिर तक पेराते हैं, जुलाई तक फैक्टरी चलेंगी, अभी कैसे बतला दें ?

श्री कृष्णस्वरूप---

मंत्री जी बतायेंगे कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार कितना गन्ना खेतों में शेष है और जिसका सट्टा हो चुका है और जो नहीं पेरा गया है, सरकार उनका मुआवजा देगी ?

श्री राज मंगल पाण्डेय---

इसके लिये अलग अलग आंकड़ों की जरूरत होगी और वह बाद के सवालात में दिये हुये हैं ।

श्री हिम्मत सिंह---

इन क्रशरों को जबसे चीनी मिल चलती हैं उसी समय से चलने की आज्ञा प्रदान करेंगे, यह देखते हुए कि गन्ना अब की बार भी अधिक बोया गया है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय---

वह तो पहले एग्री करने वालों पर मुनहसिर करता है । रिजर्व एरिया के अन्दर मांगते हैं, क्योंकि बाहर तो कोई सवाल है नहीं । किस फैक्टरी में कितना गन्ना है और क्षमता के बाहर होगा तो जरूर देंगे ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि कुछ फैक्टरीज का अपने एरिया का गन्ना खड़ा है और दूसरे एरिया के गन्ने को पेरने के लिये फैक्टरी को मजबूर किया जा रहा है ? उदाहरण के तौर पर बिलारी फैक्टरी का गन्ना अपने गेट पर रसी का खड़ा है और रामपुर फैक्टरी का गन्ना पेरने के लिये उसे मजबूर किया जा रहा है ?

श्री राजमंगल पाण्डय---

यह बात सही है, लेकिन जिन फैक्टरियों को दूसरी फैक्टरियों का गन्ना डाइवर्ट किया गया है, मुझे उम्मीद है कि जबतक वह चलेंगी वे तब तक अपने जोन का भी पेर लेंगी । जो बन्द हैं या टूट गयी हैं उनका जरूर डाइवर्ट किया गया है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

जिला बरेली में ढोरा नदी का पुल

*१---श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम गिरधरपुर, तहसील बहेड़ी, जिला बरेली में घोड़ा नदी पर बना पुल कई वर्ष से टूटा पड़ा है ? यदि हां, तो सरकार इस पुल को कब तक बनायेगी ?

पंचायती राज मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)---

जी हां ।

जिला बरेली में घोड़ा (सही नाम ढोरा है) नदी पर बना पुल ग्राम सभा की सड़क पर स्थित है। धनाभाव के कारण, जिला परिषद् इस समय, इस पुल की मरम्मत कराने में असमर्थ है।

श्री शफीक अहमद खां---

क्या मंत्री जी इस पुल को बनवाने की कृपा करेंगे, क्योंकि लोगों को बहुत तकलीफ है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---

उनकी तकलीफ से मुझे हमदर्दी है, लेकिन इस समय पैसे की कमी है इसलिये उसे बनाना मुश्किल है ।

श्री शफीक अहमद खां---

मुझे बहुत अफसोस है कि इतनी महत्वपूर्ण बात के ऊपर कहा जा रहा है कि हम मजबूर हैं, मैं यह घोषणा करता हूं कि जितना रुपया इसकी मरम्मत पर खर्च होगा उसका २५ फीसदी वहां की पब्लिक देने के लिये तैयार है, क्या अब भी माननीय मंत्री जी बनवा देंगे ?

श्री जगन प्रसाद रावत---

इस पुल की मरम्मत संभव नहीं है, नव-निर्माण करना पड़ेगा, २ लाख रुपया खर्च होगा । २ लाख का प्रबन्ध हो जायगा तो इसकी कोशिश करेंगे ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

यह पुल कब टूटा और तब से आज तक क्या इसके पुर्ननिर्माण के लिये कभी विचार हुआ ?

श्री जगन प्रसाद रावत---

अभी तो विचार नहीं हुआ है, लेकिन इसके महत्व को हम समझते हैं और देखेंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं । इसके वैसे टूटे हुये कई साल हो गये ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

मैं क्या पूछ सकता हूं कि उस समय कौन पी० डब्लू०डी० मिनिस्टर थे ?

श्री जगन प्रसाद रावत---

उस समय आपकी ही गवर्नमेंट थी ।

श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)---

श्रीमन्, सुनाई नहीं पड़ता है जो मंत्री जी जवाब देते हैं । आप ऐसी व्यवस्था कराइये कि जितने लोग भी इस हाल में बैठते हैं उनको साफ सुनाई पड़े ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

दस-बारह दफा यह माइक का प्रश्न यहां पर उठाया गया । ४ दिन के लिये सदन भी बन्द हुआ लेकिन आज तक माइक ठीक नहीं हुआ । कृपा कर इस तरफ ध्यान दें तो यह कठिनाई दूर हो जाय । शफीक साहब इतनी दिलचस्पी से सवाल पूछ रहे हैं लेकिन हमारे सुनने में नहीं आ रहा है। इसकी व्यवस्था आप करा दें ।

श्री अध्यक्ष---

मैं समझता हूं शोरगुल इतना अधिक होता है कि उससे सुनाई नहीं देता है ।

श्री चरणसिंह---

मैं यह अर्ज कर रहा था कि जरा माइक का वाल्यूम कम करा दिया जाय तो आवाज साफ सुनाई देने लगेगी ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

उधर से इतना शोर होता है कि सुनाई नहीं देता है।

श्री शफीक अहमद खां---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि २ लाख रुपया जो पुल का तखमीना दिया गया है वह किस विभाग ने बना कर दिया है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---

हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लिखकर भेजा था कि इसके लिये दो लाख रुपये की जरूरत पड़ेगी ।

जनपद चमोली की प्राणमती नदी पर पुल

*२---श्री शेर सिंह दानू (जिला चमोली) तथा श्री नरेन्द्र सिंह (जिला चमोली)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विकास क्षेत्र थराली जनपद, चमोली के प्राणमती नदी पर अ०जि० प० के पुल का कार्य कब से बन्द है तथा कब तक यह पुल पूरा किया जायेगा ?

श्री जगन प्रसाद रावत---

सन् १९६१ से प्राणमती पुल का निर्माण कार्य बन्द था। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस पुल का निर्माण जमा कार्य के रूप में किया जा रहा है।

श्री शेर सिंह दानू---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस पुल का कार्य १९६१ से क्यों बन्द रहा ?

श्री जगन प्रसाद रावत---

इसका कारण यह है कि यह पुल ऐसे स्थान पर स्थित है जहां हैवी सामान का ले जाना कठिन है । कई बार ठेका भी हुआ, टेंडर भी मांगे गये लेकिन टेंडर नहीं आये, तब यह पुल

सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिया गया है। पहले डिजाइन ठीक नहीं बना था, अब वह डिजाइन बनाकर कार्य शुरू कर देंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सच है कि इस पुल के निर्माण से संबंधित लोहा दस साल से मौके पर पड़ा है?

श्री जगन प्रसाद रावत---

मैंने पहले ही उत्तर में निवेदन किया कि वह लोहे का सामान इतना भारी था कि उस को ले जाने के लिये कोई ठेकेदार नहीं आया। अब सार्वजनिक विभाग उस लोहे को ले जाकर डिजाइन बनाकर पुल का निर्माण करने की कोशिश करेगा।

श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

सार्वजनिक निर्माण के पास यह पुल कब से है?

श्री जगन प्रसाद रावत---

यह सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास सन् ६७ से है।

श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)---

क्या मंत्री जी कोई निश्चित अवधि बतायेंगे कि यह पुल कब तक बन जायगा और उस लोहे का प्रयोग संभव हो सकेगा?

श्री जगन प्रसाद रावत---

अभी तो नहीं कहा जा सकता कि कितना समय लगेगा लेकिन सन् ७२ तक बन जाने की आशा दिलाई गई है।

श्री नरेन्द्र सिंह---

इस पुल का निर्माण कार्य अन्तरिम जिला परिषद् से सार्वजनिक निर्माण विभाग को कब हस्तांतरित हुआ?

श्री जगन प्रसाद रावत---

सन् ६७ में।

श्री सतीश चन्द्र (जिला एटा)---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् ६१ में जब इस पुल का निर्माण बन्द हुआ था उस वक्त तक उसमें कितनी लागत लग चुकी थी?

श्री जगन प्रसाद रावत---

इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)---

यह पुल जनशक्ति योजना के अन्तर्गत बनने वाला था तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस वर्ष उनके पास इस मद्द में कितना रुपया है?

श्री जगन प्रसाद रावत---

इसकी कोई सूचना इस समय हमारे पास नहीं हैं।

लखनऊ-बांसा सड़क की मरम्मत

*३—श्री मुस्तफा कामिल किदवाई (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार लखनऊ-बांसा सड़क को शीघ्र मरम्मत कराने की कृपा करेगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—

लखनऊ से बांसा (जिला बाराबंकी) तक सड़क की दूरी २८ मील ६ फर्लांग है जिसमें से २५ मील २ फर्लांग लखनऊ से गोंडा जाने वाले राज मार्ग का भाग हैं तथा शेष ३ मील ४ फर्लांग बड़ा गांव--बांसा नाम की जिला परिषद् बाराबंकी की सड़क है। राज मार्ग वाले भाग की यथा समय आवश्यकतानुसार मरम्मत होती रहती है। धन के अभाव में इस समय जिला परिषद् अपनी सड़क की मरम्मत कराने में असमर्थ बताई जाती है।

बिक्री-कर का बकाया

*४—श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ३१ मार्च, सन् १९७० तक बिक्री-कर का कितना धन प्रदेश में बकाया है ?

बिक्री-कर मंत्री (श्री बलवीर सिंह)—

३१ मार्च, १९७० तक प्रदेश में बिक्री-कर का लगभग २७.६७ करोड़ रुपया बकाया था।

श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह २७ करोड़ रुपया जो २१-५-७० को बकाया था उसके अलावा कितनी रकम सरकार ने इस वर्ष में बट्टे-खाते में डाली ?

श्री बलवीर सिंह—

मान्यवर, जो रुपया ऐसा लगता है कि वसूल नहीं हो सकेगा वह २.२२ करोड़ है, वह बट्टे-खाते में नहीं गया है बल्कि एक ज्वाइंट इन्क्वायरी टीम उसको देख रही है, उसकी रिपोर्ट आने पर जैसा उचित होगा किया जायगा।

श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या माननीय बिक्री-कर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस २७.६७ करोड़ रुपये में से ३ वर्ष से अधिक पुराना कितना रुपया है और इसको वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री बलवीर सिंह—

इस बात को बताने के लिये कि ३ साल से अधिक का कितना रुपया बकाया है, नोटिस की आवश्यकता होगी, लेकिन जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, सरकार को बड़ी चिन्ता है कि इतना रुपया एरियर्स में नहीं रहना चाहिये। इसलिये समय-समय पर मीटिंग्स की जाती हैं और इस पर विचार किया जाता है और सबसे पहले जो अधिकारी हैं, (कर निर्धारण प्राधिकारियों) उनका ध्यान यू० पी० बिक्री-कर ऐक्ट की धारा ८ (क) (६) की ओर आकर्षित किया जाता रहा है। जिसके अन्तर्गत वे उन सभी मामलों में जहां उन्हें व्यापारी की, फर्म की, आर्थिक सुदृढ़ता अथवा प्रमाणिकता के विषय में कोई सन्देह हो, निबन्धन प्रमाण-पत्र प्रदान करने की शर्त के रूप में जमानत मांग सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि जिन केसेज में बकायों की वसूली न्यायालयों आदि के द्वारा स्थगित कर दी गयी हैं, या स्टे हो गये हैं, उनके सम्बन्ध में अधिकारियों को आदेश हैं कि वे स्टे आर्डर्स जल्द से जल्द वेकेंट करा लिये जायं ।

इस सम्बन्ध में आयुक्त को यह भी आदेश भेजे गये हैं कि शासन द्वारा १ अप्रैल, १९६९ के पहले जितने स्थगन (स्टे) आदेश जारी किये गये थे वह सब वापस ले लिये जायं और इस प्रकार आर्डर्स वेकेंट कर दिये गये ।

जहां तक इन्क्वायरी टीम मुकर्रर की जाती हैं और की जा रही हैं, उनमें भी एक-एक डिप्टी कलेक्टर तथा एक-ए : बिक्री-कर अधिकारी की नियुक्ति करके संयुक्त टीम जांच समिति का गठन किया गया है । तहसील में नायब तहसीलदार और एस० टी० ओ० भी रखे गये हैं । इसके साथ-साथ यह भी विचार किया गया कि रुपये की वसूली इसलिये नहीं होती है कि उसकी जिम्मेदारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऊपर है । इसलिये शासन इस बात पर भी विचार कर रहा है कि यदि बिक्री-कर अधिकारियों को और अधिकार दे दिये जायं तो शायद वसूलयाबी में जल्दी हो सके । अभी यह बात फाइनली तो निश्चित नहीं हुई है लेकिन विचार हो रहा है । कुछ रुपया राइट आफ भी किया जा सकता है ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार के पास इस बात की सूचना है कि सबसे अधिक रुपया किस-किस फर्म्स पर वाजिब है और कितना ?

श्री बलवीर सिंह—

ऐसे १० केसेज हैं जिन्हें मैं बताये देता हूं । वे इस : कार से हैं—

		स्थिति ३१-३-६९ तक
		रु०
(१)	सर्वश्री धर्म सिंह-राम सिंह, मोटर्स प्राइवेट लि०, लखनऊ ..	४६,८८,१७७
(२)	ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर, लखनऊ	२६,९०,०००
(३)	सर्वश्री गौरी शंकर-राधेश्याम, झांसी	२१,८७,५००
(४)	सर्वश्री राम चरन-गिरधारी लाल, सिपरी, झांसी ..	१०,००,०००
(५)	सर्वश्री मेटला गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कं०, वाराणसी ..	८,३४,५९३
(६)	सर्वश्री प्रीमियर मोटर्स, प्रा० लि०, लखनऊ ..	७,८३,०३९
(७)	सर्वश्री जयनारायण-टीकाराम बजाज, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर	७,४२,२९६
(८)	सर्वश्री म्योर मिल्स कं० लि०, कानपुर	७,२१,१२७
(९)	सर्वश्री कन्हैयालाल-राधा किशन, धनकुट्टी, कानपुर ..	७,१८,०११
(१०)	सर्वश्री न्यू सेन्ट्रल जूट मिल्स, साहूपुरी, वाराणसी ..	६,०२,०७२

ये आंकड़े तो ३१-३-१९६९ तक दिये गये हैं । ३१-१२-६९ तक इसमें थोड़ी-बहुत कहीं-कहीं पर वृद्धि हुई है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट पर जो बकाया है उसको वसूल न करने के क्या कारण हैं ?

श्री बलवीर सिंह—

उसमें लीगल बात स्टडी की जा रही है कि उन पर बकाया माना जाय या न माना जाय ।

श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो बकाया धनराशि है, उस में से प्रदेशीय सरकार ने कितना रुपया स्टे किया है ?

श्री बलवीर सिंह—

मान्यवर, मैं पहले ही बता चुका हूं। अगर आप चाहें तो इसको मैं दोबारा बताने के लिये तैयार हूं। प्रदेश सरकार ने १.१४ करोड़ की धनराशि के स्टे किये थे लेकिन जैसा कि मैं कह चुका हूं कि १—४—७० तक जो भी स्टे के आर्डर्स थे वे हमने सब वैकेट कर दिये हैं। इस तरह से बहुत कम रह गया है।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन पर मोटी-मोटी रकमें बकाया हैं उनके खिलाफ अचल या चल सम्पत्ति की कुर्की की कार्यवाही हुई है ?

श्री बलवीर सिंह—

मान्यवर, हर एक के खिलाफ अलग-अलग कार्यवाहियां बताई जायं तो ज्यादा समय लगेगा। कार्यवाही की जा रही है। उसमें से कुछ ऐसे भी फर्म्स थे जो लापता हो गये हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके पास असेट्स नहीं हैं। रुपया वसूल करने की तथा फौजदारी की कार्यवाही हो रही है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

मान्यवर, कोई स्पेसिफिक ढंग से नहीं बताया गया कि जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है उनकी जायदाद कुर्क की गई या उनको हवालात भेजा गया। जब कि रेवेन्यू एरियर्स होने पर दो सौ रुपये पर ही हवालात भेज दिया जाता है। तो कोई ऐसी कार्यवाही क्यों नहीं की गई जिसकी वजह से बकाया की रकम वसूल होती ?

श्री बलवीर सिंह—

मैं पहले ही बता चुका हूं कि कार्यवाही सब में की जा रही है। किसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या सरकार की यह नोटिस में है कि सेल्स टैक्स आफिसर की लापरवाही की वजह से फर्में बनती रहीं और सेल्स टैक्स की वसूली नहीं हुई ?

श्री बलवीर सिंह—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी। जो केसेज होंगे उनको मैं जरूर तलाश करूंगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, यह जो ४६ लाख रुपये की रकम श्री रामसिंह-धर्मसिंह पर बकाया है, क्या यह सत्य है कि उनसे कोई वसूलयाबी नहीं हो सकती ? इस सम्बन्ध में जो सी०आई०डी० की इन्क्वायरी चल रही थी उसमें कुछ हुआ है ?

श्री बलवीर सिंह—

इसमें सी० आई० डी० की इन्क्वायरी हुई थी और जो केस उन्होंने पाया है उसके बारे में प्रासीक्यूशन शुरू कर दिया है लेकिन अभी इन्क्वायरी और पेन्डिंग है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मान्यवर, यह तमाम बकाया जो है इसकी असेसमेन्ट की रिपोर्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट को चार-चार, छः-छः साल के बाद रिकवरी के लिये भेजी गई है और नतीजा यह हुआ कि फर्म्स गायब हो गईं। क्या इसकी जानकारी मंत्री जी को है ?

श्री बलवीर सिंह—

मान्यवर, इसका जरूर पता लगायेंगे ।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो फर्म्स डिजाल्व हो गई हैं उनके पार्टनर्स यदि जिन्दा हैं और उनके पास जो सम्पत्ति है उस सिलसिले में उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बलवीर सिंह—

मान्यवर, यह तो नोटिस के बगैर नहीं बताया जा सकता ।

श्री जगननाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

सरकार का ऐसा भी विचार है कि जो रकम बकाया है वह वसूल न की जाय । मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार वह रकम वसूल नहीं करना चाहती है तो क्यों ?

श्री बलवीर सिंह—

मैं तो कह चुका हूं कि यह बात विचाराधीन है ।

श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २७ करोड़ में से कितने रुपयों की वसूलयाबी के लिये रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट को भेजा गया है ? और जो दस फर्में हैं उनमें से कौन-सी वे फर्में हैं जिनका पता नहीं लग रहा है ?

श्री बलवीर सिंह—

इतनी तफसील मेरे पास नहीं है, नोटिस चाहिये ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि ३० जून से पहले-पहले, जितने भी १ लाख से ऊपर के बकायेदार होंगे उनके मामले वसूलयाबी के लिये लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास भेज देंगे ?

श्री बलवीर सिंह—

उसमें फौरन ही नोटिस आफ डिमाण्ड जारी किया जाता है, एक महीने के अन्दर फिर रिकवरी सार्टिफिकेट जारी किया जाता है । और क्या आश्वासन दिया जा सकता है ?

श्री आत्माराम इन्दु (जिला मेरठ)—

सरकार ने जो १.१४ करोड़ के स्टे किये हैं वे १५ जनवरी के पहले के हैं, कितने के हैं और उसके बाद के कितने के हैं ?

श्री बलवीर सिंह—

यह तो नहीं बताया जा सकता इस समय, लेकिन ज्यादा मामले पहले के ही हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

२७ करोड़ की जो रकम माननीय मंत्री जी ने बतायी है वह किस साल से किस साल तक की है और उसकी वसूली के लिये आपके विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलवीर सिंह—

यह १९४८ से ३१ मार्च, १९७० तक की है। वसूली के लिये कई बार जैसा कहा गया है, कानून के अनुसार जो-जो जरूरी बातें हैं उनको पूरा किया जा रहा है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि १९७० की फरवरी तक कितना बकाया था और उसके बाद कितना बकाया और हुआ है ?

श्री बलवीर सिंह—

इसके लिये नोटिस चाहिये। जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर बता दिया गया कि इतना रुपया ३१ मार्च, ७० तक बकाया था।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या पी०ए०सी० ने यह आब्जर्वेशन किया है कि ६ साल तक सेल टैक्स की वसूली के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी, और उसने यह राय दी है कि वसूली के लिये सरकार को अलग से स्टाफ रखना चाहिये ?

श्री बलवीर सिंह—

वह मेरे सामने रिपोर्ट नहीं आयी है। पी० ए० सी० ने अगर सिफारिश की होगी तो उन्हें पूरा किया जायेगा।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि हजरतगंज, लखनऊ की मोटर कम्पनी से (व्यवधान) इसलिये रुपया वसूल नहीं हो रहा है क्योंकि पिछले मंत्रि-मंडल के किसी सदस्य से उनका संबंध है ?

श्री बलवीर सिंह—

इसकी जानकारी नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या कुछ फर्मों पर बिक्री-कर की रकम को राइट आफ करने का मंत्री जी का विचार है ? यदि हां, तो वे कौन-सी फर्म्स हैं ?

श्री बलवीर सिंह—

कोई स्पेसिफिक केस मेरे सामने नहीं है।

शेषपुर-बेती सड़क पर डीहा पुल के पुनर्निर्माण की जानकारी

*५—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को विदित है कि शेषपुर-बेती रोड, जिला प्रतापगढ़ का डीहा पुल यातायात के लिये बिलकुल बेकार हो गया है ? यदि हां, तो इस पुल का पुनः निर्माण कब कराया जायगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां, शेषपुर-बेती सड़क का डीहा पुल यातायात के लिये प्रायः बेकार हो गया है। यह पुल जिला परिषद् की सड़क पर है। इस समय जिला परिषद् के समक्ष इसके पुनर्निर्माण की कोई योजना नहीं है।

श्री जयराम यादव—

मान्यवर, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार ने कृषि विभाग के द्वारा इस पुल का निर्माण कराने की १९६७-६८ में एक योजना बनाई थी ? यदि हां, तो वह क्यों नहीं लागू की गई थी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

सन् ६६ में जन-शक्ति योजना के अन्तर्गत एक योजना इसके लिये बनाकर भेजी गई थी, लेकिन जबतक उस पर विचार हो यह योजना ही खत्म कर दी गई, इसलिये विचार अधूरा रह गया ।

श्री जयराम यादव—

क्या मंत्रीजी को मालूम है कि इस पुलके टूट जाने से कुंडा ब्लाक का और आगे का यातायात बेकार हो जाता है तथा तहसील हेडक्वार्टर से भी सम्बन्ध टूट जाता है, इसके महत्व को देखते हुये राज्य सरकार क्या इसके बनाने पर फिर से विचार करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस समय तो कोई धन का प्रबन्ध नहीं है, धन का प्रबन्ध होगा तो विचार किया जायगा ।

श्री रामधारी शास्त्री—

गंगा पर जो बेलपुर बांध बना हुआ है, उस पर जाने के लिये एकमात्र रास्ता इसी पुल पर से है और इसके टूट जाने से उस की मरम्मत होना भी दुर्लभ हो जायगा और एक खतरा पैदा हो जायगा क्योंकि दूसरा अन्य रास्ता नहीं है, इस पर क्या मंत्री जी ने विचार किया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

आपने जो जानकारी दी है, उससे मैं लाभ उठाने की कोशिश करूंगा ।

श्री जयराम यादव—

मंत्री जी को क्या जानकारी है कि ५ अगस्त, १९६९ को जिला परिषद् ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि इस पुल को बनाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर है, क्योंकि बेलीपुर बांध की देख रेख और मरम्मत करने के लिये इसी पुल पर से जाना पड़ता है ? कृषि विभाग को इसकी ज्यादा जरूरत है, इस दृष्टि से वह उसे बनवायें । क्या इस दृष्टि से राज्य सरकार विचार करेगी इसके बनाने के लिये ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मैंने जैसा कहा, साधन जब हमारे पास होंगे तो मैं जरूर विचार करूंगा ।

पवई-जलालपुर रोड का निर्माण

*६—श्री श्यामलाल (जिला आजमगढ़)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री, कृपया बतायेंगे कि पवई-जलालपुर रोड जो जौनपुर जिले के शाहगंज बाजार और फैजाबाद जिले के जलालपुर बाजार को मिलाती है, बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक कार्य प्रारम्भ होगा ?

*७—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह भी कृपया बतायेंगे कि सन् १९६२ से १९६७ के सत्र में इस सड़क के निर्माण के लिये सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत हुई थी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—

इन प्रश्नों को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्थगित कराया जा चुका है। पंचायत राज विभाग को ये प्रश्न ९-६-१९७० को हस्तान्तरित होकर प्राप्त हुये। जिलों से सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं हो पायी है। सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री श्यामलाल—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि सूचना मंगाने में विलम्ब का कारण क्या है और अब कब तक सूचना प्राप्त हो जायेगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—

जो सूचना मांगी गई है नहीं आई है, अब उनके ऊपर रिमाइन्डर भेजे जायेंगे और कोशिश करेंगे कि सूचना जल्दी से जल्दी एकत्र कर लें।

श्री जगदम्बा प्रसाद—

जिला परिषद्, आजमगढ़ व फैजाबाद दोनों ने इस आशय का प्रस्ताव भेजा था कि इस सड़क की उपेक्षा देखते हुये इसे अविलम्ब बनाने की कोशिश की जाय ? क्या सरकार को इसकी जानकारी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मैंने निवेदन किया है कि इस प्रश्न के बारे में अभी कोई सूचना हमें उपलब्ध नहीं है, मंगाने की कोशिश कर रहा हूं।

रोडवेज में बुकिंग क्लर्कों के वेतन में अन्तर

*८—श्री श्यामलाल—

क्या सरकार को पता है कि प्रदेश के अन्य रीजनों के मुकाबले वाराणसी रीजन के आजमगढ़ डिपो में सहायक बुकिंग क्लर्कों व बुकिंग क्लर्कों के वेतन मानों में भारी असमानता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री रामजीलाल सहायक—

जी नहीं। बुकिंग क्लर्क और सहायक बुकिंग क्लर्क के वेतन-मान में समान अन्तर सभी रीजनों में है।

श्री श्यामलाल—

मैंने आजमगढ़ और वाराणसी रीजनों के बारे में प्रश्न किया था, लेकिन अन्तर सभी रीजनों के बारे में मिला है, इसको मंत्री जी स्पस्ट कर दें।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछिये ?

श्री श्यामलाल—

आजमगढ़ और वाराणसी रीजनों के बुकिंग क्लर्क्स के वेतन-मानों में क्या कोई भारी असमानता है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, असमानता है सहायक बुकिंग क्लर्क्स और बुकिंग क्लर्क्स के वेतन-मानों में।

श्री श्यामलाल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस असमानता का कारण क्या है ? और उसे कब दूर किया जायगा ?

श्री रामजीलाल सहायक—

१७२ पद सहायक बुकिंग क्लर्कों के हैं, उनमें १२५ को पदोन्नति मिल चुकी है। केवल ४७ बाकी हैं। उनके लिये आदेश हो गये हैं कि उनको विभागीय परीक्षा ले कर पदोन्नति दे दी जाय।

महोली गन्ना समिति द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान

*९—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—

क्या गन्ना मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ४, ३५, २१५ रु० ६५ पैसे काश्तकार से किस आधार पर महोली गन्ना विकास समिति ने काटा था? क्या इसके अतिरिक्त भी पैसा था जो अदा कर दिया गया है?

श्री चरण सिंह—

यह धनराशि महोली गन्ना समिति के पास वहां के काश्तकारों की वर्ष १९५९–६० से १९६८–६९ तक के गन्ना मूल्य तथा अतिरिक्त गन्ना मूल्य की ओर माह जनवरी, १९७० में अदा करने हेतु थी। इसका भुगतान जारी है तथा समिति द्वारा कटौती का प्रश्न नहीं उठता। वर्ष १९५९–६० से १९६८–६९ तक के गन्ना मूल्य व अतिरिक्त गन्ना मूल्य की ओर समिति ने १९–१–७० तक ६,०५,९३६ रु० का भुगतान कर दिया था।

*१०—श्री रामलाल राही (अनुपस्थित)—

गन्ना के मूल्य की व्यवस्था किस रूप में की जा रही है और कितनी प्रगति हो चुकी है? यूनियन नकद धन दे रही है या अन्य रूप में, क्या काश्तकारों को मय ब्याज के पैसा वापिस किया जा रहा है या करने का विचार है?

श्री चरण सिंह—

उपरोक्त बकाया धनराशि में से ३१–५–७० तक गन्ना मूल्य बकाया की ओर रु० ४१,२३०.२५ एवं अतिरिक्त गन्ना मूल्य बकाया की ओर रु० १,२१,९६२.०० अर्थात् कुल मिला कर रु० १,६३,१९२.२५ का भुगतान हो चुका है। गन्ना मूल्य का भुगतान बराबर किया जा रहा है। चूंकि पर्चों की एक प्रतिलिपि काश्तकारों के पास रहती है, इसलिये जब अपनी पर्ची लेकर वे समिति के कार्यालय में आते हैं, उनको भुगतान कर दिया जाता है। इसके भुगतान के लिये प्रचारार्थ नोटिस निकाली जा चुकी है। इसी प्रकार अवशेष अतिरिक्त गन्ना मूल्य की धनराशि के भुगतान के संबंध में पास बुकें पोस्ट आफिस में खुलवाई जा रही हैं। चूंकि पैसा मांगे जाने पर तुरन्त दे दिया जाता है ब्याज के देने का प्रश्न नहीं उठता।

मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के अन्तर्गत राजमार्गों का राष्ट्रीयकरण

*११—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के अन्तर्गत राष्ट्रीयकरण करने के लिये प्रदेश के किन-किन राज्य मार्गों का प्रश्न शासन के विचाराधीन है?

श्री रामजीलाल सहायक—

राज्य सरकार निम्नलिखित ३७ योजनाओं पर विचार कर रही है—

१—अलीगढ़-खैर टप्पल,
२—अलीगढ़-अनूपशहर—बाया—दिबई,
३—एटा-मथुरा बाया सादाबाद,

४—जौनपुर-केराकत-संदपुर-मिन्हाजपुर,
५—मिर्जापुर-गाजीपुर-वाया-वाराणसी,
६—बरेली-कासगंज-वाया-बदायूं,
७—सीतापुर-हरदोई तथा संबंधित मार्ग,
८—उन्नाव-हरदोई तथा संबंधित मार्ग,
९—बाराबंकी-फैजाबाद,
१०—मेरठ-बुलन्दशहर तथा संबंधित मार्ग,
११—कैराना-दिल्ली-वाया-शामली,
१२—अल्मोड़ा-पिथौरागढ़,
१३—अल्मोड़ा-बागेश्वर,
१४—बदायूं-बबराला-वाया-सहसवां,
१५—लखनऊ-हरदोई-शाहजहांपुर तथा संबंधित मार्ग,
१६—बिजनौर-नजीबाबाद-वाया-कीरतपुर,
१७—मुरादाबाद-काशीपुर-रामनगर तथा संबंधित मार्ग,
१८—इटावा-मैनपुरी-वाया-कड़हल,
१९—हमीरपुर-कालपी तथा संबंधित मार्ग,
२०—पीलीभीत-बीसलपुर-बिलसंडा,
२१—कालपी-झांसी तथा संबंधित मार्ग,
२२—सीतापुर-लहरपुर-वाया-तम्बौर,
२३—वाराणसी-संदपुर तथा संबंधित मार्ग,
२४—बांदा-बबेरू,
२५—नगीना-धामपुर-कालागढ़,
२६—टनकपुर-धारचुला,
२७—लखीमपुर-निघासन,
२८—शाहजहांपुर-निगोही-बीसलपुर,
२९—हल्द्वानी-टांडा-वाया-रुद्रपुर,
३०—सहारनपुर-दिल्ली,
३१—गोरखपुर-गोला-वाया-खजनी तथा संबंधित मार्ग,
३२—बांदा-इलाहाबाद तथा संबंधित मार्ग,
३३—शेरगढ़घाट-औरय्या-दिवियापुर-तिरवा,
३४—थरियांव-असोथर,
३५—मेरठ-मोहिउद्दीनपुर-खरखौदा,
३६—आगरा-बीचपुरी-साही,
३७—बसरवारी-जहांगीरगंज।

श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि इन ३७ योजनाओं में से एक महीने में कुल कितनी योजनायें लेने का विचार कर रही है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, एक महीने की बात नहीं आ सकती। कुछ उनमें से ऐसी सड़कें हैं जिन पर कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। उन पर जल्दी फाइनल नोटिफिकेशन होने वाला है। कितना समय लगेगा, एक महीना कैसे कह दूं ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं जानना चाहता हूं कि जिसमें फाइनल कार्यवाही समाप्त हो चुकी है सिर्फ गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन करना है वह कौन-कौन से रूट्स हैं और उसमें सरकार को यह बताने में क्या कठिनाई है कि नोटिफिकेशन एक महीने में, एक हफ्ते में या १५ दिन में हो जायगा ?

श्री रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, कई मार्ग ऐसे हैं जिसमें १६८-डी (३) की कार्यवाही जारी की जा रही है। फाइनल नोटिफिकेशन में कुछ समय तो लग ही जायगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सरकार मद नम्बर ३१ के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेगी कि किस स्टेज पर है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

यह जो गोरखपुर गोला-वाया-खजनी तथा सम्बन्धित मार्ग हैं इनमें भी १६८—डी (३) की कार्यवाही जारी की जा रही है।

श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या माननीय परिवहन मंत्री जी बतायेंगे कि जिन ३७ मार्गों के राष्ट्रीयकरण की बात कही गयी है उसमें अलीगढ़ रामघाट रोड भी शामिल है ? तो उस सड़क पर सरकारी बसें कब से चालू कर दी जायेंगी ?

श्री रामजीलाल सहायक—

जी हां। वह भी शामिल है।

श्री कल्यान सिंह—

दूसरे अंश का उत्तर रह गया कि बसें कब से चालू करने की योजना है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

कुछ वक्त लग जायगा, नयी बसें खरीद रहे हैं, तब भेजेंगे।

श्री कृष्णस्वरूप—

क्या परिवहन मंत्री जी यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये, पंजाब हरियाना की भांति जिन मार्गों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है उन पर निजी बसें चलाने की अनुमति प्रदान करेंगे जिससे यात्रियों को अधिक सुविधा हो ?

श्री रामजीलाल सहायक—

यह ऐसा प्रश्न है जिस पर यकायक कदम नहीं उठाया जा सकता। उनके यहां की स्थिति अलग है और हमारे यहां की स्थिति अलग है। हमारे यहां जिस तरह से फिलहाल चल रहा है उसी तरह से चलेगा।

श्री उमानाथ सिंह—

जौनपुर जिले में जौनपुर महनाजपुर मार्ग का राष्ट्रीयकरण सरकार ने बहुत पहले कर लिया था लेकिन सरकार और मोटर मालिकों के बीच में मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा था और हाई कोर्ट द्वारा सरकार के पक्ष में निर्णय लिये जाने के बावजूद भी वैभागिक अधिकारियों के कारण अभी तक उस मार्ग पर सरकारी बसें नहीं चलाई जा सकीं तो इसका क्या कारण है और इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी जांच करा कर उन अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करेंगे ?

श्री रामजीलाल सहायक—

माननीय सदस्य अगर लिख कर देंगे तो मैं अवश्य जांच करा लूंगा।

न्यायालय मुंसिफ कुन्डा, जिला प्रतापगढ़ का लम्बन

*१२—श्री जयराम यादव—

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुंसिफ कुंडा, जिला प्रतापगढ़ का न्यायालय किन कारणों से समाप्त कर दिया गया, इस न्यायालय में ११ मई, १९७० तक कितने वाद विचाराधीन हैं ?

न्याय मंत्री (श्री स्वामीप्रसाद सिंह)—

मुन्सिफ कुण्डा, जिला प्रतापगढ़ का न्यायालय समाप्त नहीं किया गया है। कोई अधिकारी उपलब्ध न होने के कारण न्यायालय को लम्बित कर दिया गया है।

उक्त न्यायालय में दिनांक ११ मई, १९७० को ११२७ वाद विचाराधीन थे।

अल्मोड़ा-बरेली बस सेवा की समाप्ति

*१३—श्री हरीसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज की एक पैसेंजर बस जो बरेली-अलमोड़ा के लिये चलाई गई थी वह कुछ दिनों के बाद किस कारण बन्द कर दी गई ?

श्री रामजीलाल सहायक—

उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज कुमायूं क्षेत्र ने अल्मोड़ा-बरेली वाया खैरना पैसेंजर बस सेवा १-२-६६ से चलाई थी किन्तु इस सेवा की आय असंतोषजनक रहने के कारण दिनांक ७-३-६६ से इसे बन्द कर दिया गया।

प्रदेश में अवशेष गन्ना एवं उसकी पेराई

*१४—श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी) तथा श्री कृष्ण मगन सिंह (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के प्रत्येक गन्ना मिल क्षेत्र में अलग-अलग कितना-कितना गन्ना किसानों के खेत में दिनांक १० मई, १९७० तक खड़ा है तथा उसे कब तक मिल ले लेगा ?

श्री चरण सिंह—

१८-५-७० को प्रअवशेष प्रस्तावित (offered) गन्ने की मात्रा संलग्न तालिका में मिलवार दर्शायी गयी है। प्रस्तावित गन्ने के अतिरिक्त ऐसा गन्ना भी है जो किसानों ने गन्ना समितियों से बांड किया था, उसको भी चीनी मिल अपनी पेराई क्षमता के अनुसार समाप्त करने का प्रयास करेगी। उस गन्ने के पेराई को ध्यान में रखते हुये संलग्न तालिका में प्रत्येक मिल के बन्द होने की संभावित तिथि दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ११२९-११३० पर)

राजकीय परिवहन विभाग में ए० टी० आई०

*१५—श्री शीतला प्रसाद सिंह (जिला गोंडा) तथा श्री दीपनारायन बन (जिला गोंडा)—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राजकीय परिवहन विभाग में कुल कितने ऐसे ए० टी० आई० हैं जो लगातार ३ वर्ष की अधिक अवधि से एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं ?

नोट—तारांकित प्रश्न ११ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री रामजीलाल सहायक—

७५।

*१६—श्री शीतला प्रसाद सिंह तथा श्री दीपनारायन बन—

क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा में राजकीय परिवहन विभाग के कुछ ए० टी० आई० ऐसे हैं जिनका स्थानान्तरण माह दिसम्बर, सन १९६९ तथा माह जनवरी, सन् १९७० में हो चुका था, परन्तु उनका स्थानान्तरण रोक दिया गया ? यदि हां, तो उनका स्थानान्तरण रोके जाने का क्या कारण है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

माह जनवरी,, सन १९७० में एक सहायक यातायात निरीक्षक का स्थानान्तरण किया गया था किन्तु प्रशासकीय कारणों से बाद में रद्द कर दिया गया।

अल्मोड़ा हल्द्वानी बस सेवा चलाने की मांग

*१७—श्री हरीसिंह बिष्ट—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनता की सुविधा को देखते हुये खैर ना अल्मोड़ा मोटर मार्ग में रोडवेज की रेगुलर पैसेंजर बसें अल्मोड़ा-हल्द्वानी को चलायेंगे ?

श्री रामजीलाल सहायक—

यह मार्ग अराष्ट्रीयकृत है और इस पर अभी प्राइवेट बसें चल रही हैं। राष्ट्रीयकरण हो जाने के बाद ही इस मार्ग पर रोडवेज बसों का संचालन हो सकेगा।

फतेहपुर जन पद में सिटी बस चलाने की प्रार्थना

*१८—श्री जयनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जनपद के ग्राम हस्वा के निवासियों ने खाना से फतेहपुर जाने व आने वाली बसों को वाया हस्वा जाने की प्रार्थना मई, सन १९७० में की है। यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

*१९—क्या परिवहन मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जनपद में भी अन्य शहरों की भांति सिटी बस चलाने की योजना सन १९६९ या १९७० में स्वीकार हो चुकी थी ? यदि हां, तो यह योजना अभी तक फतेहपुर जनपद में क्यों नहीं चालू की गई ?

श्री रामजीलाल सहायक—

जी नहीं।

अन्य प्रश्न नहीं उठता।

पचपेड़ी घाट जिला खीरी पर पीपे का पुल न बनने से बसों का न चल सकना

*२०—श्री तेजनारायन, श्री छेदालाल चौधरी, श्री माखन लाल तथा श्री सेवाराम—

क्या परिवहन मन्त्री को जानकारी है जिला खीरी में लखीमपुर-निघासन-बिलरायां मार्ग पर और लखीमपुर-निघासन-धौरहरा मार्ग पर चलने वाली प्राइवेट बसें १, २ व ३ मई, १९७० को बन्द रहीं और उनमें से अधिकांश बसें पी० डब्ल्यू० डी० कार्यालय में खड़ी रहीं जिससे जनता को अत्यधिक परेशानी रही ? यदि हां, तो क्या कारण था ?

श्री रामजीलाल सहायक—

जी हां। पचपेड़ी घाट पर पीपे का पुल न बनने के कारण तथा कथित सड़कें खराब होने के कारण बसें, १, २ व ३ मई, १९७० को नहीं चल सकीं।

चीनी मिलों पर गन्ने का बकाया

*२१—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती) तथा श्री राम करन (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के चीनी मिलों पर कितना कितना रुपया गन्ने का मूल्य ३० अप्रैल, सन १९७० तक बाकी है ?

श्री चरण सिंह—

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की चीनी मिलों पर कितना कितना रुपया गन्ने के मूल्य का अप्रैल ३०, १९७० तक बाकी था वह संलग्न तालिका (क) पर स्तम्भ २ में अंकित चीनी मिलों के सम्मुख स्तम्भ ७ में दर्शाया गया है।

पेरने को अवशेष गन्ना

*२२—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन—

क्या गन्ना मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किन-किन चीनी मिलों के क्षेत्र में कितना-कितना कुन्टल गन्ना ३० अप्रैल, सन १९७० तक पेरने को बाकी है ?

श्री चरण सिंह—

३० अप्रैल, १९७० को आफर्ड गन्ने के अवशेष मात्रा मिलवार तालिका (ख)† में दर्शित है।

एच० आर० शुगर फैक्टरी बरेली द्वारा गन्ना उत्पादकों को भुगतान

*२३—श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली) तथा श्री भानु प्रताप सिंह—

क्या सरकार को पता है कि एच० आर० शुगर फैक्टरी, बरेली ने १ अप्रैल, सन् १९७० से वर्ष १९६९—७० का गन्ना उत्पादकों को जो भोजीपुरा गन्ना सहकारी समिति के द्वारा अपना गन्ना सप्लाई करते हैं को मूल्य का भुगतान बन्द कर दिया है? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—

एच० आर० शुगर फैक्टरी, बरेली ने गन्ना उत्पादकों को, जो भोजीपुरा गन्ना सहकारी समिति द्वारा अपना गन्ना सप्लाई करते हैं, वर्ष १९६९-७० के गन्ना मूल्य का भुगतान १ अप्रैल, १९७० से बन्द नहीं किया है। १—४—७० से २—६—७० तक की अवधि में कुल गन्ना मूल्य रु० १३,९८,७००.०० का भुगतान किया गया। अतः इस संबंध में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

गन्ना सहकारी समिति भोजीपुरा में कोटे के अतिरिक्त गन्ने की पेराई

*२४—श्री चेत राम गंगवार तथा भानु प्रताप सिंह—

क्या गन्ना मंत्री जी को पता है गन्ना सहकारी समिति भोजीपुर, जिला बरेली में जिन गन्ना उत्पादकों ने बेसिक कोटा के अलावा अतिरिक्त सट्टा कराया था उसका ३० अप्रैल, सन् १९७० तक ६० प्रतिशत भी सप्लाई नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों ? और उन गन्ना उत्पादकों को बाकी पर्चियां कब तक दी जावेंगी ?

---

†छापी नहीं गई।

श्री चरण सिंह—

भोजीपुरा विकास समिति के कृषकों का ३०–४–७० तक कुल सट्टे का ७५ प्रतिशत गन्ना विभिन्न चीनी मिलों को पूर्ति किया जा चुका था आशा है कि कुल सट्टा किये गये गन्ने की मात्रा की पूर्ति ३०–६–७० तक हो जायेगी ।

बरेली चीनी मिल को सुरक्षित एरिया के बाहर के गन्ने का एलाटमेंट

*२५—श्री भानु प्रताप सिंह—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बरेली शुगर मिल के लिये सुरक्षित एरिया में से बाहर का भी गन्ना एलाट किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की पूरी जांच कराकर वहां के गन्ना अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

श्री चरण सिंह—

वर्तमान पेराई सीजन में बहेड़ी चीनी मिल के सुरक्षित क्षेत्र में गन्ना इतना अधिक है कि उस मिल द्वारा उसकी पेराई संभव न थी, अतएव उस अधिक गन्ने को खपाने के लिये उसको निकटवर्ती चीनी मिलों को व्यावर्तित किया गया था । बरेली चीनी मिल को इसी व्यवस्था के फलस्वरूप बहेड़ी चीनी मिल के क्षेत्र का गन्ना व्यावर्तित किया गया । ऐसी स्थिति में जिला गन्ना अधिकारी के विरुद्ध जांच या कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

रीजनल ट्रान्सपोर्ट आफिस के रोकड़ियों के वेतन का अभिनवीकरण

*२६—श्री केशवचन्द्र सिंह (जिला शाहजहांपुर)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के आर०टी०ओ० आफिसर्स के रीजनल शाखा के रोकड़ियों का वेतन-क्रम अभिनवीकरण सन् १९६५ की रिपोर्ट के आधार पर १२०-२२० के क्रम में कब तक निर्धारित हो जावेंगे ?

श्री रामजीलाल सहायक—

२४–५–७० को आवश्यक आदेश शासन द्वारा जारी कर दिये गये हैं ।

[दिनांक २२ जून, १९७० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

प्राइवेट मोटर आपरेटर्स की सुविधा हेतु फाइनेन्स कारपोरेशन की स्थापना की मांग

*१—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राइवेट मोटर आपरेटर्स को सुविधा देने के लिये सरकार फाइनेंस कारपोरेशन कायम करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री रामजीलाल सहायक—

जी नहीं ।

यू० पी० रोडवेज कानपुर के जनरल मैनेजर का निलम्बन

*२—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू०पी० रोडवेज कानपुर के जनरल मैनेजर को मुअत्तल कर दिया गया है? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या-क्या आरोप हैं और उन आरोपों की जांच हुयी थी या नहीं और मामला किस स्तर पर है?

श्री रामजीलाल सहायक—

जी हां । कानपुर के भूतपूर्व प्रधान प्रबन्धक को निलम्बित किया गया है। इनके विरुद्ध निम्नलिखित आरोप हैं:—

"इन्होंने एक 'अनएप्रूव्ड' फर्म है, दूसरों के साथ साजिश करके पुर्जों की अनियमित खरीद की । पुर्जे अधिक दामों पर खरीदे जिससे शासन को आर्थिक हानि हुई। खरीदे गये पुर्जे अधिकतर पुराने खराब एवं अनसरविसिबिल थे । कर्त्तव्यों का पालन ठीक एवं उत्तरदायित्व के साथ नहीं किया ।"

आरोपों की जांच कराई गई है तथा जांच रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है ।

मुरादाबाद में नान फेरस मेटल स्कीम के अन्तर्गत निर्मित ट्यूबवेल

*३—श्री रियासत हुसैन—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "नान-फेरस मेटल स्कीम" मुरादाबाद में ट्यूबवेल किस इस्तेमाल के लिये बनाया गया और इस पर कितना खर्च आया और उसी सेंटर पर आयल फायर्ड फरनेस मशीन कब से बेकार पड़ी है और उसकी क्या कीमत है ?

उद्योग मंत्री (श्री बेनी सिंह)—

नान-फेरस मेटल योजना, मुरादाबाद में एक ट्यूबवेल पानी की प्राप्ति हेतु बनवाया जा रहा है। इस पर ३१-३-७० तक कुल २७,१८९ रुपये ३६ पैसे व्यय हुये ।

आयल फायर्ड फरनेस अप्रैल, १९६६ से प्रयोग में नहीं लाई गई है। इसकी कीमत ८,८८८ रुपये ५५ पैसे है।

*४—श्री रियासत हुसैन—

क्या उद्योग मंत्री को यह मालूम है कि वह ट्यूबवेल आटोमेटिक इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लांट की स्कीम के अन्तर्गत मंजूर हुआ था, जो तीन साल पूर्व वाइण्ड अप हो गई ?

श्री बेनी सिंह—

जी नहीं । ट्यूबवेल नान-फेरस मेटल योजना के अन्तर्गत मंजूर किया गया था ।

हिन्दुस्तान कान्स्ट्रक्शन कम्पनी की गाड़ियों को माल-कर की छूट

*५—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार बतायेगी कि देहरादून में यमुना ढौस वेली में बिजली परियोजना में कार्यरत हिन्दुस्तान कान्स्ट्रक्शन कम्पनी की कितनी गाड़ियां बिना मार्ग पर माल-कर तथा बिना परमिट इस आधार पर चल रही है कि उनके इन करों की अदायगी न करने तथा बिना परमिट चलने की अपीलें परिवहन आयुक्त के कार्यालय में विचाराधीन हैं ?

श्री रामजीलाल सहायक—

जी नहीं । दिनांक १ जनवरी, १९७० से इस कम्पनी की कोई भी गाड़ी बिना मार्ग-कर तथा बिना परमिट नहीं चल रही हैं । इस समय उसकी कोई अपील भी परिवहन आयुक्त के कार्यालय में विचाराधीन नहीं है। उनकी अपीलों को दिनांक १४-११-६९ व १७-१-७० को कर अधिकारी देहरादून को रिमांड कर दिया गया था । ये अपीलें जनवरी, सन् ७० के पहले के कर के बारे में थीं ।

*६—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या उपरोक्त अपीलों को दाखिल करते समय अपीलांट से नियमानुसार कर भी नहीं लिया गया ?

श्री राजजीलाल सहायक—

यू०पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्जेशन ऐक्ट, १९३५ के अन्तर्गत अपीलांट से देय कर जमा कराने का कोई प्राविधान नहीं है। मालकर अधिनियम, १९६४ के अन्तर्गत अपील करते समय देयकर जमा कराने का प्राविधान है परन्तु अपीलेट अथारिटी देय माल-कर की अदायगी के प्रति अपनी विवेकानुसार छूट दे सकती है। अतः कम्पनी द्वारा प्रस्तुत माल कर की अपील के मामले में अपीलेट अथारिटी ने देय कर जमा कराना आवश्यक नहीं समझा।

*७–८—श्री रामचन्द्र विकल—

[९वें मंगलवार के प्र०सं० ९–१० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*९—श्री राम गोपाल संड—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

इलाहाबाद रोडवेज रीजन में ड्राइवरों को इनाम की जानकारी

*११—श्री श्यामसूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या इलाहाबाद रीजन (रोडवेज) में पिछले ५वर्ष से ड्राइवरों को इनाम (रिवार्ड) का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि का कितने ड्राइवरों का भुगतान नहीं हुआ है और क्यों तथा क्या उक्त भुगतान की व्यवस्था सरकार शीघ्र करायेगी ?

श्री रामजीलाल सहायक—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

कन्डक्टरी से पदोन्नत क्लर्कों को गुड कन्डक्ट अलाउन्स

*१२—श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या इलाहाबाद रीजन रोडवेज में १९५८ के गवर्नमेंट आर्डर के मुताबिक दो वर्षों के अनुभवी कंडक्टरों का जिनकी पदोन्नति क्लर्क के पद पर हुई है गुड कन्डक्ट अलाउन्स उनके वेतन में नहीं जोड़ा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? और क्या सरकार उनके गुड कंडक्ट एलाउन्स को उनके वेतन में जोड़ दिये जाने का आदेश शीघ्र देगी ?

श्री रामजीलाल सहायक—

सन् १९५८ के आदेशानुसार जो कन्डक्टर क्लर्क के पद पर कार्य कर रहे थे और जिनकी पदोन्नति १–४–५५ से जूनियर बुकिंग क्लर्क के पद पर कर दी गई थी, उनको वेतन निर्धारण में गुड कंडक्ट एलाउन्स का लाभ मिलना था यदि वे लगातार १–४–५५ के पूर्व दो वर्ष तक गुड कन्डक्ट एलाउन्स पाते रहते। यह शर्त कोई कन्डक्टर पूरी नहीं करता था। अतः उन्हें यह लाभ दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

*१३—श्री सुरेंद्र विक्रम—

[१०वें सोमवार के लिये स्थगित]

एडवोकेटों के नामांकन शुल्क में कमी

*१४—श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि पिछली सरकार ने एडवोकेट शुल्क ७५० रु० के बजाय २५० रु० कर दिया था ? यदि हां, तो क्या वर्तमान सरकार उस नियम को व राजाज्ञा को कायम रखने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलवीर सिंह—

पिछली सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया था कि एडवोकेट शुल्क के ७५० रु० से २५० कर दिया जाय ।

एडवोकेटों के नामांकन पर ५०० रुपये का स्टाम्प शुल्क है और वर्तमान सरकार ने इस स्टाम्प शुल्क को, जो कि ५०० रु० है, २५० रुपये करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय कार्यान्वित किये जा रहे हैं ।

*१५–१६—श्री भगवती सिंह विशारद—

[१०वें सोमवार के लिये स्थगित]

प्रदेश में लाटरी से प्राप्त धन का हास्पिटल फण्ड में स्थानान्तरण

*१७—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक ३१ मार्च, १९७० तक उत्तर प्रदेश लाटरी से कुल कितना धन सरकार को प्राप्त हुआ है और उसमें से कितना धन अस्पतालों को दिया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

दिनांक ३१ मार्च, १९७० तक उत्तर प्रदेश लाटरी के ६ ड्रा हुये और उनसे कुल २,०७,२१,८५५ रु० की धनराशि प्राप्त हुई है। १,३६,५३,२६८ रु० की शुद्ध आय में से१,१६,३४,७०० रुपये उत्तर प्रदेश हास्पिटल फंड को स्थानान्तरित की गई। उत्तर प्रदेश हास्पिटल फंड का पर्सनल लेजर एकाउन्ट दिनांक ३१ मार्च, १९७० को खुला था इसलिये उस दिन तक इस धनराशि में से कोई धन व्यय नहीं हुआ।

*१८—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या वित्त मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि अस्पतालों को दिये गये धन में से कुमायूं तथा गढ़वाल कमिश्नरी के प्रत्येक जिले के अस्पतालों को कितना रुपया किस आधार पर दिया गया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रश्न नहीं उठता ।

*१९—श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

[१३वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

सिटी बस डिपो कानपुर में बसों की मरम्मत

*२०—श्री मनोहरलाल (जिला कानपुर)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इनके अकस्मात कानपुर निरीक्षण के समय सिटी बस डिपो कानपुर में कितनी बसें बेकार एवं खराब हालत में पायी गयीं ? क्या चुन्नीगंज

बस स्टेशन पर चालकों एवं परिचालकों ने अपनी समस्यायों के बारे में मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट किया था ?

यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री रामजीलाल सहायक--

जूही व फजलगंज डिपो में केवल १४ गाड़ियां मेंटीनेंस व मरम्मत के हेतु खड़ी थीं । कोई गाड़ी बेकार नहीं थी ।

चुन्नीगंज बस स्टेशन पर रोडवेज के कर्मचारियों ने निवास स्थान की कठिनाई की ओर मौखिक रूप से ध्यान आकृष्ट किया था । इस संबंध में श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश से लिखा पढ़ी की जा रही है ।

*२१--श्री मैनेजर सिंह--

[१०वें सोमवार के लिये स्थगित]

ए० डी० एम०जे० बलिया द्वारा वितीय वर्ष १९६९-७० में निर्णीत फौजदारी के मुकदमें

*२२--श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया ए० डी० एम० जे० की अदालत में द्वितीय वर्ष १९६९-७० में कितने फौजदारी के मुकदमे निर्णीत हुये और इन निर्णीत मुकदमों में कितने ऐसे हैं जिनका निर्णय प्रथम निर्धारित तिथि पर ही किया गया और कितने ऐसे हैं जिनका निर्णय प्रथम निर्धारित फैसले की तिथि से बार बार तिथियां स्थगित कर किया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

बलिया के ए० डी० एम० जे० की अदालत में वित्तीय वर्ष १९६९-७० में--

(क) फौजदारी के निर्णीत मुकदमों की संख्या ..	३१७
(ख) फैसले की प्रथम निर्धारित तिथि पर निर्णीत मुकदमों की संख्या	३०४
(ग) फैसले की प्रथम निर्धारित तिथि पर निर्णय न देकर कई बार स्थगित किये जाने के बाद निर्णीत मुकदमों की संख्या	१३

*२३--श्री लालसा--

[१२ वें शुक्रवार के लिये स्थापित]

जिला परिषद् आजमगढ़ में हरिजन कर्मचारी

*२४--श्री लालसा (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद् आजमगढ़ में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की अलग-अलग कुल संख्या कितनी है और उनमें हरिजन कर्मचारियों का नाम व उनकी संख्या का प्रतिशत क्या है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ११३१ पर)

अलीगढ़ राजघाट मार्ग के राष्ट्रीयकरण का विरोध

*२५—श्री कल्यान सिंह तथा श्री हिम्मत सिंह—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सरकार अलीगढ़ से रामघाट मार्ग के राष्ट्रीयकरण करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रामजीलाल सहायक—

इस मार्ग का राष्ट्रीयकरण विज्ञप्ति संख्या ४४३९/३०—क—दिनांक २२—८—६८ द्वारा किया जा चुका है ।

*२६—श्री कल्यान सिंह तथा श्री हिम्मत सिंह—

क्या यह सच है कि उपरोक्त मार्ग पर चलने वाली निजी बसों के बस आपरेटर्स तथा बस मालिकों की ओर से कोई स्मृति पत्र हाल में इस आशय का मिला है कि अलीगढ़-रामघाट बस मार्ग का राष्ट्रीयकरण न किया जाय और उस पर निजी बसें ही चालू रखी जायें ? यदि हां, तो इस विषय में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

जी हां । चूंकि इस मार्ग का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है, अतः प्रार्थना स्वीकार करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तराखंड जिलों में बिक्री-कर कार्यालय खोलने की प्रार्थना

*२७—श्री गोपाल दत्त (जिला पिथौरागढ़)—

क्या सरकार उत्तराखंड जिलों के मुख्यालयों में सेल्स टैक्स कार्यालय खोलने का विचार कर रही है ?

श्री बलवीर सिंह—

जी नहीं । सरकार का उत्तराखंड जिलों के मुख्यालयों में सेल्स टैक्स कार्यालय खोलने का फिलहाल कोई विचार नहीं है ।

हाथरस की मुन्सिफी अदालत के लिये स्थान की खोज

*२८—श्री प्रेमचन्द्र शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस की मुन्सिफी अदालत की इमारत कितने वर्षों से टूटी पड़ी है ?

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

हाथरस की मुन्सिफी की इमारत सितम्बर, १९६७ से टूटी पड़ी है ।

*२९—श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

क्या न्याय मन्त्री यह भी बतायेंगे कि उसके कब तक बन जाने की सम्भावना है ?

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

चूंकि उक्त इमारत जहां बनी हुई है, वह जमीन नीचे धंस रही है, अतः वहां नयी इमारत बनाने का प्रश्न नहीं उठता है । नई इमारत बनाने के लिये अन्य स्थान की खोज की जा रही है ।

मुहम्मदाबाद गोहना निरैयाकोट मार्ग पर सिटी बस चलाने की मांग

*३०—श्री श्यामलाल तथा श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत मुहम्मदाबाद गोहना से निरैयाकोट मार्ग पर सिटी बस चलाने की व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री रामजीलाल सहायक—

जी नहीं ।

मुहम्मदाबाद-गोहना-सुल्तानीपुर मऊनाथ भंजन मार्ग पर राजकीय बस चलाने की मांग

*३१—श्री श्यामलाल तथा श्री भाभी—

क्या परिवहन मन्त्री यह भी कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत मुहम्मदाबाद गोहना-सुल्तानीपुर-मऊनाथ भंजन मार्ग पर राजकीय बसें चलाने की व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री राम जी लाल सहायक—

जी नहीं ।

*३२—श्री मुस्तफा कामिल किदवाई—

[पुनरावृत्ति क कारण निरस्त]

जिला इलाहाबाद के फूलपुर में ग्रामीण औद्योगिक आस्थान की स्थापना

*३३—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जिले के गंगा पार की तहसीलों में कोई कारखाना या फैक्टरी सरकारी या गैर-सरकारी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार वहां के गरीबों और बेकारों को रोजगार देने के लिये इस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई योजना कारखाना खोलने की बनायेगी ?

श्री बेनी सिंह—

सार्वजनिक क्षेत्र में किसी फैक्ट्री या कारखाने की स्थापना नहीं हुई परन्तु निजी क्षेत्र में हंडिया, फूलपुर व सोरांव तहसीलों में लघु तथा कुटीर उद्योग के रूप में ५३० इकाइयां स्थापित हुईं ।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में निजी क्षेत्र में नये उद्योग लगाये जाने हेतु विभिन्न सुविधायें जैसे विभागीय सहायता, ऋण, कच्चा माल, तकनीकी ज्ञान आदि दिये जाने का प्राविधान है ।

इनके अतिरिक्त एक ग्रामीण औद्योगिक आस्थान की स्थापना फूलपुर में की गई जिसके अन्तर्गत उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु बहुत सी सुविधायें दी जाती हैं ।

लाल कुवां, जिला नैनीताल में रेयन ग्रेड पल्प फैक्टरी लगाने का प्रस्ताव

*३४—श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले या बरेली जिले में रेयन फैक्ट्री लगाया जाना उत्तर प्रदेश सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह फैक्ट्री निजी क्षेत्र में होगी या सार्वजनिक क्षेत्र में लगाई जा रही है ? यदि निजी क्षेत्र में लगाई जा रही है तो किस फर्म द्वारा लगाई जा रही है और फैक्टरी के लिये कच्चा माल कहां-कहां से प्राप्त होगा ?

श्री बेनी सिंह—

जी हां। निजी क्षेत्र में नैनीताल जिले के लाल कुआं स्थान पर सर्वश्री सेंचुरी पल्प, कलकत्ता द्वारा एक रेयन ग्रेड पल्प फैक्ट्री लगाये जाने का प्रस्ताव है। इसके लिये कच्चा माल बन क्षेत्रों से प्राप्त होगा। अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह फैक्ट्री लग पायेगी या नहीं क्योंकि भारत सरकार से अभी तक इसको लाइसेंस नहीं प्राप्त हुआ है।

पर्वतीय जिले के औद्योगीकरण हेतु टैक्नो इकनामिक सर्वेक्षण

*३५—श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में घरेलू व बड़े उद्योग-धन्धों को चलाये जाने के लिये कोई सर्वे की गई है? यदि हां, तो वे कौन-कौन से घरेलू व बड़े उद्योग पर्वतीय क्षेत्र कुमायूं उत्तराखंड में चलाये जा सकते हैं? क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उक्त उद्योगों में से या किन्हीं उद्योगों को निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों में उत्तराखंड के जिलों में चालू करने को प्रोत्साहित किया है? यदि हां, तो वे कौन-कौन से उद्योग हैं और प्रत्येक उद्योग से कितने-कितने लोग लाभान्वित होते हैं?

श्री बेनी सिंह—

नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०, नई दिल्ली द्वारा निम्न ८ पर्वतीय जिलों में भविष्य में इनके हेतु औद्योगी करण रूपरेखा तैयार करने तथा संभावित उद्योगों की संस्तुति हेतु एक टैक्नो इकनामिक सर्वेक्षण कराया गया जिसकी रिपोर्ट सितम्बर/अक्तूबर, १९६९ में प्रकाशित हो चुकी है:—

१—नैनीताल,
२—टेहरी-गढ़वाल,
३—पौड़ी-गढ़वाल,
४—अल्मोड़ा,
५—चमोली,
६—पिथौरागढ़,
७—उत्तरकाशी,
८—देहरादून का जौनसार-बावर क्षेत्र।

सर्वेक्षण रिपोर्ट में जिन उद्योगों की संस्तुति की गई है उनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट (क) पर संलग्न है। निजी क्षेत्र के अन्तर्गत ऐसे उद्योगों की जो सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित है, स्थापना हेतु जिला मैजिस्ट्रेट तथा जिला उद्योग अधिकारियों को लिखा गया है। ऐसी संभावना है कि निकट भविष्य में प्रस्तावित उद्योगों में से अधिकांश प्रत्येक जिले में स्थापित हो जायेंगे। सर्वेक्षण रिपोर्ट की संस्तुति के आधार पर ३,३५९ व्यक्तियों को उद्योगों की स्थापना के फलस्वरूप रोजगार मिलेगा।

अलमोड़ा में एक डेड बर्न्ट मैग्नेसाइट की इकाई लगाई जाने की संभावना है जिसके लिये उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम और टाटा में समझौता हो चुका है। इस इकाई पर लगभग ३ करोड़ रुपया व्यय किया जायगा और डेढ़-दो सौ आदमियों को रोजगार मिल सकेगा।

निजी क्षेत्र में इस बात की भी कोशिश की जा रही है कि नैनीताल जिले में एक रेयन ग्रेड पल्प का कारखाना लग जाय जिसमें लगभग २५ करोड़ रुपया व्यय होने की सम्भावना है और सैकड़ों आदमियों को रोजगार मिलेगा।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ११३२–११३४ पर)

*३६—श्री भानु प्रताप सिंह तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*३७–३८—श्री अनीसुर्रहमान—

[११वें बुधवार के ता० प्र० सं० ७३–७४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३९–४०—श्री मुन्शीलाल चमार—

[११वें बुधवार के ता० प्र० ६५–६६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*४१–४२—श्री प्यारेलाल, श्री हुकुम सिंह परिहार तथा श्री भीमा प्रसाद—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

जिला फैजाबाद का औद्योगिक सर्वेक्षण

*४३—श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जनपद के औद्योगिक विकास की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री बेनी सिंह—

सरकार के सामने फैजाबाद ही क्या सारे प्रदेश के औद्योगिक विकास का प्रश्न है और सरकार इस बात के लिये प्रयत्नशील है कि सारे प्रदेश का औद्योगिक विकास हो जिसमें फैजाबाद भी सम्मिलित है। इसी बात को सामने रख कर लघु उद्योग सेवा संस्थान, भारत सरकार, कानपुर द्वारा फैजाबाद जन पद का औद्योगिक सर्वेक्षण अप्रैल, १९६९ में करवाया गया। उक्त सर्वेक्षण प्रतिवेदन मार्च, १९७० में प्रकाशित हुआ। इस प्रतिवेदन में निम्नलिखित उद्योगों के परिस्थापना की फैजाबाद जिले में सम्भावना बताई गई है:—

१—पशुचारा उद्योग
२—फल एवं वनस्पति संरक्षण
३—सामान्य सेवा अभियांत्रिकी
४—इमारती लोह सामग्री
५—साइकिल के कल-पुर्जे
६—फाउन्टेनपेन
७—विद्युत कल-पुर्जे
८—प्लास्टिक के कलात्मक आभूषण
९—कांच के खिलौने
१०—शक्ति चालित कार्यों हेतु लौह सामग्री
११—कार्यों हेतु काष्ठ सामग्री
१२—कीटाणु नाशक रसायन
१३—अलुमोनियम के बर्तन
१४—साइकिल के टायर और ट्यूब
१५—इन्टरलाक कपड़ा निर्माण
१६—फेंक शेपट ग्राइण्डिंग
१७—पेंट तथा बार्निश
१८—चीनी मिट्टी के बर्तन
१९—चमड़े का सामान
२०—डिटर्मेन्ट सोप पाउडर ।

संबंधित अधिकारियों को इस बात के लिये आदेश कर दिये गये हैं कि निजी क्षेत्र में लोगों को प्रोत्साहन दिया जाय कि छोटी औद्योगिक इकाइयां फैजाबाद मण्डल में अधिक से अधिक लगवाने की चेष्टा करें ।

जिला रायबरेली में निजी क्षेत्र में कारखाने लगाने का प्रस्ताव

*४४—श्री मदन मोहन मिश्रा (जिला रायबरेली)—

क्या उद्योग मन्त्री बतायेंगे कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में रायबरेली जिले में औद्योगीकरण की कौन-कौन सी योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं ? यह भी कृपया बतायेंगे कि इन प्रस्तावित उद्योगों में कितने निजी क्षेत्र में तथा कितने सरकारी क्षेत्र में स्थापित होंगे ?

श्री बेनी सिंह—

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राजकीय क्षेत्र में कोई औद्योगिक इकाई लगाने का अभी प्रस्ताव नहीं है । निजी क्षेत्र में निम्नलिखित दो बड़ी इकाइयां लगाने हेतु आवेदन पत्रों पर भारत सरकार को लाइसेंस देने की संस्तुति की गई है और उनकी स्थापना की आशा लाइसेंस मिलने पर ही की जा सकती है:—

(१) श्री तपन राय, कलकत्ता द्वारा इनकेनडिसेन्ट गैस डिस्चार्ज और फ्लोरिसेन्ट बनाने की मशीनरी व कल पुर्जों का निर्माण ।

(२) सर्वश्री स्वदेशी काटन मिल, कानपुर द्वारा सूती कपड़ा तथा धागा निर्माण ।

लघु उद्योगों के विकास हेतु अधोलिखित सहायता दिये जाने का प्राविधान है :—

(१) हथकर्घा उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न प्रकार की सहायता देने की योजना।

(२) लघु उद्योगों के उत्थान हेतु ऋण योजना ।

(३) आर्थिक सहायता देकर ग्रामीण उद्योगों का विकास तथा औद्योगिक सहकारी समितियों का विस्तार ।

जिला रायबरेली में कुटीर उद्योगों के सर्वेक्षण

*४५—श्री मदन मोहन मिश्रा—

क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या रायबरेली जिले में कुटीर उद्योगों की स्थापना का प्रश्न भी विचाराधीन है ? यदि हां, तो किस प्रकार के कुटीर उद्योग होंगे ?

श्री बेनी सिंह—

जी हां । रायबरेली जिले का औद्योगिक सर्वेक्षण हो चुका है और सर्वेक्षण रिपोर्ट में जिन कुटीर उद्योगों की स्थापना की सम्भावना दिखाई गई है वे निम्नलिखित हैं:—

हड्डी की खाद, चमड़ा कमाना, कार्न फ्लेक्स, पशु रसायनिक चारा, अलमुनियम के बर्तन, सेन्ट्रीफ्यूगल पम्प, फाउन्ड्री, ट्यूबवेल के पुर्जे, लोहे के बर्तन जैसे अंगीठी, तवा आदि तथा कीड़े मारने के रसायन पदार्थ ।

इनकी स्थापना के लिये इच्छुक उद्योगपतियों को विभिन्न सहायता तथा सुविधा सरकार द्वारा दी जाती है ।

*४६—श्री विश्वनाथ कपूर—

[१०वें सोमवार के लिये स्थगित]

जिला परिषदों के लिये परामर्शदात्री समिति के गठन पर विचार

*४७—श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या पंचायत राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारियों के परामर्श एवं सहयोग के लिये (जिला परिषदों) के हेतु परामर्शदात्री समिति बनाने का विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो समितियों के गठन का आधार क्या होगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

कथित समितियों के निर्माण तथा उनके गठन के आधार आदि के प्रश्न शासन के विचाराधीन हैं ।

*४८—श्री नित्यानन्द स्वामी, श्री कृष्णस्वरूप, श्री मोहनलाल कपूर तथा श्री चेतराम गंगवार—

[१०वें सोमवार के लिये स्थगित]

आजमगढ़ शहर व जिले में राजकीय बस चलाने की मांग

*४९—श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ से सरायमीर तक एवं आजमगढ़ से मुहम्मदपुर तक सिटी बस चलाने का विषय सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक निर्णय हो जायगा ?

*५०—क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के कस्बा निजामाबाद से जनपद वाराणसी तक बस चलाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक निर्णय हो जायगा ?

श्री रामजीलाल सहायक—

प्रश्न संख्या ४९—जी नहीं ।

प्रश्न सख्या ५०—जी नहीं ।

जिला परिषद कानपुर के कार्याधिकारी का स्थानान्तरण

*५१—श्री रामकुमार (जिला कानपुर)—

क्या पंचायत राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिला परिषद् के कार्याधिकारी का स्थानान्तरण का आदेश हाल में हुआ है ? यदि हां, तो कब तथा क्या सम्बन्धित अधिकारी के स्थानान्तरण आदेश का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा सरकार इस सन्दर्भ में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारी सम्प्रेक्षा संगठन में अनुसूचित जाति

*५२—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी सम्प्रेक्षक संगठन, उत्तर प्रदेश में कुल कितने भिन्न-भिन्न श्रेणियों में पद हैं ? प्रत्येक श्रेणी में कितने अनुसूचित जाति के और कितने पिछड़ी जाति के हैं ?

श्री नारायण दत्त तवारी—

सहकारी सम्प्रेक्षा संगठन में विभिन्न श्रेणियों के पदों की कुल संख्या तथा अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या संलग्न तालिका में दी गई है। पिछड़ी जाति के सदस्यों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ११३५ पर)

*५३—श्री चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या वित्त मन्त्री बतायेंगे कि कितने ज्येष्ठ सम्प्रेक्षकों की पदोन्नति जिला सम्प्रेक्षक अधिकारी के पद पर की गई है और उनमें अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति का क्या प्रतिशत है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जिला सम्प्रेक्षाधिकारी के पदों पर ५१ ज्येष्ठ सम्प्रेक्षकों की पदोन्नति की गई है जिसमें अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व २ प्रतिशत है। पिछड़ी जाति के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

पनियाली फार्म पर रेशम उद्योग हेतु तैयार पौधे

*५४—श्री इन्द्रलाल—

विधान सभा की बैठक दिनांक ४ मई, १९७० को नत्थी (घ) में, प्रश्न संख्या २७ के उत्तर के क्रम पर क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतावेंगे कि पनियाली, जिला नैनीताल में स्थित फार्म, पर जितना कब्जा रेशम उद्योग विभाग ने अब तक प्राप्त किया है, उस कब्जे वाली भूमि में इस वक्त कितने पौधे विभाग ने तैयार किये हैं और उनका क्या सदुपयोग हो रहा है ?

श्री बेनी सिंह—

(१) पनियाली जिला नैनीताल में स्थित फार्म पर इस समय ८३६ पौधे हैं।

(२) उपरोक्त पौधों का उपयोग पर्याप्त पत्ती देने की अवस्था में रेशम कीट पालन हेतु किया जायेगा।

*५५—श्री इन्द्रलाल—

क्या उद्योग मन्त्री यह भी कृपया बतायेंगे कि विभाग ने उल्लिखित भूमि के किन-किन खेत नम्बरान पर कब्जा प्राप्त किया और कारणों की जांच में अभी कितना समय लगेगा ?

श्री बेनी सिंह—

(१) उल्लिखित भूमि के खेत नम्बर २१६-अ, २१७-अ, २१८, २१९, २२०, २२१, २२२, २२३—अ, २२४, २२५—अ, २२६, २२७, २२८, २२९, २३०, २३१, २३२, २३३, २३४—अ, और २३५-अ पर नियमित कब्जा है।

(२) जांच जारी है। निश्चित समय का अभी अनुमान लगाना कठिन है।

*५६—श्री जगदीश गांधी तथा श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[१०वें सोमवार के लिये स्थगित]

*५७—श्री राम निहोर राय—

[९वें सोमवार के लिये स्थगित]

प्रदेश में लाख (चपड़ा) के कारखाने

*५८—श्री विजय बहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने लाख (चपड़ा) के कारखाने हैं ?

श्री बेनी सिंह—

प्रदेश में चपड़े के कुल तीन कारखाने अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत पंजीकृत हैं । इसके अतिरिक्त दो लघु कारखाने उद्योग विभाग के कच्चा माल अनुभाग में पंजीकृत हैं ।

*५९—श्री विजय बहादुर सिंह—

क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि लाख उद्योग के विकास के लिये फैक्टरी ऐक्ट के अन्तर्गत धारा १८ (१२) से उन कारखानों को मुक्त करने पर विचार कर रही है ?

श्री बेनी सिंह—

फैक्टरी ऐक्ट के अन्तर्गत १८ (१२) कोई धारा नहीं है ।

आई० टी० आई० लखनऊ के प्रधानाचार्य का कथित स्थानान्तरण

*६०—श्री राम करन—

क्या श्रम मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि आई० टी० आई०, लखनऊ के प्रधानाचार्य श्री आर० एन० वार्ष्णेय का स्थानान्तरण माह मार्च, १९७० में श्रम मन्त्री ने तत्काल करने के आदेश किये थे ? यदि हां, तो अब तक श्रम मन्त्री के आदेशों का कार्यरूप में परिणत न करने का क्या कारण है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

जी नहीं ।

प्रतापगढ़-पट्टी सिटी बस सर्विस की समाप्ति

*६१—श्री गया प्रसाद (प्रतापगढ़), श्री जयराम यादव, कुंवर तेजभान सिंह तथा श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या परिवहन मन्त्री को विदित है कि यू० पी० रोडवेज, प्रतापगढ़ के अधिकारियों ने प्रतापगढ़-पट्टी सिटी बस सर्विस को समाप्त कर दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामजीलाल सहायक—

जी हां । रोडवेज के इलाहाबाद क्षेत्र द्वारा प्रतापगढ़–पट्टी मार्ग पर सिटी बस सेवा १–५–६९ से चलाई गई थी । चूंकि इस मार्ग पर चलाई गई सिटी बस सेवा का लोड फैक्टर कम था, इस सेवा को ३१–८–६९ से बन्द कर दिया गया ।

जिला कानपुर के ग्रामीण अंचल में लघु उद्योगों का प्रसार

*६२—श्री रघुनाथ सिंह (जिला कानपुर)—

क्या उद्योग मन्त्री बतायेंगे कि अप्रैल, १९६५ से अप्रैल, सन् १९७० की अवधि में कानपुर जिले के ग्रामीण अंचल में लघु उद्योगों के प्रसार के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये ? किन-किन लोगों को किस उद्योग के लिये लाइसेन्स परमिट और कोटे दिये गये ? कितना-कितना ऋण दिया गया तथा सम्बन्धित उद्योग अब किस स्थिति में हैं ?

श्री बेनी सिंह—

कानपुर जनपद के ग्रामीण अंचल में लघु एवं विशेषतयः कुटीर ग्रामोद्योगों के विकास एवं प्रसार हेतु १९६५ से १९७० तक निम्नलिखित कदम उठाये गये :

(१) द्रुतगति से ग्राम उद्योगीकरण हेतु औद्योगिक अभियान (२ अक्तूबर, १९६५ से) जिसका मुख्य लक्ष्य पूर्व स्थापित औद्योगिक इकाइयों को सुदृढ़ बनाना तथा बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के साथ जीवन स्तर को समुन्नत बनाना था।

(२) ऋण आंशिक रूप से नियंत्रित कच्चे माल यथा जी० पी० शीट, बी० पी० शीट, कटिंग, सीमेन्ट, कोयला, शीरा आदि तथा आयातित कच्चे माल हेतु आवश्यकता प्रमाण-पत्र आदि का दिया जाना।

(३) केन्द्र विन्दुओं पर तीव्र गति से विद्युतीकरण।

(४) भारत सरकार से भौंती से पुखरायां तक के क्षेत्र को ग्रामीण औद्योगिक परियोजना के अन्तर्गत घोषित कराना। स्टेट बैंक की पाइलेट सेन्टर स्कीम की शाखा, टेलीफोन एक्सचेंज, पत्रालय आदि की शाखा रनियां में खोलने का प्रयास।

(५) यातायात की सुविधाओं की उपलब्धि।

(६) इस अवधि के उत्तरार्ध काल में बिक्रीकर व चुंगी कर में छूट।

एक सौ छत्तीस औद्योगिक इकाइयों को आंशिक रूप से नियंत्रित कच्चे माल जैसे बी० पी० शीट, जी० पी० शीट, कटिंग, कोयला, शीरा सीमेन्ट आदि के लिये परमिट दिये गये तथा कच्चे माल हेतु ग्रामीण औद्योगीकरण योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से लाइसेन्स दिलवाने हेतु आवश्यकता प्रमाण-पत्र जारी किये गये परन्तु उक्त ग्रामीण औद्योगिक योजना के अन्तर्गत सम्भवतः कोई भी लाइसेन्स नहीं मिल सका। परिशिष्ट "अ"† पर आवश्यक विवरण संलग्न है। उक्त १३६ इकाइयों में से वर्तमान में ३२ कार्यरत हैं।

उपरोक्त अवधि में ३२१ इकाइयों को ११४०७०० रु० आयुक्त निधि, स्वर्णकार योजना, मुख्यालय निधि एवं उदार ऋण योजना के अन्तर्गत ऋण के रूप में वितरित किया गया जिसका आवश्यक विवरण क्रमशः †तालिका फ, स, द तथा ध पर संलग्न है। इस समय ऐसी १४१ इकाइयां कार्यरत हैं।

कानपुर जनपद का औद्योगिक सर्वेक्षण

*६३—श्री रघुनाथ सिंह (जिला कानपुर)—

क्या सरकार ने कानपुर जिले की "इन्डस्ट्रियल पोटेन्शियलिटी" का सर्वेक्षण कराया है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री वह रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बेनी सिंह—

वर्ष १९५६ में कानपुर जनपद का औद्योगिक सर्वेक्षण कराया गया था सर्वेक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति सदन के पटल पर अवलोकनार्थ रक्खी है।

*६४–६५—श्री राजित राम पाण्डेय—

[१०वें सोमवार के लिये स्थगित]

---

†छापी नहीं गयी।

न्यूनतम वेतन परामर्श दात्री मंडल में बीड़ी मजदूरों का प्रतिनिधित्व

*६६—श्री रूपनाथसिंह यादव—

क्या श्रम मंत्री यह बतायेंगे कि राज्य सरकार द्वारा गठित न्यूनतम वेतन मण्डल में बीड़ी मजदूरों की किसी यूनियन का कोई प्रतिनिधि बीड़ी मजदूर फेडरेशन की मांग के अनुसार अब तक नहीं रक्खा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

न्यूनतम वेतन अधिनियम, १९४८ की धारा ९ के अनुसार न्यूनतम वेतन परामर्शदात्री मंडल की रचना में अनुसूचित नियोजनों के नियोजकों तथा नियोजितों के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर-बराबर तथा मण्डल के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्य स्वतंत्र व्यक्तियों से लिये जाते हैं। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत गठित वर्तमान उत्तर प्रदेश परामर्शदात्री मण्डल में तम्बाकू के नियोजन में (जिसमें बीड़ी अभिनिर्माण भी सम्मिलित है) नियोजितों के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। अतः बीड़ी मजदूरों के किसी अन्य प्रतिनिधि को रखने का प्रश्न नहीं उठता।

जीप फ्लैशलाइट इन्डस्ट्रीज लि०, इलाहाबाद में इंजीनियरिंग बोर्ड की अनुसंशाओं का प्रतिपालन

*६७—श्री रूपनाथसिंह यादव—

क्या श्रम मन्त्री को पता है कि जीप फ्लेशलाइट इन्डस्ट्रीज लि०, इलाहाबाद नामक इंजीनियरिंग संस्थान ने अभी तक इंजीनियरिंग वेतन बोर्ड के अन्तरिम सिफारिश का प्रतिपालन नहीं किया है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

जीप फ्लेशलाइट इन्डस्ट्रीज लि० इलाहाबाद ने इंजीनियरिंग वेतन बोर्ड की अन्तरिम अनुशंसाओं का आंशिक प्रतिपालन किया है। पूर्ण प्रतिपालन न होने से सम्बन्धित एक विवाद अभिनिर्णय के लिये भेजा गया था।

रबर फैक्टरी, बरेली में औद्योगिक दुर्घटनायें

*६८—श्री उमाशंकर शुक्ला (जिला शाहजहांपुर)—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रबर फैक्ट्री, बरेली में सन् १९६२ से १९६९ तक कितनी औद्योगिक दुर्घटनायें हुई, कितने श्रमिक मरे, कितने घायल हुये तथा सरकार ने जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री राजमंगल पांडेय—

सिन्थेटिक्स एण्ड केमिकल्स लि० बरेली, जनवरी, १९६३ में कारखाना अधिनियम १९४८ के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हुई। इस समय से १९६९ तक ९३ औद्योगिक दुर्घटनायें हुई जिनमें ६ श्रमिक मरे और १२६ घायल हुये। चूंकि दुर्घटनाओं में कारखाना अधिनियम के उल्लंघनों की कोई त्रुटि नहीं पाई गई, अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठा।

*६९—श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री इन्द्र लाल—

[१० वें सोमवार के लिये स्थगित]

*७०–७१—श्री इम्तियाज हुसैन, श्री ईश्वरदयाल त्यागी, श्री बिहारीलाल, श्री रामकरन, श्री हुकुम सिंह, श्री मोहम्मद असरार अहमद तथा श्री शिवपाल सिंह—

[१० वें सोमवार के लिये स्थगित]

*७२—श्री इन्द्रलाल तथा श्री अनन्त राम जायसवाल—

[१० वें सोमवार के लिये स्थगित]

*७३—श्री राम निहोर राय—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*७४–७५—श्री दल सिंगार तथा श्री भाभी —

[१० वें सोमवार के लिये स्थगित]

बस स्टेशनों पर विधायकों से यात्री-कर

*७६—श्री श्यामसुन्दरलाल गुप्त (जिला सीतापुर) तथा श्री कृष्णकान्त (जिला सीतापुर)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायकों से केसरबाग बस स्टेशन पर यात्री कर नकद रूप में नहीं लिया जाता परन्तु अन्य बस स्टेशनों पर यात्री कर नकद रूप में कूपनों के अतिरिक्त लिया जाता है ? इसका क्या कारण है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

सभी बस स्टेशनों पर विधायकों से यात्री कर नकद रूप में लिये जाने के आदेश हैं । परन्तु केसरबाग बस स्टेशन पर, गलत फहमी के कारण, यात्री कर १०–३–७० से ९–६–७० तक कूपनों के रूप में लिया गया । अब वहां भी विधायकों से यात्री कर नकद रूप में ही लिया जा रहा है ।

आई० टी० आई के इन्सट्रक्टर पद का सुपरवाइजर के पद पर प्रमोशन तथा वेतन क्रम

*७७—श्री प्रभाकर त्रिपाठी (जिला कानपुर)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि आई० टी० आई० में इन्सट्रक्टर के पद पर काम करने वाले कर्मचारी का १६०–३२० रु० के वेतन-क्रम से प्रमोशन सुपरवाइजर के पद पर १७५–३०० के वेतन क्रम में होता है ?

श्री राजमंगल पांडेय—

जी हां ।

*७८—श्री प्रभाकर त्रिपाठी—

क्या यह सच है कि पी० आर० सी० रिपोर्ट लागू होने के समय से सुपरवाइजर के वेतन क्रम में परिवर्तन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है? क्या जिन लोगों को इससे गत कई वर्षों से नुकसान हो रहा है उसकी पूर्ति की जायेगी?

श्री राजमंगल पांडेय—

सुपरवाइजर के पद को समाप्त करके उसके बजाय सीनियर इंस्ट्रक्टर व जूनियर इंस्ट्रक्टर का पद बनाने का प्रस्ताव है । जिनका क्रमशः वेतन क्रम २००–४०० और १६०–३२० होगा । यह शासन के विचाराधीन है ।

बुढ़वल शक्कर मिल पर गन्ने का बकाया

*७९—श्री शेषनारायण शुक्ल (जिला बाराबंकी)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बुढ़वल शक्कर मिल, जिला बाराबंकी पर गन्ने के काश्तकारों का कितना रुपया बकाया है और उसकी शीघ्र अदायगी के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री चरण सिंह—

बुढ़वल शक्कर मिल, जिला बाराबंकी पर गन्ने के काश्तकारों का ३१ मई, १९७० तक पुराना गन्ना मूल्य रु० २३-५३ लाख तथा चालू १९६९–७० का रु० १३.९९ लाख अर्थात् कुल रु० ३७.५२ लाख बकाया है । बकाये की वसूली के लिये जिलाधिकारी, बाराबंकी ने उक्त मिल में रिसीवर नियुक्त किया है ।

बुढ़वल शकर मिल के सुरक्षित क्षेत्र के गन्ने का व्यावर्तन

*८०—श्री शेषनारायण शुक्ल—

क्या सरकार को पता है कि बुढ़वल शुगर मिल अपने सुरक्षित क्षेत्र के गन्ने को इस सीजन की समाप्ति तक पेर सकने में असमर्थ हैं ? यदि हां, तो क्या फालतू गन्ने को किसी दूसरी मिल को भेजने की व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री चरण सिंह—

वर्तमान पेराई सीजन में बुढ़वल चीनी मिल के क्षेत्र में गन्ने की अधिकता को देखते हुये इस मिल के सुरक्षित क्षेत्र के गन्ने को निम्नप्रकार से व्यावर्तित किया गया—

(१) २३–४–७० से १७–५–७० तक इस मिल के सुढ़ियामऊ क्रय केन्द्र का आधा गन्ना जरवल चीनी मिल को जाता रहा । १७–५–७० के बाद बिसवां मिल के ब्रेक डाउन होने के कारण इस मिल के गन्ने को व्यावर्तित करना आवश्यक हो गया और बिसवां मिल का कुछ गन्ना जरवल चीनी मिल को दिया जाने लगा इसके फलस्वरूप सुड़ियामऊ क्रय केन्द्र बुढ़वल चीनी मिल को वापस कर दिया गया ।

(२) १७–५–७० से बुढ़वल चीनी मिल के नेवता करसंडा केन्द्र का पूरा गन्ना लगभग ४०,००० क्विंटल बाराबंकी चीनी मिल को व्यावर्तित किया गया ।

(३) ७५,००० क्विंटल की सीमा तक गन्ना बुढ़वल चीनी मिल क्षेत्र से जरवल चीनी मिल गेट पर ले जाने के लिये सामान्य आज्ञा दी गई ।

पंचायतराज निदेशालय में वेतन निर्धारण के मामले

*८१—श्री गया प्रसाद—

क्या पंचायत राज मन्त्री बतायेंगे कि निदेशालय, पंचायत राज में कितने कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के मामले विचाराधीन हैं और कितने मामले शासन को निर्णय के लिये भेजे गये हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

निदेशालय, पंचायत राज में तीन कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के मामले विचाराधीन हैं तथा चार मामले शासन को निर्णय के लिये भेजे गये हैं ।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मिर्जापुर में छात्रवृत्ति का भुगतान

*८२—श्री राम प्यारे—

क्या श्रम मन्त्री को ज्ञात है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मिर्जापुर के प्रथम वर्ष के छात्रों को अभी तक वहां की परामर्शदात्री समिति की संस्तुति के बावजूद छात्रवृत्ति नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राजमंगल पांडेय—

छात्रवृत्ति वितरण की जा चुकी है ।

*८३—श्री राम प्यारे—

क्या मन्त्री जी अविलम्ब बकाये छात्रवृत्ति के भुगतान का आदेश प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राजमंगल पांडेय—

प्रश्न नहीं उठता ।

सहायक सामान्य प्रवन्धक सिटी बस सर्विस, कानपुर का स्थानान्तरण रोका जाना

*८४—श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या परिवहन मन्त्री बतायेंगे कि श्री रामप्रकाश अवस्थी, सहायक सामान्य प्रबन्धक, सिटी बस सर्विस, कानपुर के स्थानान्तरण आदेश को मार्च, १९७० से लेकर १५ मई, १९७० तक कितने बार बदला व संशोधित किया गया और किन कारणों से?

श्री राम जी लाल सहायक—

एक बार स्थानान्तरण के आदेशों को बदला गया तथा एक बार श्री अवस्थी की पुत्री के विवाह के कारण स्थानान्तरण के आदेशों का कार्यान्वयन फिलहाल रोक दिया गया है ।

सहायक सामान्य प्रबन्धक सिटी बस सर्विस के विरुद्ध जांच

*८५—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या परिवहन मन्त्री यह भी बतायेंगे कि दिनांक १८ मार्च, १९७० के आस पास प्रश्नकर्त्ता का सामान्य प्रबन्धक सिटी बस सर्विस, कानपुर, श्री अवस्थी के विरुद्ध कतिपय भ्रष्टाचार व दुर्व्यवहार से संबंधित शिकायत-पत्र उन्हें मिला था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम जी लाल सहायक—

जी हां । शिकायती-पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच, कराई जा रही है ।

चांदी घाट (गुगली) गन्ना क्रय केन्द्र पर कटौती

*८६—श्री कृष्णकान्त—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि गन्ना सेन्टर, चांदी घाट (सीतापुर) में काश्तकारों से ४० पैसा प्रति क्विन्टल नगद रूप में कोई कटौती की जा रही है, जो काश्तकारों को नहीं बताई जाती है ?

श्री चरण सिंह—

सहकारी गन्ना विकास समिति, ऐरा की साधारण सभा दिनांक २५–१०–६९ द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या २ के अन्तर्गत चांदी घाट (शुमली) क्रय केन्द्र पर सड़क सुधार हेतु ४५ पैसे प्रति क्विंटल की दर से कटौती की जा रही है।

सीतापुर-लहरपुर-तम्बौर मार्ग पर बस चलाने की योजना

*८७—श्री रामलाल राही—

क्या सरकार ने सीतापुर–लहरपुर–तम्बौर मार्ग पर पंचवर्षीय योजना में रोडवेज की बसें चलाने की मांग को स्वीकार कर बसें चलाने का विचार किया था और तारीख की भी घोषणा कर दिया था ? यदि हां, तो सम्बन्धित घोषणा के बाद कौन सी कठिनाई पैदा हो गई कि परिवहन विभाग की सरकारी बस चलाना रोक दिया गया ?

श्री राम जी लाल सहायक—

तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में सीतापुर–लहरपुर–तम्बौर मार्ग पर रोडवेज की बस सेवायें आरम्भ करने के उद्देश्य से, परिवहन आयुक्त ने मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की धारा ६८ (सी) के अन्तर्गत एक स्कीम २३–५–६४ के सरकारी गजट में प्रकाशित करायी थी जिसमें उक्त मार्ग पर १५–६–६४ या इसके बाद सभी वैधानिक आपत्तियों के समाप्त होने पर, बस सेवायें आरम्भ करने का प्रस्ताव था।

चूंकि परिवहन आयुक्त द्वारा इस प्रकार गजट में स्कीम प्रकाशित करना असम्बैधानिक था, अतः उक्त स्कीम को शासन ने रद्द कर दिया और २२–९–६७ को सरकार द्वारा मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की धारा ६८ (सी) के अन्तर्गत दुबारा गजट में प्रकाशित कराया गया। इस विज्ञप्ति के अनुसार सीतापुर-लहरपुर-तम्बौर मार्ग पर ३०–१०–६७ या उसके बाद से सभी वैधानिक आपत्तियों की समाप्ति पर, रोडवेज की बसें चलाने की योजना थी।

उक्त स्कीम को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, इसी कारण प्रश्नगत मार्ग पर रोडवेज की बस सेवायें चालू नहीं की जा सकी हैं।

उन्नाव जिले के निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारियों की सेवा मुक्ति

*८८—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि उन्नाव जिले के निर्वाचन कार्यालय में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिसकी सेवा अवधि १० वर्ष से अधिक है और अब निकाले जा रहे हैं ? क्या ऐसे भी कुछ कर्मचारी उसी विभाग में सेवारत हैं जिनकी मूल नियुक्ति जिलाधिकारी-कार्यालय में है और वे डेपुटेशन पर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या उन्हें वापस भेजा जा रहा है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

ऐसे एक कर्मचारी की सेवायें समाप्त हो गई हैं।

जी हां, एक कर्मचारी है।

जी नहीं।

सीतापुर के बड़ागांव–चतुरैया गांव मार्ग पर बस सेवा चालू करने की प्रार्थना

*८९—श्री रामलाल राही—

क्या परिवहन मंत्री विधान सभा सत्र, १९७० के पांचवें सोमवार के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या ६३ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि बड़ा गांव के आगे चतुरैया गांव तक

रोडवेज की बसें चलाने में विभाग को क्या कठिनाई पड़ रही है ? क्या जनता के आवागमन की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए सरकार शीघ्र इस छोटे से मार्ग का राष्ट्रीयकरण कर बसें चलाने की कृपा करेगी ?

श्री रामजी लाल सहायक—

बड़ागांव से चतुरैया ग्राम तक का मार्ग गन्ना समिति द्वारा निर्मित है जो कि ईटों का बिछा हुआ ऊंचा-नीचा तथा बीच-बीच में कच्चा और टेढ़ा मेढ़ा है। इस के अतिरिक्त, इस मार्ग पर पुलियायें भी अधिक हैं जो बहुत संकीर्ण हैं।

इस परिस्थिति में उक्त मार्ग भारी परिवहन के लिये अयोग्य है और इसी कठिनाई के कारण इस पर रोडवेज की बस सेवा चालू नहीं की जा सकती है। अतः इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण का भी कोई प्रश्न नहीं उठता।

सेल्स टैक्स के कर्मचारियों का कथित निलम्बन

*९०—श्री जितेंद्रपाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या यह सच है कि दिनांक १४ फरवरी, १९७० को सेल्स टैक्स के चार कर्मचारी महेंद्र कुमार अग्रवाल की गलत रिपोर्ट पर निलम्बित कर दिये गये, और दिनांक २५ अप्रैल, १९७० को जिलाधिकारी ने उन्हें निर्दोष करार देकर सवेतन आरोप मुक्त कर दिया ? परन्तु जिलाधिकारी ने पुनः दिनांक २ मई, १९७० को एक ही केस में दो बार आज्ञा प्रसारित की तथा चेतावनी देकर स्टाफ को पुनः दोषी ठहराया?

श्री बलबीर सिंह—

जी नहीं। इस प्रकार की कोई घटना बिक्री-कर कार्यालय, फतेहगढ़ में नहीं हुई है।

*९१—श्री महरम सिंह—

[१० वें सोमवार के लिये स्थगित]

रायबरेली-सलोन-किशवापुर मार्ग पर प्राइवेट बसें चलाने का प्राविधान

*९२—श्री तेजभान सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला रायबरेली के अन्तर्गत रायबरेली से सलोन होते हुये किशवापुर जाने वाली सड़क तथा रायबरेली से मुंशीगंज—सलोन होते हुए जगतपुर आने वाली सड़क पर कुछ माह पूर्व प्राइवेट बसेज चलाने के लिये सरकार ने आदेश दिया था और इन मार्गों पर बसें चलती भी रहीं किन्तु अप्रैल, १९७० में सरकार ने इन बसों को चलने से रोक दिया है? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामजीलाल सहायक—

जी हां। रायबरेली से सलोन होते हुए किशवापुर जाने वाली तथा रायबरेली से मुंशीगंज होते हुये जगतपुर जाने वाली सड़क में रायबरेली से सलोन तक का मार्ग दोनों मार्गों में सम्मिलित है और राष्ट्रीयकृत है। अतः मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की नई धारा ६८ एफ-एफ के लागू होने के कारण उक्त राष्ट्रीयकरण मार्ग के किसी भी ओवर लैपिंगमार्ग पर प्राइवेट आपरेटर्स को परमिट देना गैर-कानूनी होगा। इसलिये रायबरेली से सलोन होते हुये किशवापुर जाने वाली सड़क का प्राइवेट परमिट, जो अप्रैल, सन् ७० में समाप्त हो गया था का नवीकरण नहीं किया गया। सलोन से जगतपुर तक का मार्ग मोटर चलाने योग्य नहीं था।

*९३—श्री तेजभान सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि जब तक उक्त मार्गों पर सरकारी बसें नहीं चलाई जाती हैं तब तक जनता के हित और सुविधा को ध्यान में रखते हुये इन मार्गों पर प्राइवेट बसेज चलाने की व्यवस्था पुनः करेगी ?

श्री रामजीलाल सहायक—

रायबरेली–मुंशीगंज–सलोन तक अब भी रोडवेज की बसें चलती हैं जनहित को ध्यान में रखते हुए रायबरेली सलोन प्रतापगढ़ मार्ग की योजना का संशोधन करके रायबरेली सलोन किशवापुर मार्ग पर प्राइवेट बसें चलाने का प्राविधान योजना में करने का प्रयत्न किया जायगा । सलोन से जगतपुर तक का मार्ग मोटर चलाने योग्य नहीं है।

गोरखपुर-पिपराइच सिटी बस सेवा चलाने की प्रार्थना

*९४—डाक्टर हरिप्रसाद शाही (जिला गोरखपुर)—

क्या परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर से पिपराइच तक सिटी बस सर्विस चलाने की स्वीकृत योजना को कार्यान्वित करने में क्या कठिनाई है?

श्री रामजीलाल सहायक—

इस प्रकार की योजना स्वीकृत नहीं है।

सहकारी समिति, भोजीपुरा के आटा माण्डा केन्द्र पर गन्ने का बाण्ड तथा सप्लाई

*९५—श्री चेतराम गंगवार—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली में गन्ना सहकारी समिति, भोजीपुरा के गन्ना खरीद केंद्र आटा मांडा पर इस वर्ष १९६९–७० में किन-किन लोगों के नाम डेली परता कैलेंडर में थे ? तथा उनका सट्टा (बांड) कितना-कितना था और उन्होंने ३० अप्रैल, १९७० तक कितना-कितना गन्ना सप्लाई किया ?

श्री चरण सिंह—

सहकारी समिति, भोजीपुरा के गन्ना खरीद केंद्र आटामान्डा पर वर्ष, १९६९–७० में डेली परता कैलेन्डर में सदस्यों के नाम उनके सट्टे की मिकदार तथा अप्रैल, ३०, १९७० तक उनके द्वारा पूर्ति किये गन्ने का ब्योरा संलग्न तालिका "ब" पर दर्शाया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ११३६ पर)

*९६—श्री चेतराम गंगवार—

क्या गन्ना मंत्री को यह भी जानकारी है कि कार्यालय भौजीपुरा द्वारा कुछ किसानों को कम और अधिक परचियां दी गईं ? यदि हां, तो दोषी कर्मचारियों के खिलाफ शासन क्या कार्यवाही करने का विचार रखता है?

श्री चरणसिंह—

सहकारी समिति, भोजीपुरा द्वारा कुछ पुराने कर्जदारों को छोड़कर सभी कृषकों को परता कैलेंडर के अनुसार समानुपात से पर्चियां जारी की गई हैं जिनको अधिक परचियां दी गई वह समिति के पुराने कर्जों की वसूली के लिये दी गई । किसी कर्मचारी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता ।

*९७—श्री मंजूर अहमद, श्री अनीसुर्रहमान तथा श्री हरिवंश सहाय—
[१०वें सोमवार के लिये स्थगित]

हिन्दी व उर्दू गजट की कीमतों पर अन्तर

*९८—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हिन्दी व उर्दू गजट की कीमतों में अन्तर के क्या कारण हैं?

श्री बेनी सिंह—

हिन्दी गजट में उर्दू गजट की अपेक्षा बहुत अधिक पृष्ठ होते हैं। अतः उनके मूल्य में अन्तर है।

रोडवेज विभाग के कर्मचारियों के लिये स्थायी आदेश

*९९—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज विभाग के कर्मचारियों के लिये स्थायी आदेशों का निर्माण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा अभी कितना समय लगेगा ?

रामजीलाल सहायक—

रोडवेज केंद्रीय कर्मशाला के संबंध में स्थायी आदेश बन गया है। रोडवेज के कुछ कर्मशालाओं के संबंध में स्थायी आदेशों का आलेख्य तैयार हो चुका है, शेष के संबंध में अभी तैयार किया जा रहा है। इन्हें अंतिम रूप देने में अभी समय लगने की संभावना है।

रोडवेज क्षेत्र, देहरादून के कर्मचारियों के विचाराधीन रिप्रेजेन्टेशन

*१००—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज, देहरादून क्षेत्र के कितने रिप्रेजेंटेशन तथा अपीलें जो कर्मचारियों की चरित्र-पंजिका में एडवर्स एंट्री के बारे में हैं परिवहन आयुक्त, लखनऊ के कार्यालय में पड़ी हैं तथा उन पर आज तक कार्यवाही न होने का क्या कारण है?

श्री रामजी लाल सहायक—

केवल एक रिप्रेजेंटेशन बाकी है। इस पर आवश्यक कार्यवाही हो रही है।

रोडवेज क्षेत्र, देहरादून में विचाराधीन मामले

*१०१—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६० से जून, १९६९ तक रोडवेज, देहरादून क्षेत्र में कितने केसेज चोरी, गबन व भ्रष्टाचार, बिना टिकट यात्रा करते हुए यात्रियों के कारण हानि के पेंडिंग हैं, तथा उनके अब तक तय न होने का क्या कारण है तथा लम्बे समय के केस पड़े हुये हैं उनके तय न होने का दोषी कौन है तथा उनके लिये क्या कार्यवाही की गई ?

रामजीलाल सहायक—

सन् १९६० से जून, १९६९ तक रोडवेज, देहरादून क्षेत्र में १७५ केसेज चोरी, गबन, व भ्रष्टाचार, बिना टिकट यात्रा करते हुये यात्रियों के कारण हानि के पेंडिंग हैं।

उपर्युक्त १७५ मामलों के अनिर्णीत रहने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:—

(१) चोरी के मामलों में रिपोर्ट पुलिस को की जाती है और उनसे जांच रिपोर्ट काफी लम्बे अरसे के बाद प्राप्त होती है तथा पुलिस जांच फल प्राप्त होने तक अगली कार्यवाही रुक जाती है ।

(२) दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही कई मामलों में काफी लम्बे समय तक चलानी पड़ती है क्योंकि संबंधित कर्मचारी कई कारणों की आड़ में अंतिम निर्णय रोकने का प्रयास करते हैं ।

(३) कई मामलों में डिफेन्स के गवाहों का बयान लेने में विलम्ब होता है क्योंकि संबंधित कर्मचारी गवाह समय पर नहीं ला पाते ।

अनिर्णीय मामलों में से अधिकतर मामले सहायक प्रधान प्रबंधक (यातायात), देहरादून के कार्यालय में निपटाये जाने को हैं । उक्त अधिकारी के पास संचालन तथा स्थापना का काम इतना अधिक है कि पुराने अनिर्णित मामले तय करने में कुछ अधिक समय लगता है।

उपर्युक्त कारणों से यह स्पष्ट है कि कोशिश करने पर भी बिलम्ब हो जाता है। भरसक यह प्रयत्न किया जाता है कि पुराने अनिर्णित मामले यथाशीघ्र निपटाये जायें ।

इस बिलम्ब की जांच कराई जायेगी और यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाया जायेगा तो उसको उचित दंड दिया जायेगा ।

गन्ना सहकारी समिति, भोजीपुरा में पर्चियों का भुगतान

*१०२—श्री चेतराम गंगवार—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली में गन्ना सहकारी समिति भोजीपुरा के सेंटर, भौजीपुरा पर दिनांक ५ मई, १९७० को माह अप्रैल, १९७० की कितनी तथा किन-किन नाम की पर्चियों का भुगतान किया गया तथा क्यों जबकि सी०डी०आई०, भोजीपुरा के आदेश ३१ मार्च, १९७० तक भुगतान के लिये था ?

श्री चरणसिंह—

जिला बरेली गन्ना सहकारी समिति, भौजीपुरा के सेंटर भौजीपुरा पर दिनांक ५-५-७० की माह अप्रैल, १९७० की ५३ पर्चियों का ४८९५-१० रु० २७ कृषकों को भुगतान किया गया, जिसकी सूची संलग्न है । यदि सामान्य रूप से बचत निधि को ३१-३-७० तक की पर्चियों के भुगतान के आदेश थे, परन्तु सदस्य, संचालक मंडल के अनुरोध पर जिला गन्ना अधिकारी, बरेली एवं सीनियर सी० डी० आई० द्वारा दिये गये आदेशानुसार गरजमन्द कृषकों को विवाह आदि के लिये माह अप्रैल, १९७० की पर्चियों का भुगतान किया गया ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ११३७-११३९ पर)

बाराबंकी जेल में कैदी

*१०३—श्री मुस्तफा कामिल किदवाई—

क्या सरकार बतायेगी कि बाराबंकी जिला जेल में ऐसे कितने कैदी हैं जो ६ महीने से बन्द हैं किन्तु उनका मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

३० कैदी ।

*१०४—श्री राम निहोर राय—

[१० वें सोमवार के लिये स्थगित]

*१०५—श्री श्यामालाल रावत—

[१०वें सोमवार के लिए स्थगित]

अतारांकित प्रश्न

गाजियाबाद आयल इंजन उद्योग की कठिनाईयों पर बिचार

१—श्री प्यारे लाल, श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा-फतेहाबाद) तथा श्री भीमा प्रसाद (जिला आजमगढ़)—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतावेंगे कि गाजियाबाद का आयल इंजन का उद्योग प्रायः समाप्ति पर है और उन उद्योगों में लगे हजारों मजदूरों का भविष्य अनिश्चित है ? क्या सरकार उक्त उद्योगों का पुनः जन्म देने के लिये कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बेनी सिंह—

यह सही नहीं है कि गाजियाबाद का आयल इंजन उद्योग समाप्ति पर है परन्तु यह सही है कि उक्त उद्योग इस समय कठिनाइयों से गुजर रहा है, जिनके निराकरण न होने पर रोजगार पर कुप्रभाव पड़ने की आशंका है । सरकार उन कठिनाइयों के समाधान के लिये प्रयास कर रही है ।

जिला जजी देवरिया के स्थायीकरण पर विचार

२—श्री दीपनारायण मणि—

क्या शासन ने माननीय हाईकोर्ट को यह सिफारिश हाल में भेजी है कि देवरिया जिला जजी स्थायी कर दी जावे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी नहीं । देवरिया जिला जजी के स्थायीकरण का प्रस्ताव नवम्बर, १९६९ में उच्च न्यायालय से प्राप्त हुआ था और शासन के विचाराधीन है ।

महमूदाबाद-लखनऊ बसों के कैंसिल ट्रिप

३—श्री श्यामसुन्दर लाल गुप्त—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महमूदाबाद से सीतापुर तथा महमूदाबाद से लखनऊ जाने वाली बसों के १ जनवरी, १९७० से ३० अप्रैल, १९७० तक कितने ट्रिप कैंसिल हुये ?

श्री रामजी लाल सहायक—

१ जनवरी, १९७० से ३० अप्रैल, १९७० तक महमूदाबाद से सीतापुर तथा महमूदाबाद से लखनऊ जाने वाली बसों की क्रमशः ९ और १६ ट्रिपें कैंसिल हुईं ।

रोडवेज के कानपुर क्षेत्र में कर्मचारियों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण

४—श्री रघुनाथ सिंह—

क्या परिवहन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज, कानपुर रीजन में जनवरी, १९६६ से अप्रैल, १९७० तक तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणियों के कितने कर्मचारियों की नियुक्ति की गई ? उपरोक्त अवधि में कितने अभ्यर्थियों को कन्डेक्टर पद के लिये प्रशिक्षित किया गया और उनमें से कितनों को सेवा में लिया गया ?

श्री रामजीलाल सहायक—

जनवरी, १९६६ से अप्रैल, १९७० तक तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी में क्रमशः १६९ तथा ७०३ कर्मचारी नियुक्त किये गये। इसी अवधि में ५७४ अभ्यर्थियों को कन्डक्टर के पद के लिये प्रशिक्षित किया गया जिसमें से १४६ को सेवा में लिया गया।

रोडवेज के लखनऊ तथा गोरखपुर क्षेत्र में सामानों की चोरी

५—श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ तथा गोरखपुर रीजन में दिसम्बर, १९६९ से मार्च, १९७० तक किन-किन डिपो में कितने लागत के किस-किस सामान की चोरी हुई और इन चोरियों के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामजीलाल सहायक—

दिसम्बर, ६९ से मार्च, ७० की अवधि में गोरखपुर रीजन के किसी भी डिपो में कोई चोरी नहीं हुई।

उपर्युक्त अवधि में लखनऊ रीजन के विभिन्न डिपो में हुये सामानों की चोरी का विवरण निम्न प्रकार है :—

डिपो का नाम	चोरी हुये सामान की लागत (रुपयों में)	चोरी हुए सामान का नाम
१	२	३
सुल्तानपुर ..	४.३५	५ लीटर डीजल
चारबाग ..	१५३.७४	१ पपुलर शाफ्ट यौक
,, ..	६१४.२५	१ टेकाग्राफ मशीन
नगर बस सेवा ..	१,८५०.००	७४ डनलप पिलो सीटें
फैजाबाद ..	३२.५४	१ कट आउट
फैजाबाद ..	४३८.५२	१ स्पेयर व्हील
	७६२.८२	१२ हेड लाइट एसेम्बली
,, ..	३०९.२०	१ पपुलर शाफ्ट योक
,, ..	१०१.९२	३ पपुलर शाफ्ट क्रास
,, ..	४७.००	१ पपुलर शाफ्ट फिलिंज
,, ..	१,७८९.२०	१ ओरिजिनल गेयर बाक्स
योग	६,१०३.५४	

उपर्युक्त चोरियों के सम्बन्ध में पुलिस में रिपोर्ट की जा चुकी है तथा विभागीय जांच और अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

रोडवेज क्षेत्र, कानपुर द्वारा सेवायोजन कार्यालय को भेजे गये प्रतिवेदन

६—श्री रघुनाथ सिंह—

क्या सरकार जनवरी, सन् १९६६ से मार्च, १९७० तक के उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज "कानपुर रीजन" द्वारा प्रादेशिक सेवायोजन कार्यालय, कानपुर को भेजे गये त्रैमासिक प्रतिवेदनों की संख्या का विवरण प्रतिवर्ष के अनुसार देने की कृपा करेगी ?

श्री रामजीलाल सहायक—

कुल १७ त्रैमासिक प्रतिवेदन भेजे गये जिनका विवरण इस प्रकार है कि वर्ष, १९६६ से १९६९ तक प्रतिवर्ष ३१ मार्च, ३० जून, ३० सितम्बर और ३१ दिसम्बर तक के १६ त्रैमासिक प्रतिवेदन भेजे गये तथा वर्ष १९७० का ३१ मार्च तक का एक प्रतिवेदन भेजा गया ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

मैंने २०–२५ अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दिये थे लेकिन उनमें से किसी का नम्बर नहीं आ रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

आप मुझसे मिल लीजियेगा । मैं दफ्तर से पूछ कर बतला दूंगा ।

कौमी आवाज अखबार में गलत खबर शाया होने के सम्बन्ध में शिकायत

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी (जिला कानपुर)—

मोहतरम स्पीकर के जिम्मेदारान पर, यहतमाद किया जाता है कि जो कुछ भी हमारी सही बातें हों वे सही तरीके से प्रेस में शाया हों लेकिन प्रेस वाले अपनी गैर जिम्मेदारी का सबूत देते हैं । कौमी आवाज में एक खबर शाया हुई है 'आर० एस० एस०, शिव सेना, जमाते इस्लामी, मुसलिम मजलिस के खिलाफ फौरी कार्यवाही ।" लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के हालिया ऐलानियम में मुसलिम मजलिस का कोई तजकिरा नहीं किया है तो प्रेस वालों ने ऐसी गैर जिम्मेदाराना खबर क्यों शाया की ? लिहाजा मैं आपसे अपील करता हूं कि प्रेस ऐसी गलतफहमी पैदा करने वाली खबरों से एहतेयात बरते । अगर वह इसी तरह से मुखालिफत करेंगे तो मैं इस उसूल का पैरी हूं "तेजिये बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, यह तो चलती है, तुझे ऊंचा उड़ाने के लिये ।"

श्री अध्यक्ष—

आपने जिस अखबार से पढ़कर सुनाया है आप उस अखबार को मेरे पास भेज दें उस पोर्शन को अंडर लाइन करके तो मैं अखबार वालों से पूछ लूंगा ।

श्री जगननाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

आप यह भी देख लें कि जो अखबार से पढ़ा गया है वह क्या हाउस में तय हुआ था और वह चीज प्रोसीडिंग्स में है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं उसे देख कर ही फैसला दूंगा ।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

अखबार में कोई खबर छपे तो क्या यह आपका काम है कि आप उसे सही करायें ? कौमी आवाज में कोई खबर छपी है तो उससे आपको क्या मतलब है ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने बहस की इजाजत नहीं दी है । जिस अखबार की खबर के बारे में माननीय सदस्य ने कहा है वह उसे मेरे पास भेज दें मैं उसे देख कर फैसला दूंगा ।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

जो कुछ आप कह रहे हैं वह सुनाई नहीं देता ।

विधायक निवासों में जल कष्ट के सम्बन्ध में शिकायत

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

आज सार्वजनकि निर्माण विभाग का अनुदान लिये जाने को हैं । यह विभाग सुचारु रूप से कार्य करे यह हमको देखना है । मैं आपकी सूचना के लिये बतला दूं कि विधायक निवास नं० ३ में पानी की बड़ी कठिनाई है । सुबह से लेकर रात तक पानी की किल्लत रहती है । इस समय इस विभाग के मंत्री तथा अधिकारी सभी उपस्थित हैं ।

जब हम माननीय मंत्री जी को टेलीफोन करते हैं तो वे सो रहे होते हैं । तो श्रीमन्, आप बतायें कि जब तक सार्वजनिक निर्माण विभाग हमको पानी नहीं देगा तब तक कैसे होगा । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

यह शिकायत मेरे पास आई थी और मैंने उसे पी० डब्लू० डी० मिनिस्टर साहब को भेज दिया था । उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि पुराना जो कौंसिलर्स रेजीडेन्स है उसमें डेढ़ इन्ची नल लगा दिया गया है और इसके साथ ही साथ वहां पर ट्यूबवेल भी है । इस प्रकार उन्होंने उसकी व्यवस्था कर दी है । इसके अलावा आपकी कोई नई शिकायत पैदा हो गई हो तो दूसरी बात है ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

तीन नम्बर विधायक निवास के बारे में है । वहां पर पानी का इन्तजाम नहीं होता जब इन्तजाम के लिये कहा जाता है तो अनसुनी हो जाती है । डेढ़ महीने से हम लोग कह रहे हैं । यदि श्रीमन्, आप वहां पर रहेंगे तो आपका वहां पर रहना असह्य हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष—

आज इसके ऊपर विवाद करवा लीजिये । आज उनका अनुदान भी है ।

(व्यवधान)

श्री रामकुमार शास्त्री—

श्रीमन्, अनुदान से कुछ होगा ?

श्री अध्यक्ष—

आप लिखकर दे दें मैं उनके पास भेज दूंगा ।

श्री रामकुमार शास्त्री—

श्रीमन्, आपने कहा कि वहां पर ट्यूबवेल है । हमने यह समझकर कि आज एक-डेढ़ महीने से यहां पर सदन चल रहा है कुछ हो जायेगा.....

श्री अध्यक्ष—

आपको मंत्री जी यहां पर जवाब देंगे ।

श्री रामकुमार शास्त्री—

अगर मंत्री जी वहां पर जाने की कृपा करेंगे तो पायेंगे कि वहां पर न सम्बन्धित अधिकारी का पता लगता है, न इन्जीनियर का लगता है। आखिर यह व्यवस्था कैसे हो सकेगी ?

प्रदेश में बिलगाव और तनाव के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा की मांग

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, प्रदेश के बिलगाव और तनाव के बारे में मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। मायन्वर, यहां पर रोज इस तरह के सवाल उठते हैं और गलत फहमी फैलती है। मान्यवर, इनके सामने देश और प्रदेश की एकता नहीं रह गई है कि वह एकता कैसे सुरक्षित रहे। इसके लिये दफा ५२ में चर्चा मांगी गई और इस सम्बन्ध में पिछली बैठक में भी यह जिक्र आया था। किन्तु उस वक्त आप कुर्सी पर नहीं थे माननीय उपाध्यक्ष थे और उन्होंने यह सूचना दी थी कि यह प्रश्न आपके विचाराधीन है। तो इस प्रदेश के हित को देखते हुये आप इस प्रश्न पर अवश्य चर्चा करवायें। इससे सरकार की नीति भी जनता के सामने आ जायेगी और प्रश्न भी साफ हो जायेगा और जो यह कोशिश चली आ रही है कि बार-बार प्रचार करके बिलगाव, तनाव और दंगा करवाते हैं, लोग मारे जाते हैं और ये सैबियर बनकर सामने आ जाते हैं तो वह बेकार चला जाता है।

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास यह प्रश्न आ गया है। मैंने इसे नियम ५१ में स्वीकार कर लिया है। वह किसी रोज आपके सामने आ जायेगा और इस पर चर्चा हो जायेगी। इसमें और प्रश्न पूछकर बात साफ हो जायेगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

नियम ५१ में जो चर्चा आयेगी उससे केवल सरकार का दर्शन सामने आ जाता है किन्तु जब स्पष्टीकरण हेतु अन्य सवाल पूछे जाते हैं तो कभी-कभी आपको कुर्सी छोड़नी पड़ती है और नतीजा यह होता है कि बात स्पष्ट नहीं हो पाती है। इसलिये हमारी गुजारिश यह है कि इसमें पूरे सदन की दिलचस्पी होगी। अतः इस विषय पर पूरी चर्चा आप करवा दें। इसे आप स्वीकार करियेगा। इससे प्रदेश का हित होगा।

श्री अध्यक्ष—

मैंने तो आपको बता दिया।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, जैसा कि जायसवाल साहब ने कहा है, इसको आप दफा ५२ में स्वीकार कर लें ताकि अन्य लोगों को भी अपने विचार रखने का मौका मिले।

श्री अध्यक्ष—

मैंने इसे ५१ में स्वीकार कर लिया है।

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

मान्यवर, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १५ के अनुसार जो चर्चायें होंगी उनका सीक्वेन्स दिया हुआ है और उस सीक्वेन्स के अन्त में (२८) और (२९) दिये हुये हैं जिनके अनुसार सदन के कार्य को स्थगित करने के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा तथा ध्यान आकृष्ट करने की सूचनायें आ सकती हैं। मेरी आपत्ति यह है कि आप दूसरे नम्बर पर किस प्रकार

से इस पर विचार करा सकते हैं जबकि नियमावली में जो सीक्वेन्स क्रम दिया हुआ है वह सब में अंतिम है। यह नियमावली का खंडन है कि प्रश्नोत्तर के आइटम के बाद ही आइटम २८ और २९ पर चर्चा प्रारम्भ कर दी जाय। इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने यह इस बात के लिये कहा कि यहां पर व्यवस्था का प्रश्न कुछ लोग उठाते हैं। उसमें यह प्रश्न उठाया गया है। अब यह मुझे पता नहीं लगता कि व्यवस्था का प्रश्न है या नहीं और चूंकि मैं समझता हूं कि बहस उसके ऊपर न हो और आगे की कार्यवाही के लिये समय मिले। इसलिये थोड़े से लोगों को बोलने देता हूं। यह ५२ में मेरे पास उन्होंने भेजा है, ५१ का नहीं है। ५१ का मैं शाम को जवाब देता हूं ५ बजे के बाद। तब चर्चा होती है। बीच में आपने यह सवाल उत्पन्न कर दिया। तो बीच में आपको उत्पन्न नहीं करना चाहिये। शाम को पूछना चाहिये। मैंने इसलिये कह दिया कि यह बहुत दफा प्रश्न रियासत हुसैन साहब और इन सब लोगों ने मिल कर दे दिया है और वह चाहते हैं, और मैंने देखा कि जिनके खिलाफ आक्षेप है वह भी मेरे पास आये और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर कुछ न कुछ चर्चा हो जानी चाहिये जिसमें कि प्रश्न उठे और हम सफाई दे दें। तो मैंने कहा कि वातावरण गरम न होने पाये इसलिये मैंने यह जवाब दे दिया और व्यवस्था कायम रहे इस दृष्टिकोण से यह बीच में होता है, नियम के अनुसार नहीं। नियम के अनुसार जो आप २८वां कहते हैं वह ठीक है, लेकिन बीच में, अव्यवस्था न पैदा हो, शान्ति रहे इसलिये मैं जवाब दे देता हूं।

राजस्व मंत्री के विरुद्ध प्रश्न का गलत उत्तर देने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार के दो प्रश्न मेरे पास आये हैं। एक श्री रूपनाथ सिंह यादव ने दिया है—उत्तर प्रदेश जमींदारी तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० की विचारसंगत धारा ३१७ में १९६५ में निरस्त की जा चुकी है। अतः इस धारा के अन्तर्गत कोई घोषणा करने का प्रश्न नहीं उठता। यह उत्तर राजस्व मंत्री जी ने दिया है। राजस्व मंत्री जी के विरुद्ध यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया गया। माननीय सदस्य जो उत्तर दिया गया है उसके ऊपर वह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० में धारा ३१७ के अन्तर्गत अलाभकर जोतों की घोषणा सरकार को गजट द्वारा करनी थी जो कि १ जुलाई, १९५२ से १९६५ तक नहीं की गई जबकि यह धारा १९६५ में फोर्स में थी और निरस्त नहीं हुई थी। माननीय राजस्व मंत्री ने जानबूझ कर गलत उत्तर दिया और सदन को गुमराह किया। इससे निश्चित रूप से सदन का अवमान हुआ। १९६५ में निरस्त हुई, यह उन्होंने कहा। तो इसमें किस तरह से उन्होंने गुमराह किया ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, जमींदारी एबालिशन की धारा ३१७ इस प्रकार है :

"317—(1) If the agreggate area of all the holdings held by any Bhumidhar or sirdar in any circle is less than such figure as the state government may, by notification in the gazette, declared the said holding shall collectively called "uneconomic holding" or the Bhumidhar or Sirdar.

(2) The notification under sub-section (1) may be published either generally or for any part or parts of Uttar Pradesh and may specify different figures for different parts."

मान्यवर, धारा ३१७ रिपील तो हुआ नहीं १९६५ में और सरीहन यह जबाव गलत दिया गया है। सदन को सूचना नहीं दी गयी इसलिये सदन का अवमान हुआ है और यह विशेषाधिकार

[श्री रूपनाथसिंह यादव]

का सवाल पैदा होता है । मैं चाहता हूं कि मान्यवर, इसको विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दें । माननीय मंत्री ने कानून को बिना पढ़े हुए ही, बिना उसे देखे हुए ही बतला दिया है कि १९६५ में ही धारा समाप्त हो गयी जब कि वास्तव में १९६५ में वह धारा समाप्त हुई नहीं थी । फिर माननीय मंत्री जी ने यह नहीं बतलाया कि किस अमेंडमेंट ऐक्ट के द्वारा और किस तारीख को यह धारा समाप्त हो गयी । इसका उन्हें जबाव देना चाहिये । इसको आप देख लें, इस जबाव से सदन को गुमराह होना पड़ा और उसे सही सूचना नहीं मिली । तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस विषय को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दें क्योंकि इससे सदन का निश्चित रूप से अवमान हुआ है ।

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)---

श्रीमन्, कई बार ऐसा होता है कि सदन को मालूम ही नहीं होता कि किस विषय से सम्बन्धित प्रश्न है और माननीय मंत्री जी के पास भी उसकी प्रतिलिपि माननीय सदस्य नहीं भेजते हैं, फिर उस सम्बन्ध में कोई चर्चा यहां कैसे हो सकती है । नियम के अनुसार उसकी प्रतिलिपि पहले सम्बन्धित मंत्री के पास आनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---

सवाल यह है और मैं कई दफा कह चुका हूं कि अगर कोई गलत उत्तर भी आ जाय तो उसमें करन २०७ रखा हुआ है । करन २०७ के हिसाब से माननीय मंत्री के पास भेज भी दें तो विशेषाधिकार का प्रश्न उठता नहीं है । लेकिन चूंकि अभी यह बीच में प्रश्न उठा दिया गया है इसलिये इस पर मैं फैसला देता हूं कि इसमें कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठता नहीं है क्योंकि वे कहते हैं कि १९६५ में वह धारा निरस्त हो गयी । निरस्त होने के बाद वे घोषणा कैसे कर देते । घोषणा जो होती वह १९६५ के पहले हो जाती । १९६५ के पहले कोई घोषणा नहीं हुई । उसके लिये विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न माननीय मंत्री के ऊपर नहीं आ सकता है । यह पुरानी बात है । उनका स्पष्टीकरण आप चाहें तो हो सकता है । अगर स्पष्टीकरण के लिये आप उनको लिख कर भेज देंगे तो वे अपना स्पष्टीकरण आपको भेज देंगे या मेरे पास भेज देंगे तो मैं आपको सुना दूंगा ।

श्री रूपनाथसिंह यादव---

आपका आदेश शिरोधार्य है । श्रीमन्, जब सन् १९६५ में ही धारा रिपील हो गयी तो हमारा प्रश्न यह था कि उस धारा के मुताबिक घोषणा क्यों नहीं की गयी इससे स्पष्ट है कि बिलकुल जानबूझ कर गलत जवाब दिया गया कि १९६५ में यह धारा नहीं थी ।

श्री अध्यक्ष---

हो सकता है कि उसका उत्तर कहीं गलत हो गया हो, ६५ में न हो ६६ में हो, ६७ में ही तो इसका कोई स्पष्टीकरण आप चाहेंगे तो आपके पास भेज देंगे ।

श्री अनन्तराम जायसाल (जिला बाराबंकी)---

श्रीमन्, मेरे खयाल से तजुर्बा यह बतलाता है कि मंत्री लोग जो जवाब विभाग से तैयार होकर आता है उसे आंख बन्द करके दे दिया करते हैं । मालूम होता है कि वे सवाल तो पढ़ते तक नहीं और न कोशिश करके यही सोच पाते हैं कि इस पर सम्प्लीमेंटरी क्या-क्या हो सकता है । इसका नतीजा यह होता है कि रोज यहां पर गलतबयानी हो जाती है । कभी कभी जब आपकी उनके ऊपर कृपा हो जाती है और आप कह देते हैं कि माननीय मंत्री के खिलाफ कोई विशेषाधिकार का प्रश्न जबाव के ऊपर नहीं आ सकता तो इस पर उनकी हिम्मत और भी बढ़ जाती है और इस प्रकार रोज गलतबयानी बढ़ती जाती है । तो मेरा निवेदन है कि यह प्रश्न निश्चित रूप से सन् १९६५ के सम्बन्ध में था जब कि वह धारा विद्यमान थी । तो मेरा कहना यह है कि विभाग

से जैसा भी जवाब आता है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता और आंख बन्द करके मंत्री जी वही पढ़ देते हैं। अगर किसी गलत सूचना के देने पर यह देखा जाय कि किसी मंत्री के खिलाफ कोई विशेषाधिकार का प्रश्न आवे तो उस पर हम चर्चा कर सकें ताकि इस तरह की चीजें रोकी जा सकें वरना और कोई रास्ता रह नहीं जाता है कि इसको रोक सकें।

श्री अध्यक्ष—

आपकी खुशी के वास्ते मैं इसे विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनाना चाहता। नियम के हिसाब से ही मुझे चलना पड़ेगा। जब कोई गलत बात होगी और वह उनके पास जांच के लिये जायेगी तो जांच के बाद उनको यह कहते हुए काफी कष्ट होगा कि यह गलती हो गयी थी।

"चिट फण्ड" पर रोक लगाने सम्बन्धी सरकारी नीति सम्बन्धित घोषणा सदन के बाहर करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

दूसरा सवाल है श्री नित्यानन्द स्वामी का.....

इसको मैं पढ़े देता हूं—

"विधान सभा का सत्र चालू रहते हुए भी अनेक बार वर्तमान सरकार नीति संबंधी निर्णयों को विधान सभा के पूर्व ही समाचार-पत्रों तथा जनता को पहुंचा देती है। दिनांक १८ जून, १९७० को उत्तर प्रदेश मंत्रि-मंडल ने प्रदेश के चिट फंड व्यापार की समाप्ति का निर्णय लिया, लेकिन विधान सभा में घोषणा से पूर्व समाचार-पत्रों को इसकी सूचना दे दी गयी।"

यह चिट फंड के बारे में। पर कहां तक यह नीति संबंधी प्रश्न है या एक एग्जिक्यूटिव आर्डर है? हो सकता है हो। ऐसी स्थिति में जब तक आप मेरे पास कोई सबूत इस बात का न दें कि इसे पेपर में भेजा और किस पर आपका आरोप है—आप कल तक दे देंगे? कल तक भेजिये कि यह नीति बंधी इसे आप है। कैसे कहते हैं और किसने लिखकर भेजा, किस पर आपका आरोप आधारित है, लिखकर भेजें। कल फैसला दूंगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

एक मिनट सुन लें। मैं इस बात से सहमत हूं कि यह जो आपने रोक लगायी है, बड़ा अच्छा है, लेकिन नीति से विरुद्ध है कि जब सदन कार्यवाही कर रहा हो तब नीति संबंधी वक्तव्य बहार देते हैं। मेरा कहना है कि माननीय मंत्री जी के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न है क्योंकि यह नीति संबंधी प्रश्न है, यह आदेश नहीं है कि प्रदेश के अन्दर चिट फंड जैसे....

आप मुझे यह तो कहने का अवसर देंगे या नहीं कि नीति संबंधी है या नहीं?

श्री अध्यक्ष—

कल देंगे। आप पहले लिखकर भेजिये।

सदन के आगामी कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी

श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी गढ़वाल)—

एक बड़ी तेजी से अफवाह फैलाई जा रही है कि कल अप्रोप्रिएशन बिल के बाद यह सदन स्थगित कर दिया जायगा। तो मैं आपके जरिये सरकार से सूचना चाहूंगा कि क्या सरकार का ऐसा इरादा तो नहीं है?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

सरकार का कोई ऐसा इरादा नहीं है, बल्कि ऐसा इरादा है कि अगर १५ जुलाई तक आप राजी हो जायं तो यह सदन चले ।

श्री अध्यक्ष—

मैं भी एक सूचना दे देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को कि आप १५ जुलाई तक सदन चलाने की बात न रखिये । वजह यह है कि प्रेसाइडिंग्स आफिसर्स कांफ्रेंस के लिये मुझे १२ तारीख को श्रीनगर पहुंचना है, और लोगों को भी पहुंचना है । ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं जरा इस पर विचार कर लें कृपा करके ।

श्री चरण सिंह—

अगर आप मिसअंडरस्टैंडिंग न करें तो मैं कहूंगा कि आप पर भी बड़ा भारी स्ट्रेन पड़ा है इन दिनों । अगर आप छुट्टी चले जायं तो कोई हर्ज नहीं है । मेरा खयाल है हाउस चल सकता है फिर भी ?

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं, हमारे उपाध्याक्ष भी जाना चाहेंगे । अब अधिष्ठाताओं से सदन चलाना आप शायद पसन्द नहीं करेंगे । और सचिवों को भी जाना है । उनकी भी समिति चलती है और एक रोज पहले होती है । तो मैं आप से कहना चाहता हूं कि यह बहुत ज्यादा है । कार्य-मंत्रणा समिति में चर्चा भी हुई थी । अब उनका प्रस्ताव सुनाता हूं.....

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बारबंकी)—

निष्पक्ष अध्यक्ष सरकार को बहुत खलता है । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी को तब आनन्द आवेगा जब शिवराज सिंह वहां बैठें और मुख्य मंत्री जहां हैं वहीं रहें.....

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैंने एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव...

श्री अध्यक्ष—

मैं एक सूचना देता हूं । आप कृपा करके बैठें... मैं खड़ा हूं....

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मैंने इस आशय का कार्य-स्थगन प्रस्ताव भेजा है कि केन्द्रीय सरकार ने ३,१५० करोड़ रुपया रखा चौथी प्लान में उद्योगों की प्रगति के लिये और उत्तर प्रदेश को ४८ करोड़ दिया है । तो यह सारे प्रदेश से संबंधित अहम सवाल है....

श्री अध्यक्ष—

शाम को विचार कीजिये ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक २२ जून, १९७० की बैठक में सदन द्वारा पूर्व स्वीकृत कार्यक्रम पर पुनर्विचार करके निम्नलिखित सिफारिशें कीं:—

(१) उत्तर प्रदेश गुन्डा विरोधी विधेयक, १९७० को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने से संबंधित उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव से विधान सभा द्वारा सहमति प्रकट किये जाने के प्रस्ताव पर २४ जून, १९७० को सायंकाल ५ बजे तक व २५ जून, १९७० को अपराह्न के ढाई बजे तक डेढ़ दिन विचार होगा ।

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन विधेयक, १९७० को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के प्रस्ताव पर २५ जून, १९७० को अपराह्न के ढाई बजे से २६ जून, १९७० को सायंकाल ५ बजे तक विचार होगा।

शुक्रवार २६ जून, १९७० को होने वाले असरकारी दिवस का कार्य ३० जून, १९७० को लिया जायगा एंव ३० जून, १९७० को होने वाले असरकारी दिवस का कार्य १ जुलाई, १९७० को तथा १ जुलाई, १९७० को होनेवाले असरकारी दिवस का कार्य २ जुलाई, १९७० को लिया जायेगा।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम को स्वीकार करता है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम को स्वीकार करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कतिपय समितियों के निर्वाचन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

सदन के लिये एक सूचना है।

लोक लेखा समिति के लिये २१ सदस्य, प्राक्कलन समिति के लिये २५ सदस्य तथा मंत्रियों को परामर्श देने वाली २५ स्थायी समितियों में प्रत्येक में १६–१६सदस्यों के निर्वाचन के लिये निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है—

१—नाम-निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय।	१ जुलाई, १९७० को सांयकाल ४ बजे तक।
२—नाम निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा	४ जुलाई, १९७० को ३ बजे, सचिव विधान सभा के कमरे में।
३—नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय।	६ जुलाई, १९७० को सांयकाल ४ बजे तक।
४—निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान विधान मंडल पुस्तकालय में दिनांक ९ जुलाई, १९७० को १० बजे पूर्वाह्न से ४ बजे तक होगा।	

श्री गोपालदत्त द्वारा सतारूढ़ कांग्रेस दल की सदस्यता ग्रहण करने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री गोपालदत्त ओझा ने सूचना दी है। उन्होंने लिखा है:

"मैंने सत्तारूढ़ कांग्रेस विधान मंडल दल की सदस्यता ग्रहण कर ली है। मैंने मैंगठन कांग्रेस विधान मंडल दल की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मेरा नाम संगठन कांग्रेस विधान मंडल दल की लिस्ट से अलग करने हेतु सूचना प्रसारित कर रहा हूं।"

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, कई सदस्य इधर उधर से हो गये हैं। कृपया पार्टी पोजीशन क्या है, बता दें।

श्री अध्यक्ष—

इस वक्त न बता सकूंगा।

१९७०–७१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३३—सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं, अनुदान संख्या ३४—संचार साधनों का सुधार, अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान, तथा अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री धर्मसिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३३—सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं, के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १४,५९,३७,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३४—संचार साधनों का सुधार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त ८८,२१,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३,७५,७१,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १९,१५,२३,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, जहां तक.....

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री स्पीच देने जा रहे हैं। वह अपने भाषण में एक चीज स्पष्ट कर दें कि किस आधार पर नई सड़कों के निर्माण का प्रदेश में बटवारा हुआ है। माननीय चौधरी चरण सिंह जिस जिले के हैं उसे १५५ किलोमीटर.....

श्री अध्यक्ष—

आप भाषण न दें। पहले सार्वजनिक निर्माण मंत्री को बोल लेने दें।

श्री कृष्णानन्द राय—

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

क्या है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या सदन को अधिकार नहीं है कि रियलिटी के बारे में जानकारी कर सके। मैं आपके चैम्बर में सूचना दे सकता हूं। मुझे समाचार मिला है कि मेरठ को १५५ किलोमीटर सड़क निर्माण के लिये दिया गया है जब कि बलिया जीरो है। यह प्रदेश कहां जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा कर बैठिये, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय मंत्री जी अपना भाषण जारी रखें।

श्री धर्मसिंह—

अगर कृष्णानन्द राय जी मेरी बात सुनते.....

श्री अध्यक्ष—

मैंने उनका व्यवस्था का प्रश्न नहीं माना। आप अपना भाषण दें।

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का सवाल है। श्रीमान्, हम पी० डब्लू० डी० मिनिस्टर से नहीं चाहते हैं। मुख्य मंत्री जी यहां हैं और उनके जिले को १५५ किलोमीटर दिया गया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप अपने भाषण में कह लीजियेगा। उनको बोलने दीजिये। आप कृपा कर बैठिये—

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं बैठूंगा नहीं।

*मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

क्योंकि मेरे मित्र ने कहा कि मुख्य मंत्री जवाब दें और रोज-रोज बराबर मेरा नाम लेकर और मेरे साथियों का नाम लेकर कि उनके जिले में यह चला गया, यह चला गया, बेबुनियादी बातें कही जाती हैं। मैं आपके जरिये माननीय मित्रों को यह बता देना चाहता हूं कि दिन-रात पूर्व और पश्चिम का जहर जो फैलाया जाता है इससे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

दिल फट जाने की आशंका है। मैं इस सिलसिले में सारे आंकड़ों सहित एक छोटी-सी पुस्तिका जब अगले किसी शुक्रवार को जोकि पहले प्रस्ताव आया था, बहस होगी, तकसीम करवा दूंगा । मैं अपने माननीय मित्रों से यह भी कह देना चाहता हूं कि अभी ५ ही महीने हुये हैं इस सरकार को और पिछले २० साल की कोई गलती अगर होती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर थोपी जाती है और जहर फैलाया जाता है क्योंकि यहां की प्रोसीडिंग्स अखबारों में भी छपती हैं । एक तरफा बात होती है और हमको जवाब देने का मौका नहीं मिलता ।

अभी परसों की ही बात है "हिन्दुस्तान टाइम्स' में दो कालम्स में लाल सुर्खी देकर कि ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के साथ अन्याय किया जा रहा है, खबर छाप कर बात खतम कर दी और हमारी तरफ से कोई जवाब भेजने का मौका नहीं मिलता । मैं इस समय अपने माननीय मित्रों को यह बता देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे उन्होंने चैलेंज दिया है, कि सारे हिन्दुस्तान के लिये एक बौम्बे फारमूला बनाया गया जिसमें यह बात ध्यान में रखी गयी है कि किस शहर की कितनी आबादी है, कितना क्षेत्रफल है, कितने बड़े-बड़े गांव हैं इत्यादि, और उसके हिसाब से किस जिले में कितनी सड़क होनी चाहिये, उसको बताया गया है। हिल्स के लिये उन्होंने मैदान की अपेक्षा दुगनी सड़क रखीं हैं- जैसे मान लो कि मैदान में १०० मील सड़क होनी चाहिये तो उन्होंने हिल्स के लिये २०० रखी हैं । उस फारमूले के अनुसार, पहाड़ों पर ८९.१३ प्रतिशत सड़क हैं, जब कि फारमूले में डबल सड़क रखी गई है । बुन्देलखंड में ५९.६० प्रतिशत सेंट्रल में ६१.०४ प्रतिशत, ईस्टर्ट डिस्ट्रिक्ट में ७२.४६, वैस्टर्न में ६१.९ । जहां तक मेरठ का सवाल है उसमें वैस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का केवल ५५ प्रतिशत सड़कें हैं । (व्यवधान) आप मेरी बातें सुन लीजिये, मैं आपको यह भी बताये देता हूं कि पूर्वी जिलों में देवरिया में सबसे ज्यादा सड़कें हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शांत रहें, मुख्य मंत्री जी को बोलने दें ।

श्री चरण सिंह--

जहां तक सारी स्टेट के औसत का सवाल है वह ६७.७ प्रतिशत है। बात बात में नाम लेकर बातें करना, जहर फैलाना, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसमें ठंडे दिल से विचार करने की जरूरत है। अगर आप यह नहीं चाहते कि यह गवर्नमेंट रहे, तो दूसरी गवर्नमेंट बदल दें, और अगर दूसरी भी नहीं चाहते तो जो इलाज चाहते हैं, वह भी इलाज कर लें । लेकिन दिन-रात हर वक्त यह जहर फैलाना कि ईस्ट वैस्ट, मैं गुजारिश करूंगा इससे कोई जनहित का सम्पादन नहीं होता ।

श्री कृष्णानन्द राय--

मैं मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने ग्रिड फारमूला बताया । लेकिन क्या यह कच्ची और पक्की दोनों सड़कों को मिलाकर कहा गया है? क्या यह सही नहीं है कि मेरठ में सारी सड़कें पक्की हैं और हमारे यहां सब कच्ची हैं (व्यवधान)

(सदन में बहुत शोर होने लगा)

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी ने सफाई पेश की और कहा कि जहर फैलाते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठिए, अपने भाषण में कहियेगा ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

श्रीमन्.... (व्यवधान)

श्री बांकेलाल—

हमारे साथ....

श्री अध्यक्ष—

बांके लाल जी, आप कृपा करके बैठिये । सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी को अपनी बात कहने दीजिये ।

श्री धर्म सिंह—

श्रीमन्, मैंने अभी जो अनुदान पेश किया और जो बजट के आंकड़े हैं, अगर माननीय सदस्य मेरी बात को सुनते और उन आंकड़ों को देखते तो स्पष्ट हो जाता कि किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही है। मेरी बात सुनने के बाद अगर वह कोई निर्णय करते तो अच्छा होता ।

मान्यवर, इसमें कोई दो रायें नहीं है कि अगर हम हिन्दुस्तान की आबादी को देखें और इस प्रदेश की आबादी को देखें और दूसरे तमाम सूबों की आबादी को देखें तो जहां तक सड़कों का संबंध है, इसकी बहुत लो प्रायरटी है। श्रीमन्, इसमें भी कोई दो रायें नहीं हैं कि सड़कों की बहुत आवश्यकता है। साथ ही उनके रख-रखाव का भी प्रबन्ध होना चाहिये । सब लोग चाहते हैं कि प्रत्येक गांव में सड़क बने । उन पर लोड फैक्टर बहुत है। बहुत सी बनी हैं, फिर भी अभी बहुत आवश्यकता है। श्रीमन्, इस वर्ष हमने एक नयी चीज भी की है । एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन की सिफारिश के आधार पर हमने परफारमेंस बजट बनाया है। अब तक यह परफारमेंस बजट नहीं बनाया जाता था । एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन के द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि पिछले वर्ष कितना काम किया उसके आधार पर आंका जाय जिसमें इनपुट और आउटपुट वगैरह की भी बात आती है, तो उसी के आधार पर परफारमेंस बजट बनाया गया है।

(व्यवधान)

मान्यवर, जो अनुदान संख्या ३३,३४,३५ और ५१ हैं इनमें ४९ करोड़ ८४ लाख १४ हजार ५०० रु० के करीब मांगा गया है । इसके साथ ही साथ जहां तक निर्माण कार्यों के रख रखाव का संबंध है उसके लिये ३३,७४,४२,४०० रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है जो इस बजट में है । इस धनराशि के मुकाबले में अगर पिछले वर्ष के आंकड़ों को देखा जाय तो इस साल जो बजट रखा गया है उसमें ५,५७,३५,७०० रुपये की धनराशि अधिक है । इतनी धनराशि पिछले साल के मुकाबले में अधिक है। जैसा मैंने निवेदन किया था कि इस प्रदेश में सड़कों की आवश्यकता है । आजादी प्राप्त होने के बाद इस प्रदेश में उत्तराखंड को छोड़कर लगभग १४९०० किलो-मीटर सड़कें थीं । पिछली पंचवर्षीय योजना और जितना प्लान है उसके अनुसार यह लम्बाई बढ़कर १९६९ तक २९२०० किलो मीटर सड़कें हो जायंगी । बम्बई योजना से पहले उत्तर प्रदेश में नागपुर योजना के आधार पर एक योजना चली। उस नागपुर योजना के

[श्री धर्मसिंह]

आधार पर पूरे हिन्दुस्तान में कुछ सड़कें निर्धारित की गईं । इस प्रदेश में कुछ सड़कें बनीं । यह नागपुर योजना का कार्य ६५-६६ तक पूरा हो जाना चाहिये था । दूसरी पंचवर्षीय योजना के पहले समाप्त हो जाना चाहिये था लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना के आधार पर हुआ । उसके बाद एक फारमूला बना जिसका जिक्र इस सदन में हमेशा हुआ करता है उसको बम्बई योजना का नाम दिया जाता है ।

सड़कों के सिलसिले में तमाम हिन्दुस्तान के चीफ इंजीनियर साहबान इकट्ठा हुये थे और उन्होंने २० साल के लिये एक योजना बनाई जो बम्बई योजना कहलाती है । इस बम्बई योजना के अनुसार काम १९६१ से आरम्भ होकर १९८१ तक समाप्त होने की बात है । जिसके आधार पर आबजेक्टिव परफारमेंस प्राप्त करने के लिये २० साल में इस प्रदेश में हम इतनी सड़कों का निर्माण करना चाहते हैं जो पी०डब्लू०डी० के द्वारा बनाई जायंगी । बहुत से माननीय सदस्यों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के संबंध में बहुत सी बातें कहीं । उस तरीके से मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं लेकिन फिर भी माननीय सदस्य कहेंगे कि बलिया के साथ ज्यादती हुई, देवरिया के साथ ज्यादती हुई तो उसका जवाब दिया जायगा । अगर बजट के आंकड़ों को देखा जाय जैसा कि आपके सामने प्रस्तुत किया गया है पहाड़ी उत्तराखंड क्षेत्र में ५ जिले आते हैं । उनमें अल्मोड़ा, देहरादून, गढ़वाल, नैनीताल और टेहरी में १९४७ तक सड़कों की लम्बाई ९२४ कि०मी० थी । मार्च, १९६९ तक निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर २० वर्ष में बम्बई योजना के आधार पर कुल लक्ष्य प्राप्त होकर ८९.१३ प्रतिशत बढ़ा ।

जहां तक बुन्देलखंड का सवाल है इसमें दो राय नहीं है कि बुन्देलखंड में बांदा, हमीरपुर, जालौन और झांसी जिले आते हैं । उत्तर प्रदेश में इन जिलों में सब से लो प्रायोरिटी है। सब से ज्यादा हालत खराब है। वहां जो परसेंटेज आता है—वहां १९४७ के पहले १४१८ किलो मी० के करीब था वहां पर अब चार जिलों का परसेन्टेज ५९-६० हो गया है। इसके बाद केंद्रीय जिले आते हैं जिनमें प्रदेश के ९ जिले आते हैं । बाराबंकी, फतेहपुर, हरदोई, कानपुर, खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव ये ९ जिले हैं । इन सब के आंकड़े मेरे पास हैं लेकिन सभी को मैं सदन के सामने नहीं रखता हूं । अगर किसी माननीय सदस्य को सन्देह हो कि उनके जिले के साथ ज्यादती हुई है तो मैं पूरे तरीके से साबित करने की कोशिश करूंगा कि उनके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई है। यह केंद्रीय जिलों का जो प्रश्न है उसमें ९ जिलों का जिक्र है । उनमें ६१.०४ परसेंटेज आता है । यह सब जिक्र पक्की सड़कों का है। पी० डब्यू०डी० पक्की सड़कें ही बनाता है ।

जहां तक पूर्वी जिलों की सड़कों का संबंध है उनमें इलाहाबाद, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बस्ती, देवरिया, फैजाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और वाराणसी इतने जिले आते हैं । उनका जो मान्यवर, परसेंटेज है वह ७२.४६ हो गया है । पश्चिमी जो जिले हैं जिन के बारे में कहा जाता है कि उधर ज्यादा सरकार का ध्यान रहता है वह जिले हैं बदायूं, बरेली, बिजनौर मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर, मैनपुरी, एटा, सहारनपुर, मेरठ, मथुरा, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, अलीगढ़, फर्रुखाबाद इटावा और आगरा आदि हैं । इन की प्रतिशत केवल ५१.९० है। खास तौर से जैसा कि मेरठ का जिक्र किया गया, वहां का प्रतिशत ५५.२९ के करीब है। हमारे यहां पूरे प्रदेश में बहुत सी सड़कों की आवश्यकता है लेकिन उसको देखते हुए जहां तक बुलन्दशहर का प्रश्न है वहां का प्रतिशत ६२ प्रतिशत है और आजमगढ़ का ९९.३८ प्रतिशत है, इलाहाबाद का ८३ प्रतिशत है, बलिया का ७२ प्रतिशत है·····

श्री राम वचन यादव (जिला आजमगढ़)—

आप जरा समझा दें कि आजमगढ़ का ९९ प्रतिशत कैसे हो गया ?

श्री धर्म सिंह—

तो बम्बई योजना के नाम से इस प्रदेश में योजना बनी है। उसमें पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना में सड़कें रखी गईं और उस में स्टार व ग्रिड फार्मूले रखे गये। फिर तृतीय पंचवर्षीय योजना बनी और अब अंतिम योजना यह २ साल की बनी है, तो बम्बई योजना के अनुसार यह प्रतिशत रखा गया है। इतना ही नहीं जहां तक चौथी पंचवर्षीय योजना का संबंध है इसके दूसरे वर्ष में ५० करोड़ रुपये की धनराशि रखी गई है और इस योजना में

(इस समय १२ बजकर ५२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री बासुदेव पीठासीन हुये।)

२६९१ किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण कार्य पूरा होगा। ७०-७१ के बजट में पिछले साल की ४५५ किलोमीटर लम्बी सड़कें थीं लेकिन प्लान में अब करीब ३२०० किलोमीटर के करीब हैं। माननीय सदस्य इसको स्वीकार करें या न करें लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले २० साल के दौरान में पहली या दूसरी या तीसरी या किसी भी योजना में इतनी सड़कें नहीं ली गई हैं। एक रोड फंड की स्कीम निकली है जिसमें २० करोड़ रुपये के करीब रखा गया है और सप्लीमेंटरी कन्टिंजेंसी के तौर पर २७ अप्रैल को आदेश भेज दिये गये हैं। इस साल के लिये इसमें १ करोड़, ८३ लाख ७० हजार रुपया रखा गया है। सप्लीमेंटरी के इस कन्टिंजेंसी के आधार पर जितनी सड़कें प्रदेश में इस साल रखी गई हैं उतनी पी० डब्लू० डी० के आजतक के इतिहास में कभी नहीं रखी गई।

जो बैकवर्ड जिले थे उनका भी खास ख्याल रखने की कोशिश की गई है। मैं सदन के माननीय सदस्यों को न्योता देता हूं कि यदि फार्मूला के अनुसार कोई गलती हुई है या किसी क्षेत्र के साथ ज्यादती हुई है तो वह हमारे सामने अपने केस को लायें, हमारे इंजीनियर साहबान और विभाग के सचिव महोदय भी हों और वह आकर हमें सन्तुष्ट करें और जहां तक हो सकेगा उनके साथ अगर ज्यादती होगी तो उसका निवारण किया जायगा। सड़कों का जहां तक सम्बन्ध है मैंने आपके सामने बहुत सी बातें रखीं लेकिन इसके अलावा हमारी जो पुरानी सड़कें हैं जो खराब हालत में टूटी हुई हैं या जीर्ण हैं उनके पुनर्निर्माण और सुधार के लिये भिन्न स्कीमों के द्वारा प्रबन्ध किया गया है और ११.६९ करोड़ रुपये का प्रबन्ध किया गया है जिसके अन्तर्गत १७०० किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की जायगी।

इसके अतिरिक्त प्रदेश में बहुत ही छोटी छोटी नदियां हैं जिनके दोनों तरफ अगर सड़क बनी होती तो बीच में नदी के पुल की जरूरत होती है। चौथी पंचवर्षीय योजना में इस तरह के ३१ पुलों के लिये प्राविजन किया गया है और इसके साथ-साथ हमने एक पुलों की योजना टाल-टेक्स के द्वारा निर्माण करने हेतु बनाई है।

मान्यवर, १९६५ में जहां तक इस तरीके से सड़कों का सम्बन्ध था, उसके आधार पर यह योजना चलायी और इसके आधार पर जिस पुल की लागत २.५ लाख से कम न हो और २० लाख से अधिक न हो, उसका पाट, लम्बाई इत्यादि २०० फुट न हो, इस तरह की योजनाएं पूरे प्रदेश में "टौल-टैक्स" से चलायी जा रही हैं। इस टौल-टैक्स से जो पैसा आता है वह पैसा कहीं नहीं जाता है। उसको सेतु निधि कहते हैं। उसमें इस धनराशि को डाल दिया जाता है। जब पैसा इकठा हो जाता है तो उससे प्रदेश में दूसरे पुल बनते रहते हैं। १९६५-६६ में ६ पुलों के लिये सरकार ने स्वीकृति दी थी। उसके बाद १९६८-६९ में १४ पुल स्वीकार किये थे। १९७०-७१ में इस प्रकार से ८ पुलों का प्राविधान किया गया है। उत्तर प्रदेश में पुलों की बहुत आवश्यकता है। लिहाजा इस बात पर विचार हो रहा है और जैसा कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपना भाषण देते हुए यह निवेदन किया था कि एक ब्रिज कार्पोरेशन नाम की संस्था इस प्रदेश में स्थापित करना चाहते हैं जिसके आधार पर हम बैंकों से बात करेंगे, व्यक्तिगत

[श्री धर्मसिंह]

लोगों से बात करेंगे। मार्केट में मनी को फलोट करेंगे और डिबैन्चर्स इत्यादि प्राप्त करने की कोशिश की जायगी। ये सब मामले सरकार द्वारा विचाराधीन हैं और उसके बाद जैसे-जैसे स्कीम पूरी होती जायगी उसी तरह से इस योजना द्वारा बहुत से पुल बन सकेंगे। यह सब मामले अभी सरकार के विचाराधीन हैं।

गंगा के पुल का जहां तक सम्बन्ध है इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता मानी जाती है। इस पुल के लिये ४.५ करोड़ के करीब भारत सरकार ने ऋण के रूप में दिया है और उसकी शर्त यह है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में गंगा नदी पर पुलों के निर्माण के लिए ४.५ करोड़ रुपये की उच्चतम सीमा तक लागत के पचास प्रतिशत के हिसाब से राज्य सरकार को योजना के बाहर अतिरिक्त ऋण सहायता दी जायेगी।

२—पुलों के स्थलों का अंतिम चयन भारत सरकार के अनुमोदन से किया जायेगा।

३—राज्य सरकार को अपने हिस्से का ५० प्रतिशत व्यय राज्य की योजना में सम्मिलित करना होगा।

४—यह स्पष्ट रूप से समझ लिया जाय कि इस प्रकार की अतिरिक्त सहायता चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल के बाद प्राप्त नहीं होगी और राज्य सरकार को अपनी योजना में धन का प्रबन्ध करना होगा।

इस योजना के अन्तर्गत फर्रुखाबाद जिले में २ पुल डिपार्टमेंट के द्वारा बनाए जा रहे हैं एक गंगा पर और दूसरा राम गंगा के ऊपर। मिर्जापुर में राज्य सरकार ने गंगा नदी के पुल के निर्माण को द्वितीय प्राथमिकता दी थी। मिर्जापुर के पुल की अनुमानित लागत २.३ करोड़ रु० होगी जिसमें भारत सरकार की सहायता का अंश १.०११५ करोड़ रुपया होगा। इस प्रस्तावित पुल के लिये भारत सरकार ने अपनी ऋण सहायता की स्वीकृति नहीं दी है। उन्हें बार-बार लिखा जा रहा है कि हमें पैसा दीजिये लेकिन कोई उत्तर नहीं आ रहा है। कई पत्र मेरी ओर से और कई माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से लिखे गये हैं लेकिन फिर भी कोई उत्तर नहीं आया है। हमारी ओर से इतना तो कर ही दिया गया कि मिर्जापुर के पुल के निर्माण से संबंधित ट्राइल बोरिंग इत्यादि कार्य को करने की स्वीकृति भी जारी की जा चुकी है। एक और पुल गंगा नदी पर हरिद्वार में बनाया जा रहा है। अभी दूसरी ओर टिहरी की ओर से मुड़कर जाना पड़ता है। इसके लिये भारत सरकार हमें कितना पैसा देती है, इस बात पर निर्भर करेंगे।

इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो इस प्रदेश में बना है। वह है एल० आर० पी० जिसकी माननीय सदस्य यहां पर रात-दिन चर्चा करते हैं। लिट्रल रोड द्वारा बरेली से आरम्भ होकर पीलीभीत, सीतापुर, बहराइच, कसया, देवरिया डिस्ट्रिक्ट से होती हुयी बिहार में प्रवेश करेगी। बहुत बड़ी तादाद में इस पर काम भी समाप्त हो गया है। और उसके बाद इसकी लम्बाई ३९७ मील ४ फर्लांग है। मान्यवर, शुरुआत में इन वर्क्स के लिये जो पैसे की मांग की गई थी वह ३७.५२ करोड़ रुपये आंकी गई थी उसके बाद जो रुपया मिला वह २६.३२८ करोड़ के करीब मिला। बरेली से बिहार तक यह सड़क जायेगी। मान्यवर, हमारे प्रदेश में जहां तक पुलों का संबंध है उनके बारे में मैं सदन का ज्यादा समय न लूंगा। बहुत संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं। रेलवे सुरक्षा कोष में दस पुलों की योजना है। मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये लखनऊ, रुड़की, रामपुर, मिर्जापुर, सहारनपुर, मेरठ, उन्नाव, शाहपुर इत्यादि दस स्थानों पर हैं। इस योजना के लिये १,४१,९२,००० की धनराशि रेलवे सुरक्षा कोष में रक्खी गई है और भारत सरकार को लिखा गया है कि इस योजना के अन्तर्गत हमको तीन करोड़ रुपये और दे दें। प्रदेश में जहां-जहां रेलवे के फाटक होते हैं उस कमी को दूर करने के लिये इस प्रकार की यह योजना है।

इस प्रदेश में सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय मार्गों के कार्यों की एक योजना है । उसके रख रखाव का जहां तक संबंध है उसके लिये विश्व बैंक के सज्जन यहां आये थे और भारत सरकार के परिवहन विभाग के लोग आये थे । उन्होंने सर्वे इत्यादि किया । भारत सरकार ने निर्णय तो नहीं किया है लेकिन जो स्कीम यहां से बनाकर भेजी है उसके आधार पर इसकी लागत २० करोड़ रुपये की होगी और वे विश्व बैंक से–इन्टरनेशनल बैंक से–प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं । उसके आधार पर स्कीम स्वीकार हो जाने के बाद कानपुर में गंगा नदी पर पुल, कालपी में यमुना पर पुल, शिकोहाबाद में बाईपास का निर्माण, इटावा, पुखरांया और कानपुर में बाई पास का निर्माण, कानपुर में गंगा पुल तक पहुंचने में बाईपास का निर्माण आदि आदि । जब भारत सरकार इस स्कीम के लिये पैसा दे देगी तो उसके बाद कार्यवाही की जायेगी । जहां तक पी० डब्लू० डी० का संबंध है दिन प्रतिदिन चर्चा होती रहती है कि ठेकेदारी की प्रथा समाप्त होनी चाहिये उसके लिये डी० सी० यू० नाम से संगठन है । इन विभागीय संगठनों द्वारा इस प्रदेश में ठेकेदारों से छुटकारा प्राप्त करने के लिये पांच के करीब स्वीकृत हो चुके हैं । पहला लखनऊ में, दूसरा भी लखनऊ में, तीसरा फैजाबाद में चौथा मुजफ्फरनगर में पांचवां, बिल्डिंग्स इत्यादि बनायेंगे, वह भी लखनऊ में । इसके साथ ही साथ जहां तक इस प्रदेश का संबंध है इसमें दो राय नहीं हैं कि १९६७ के आसपास इस प्रदेश के इन्जीनियर्स काफी परेशान रहे और हमने इन्जीनियर्स को निकाला, उनको नोटिस दिया, रिवर्शन किया । एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर बनाया । असिस्टेंट इंजीनियर से ओवरसियर बनाया । ओवरसियरों को नोटिस दिया क्योंकि काम की कमी थी । जो बजट आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस प्रदेश में जो सड़कों, पुलों इत्यादि का जाल बिछाने का कार्य किया जा रहा है उसमें मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमें बहुत बड़ी तादाद में इंजीनियर्स की आवश्यकता है, ओवरसियर्स की आवश्यकता है और जो त्राहि-त्राहि मची हुयी है उसको देखते हुए इसमें बहुत बड़ी तादाद में काम होगा ।

इसके बाद मान्यवर, थोड़ा सा मैं वर्कचार्ज के बारे में निवेदन करूंगा । इस विषय पर मैं बाद में कुछ निवेदन कर सकूंगा कि क्या-क्या सहूलियतें आदि हम देना चाहते हैं । जुलाई, १९६८ तक रख रखाव तथा मरम्मत आदि का कार्य करने वाले ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिनकी सेवा ३ वर्ष या उससे अधिक हो गयी थी वह १३,५१८ थी। इनमें से ९,७८६ कर्मचारियों को रेगुलर में पूरे तरीके से ले लिया गया है । जो मामले रह गये हैं वे कुछ टैक्नीकेलिटीज की वजह से तथा कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण रह गये हैं, उनके बारे में भी हम प्रयत्नशील हैं और उन कठिनाइयों के दूर होते ही हमें आशा है कि यह १३,५१८ की जो फीगर है वह पूरी हो जायेगी, यानी सभी लोग रेगुलर में आ जायेंगे ।

साथ ही हमारे प्रदेश में जो टैक्नीकल सेल है वह बड़ा अच्छा काम कर रहा है । आज हमारे प्रदेश और समाज की जो हालत है उसमें, मैं यह मानता हूं कि कुछ गड़बड़ करने वाले भी हैं, कुछ बेईमान भी हैं, लेकिन इसके मानी यह नहीं हैं कि हमारे यहां अच्छे इंजीनियर्स नहीं हैं, अच्छे कर्मचारी नहीं हैं । हमारे यहां काफी तादाद में अच्छे और योग्य इंजीनियर्स वगैरह हैं । जहां तक भ्रष्टाचार आदि का संबंध है, भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्यवाही की गयी है। जो हमारा टैक्नीकल सेल है वह मौके पर जाकर कार्य का निरीक्षण करता है, जो चीज इस्तेमाल की जाती है उसको देखता है । मस्टर रोल आदि के आधार पर काम होता है । उनका चीफ इंजीनियर आदि से कोई संबंध नहीं रहता, सीधे शासन से उनका संबंध रहता है ।

[श्री धर्मसिंह]

एक चीज मैं और निवेदन करना चाहता हूं जिसको मैंने अच्छी तरह से महसूस किया है। अगर हम अपनी दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं को देखें तो पता चलेगा कि जिन सड़कों के लिये हमने ५ वर्ष का समय रखा था वे ८ वर्ष में बन कर तैयार हुईं, ८ वर्ष का जिनका समय था वह १० वर्ष में पूरी हो पायी। हमने अब यह निश्चय किया है, प्रत्येक जिले में एक टारगेट फिक्स किया जायेगा एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ। यदि मुरादाबाद से बरेली की कोई सड़क बननी है और उसके लिये ५ वर्ष का समय है तो वहां के इंजीनियर को इतने ही समय में उसको पूरा करना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करेगा, समय से कार्य पूरा नहीं होगा तो उसके करेक्टर रोल में, जिसको कि हर वर्ष देखा जाया करेगा, ऐंट्री की जायेगी। हर वर्ष उनके कार्य को देखा जाये और उसके अनुसार उनके करेक्टर रोल में ऐंट्री होगी। चाहे इंजीनियर हो, चाहे ओवरसियर हो, चाहे कोई कर्मचारी हो। हर एक को अपना लक्ष्य पूरा करना होगा। अगर कोई इंजीनियर या कर्मचारी लापरवाही करेगा तो उसका उल्लेख उसके करेक्टर रोल में किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस समय सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं चाहूंगा कि जो भी माननीय सदस्य इस डिबेट में भाग लें वे कृपा कर ऐसे सुझाव दें जिससे सार्वजनिक निर्माण विभाग में और सुधार किया जा सके, विभाग के कार्य को और आगे बढ़ाया जा सके तथा जो त्रुटियां हों उन्हें दूर किया जा सके। माननीय सदस्यों से यह निवेदन है कि वे कृपया अपने सुझाव देने की कृपा करें।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)---

मंत्री जी कृपया एक स्पष्टीकरण कर दें। बाम्बे फार्मूला जिसका वर्णन आप और मुख्य मंत्री जी ने किया उसका आधार क्या था? और इसके पहले की स्टार ऐंड ग्रिड फार्मूला का आधार क्या था? उसे क्यों छोड़ दिया गया? और इन दोनों में अन्तर क्या था?

श्री धर्म सिंह---

बाम्बे फार्मूला में १०--१२ प्वाइंट्स हैं (कागज खोजने लगे)।

श्री भानुप्रताप सिंह---

इसे आप साइक्लोस्टाइल करके बंटवा दें तो अच्छा होगा।

श्री रियासत हुसन (जिला मुरादबाद)---

एक निवेदन मेरा भी है। जब रावत जी पी० डब्लू० डी० के मिनिस्टर थे तो उन्होंने हर सदस्य से एक एक दरख्वास्त मांगी थी कि कहां-कहां सड़कें उचित हैं और अब जिला परिषदों से हर जिले का एक खाका बनकर आया है, तो अब जो आपने ब्लू०प्रिन्ट बनाया है वह दोनों को मिलाकर बनाया है या अधिकारियों ने अपनी तरफ से तैयार कर दिया है?

*श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३३---सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं अनुदान संख्या ३४---संचार साधनों का सुधार, अनुदान संख्या ३५---सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान तथा अनुदान संख्या ५१ सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत मांग की राशियों को घटाकर एक-एक रुपया कर दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसे करते समय यह कहा कि हम इस वर्ष कुछ नई स्कीमें सामने लाये हैं । उन्होंने कहा कि इसके पहले परफार्मेंस बजट नहीं लाया जाता था उसकी एक कापी मुझे प्राप्त हुई है और दूसरा विभाग का वार्षिक विवरण १९६९-७० प्राप्त हुआ है । किन्तु यदि इन दोनों को ध्यान से देखें तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है । तो जो मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने एक नई चीज रखी है, उन्होंने कोई नई चीज नहीं रखी है । अब इस बजट को प्रस्तुत करने के पहले हाउस में आ गया था, वह यह था कि वह रोडों के बारे में पांच प्रभाग बनाये गये हैं । उसमें कितना परसेंटेज बाम्बे योजना के अनुसार है ? तो हमारे सारे पूर्वी जिलों के साथी कहते हैं कि जो उसमें बातें दिखाई गई हैं वे सही नहीं हैं । मैं कहूंगा कि जब यह कन्ट्रोवर्शियल विषय है तो उसके लिये एक समिति बना दी जाये, जो मौके पर जाकर उन चीजों को देखें, उसकी जांच पड़ताल करे । इन २०—२२ वर्षों में प्रदेश में रोडों का जो विकास हुआ है उसकी तुलना यदि हम देश और अन्य प्रदेशों में हुये विकास से करें, तो हम पाते हैं कि उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में पीछे हैं । मैं आपके माध्यम से तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में हुए रोडों के विकास को संक्षेप में सदन के सामने लाना चाहता हूं ।

योजना शुरू होने के पहले, यानी सन् ५०—५१ के पहले हमारे प्रदेश में १६ हजार १८२ किलोमीटर सड़कें थीं । जब पहली पंचवर्षीय योजना पूरी हुई तो हमारे प्रदेश में १८,५७० किलोमीटर रोड्स हो गईं, साथ ही साथ २६ नये पुल बन गये । इसी प्रकार जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २५ करोड़ १२ लाख रुपया खर्च किया था तो हमारे यहां रोड की लम्बाई २३ हजार ४२२ किलोमीटर हो गई और पुलों की संख्या ९० हो गई । तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमने योजना पर ३३.२५४ करोड़ रुपया व्यय किया और उसकी उपलब्धि होने पर हमारी रोडों की लम्बाई २६,१९७ किलोमीटर हो गई और पुलों की संख्या इस अवधि में ७५ हो गई । मान्यवर, यदि हम देखें और हमारे प्रदेश की सरकार या विभाग द्वारा रोडों की स्थिति के बारे में एक अनालेसेज किया जाये तो उन्होंने क्या किया है ? छोटे-छोटे प्रदेश हमसे आगे बढ़ गये हैं । जब योजना शुरू हुई तो उस समय देश में हमारा प्रतिशत १९.८ था । लेकिन इन योजनाओं के बाद हमारी स्थिति क्या हो गयी ? बजाय आगे बढ़ने के हम पीछे चले गये । किसी भी देश या प्रदेश में सड़कों का बड़ा महत्व है । किसी देश या प्रदेश का समुचित विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक संचार साधन न हो । कृषि, औद्योगिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी, जितनी सामाजिक सेवाएं हैं वह सड़कों के द्वारा ही हो सकती हैं। यही कारण है कि हमारा प्रदेश अन्य प्रदेशों से पिछड़ा हुआ है।

एक उदाहरण में देना चाहता हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में आपके सामने रखना चाहता हूं किस तरह से हमारा प्रदेश पिछड़ गया । हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना में २८.२ करोड़ रुपया खर्च किया । इसके मुकाबले में दूसरी स्टेट्स ने कितना खर्च किया ? आसाम ने ९.३ करोड़ खर्च किया जो ६.७ प्रतिशत होता है । बिहार ने १७.५ करोड़ खर्च किया जो ५.३ प्रतिशत होता है । गुजरात ने २३ करोड़ खर्च किया जो ९.७ प्रतिशत होता है । जम्मू और कश्मीर ने १०.३ करोड़ खर्च किया जो १८.७ प्रतिशत होता है । मध्य प्रदेश ने १५.४ करोड़ खर्च किया जो ५.४ प्रतिशत होता है । इस तरह से देश के १८ राज्यों को देखें और हमने केवल ५.२ प्रतिशत खर्च किया है । हम क्यों दूसरे प्रदेशों से पिछड़े हैं यह विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है । उसका कारण यह है कि हमारा विभाग अपने विभाग को खुला नहीं रखता है । आज हम प्रदेश के तीन पिछड़े भागों को देखें । पूर्व के १५ जिले, बुन्देलखंड के चार जिले और पहाड़ के ८ जिले, इन जिलों के पिछड़ेपन को देखते हुए, प्रदेश की आबादी लगभग ४७.३ प्रतिशत है लेकिन संचार साधन उस अनुपात में

[श्री रामप्यारे]

नहीं दे सकें जिस अनुपात में देना चाहिये । हमारा प्रदेश भौगोलिक स्थिति में आसाम के जैसा है । लेकिन आसाम में जितना रोड के बारे में खर्च किया गया हमारे प्रदेश के अन्दर खर्च नहीं किया गया ।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के पहले दो तीन योजनायें चलीं । उत्तर प्रदेश ने ३१ परसेंट खर्च किया जब कि अन्य प्रदेशों, गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम छोटे-छोटे प्रदेश हम से आगे रहे और आगे बढ़ते जा रहे हैं स्टारप्रिड प्लान का १९६५-६६ में लक्ष्य प्राप्त कर लिया यह संतोष की बात है लेकिन उसमें कुछ जिले नहीं प्राप्त कर सके । बाराबंकी को ले लीजिये । प्रदेश के, रोड के संबंध में, सबसे पिछड़े जिले गढ़वाल को ले लें । मैं तीन पंचवर्षीय योजनाओं में जो रुपया खर्च हुआ है वह आपके सामने रखना चाहता हूं । प्रथम पंचवर्षीय योजना में १५३.३६ करोड़ रुपया खर्च किया । लेकिन इस विभाग में परिवहन संचार पर ५.३९ करोड़ रुपया खर्च किया गया । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २३३.३५ करोड़ रुपया तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना में ५५६.४० करोड़ रुपया रखा गया लेकिन रोड्स पर २५.१२ करोड़ तथा ३३.२५४ करोड़ क्रमशः खर्च किये गये । यदि इसकी तुलना अन्य राज्यों से की जाय तो हमारे राज्य में रोड्स पर बहुत कम रुपया खर्च किया गया । अब हमने जो नई नीति बनाई है उसके अन्तर्गत पिछली कई योजनाओं में जो हम बहुत पिछड़ गये हैं उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिये अपने बजट में हमको रोड्स के लिये अधिक धन रखना चाहिये और उतना खर्च करना चाहिये जितना कि अन्य प्रदेश इस विभाग पर खर्च करते हैं । इसमें सरकार को क्या एतराज है ? चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने इन बातों पर कतई ध्यान नहीं दिया है जो कि बजट देखने से ही मालूम हो जायगा । प्रेसीडेंट रूल होने पर अधिकारियों द्वारा ही जो योजनायें बनाई गयीं थीं उन्हीं के अनुरूप यह बजट प्रस्तुत किया गया है और जिस प्रकार अन्य प्रदेश में संचार साधनों पर रुपया व्यय किया जाता है वह इस विभाग के द्वारा खर्च नहीं किया जा रहा है । मुझे आशा है कि सरकार इस पर ध्यान देगी ।

बम्बई योजना के अन्तर्गत हमारे प्रदेश में ४१,९६० किलो मीटर रोड्स होनी चाहिये थी लेकिन मौजूदा पंचवर्षीय योजना में केवल ५० करोड़ रुपया रोड्स के लिये रखा गया है, जो कि उसकी पूर्ति के लिये काफी नहीं है । चौथी पंचवर्षीय योजना में बम्बई योजना शुरू होने के पहले १७,७७४ किलो मीटर रोड्स को पूरा करना था जिसके लिये १९० करोड़ रुपये की जरूरत होगी, उसे हम ५० करोड़ रुपये में पूरा नहीं कर सकते । फिर ५० करोड़ रुपये में आधा रुपया ही नई योजना में खर्च किया जा सकेगा और बाकी आधा रुपया जो पुरानी योजनायें हैं उनमें खर्च होगा । लिहाजा हम क्षेत्र में धन को बढ़ाने की आवश्यकता है ।

रीजनल इम्बेलेंसेज का प्रश्न उठाया गया था । यह बड़े दुख की बात है कि प्रधान मंत्री के दौरा करने के दरमियान उन्होंने प्रदेश नेताओं पर यह आरोप लगाया था कि प्रदेश की सरकार अधिक धन व्यय नहीं करती । लेकिन मेरा ख्याल है कि प्रदेश इसलिये पिछड़ रहा है कि केंद्र से जो सहायता मिलती है वह बहुत कम है और सभी योजनाओं में अन्य प्रदेशों के मुकाबले में यहां जो सहायता मिली वह कम मिली और हमारे साथ भेद भाव बरता गया और यही नहीं प्रदेश की सरकार भी प्रदेश के क्षेत्रों के साथ भेदभाव बरतती है जिसके कारण पहाड़ के लोग अलग प्रदेश बनाने की मांग करते हैं । आप देखें कि मंत्रिमंडल के चार सदस्यों के क्षेत्रों के साथ विशेष कृपा बरती गयी है । मुख्य मंत्री जी के जिले में १५५ किलो मीटर, सार्वजनिक निर्माण मंत्री के जिले में ९ सड़कों के लिये १०५ किलो मीटर, सिंचाई मंत्री के जिले के लिये १०४ किलो मीटर तथा नारायण दत्त तिवारी के नैनीताल जिले तथा आसपास के स्थानों के लिये ५ करोड़ रुपया रखा गया है जब कि यह रुपया पूरे पहाड़ी क्षेत्र के लिये था ।

मान्यवर, इसका कारण क्या है । चौथी पंचवर्षीय योजना में यह बात साफ-साफ कही गई थी । यह सरकार पिछड़े जिलों की बैकवर्डनेस को दूर नहीं कर पायी । मान्यवर,

बाराबंकी, फतेहपुर, खीरी, सीतापुर, फर्रुखाबाद और गढ़वाल आदि ऐसे पिछड़े जिले हैं। इन सबमें सबसे अधिक पिछड़ा जिला गढ़वाल है। इस सरकार का करिश्मा यह है कि पहाड़ी क्षेत्र के विकास के लिये पांच करोड़ कुछ रुपया आया था किन्तु इन्होंने क्या किया है कि १ करोड़ ४१ लाख रुपया अपने जिले में ले लिया और १ करोड़ ७१ लाख रुपया वहां दे दिया। मान्यवर यही नहीं, नई रोड्स बनाने और पुरानी रोड्स की मरम्मत के लिये ९० करोड़ रुपया था किन्तु माननीय वित्त मंत्री ने १० मील रोड टेहरी को छोड़कर बाकी सारा का सारा रुपया नैनीताल और अल्मोड़ा में लगा दिया। आप जानते हैं कि इसका क्या कारण है। इस प्रकार यदि रुपये का अलाटमेंट राजनीति के दांव-पेंच में होगा, अपने-अपने क्षेत्रों का पक्ष लिया जायेगा पार्टी में पक्ष किया जायेगा तो सोचा जा सकता है कि प्रदेश की हालत क्या होगी.....

श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मैदानी क्षेत्र में लगाया है, पर्वतीय क्षेत्र में नहीं।

श्री राम प्यारे—

तो इस प्रकार जो प्रदेश में जगह-जगह पर असन्तोष जाग्रत है उसका कारण यह है कि सरकार का पक्षपात पूर्ण रवैया रहा है। मान्यवर आपको याद होगा कि पिछले दिन माननीय कृष्णानन्द जी ने नियम ३०१ के अन्तर्गत यह दिया था। कृषि की बात आई तो रायबरेली, फतेहपुर और बलिया को कोल्ड स्टोरेज में डालकर वह रुपया बदायूं को चला गया। सिंचाई के बारे में भी यही हाल है। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यदि इन लोगों ने अपने रवैये में परिवर्तन नहीं किया, प्रदेश की समस्त जनता के साथ समानता का न्याय नहीं बरता तो उसकी स्थिति ठीक नहीं रह पायेगी और जनता उसका विरोध करेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के जिले में लगभग १५ नये रोड्स लिये गये। कहने का मतलब यह है कि आज जनता में घोर असन्तोष व्याप्त हो रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि जहां आप एक तरफ बजट का रुपया बढ़ावें वहां दूसरी तरफ जब आप उसका वितरण करने बैठें तो आपके सामने समस्त जिले एक समान होने चाहिये इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज हमारे १५ पूर्वी जिले, ४ बुन्देलखंड के जिले और सभी पहाड़ी जिले पिछड़े हैं। उनके लिये विकास की योजनायें होनी चाहिये।

पटेल आयोग की बात आई उसने ४०० करोड़ रुपये का प्राविधान किया। तीसरी पंच वर्षीय योजना का जितना धन स्वीकार हुआ था वह लापरवाही के कारण १ करोड़ कुछ रुपया ही खर्च हो सका। बलिया का नाम तो बजट में है ही नहीं तो मैं कैसे सन्तोष करूं कि पश्चिमी जिलों में रोड नहीं हैं। अतः मैं चाहता हूं कि पूरे प्रदेश की सड़कों की लम्बाई और उसकी क्वालिटी को देखकर इस सदन को एक समिति बना लेनी चाहिये जो इस बात को तय करे।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे कि मंत्री जी ने अभी कहा है कि करप्शन है। यह बहुत सही है कि आज स्वतंत्रता के २२ वर्ष के बाद भी प्रदेश में करप्शन की बड़ी बीमारी है। करप्शन सिंचाई विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग में है और दूसरे उन विभागों में हैं जहां अभियंत्रण है। लेकिन अब वह सीमा पार हो गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि ऊपर के जो अधिकारी हैं वे इस ओर ध्यान नहीं देते। इस ओर आज तक कोई ध्यान ही नहीं दिया गया चाहे वह कांग्रेस सरकार हो, चाहे संविद की सरकार हो अथवा आजकल बी०के०डी० की सरकार हो। यह करप्शन क्यों होता है? यह बिलकुल भी नहीं देखा जाता कि जो मेटीरियल मौके पर लग रहा है वह किस प्रकार का लग रहा है। ईंटा कैसा, गिट्टी कैसी और तारकोल कितना लगाया जा रहा है। जो चीज जिस मात्रा में लगायी जानी चाहिये, नहीं लगायी जाती और बाजार में बेच दी जाती है। इसकी देखरेख के लिये कोई कमेटी अवश्य होनी चाहिये।

[श्री राम प्यारे]

इस विभाग में टेम्पोरेरी स्टाफ बहुत ज्यादा है, लोग वर्कचार्ज काम कर रहे हैं। जब कोई कर्मचारी यह देखता है कि वहां हमारा कुछ भी भविष्य नहीं है तो वह जब मौका लग जाता है गलत लाभ उठाने का प्रयत्न करता है। जो भी बिल्डिंग वगैरह आपकी बनी है उनकी जांच के लिये आपको एक आयोग बनाना चाहिये। हमारे यहां मिर्जापुर में पिपरी-रेनूसागर रोड सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की मदद से ७२ लाख रुपये में बनायी गयी है। ६२ में वह शुरू हुई थी और ३-४ साल में वह पूरी हुई। अपने विभाग से पूछिये कि उसके रखरखाव पर अब तक कितना खर्चा हो चुका है। लाखों रुपया उस पर खर्च हो चुका है। आज कोई रोड बनती है तो दो साल के बाद उसकी ईंट उखड़ने लगती हैं, गिट्टी और तारकोल चटखने लगता है। इसका मुख्य कारण यह है कि जो ठेकेदार वहां होता है वह अधिकारियों से मिला होता है। इस बात को सभी जानते हैं कि उसका अधिकारियों से परसेंटेज बंधा होता है---१० प्रतिशत। कोई इस बात को कान्ट्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इसलिये जब कभी आप इंजीनियर, ओवरसियर आदि को भरती करें अथवा उनके प्रमोशन करें तो उनके व्यक्तिगत सम्पर्कों की जांच करें, नजदीकी रिश्तेदारों की जांच करें। ससुर, चाचा, भाई, भांजा आदि की भी जांच करें, जहां से वह कहता है कि उसके पास रुपया आया। अगर ऐसा कोई नियम अभी तक न हो तो आप ऐसा नियम बनायें, तभी भ्रष्टाचार दूर हो सकता है। बेलदार और मेट फर्जी मस्टर रोल भरते हैं। वह इसलिये करता है कि वह देखता है कि उसका भविष्य तो कुछ है नहीं, दूसरे बेलदार ओवरसियर को, ओवरसियर इंजीनियर को हिस्सा देता है, इसलिये किसी को कोई ऐतराज नहीं होता। इसको भी सावधानी से देखने की जरूरत है।

जहां तक इस विभाग के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात है, वह बहुत अच्छी है। एक चीफ इंजीनियर है, ३ डिप्टी चीफ इंजीनियर हैं, उसके बाद एस० ई० है। प्राक्कलन समिति ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें यह कहा गया था कि एस०ई० की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन मेरा विचार है कि प्रशासन के काम की वजह से एस० ई० की बहुत आवश्यकता है। प्रेक्टिकल वर्क में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो आदमी करप्शन करता है तथा जिसकी देखरेख में वह हुआ है, उन उच्चाधिकारियों को भी दंडित करना चाहिये। हमारे मिर्जापुर में एक ब्लाक बन रहा है। मिर्जापुर से १५० मील दूर है। वहां पर जो छत पड़ रही है उसको देखने के लिये असिस्टेंट इंजीनियर नहीं जाता। जबकि नियमों के अनुसार उसको जाना चाहिये। केवल ओवरसियर ही उसकी देखभाल करता है। वह इसलिये नहीं जाता है कि वह ठेकेदार से मिला हुआ है। ठेकेदार द्वारा सीमेंट व दूसरा मेटीरियल बराबर बेचा जाता है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि कंसट्रक्शन के काम की जिम्मेदारी खाली ओवरसियर की न रखी जाय, असिस्टेंट इंजीनियर, एक्जी० इंजीनियर और एस० ई०, सबकी जिम्मेदारी रखी जानी चाहिये। प्रकाशन का जिम्मेदार चूंकि एस० ई० है, इसलिये उस तक सब व्यक्तियों को इसका जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिये। तभी जाकर करप्शन को दूर किया जा सकता है। और इस करेप्शन के लिये सभी मंत्री कहते हैं कि यहां ऐन्टी-करेप्शन कमेटी है। एक ट्रेस हाउस है माननीय मंत्री जी जब भाषण दे रहे थे तो उनको बताना चाहिये था कि उस ट्रेस हाउस के जरिये कितने अधिकारी सस्पेंड हुये, कितने डिसमिस हुये, लेकिन इसकी उन्होंने सूचना नहीं दी। मैं चाहता हूं कि जब वह उत्तर देने लगें तो ऐंटी-करप्शन कमेटी के कर्तव्यों के बारे में हमें बतायें। अगर किसी अधिकारी की शिकायत होती है तो वह ऐंटी करप्शन कमेटी में डाल दी जाती है। एक डिप्टी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं जो इसके चेयरमैन का काम करता है लेकिन उसके अधीनस्थ कर्मचारी लगभग वह होते हैं जो शिकायतों की वजह से इसमें डाल दिये जाते हैं। मैं चाहता हूं कि यह हाई पावर कमेटी बनाई जाय और जुडिशियल पद्धति से यह काम करे तभी यह कुछ काम कर सकेगी। यदि आपने इसमें उन विभागीय कर्मचारियों को रखा जिनको शिकायत की वजह से इसमें डाला गया है तो वह करप्शन दूर नहीं कर सकते। इसलिये मेरा सुझाव है कि आप ऐंटी-करप्शन कमेटी का ठीक से गठन करें।

इसके अलावा में इस विभाग की कई और बातों को सदन के सामने रखना चाहता हूं। हमारे जो पहले इस विभाग के मंत्री थे, श्री जगन प्रसाद रावत और चौधरी गिरधारी लाल जी और आपने भी क्रोकोडाइल टियर्स बहाये वर्कचार्ज कर्मचारियों के बारे में। भूतपूर्व सार्वजनिक निर्माण मंत्री, माननीय मंगल देव ने, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उन्होंने वर्कचार्ज के लोगों को जो तीन साल तक रह चुके हैं रेगुलर करने के लिये कहा था लेकिन हमारा विभाग सो रहा है। आज उन कर्मचारियों का जीवन खतरे में है, उनके बच्चों का जीवन खतरे में है। जैसा कि मैंने कहा, यदि इन वर्कचार्ज कर्मचारियों ने अपने ओवरसियर, असिस्टेंट इंजीनियर आदि के निजी कामों को नहीं किया तो वह निकाल दिये जाते हैं। तो मैं चाहता हूं जैसा कि वायदा किया गया है, इन कर्मचारियों को रेगुलर किया जा रहा है तो गरीबों के प्रति जो भावना है मंत्री जी की उससे मैं आशा रखता हूं कि वह यह तय कर लें तीन साल या पांच साल जिन कर्मचारियों को हो गये हैं उनको रेगुलर कर दें, परमानेन्ट चाहे बाद में करें, लेकिन इन गरीबों का भविष्य निश्चित हो जाय।

इसके अलावा नेशनल हाई वेज में जो लोग हैं काम कर रहे हैं, जब आपने एक आधार मान लिया है कि मेन्टिनेन्स में जो कर्मचारी रखे गये हैं उनको हम स्थायी करेंगे तो इन १२०० लोगों ने क्या अपराध किया है। लोक सभा में एक प्रश्न हुआ कि राष्ट्रीय मार्गों मे विभिन्न प्रदेशों में जो कर्मचारी लगे हुये हैं सरकार उनको रेगुलर क्यों नहीं करती। तो वहां से सीधा उत्तर यह मिला कि यह जिम्मेदारी प्रदेशीय सरकारों की है, ये उन्हीं के कर्मचारी हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि अगर सरकार ने दूसरा कोई फार्मूला बनाया है कि मेन्टिनेंस के लोगों को रेगुलर किया जायगा तो नेशनल हाई वेज में जो कर्मचारी लगे हुये हैं उनको भी वह रेगुलर करें।

इसके अलावा १९५९ में ही सार्वजनिक निर्माण विभाग को सरकार ने उद्योग विभाग की परिभाषा में ले लिया था। अगर उद्योग विभाग की कैटेगरी में इस विभाग को ले लिया गया है तो वह सारी सुविधायें इन कर्मचारियों को देनी पड़ेंगी जो उद्योगों मे लगे हुये लोगों को देते हैं। पी० आर० सी० ने कहा कि समान काम के लिये समान वेतन। लेकिन क्या आज ऐसा आपके विभाग मे है? नहीं है। आपके जो विभिन्न परिभाग हैं उनमें भिन्न-भिन्न संस्थायें हैं। जो वेतन-क्रम है वह भी नियमित ढंग से पी० आर० सी० द्वारा तय नहीं हो सका। श्री जे० डी० शुक्ला के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी थी। उसने यह रिपोर्ट दी थी कि जो मेंटीनेंस में लगे हुये उन कर्मचारियों को काफी संख्या में स्थायी किया जाय जिससे उनकी काम करने की क्षमता बढ़ सके।

चौथी पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसमें आमूल परिवर्तन करने की जरूरत है। जो ५० करोड़ रुपये का बजट रखा गया है उससे काम नहीं चलने का। १९० करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। २७ करोड़ रुपये का जो बजट निर्धारित किया गया है उसमें केवल ५ करोड़ रुपया पी० डब्ल्यू डी० के लिये रखा गया है, इससे काम नहीं चलेगा। पिछले २२ वर्षों से इस विभाग के साथ न्याय नहीं किया गया है और इस विभाग को कम रुपया दिया गया है। इसलिये माननीय मंत्री जी इस विभाग के लिये अधिक से अधिक रुपया खींचने का प्रयास करें। इसके अलावा मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जब तक आप चौथी पंचवर्षीय योजना में और रुपया नहीं प्राप्त करेंगे और १७७४ मील रोड को पूरा नहीं करेंगे, तो आगे का विकास अवरुद्ध हो जायगा।

इसके अलावा मैं एक बहुत बड़ी बुनियादी बातों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय मंगलदेव विशारद जब मंत्री थे तो उन्होंने अपने बजट भाषण में केवल दो बातें कहीं थीं। एक तो उन्होंने कहा था कि यह सरकार सोच विचार कर रही है कि वर्क चार्जमैन

[श्री रामप्यारे]

की समस्या हल हो सके और दूसरी बात उन्होंने यह कही थी कि जो तमाम कांस्ट्रक्शन हैं, चाहे बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन हो, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन हो उसके लिये जब किसान की जमीन एक्वायर की जाय तो उसका मुआवजा हम अवश्य दे दें। लेकिन मैं आपको बतला दूं कि इसके लिये सरकार ने एक लैंड एक्वीजीशन आफिसर भी लगा रखा है। मेरे ख्याल से वह पद बिलकुल बेकार है। जब जिले का कलेक्टर अपने माध्यम से जमीन को एक्वायर करता है तो ऐसे अधिकारी की कोई जरूरत नहीं थी। अगर ऐसे अधिकारी की जरूरत थी तो मुझे बतलाया जाय कि पिछले ८–१० वर्ष में ऐसे मामले में जिनको मुआवजा मिल जाना चाहिये था उनको अभी तक क्यों नहीं मिल सका। उनको मुआवजा नहीं दिया गया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा जमीन पी० डब्ल्यू० डी० को ट्रांसफर कर दिया गया। इस तरह से पिपरी सिंगरौली रोड मिर्जापुर के लिये जो जमीन ली गयी उसका कोई मुआवजा नहीं दिया गया। और वह जमीन पी० डब्ल्यू० डी० को हस्तान्तरित कर दी गयी। जब इस प्रकार से विभाग अन्याय करता है तो भविष्य में उसे जमीन प्राप्त करने में कठिनाई होगी।

जब जरूरत पड़ेगी तो सरकार को रोड के लिये जमीन नहीं मिल सकेगी। इसलिए सरकार को चाहिये कि जब वह किसी की जमीन ले, या किसी का मकान पड़ जाय तो इसके लिये वह बाजार भाव पर मुआविजा दे दे। लेकिन आज भी मुआवजा देने के लिये वही १८६० का मुआवजा ऐक्ट है। मैं चाहता हूं कि जब आप इस पर विचार करें तो इस पर भी विचार करें कि बाजार भाव से मुआवजा देने का प्राविधान किया जाय। मुआविजा देने का जहां तक प्रश्न है, यदि कोई लड़ाई लड़ जाता है और लखनऊ तक पहुंच जाता है तो उसे आप बाजार भाव से मुआविजा दे देते हैं जैसे मेरठ के गाजियाबाद वालों को बाजार भाव से मुआविजा दे दिया लेकिन रिहान्द डैम के सिलसिले में जो ४५ हजार लोग उजाड़ डाले गये उनको मिट्टी के भाव मुआवजा मिला वे आदिवासी हैं, हरिजन हैं और पिछड़े लोग हैं। अगर उस क्षेत्र की जनता जागरूक होती तो वह भी बाजार भाव से मुआवजा ले लेती। फैक्टरी के लिये बिड़ला को ५ हजार एकड़ के हिसाब से जमीन देने की बात कही जाती है। आपको क्या एतराज है अगर गरीबों को मारकेट वैल्यू पर मुआविजा मिले। मैं समझता हूं कि इसमें आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिये। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जब मुआवजा देने की बात करें तो मारकेट रेट पर दिलाने की बात पर ध्यान दें।

इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा, यह हमारे पिछड़े प्रदेश में काफी जरूरत है संचार साधनों की। मैं आपका ध्यान मिर्जापुर की ओर दिलाना चाहता हूं। वह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। कहा जाता है कि आपके यहां काफी परसेंटेज रोड पूरा हो गया लेकिन जब आप रोड का जिला वाइज प्रोग्राम बनाते हैं तो वहां तहसीलों का और ब्लाक का भी ख्याल करना पड़ेगा। जिले का प्रोपोजल होता क्या है कि अपने क्षेत्र में एक कंसेंट्रेशन हो जाता है रोड का लेकिन मिर्जापुर में हो सकता है आपने पूर्वी हिस्सों में कुछ कर दिया हो, लेकिन दक्षिणी हिस्सा जो दुद्धी–राबर्ट्सगंज कहा जाता है वहां नहीं किया। एक आपकी लापरवाही का उदाहरण और भी है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आपने एक सड़क चोपन–कोल–कोटी ली थी लेकिन आपने वह पूरी क्यों नहीं की? केवल इसलिये कि वहां के लोगों ने आवाज नहीं उठायी। एक दफा तो बहाना किया गया कि जमींदारी का झगड़ा है, हाई कोर्ट ने रोक दिया, लेकिन फिर जब वह समाप्त हो गया तो फिर क्यों नहीं बनवाई? इस साल के बजट साहित्य में वह रोड है ही नहीं, पिछले साल थी। मेरी समझ में नहीं आता कि यह सरकार की और विभाग की नीति क्या है, कि "आगे दौड़ पीछे चौड़।"

वह क्षेत्र जो सूखा से प्रभावित होता है उसमें आये दिन मंत्री जी रुपया लगाकर अपनी ट्रकों से पानी देते हैं, वहां रोड का एक दम अभाव है। मुझे खुशी है कि कुछ सूखा सहायता के फंड से आप कुछ रोड बनाने जा रहे हैं, लेकिन वह कैसे बने भी? मैं चाहता हूं कि आप वहां के

प्रतिनिधियों की सलाह लें। जिन रास्तों पर आपने ट्रकों से पानी पहुंचाया है उन रास्तों को लिया जाय। जैसे कि कोटा–कोल गुजरोल इस पंचवर्षीय योजना में ली है और उसको पूरा करें। पिपरी से रनहोर को पूरा करें। अभी पिपरी से सिरसोता तक है। मैं चाहता हूं कि जब योजनायें बनाने लगें तो वहां के प्रतिनिधियों से सलाह लें।

आपकी सब जिलों में पी० डब्लू० डी० की परामर्शदात्री समिति है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन दो तीन सालों में कितने जिलों की समितियों की कितनी बैठकें हुई और उन्होंने कौन-कौन सुझाव दिये और आपने किन-किन चीजों का पालन किया। बड़े गर्व के साथ जब हमारे पंचायत मंत्री खड़े होंगे तो कहेंगे कि हम डिसेंट्रलाइजेशन आफ पावर चाहते हैं, योजना नीचे से आवे, ग्राम पंचायत और ब्लाक स्तर पर। लेकिन मान्यवर, कागज पर आदेश हैं केवल। समितियों की मीटिंग ही नहीं होती और न जनमत की भावनाओं का कोई आदर किया जाता है। विभाग के कर्मचारी जिस रोड को चाहते हैं मंजूर कर लेते हैं, जिला परामर्शदात्री समिति के सुझावों का कोई मूल्य नहीं है और न जनप्रतिनिधियों की सलाह का है। मैं मंत्री जी से अपील करता हूं कि जो परामर्शदात्री समितियां आपने बना रखी हैं उनको पुनर्जीवित कीजिये। यही नहीं कि उनसे आपको जिले की योजनाओं और तहसील की योगनाओं का पता चलेगा बल्कि जो जिले में करप्शन होगा तो वह एक कंट्रोलिंग बाडी होगी। अगर ओवरसीयर, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जिक्यूटिव इंजीनियर भ्रष्टाचार करें और अगर उसका दायरा न हो तो नया प्राविधान करें कि यदि कोई ऐसी चीज परामर्शदात्री समिति में आती है तो उसमें पूरा डिस्कशन हो जाय और आवश्यक हो तो पूरी संस्तुति शासन के पास भेजी जाय चाहे वह किसी भी कर्मचारी के खिलाफ हो आपके माध्यम से मैं कहूंगा कि अगर करप्शन को हटाना है तो यह भी सुझाव है कि जो समितियां बनी हुई हैं वह किसी पोलिटिकल बेसिस पर नहीं हैं। आप अगर आवश्यक समझें पालिटिक्स के हिसाब से तो आप दो चार को नामिनेट भी कर लीजिये, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन वह समिति बहुत आवश्यक है और मेरा ऐसा ख्याल है कि कुछ दिनों पहले उसके अनुसार काम चला था। लेकिन इधर वह मुरदार हो गया है। मैं मांग करता हूं माननीय मंत्री जी से वह इस ओर ध्यान दें।

एक १६ मील की सड़क हमारे यहां के लिये मंजूर हुई थी, लेकिन संविद सरकार आई और उसने स्वीकार नहीं किया। यह सड़क वन विभाग की जमीन से हो कर जाती थी। यह मामला चल ही रहा था कि यहां से चौधरी चरण सिंह का पत्र चला गया कि यदि काम शुरू न हुआ हो तो इसको सरेन्डर कर दिया जाय। तो वह रोड न बन सकी। बड़ी इम्पारटेन्ट सड़क थी। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि वह इसको बनवाने की कृपा करें। मैं नहीं जानता हूं कि जो रुपया रोड्स के लिये अलाट किया गया है उसका बटवारा किस प्रकार से किया गया है। किसी जिले को तो १५ किलोमीटर लम्बी सड़क दे दी गई है और किसी को कुछ भी नहीं दिया गया है। यह कहां का न्याय है? आप बलिया के लोगों को और गोरखपुर के लोगों को किस प्रकार से संतोष दिलायेंगे। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगले बजट में और अगर हो सके तो इसी बजट में इसको करें।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक सड़क दुद्धी क्षेत्र में बननी थी, लेकिन वह छूट गई इसलिये कि धन नहीं था। जब ऐसे इलाकों के लिये सरकार के पास धन नहीं है तो वे और पिछड़े रह जायेंगे। होता क्या है कि जो प्रभावशाली हैं वे अपने यहां के लिये करवा लेते हैं। तो मैं सावधान कर देना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को कि यदि आपने रोड के अन्तर्गत जो योजना लिखी है उसमें भेदभाव किया तो पुनः आपके सामने संकट पैदा हो जायेगा

[श्री राम प्यारे]

और आप पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता को समझा नहीं सकेंगे। एक कारखाना उस नगर में जहां कमलापति जी रहते हैं बनारस में लगने वाला था। ट्रैक्टर का कारखाना था, लेकिन वह वहां लग नहीं पाया। वह हरियाना चला गया। इसलिये वहां चला गया क्योंकि पश्चिमी जिलों से नजदीक था। बनारस में इसलिये नहीं लग पाया क्योंकि बनारस पूर्वी जिलों से मिला हुआ है जहां गरीबी है और बेकारी है, वहां की हालत खराब है, इसलिये वहां नहीं लग पाया। माननीय मंत्री जी कैबिनेट के सीनियर मंत्री हैं।

हमने गला फाड़ फाड़ कर पब्लिक से कहा कि उर्वरक का कारखाना आ रहा है लेकिन वह नहीं आ रहा है। क्या करना है सरकार को अपनी बुनियादी नीतियों में परिवर्तन करना होगा। उन इलाकों के लोगों को समझाना होगा और इन आंकड़ों से नहीं समझाना होगा, सही आंकड़ों से समझाना होगा। हमारे पूर्वी जिलों के लोग, पहाड़ी जिलों के लोग और बुन्देलखंड के लोग मानने वाले नहीं है अगर उनको सही आंकड़ों से नहीं समझाया जायगा। प्राथमिकता के लिये यह दिया गया है कि रोड वहां बननी चाहिये जहां कोई औद्योगिक संभावना हो, खनिज पदार्थ हो। श्रीमन्, आज मिर्जापुर जिला खनिज पदार्थों से भरा पड़ा है लेकिन वहां प्राइवेट सेक्टर अट्रैक्ट नहीं होता है। वहां लाइम मिलता है, इटैलियन किस्म का संगमरमर मिलता है लेकिन प्राइवेट सेक्टर को जो सहयोग चाहिये वह नहीं मिलता इस कारण वह अट्रैक्ट नहीं होता है। वहां आने जाने की सुविधा नहीं है इस कारण बाक्साइड का भंडार होते हुये भी वह वहां इस्तेमाल नहीं हो पाता। इसके लिये यह जरूरी है कि विभिन्न कमेटियों ने जो समय-समय पर सुझाव दिये हैं उनको पूरा करें। आपके विभाग से माननीय मंत्री जी सम्बन्धित नहीं है लेकिन संकेत के रूप में कह देना चाहता हूं कि वहां जो प्राकृतिक भंडार भरा है उसको इक्सप्लाइट किया जाना चाहिये ताकि वहां के लोगों का स्तर ठीक हो सके।

अभी क्या हुआ आपने देखा तेलंगाना में? मेघालय बन गया। अभी सदन में चर्चा हुई थी कि पहाड़ी ८ जिले अलग होना चाहते हैं। तो मैं सरकार को आपके माध्यम से मान्यवर, आगाह करना चाहता हूं कि आज इन जिलों को दुखी नहीं करना चाहिये। इस प्रदेश का हिन्दुस्तान में बड़ा महत्व है। यहां इम्बैलेन्सेज प्राकृतिक नहीं है बल्कि आफिशियल इम्बैलेन्सेज क्रियेट किये गये हैं और इनको दूर करना जरूरी है। मान्यवर, मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इस वर्ष मिर्जापुर का भाग जागा है जो पुल बनने जा रहा है। लेकिन जब तक उसका निर्माण न हो जाय हम लोगों को संतोष नहीं होगा। इस पुल के बन जाने से दुद्धी से बिहार का तक का रास्ता साफ हो जायगा अगर कनहर और सरना दो नदियों पर भी पुल बन जांय। अगर इन पर पुल बन जायगा तो मिर्जापुर का सम्बन्ध कलकत्ता और बम्बई से सीधा हो जायगा और यहां की बेरोजगारी दूर होगी। मैं माननीय मंत्री जी से अपील करता हूं कि इस योजना में ही इन पुलों को बनवा दें। अगर सड़क बन गई और पुल न बना तो उसकी भी उपयोगिता नहीं रहेगी। प्राथमिकता के लिये जो चीजें सरकार ने तय की है वह सब इसमें पूरी होती है। वह रास्ता औद्योगिक संस्थान पिपरी तक जाता है।

मान्यवर, ग्रामीण सड़कों की समस्या भी गम्भीर है। मान्यवर, बहुत से गांव बरसात में दुनिया से कट जाते हैं। मुख्य मुख्य बाजारों से कट जाते हैं। एक सिन्हा कमेटी बनी थी। उसने सिफारिश की थी कि २५ प्रतिशत गांवों में सड़क बननी चाहिये और कुछ संस्थान टैक्स ले सकते हैं लेकिन वह टैक्स के रूप में न लेकर इन डाइरेक्ट धन लेने की व्यवस्था की जानी चाहिये। यदि आप अपने प्रदेश के गांवों को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो आपको गांवों की कृषि मंडियों को लिंक रोड से जोड़ना होगा। मान्यवर, आप अनुमान कीजिये कि हमारे यहां नमक किस भाव बिकता है जो कि जीवन के लिये बहुत ही जरूरी चीज है। मान्यवर, हमारे मित्र बतायेंगे कि सड़क के अभाव में हमारे यहां नमक ।। रु० किलो के भाव बिक जाता है। जहां सड़क नहीं हैं, श्रीमन्, वह लोग अपनी उपज को बाजार आते आते, मिट्टी के भाव पर बेचने

के लिये मजबूर हो जाते हैं। यही नहीं मान्यवर, कैश क्राप, पहाड़ से लीसा, अप्रोच रोड न होने की वजह से बाजार तक नहीं आ सकता। शायद मंत्रीजी मेरी बात से एग्री करते हैं। इसलिये ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के लिये मान्यवर आपको ग्रामीण सड़क की योजना में सम्मिलित करना चाहिये। यह बहुत खुशी की बात है कि बरेली से अमीन गांव तक सड़क बनाई जा रही है, और यह ठीक है। सरकार को चाहिये कि इस सड़क को जल्दी से जल्दी बनावे। लेकिन श्रीमन्, मुझे इससे संतुष्टि नहीं है मुझे संतुष्टि तब होगी जब गांवों को आप नेशनल हाईवेज से जोड़ दें, तभी गांवों का विकास हो सकता है। इस योजना की तरफ भी सरकार ध्यान दे।

दूसरी चीज में बाढ़ नियन्त्रण के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं, जैसा कि मेरे एक मित्र ने ध्यान दिलाया है। यह बहुत जरूरी चीज है। हमारे पूर्वी जिलों में महत्वपूर्ण नदियां जैसे घाघरा, राप्ती बहती हैं। मान्यवर, जब इन नदियों में बाढ़ आती है तो सारा का सारा इलाका नदियों की बाढ़ से बह जाता है किसानों की आर्थिक स्थिति तबाह हो जाती है। जब हमने सहायता मांगी तो प्रदेश सरकार ने क्या सहायता की? आपके माध्यम से मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने क्या सहायता की? लेकिन जब मद्रास ने रुपया मांगा तो केन्द्रीय सरकार ने २४ करोड़ रुपया दे दिया, जब हमारी सरकार ने मांगा तो क्या मिला। श्रीमन्! मिला केवल २ करोड़ रुपया। क्यों ऐसा हुआ? इसलिये हुआ श्रीमन् क्योंकि डी० एम० के० पार्टी के २५ लोग वहां बैठे हैं तो इन्दिरा जी की जय के नारे लगाते हैं। इसीलिये श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बाढ़ नियन्त्रण के लिये पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये दिलाना चाहता हूं। वहां सरकार को इसके लिये कुछ न कुछ ध्यान देना पड़ेगा। जैसा कि रिपोर्ट में है श्रीमन् बाढ़ नियन्त्रण का काम काफी संतोषप्रद नहीं है, कुछ प्रतिशत ही आपने कन्ट्रोल किया है, लेकिन जब प्रकृति नाराज होती है और उसके जो भयावह परिणाम होते हैं, तो उसको रोकने की क्षमता आप में नहीं है आप उसको बचा नहीं सकते हैं। हम लोगों की स्थिति बिगड़ जाती है और जब हम सहायता मांगते हैं तो आप नाम मात्र को सहायता देते हैं। किसी को आप ५ रुपये देते हैं और किसी को १० रु०। यह कोई सहायता नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बाढ़ सम्बन्धी काम पर आप अलग से ध्यान दें।

जैसा कहा गया कि ऐसी कोई कमेटी गठित की गई है जो ठेकेदारी प्रथा को दूर करने के उपाय को बतायेगी, यह स्वागत की बात है। जो चीज अच्छी है उसका स्वागत मैं करता हूं। लेकिन आपका यह काम सीमित है। मैं चाहता हूं कि ऐसे ४-५ संगठन विभागीय स्तर पर आप बनावें जो और बातों को भी देखें। हमारे ठेकेदार लाखों रुपया इस तरह कमाते हैं और अधिकारीगण भी कमाते हैं। जैसा कि आपने बिल्डिंग के लिये काम किया है वैसा आप रोड के लिये भी बनावें। आपको चाहिये कि धीरे-धीरे आप ऐसा प्रबन्ध करें जिससे चौथी योजना के बाद आपके यहां कोई ठेकेदारी प्रथा न रहे। आप जानते हैं कि यह मुश्किल काम है, क्योंकि उनसे वोट लेना है और रुपया भी, लेकिन श्रीमन्, यह सारे सदन की राय है कि इसको दूर होना चाहिये। जैसा मैंने कहा कि मैं हर अच्छी चीज का स्वागत करता हूं, मान्यवर, संविद सरकार के मंत्री ने कहा था कि वह ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर देंगे। यह अच्छी चीज थी। लेकिन, श्रीमन्, उस क्षेत्र में अभी कोई अधिक प्रयास नहीं हुआ है। केवल दो-तीन विभागीय संगठन बनाने से काम चलने वाला नहीं है। विभागीय संगठन में भी आपको देखना होगा कि आपके अधिकारी किस तरह काम कर रहे हैं, कहीं निजी स्वार्थ में तो काम नहीं करते हैं जैसे मस्टर-रौल में ओवरसियर करता है। तो इसको व्यापक बनावें।

पुलों के बारे में पूछना चाहता हूं क्या पुलों की आवश्यकता पहाड़ में दो ही जिलों को थी? क्या टेहरी, गढ़वाल, देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली में नहीं है? आपने सारा का सारा दो जिलों

[श्री रामप्यारे]

में किया है। ऐसा नहीं करना चाहिये। पहाड़ के कोई माननीय मित्र जब बोलेंगे तो वह अपनी बात कहेंगे लेकिन चूंकि मैंने कटमोशन मूव किया है इसलिये मेरा उत्तरदायित्व है कि सारे प्रदेश की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाऊं। आप समझते होंगे, नारायणदत्त तिवारी जी, कि हम यह काम करके पार्टी को मजबूत करते हैं। ऐसा नहीं हो रहा है। उनके विरुद्ध सारे पहाड़ में एक आन्दोशन छिड़ने की बात हो रही है। बजट में लिखा है कि जो पर्वतीय परिषद् है उसकी संस्तुति पर यह काम हो रहा है। क्या उनका यह कहना है कि दो ही जिलों में पुल बनाए जायं और छः जिलों में न बनाये जायं? ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा है तो आप कृपया उत्तर में बतायें कि कहां यह पास हुआ। श्रीमन्, गढ़वाल जिले के बारे में चौथी प्लान में क्या लिखा है? उसमें लिखा है—"लेकिन गढ़वाल संचार साधनों की दृष्टि से प्रदेश के समस्त ५३-५४ जिलों में एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो जब आप नयी योजना बनाएं या सड़कों की योजना में परिवर्तन करें तो गढ़वाल जैसे पिछड़े क्षेत्र का जरूर ख्याल रखें।"

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी केवल यही नहीं है कि औद्योगिक दृष्टिकोण से या केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सड़कों को ही बनावें बल्कि उसका और भी उत्तरदायित्व है। मान्यवर, हमारा प्रदेश सीमा से लगा हुआ है। तिब्बत को जब से चीन ने अपने हाथ में लिया है तब से कितनी सड़क बना ली है। लेकिन आपने क्या किया? भगवान न करे हिन्दुस्तान में कोई संकटकालीन स्थिति आवे। अगर आ जाती है तो बचने के लिये आपने पहाड़ पर कौन सी सड़क बनायी है? आपने कुछ शुरू किया है लेकिन उसकी अहमियत को आपने नहीं समझा है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जो रोड आवश्यक है उन पर अलग से योजना बनावें और केन्द्रीय सरकार से उसके लिये धन की मांग करें। सुरक्षा की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है और इन्दिरा जी की प्रदेश पर बड़ी कृपा है। पिछले दिनों उन्होंने सारे प्रदेश में ३४-३५ जिलों में दौरा भी किया। लेकिन दुख है कि यह सरकार, जो उनके आशीर्वाद से बनी है, अपने हक को नहीं मांगती, जनता के हक को नहीं मांगती। हो सकता है कि बी० के० डी० डरती हो कि कहीं पर यह न कह दे कि अलग हो जाओ। चरण सिंह जी डरते होंगे त्रिपाठी जी से कि कहीं अलग न हो जायं।

जैसा कि हमारे माननीय सदस्य उदितनारायण जी शर्मा ने कहा। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं। वह बहुत अच्छे वकील हैं। आज उनकी तारीफ सारे प्रदेश में हो रही है। उन्होंने जो सिद्धांत का सवाल उठाकर यहां पर बात कही वह बहुत उचित बात है। जो सरकार बिना सिद्धांत के बनी हो, जिसका कोई उसूल न हो उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है। जो सरकार कुर्सी पाने के लिये बनी हो तो उससे ऐसी ही अपेक्षा की जा सकती है जो इस बजट में देखने को मिलता है। चौथी योजना का प्लान देखिये। क्या वह जनता को धोखा देने के लिये बनाया गया था? यदि नहीं तो जिस तरह से प्रारूप बना है उसके अनुसार बजट क्यों नहीं बनाया गया? बुन्देलखंड का चर्चा किया जाता है कि वह पिछड़ा इलाका है और वहां पर ५९.६० परसेन्ट ही सड़कें बनी हैं। तो क्या इसकी तरफ ध्यान करने की बात नहीं है? जिस तरह से चौथी योजना का प्रारूप बना है, जो हमारे सामने है या सदन के सामने है उसके अनुसार यह बजट तैयार करना चाहिए था इसमें जिस तरह से सड़कों का वितरण किया गया है वह तो पहले का है। इसके पहले गवर्नरी शासन था उसमें कुछ किया गया होगा। मैं यह नहीं कहता कि सारे अधिकारियों ने कोई पक्षपात से काम किया है लेकिन उनकी भी मजबूरी हो सकती है लेकिन यह सरकार तो पापुलर सरकार है तो वह क्यों उस प्रारूप के विरोध में काम करे और ऐसा बजट बनाये।

चारों तरफ इस सरकार ने इम्बैलेन्स क्रियेट कर दिया है। मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि आज जो पूरे प्रदेश की वस्तुस्थिति है, जो आर्थिक पिछड़ापन है क्या उसको मिटाना नहीं है? देश में हमारी इन योजनाओं के पहले सब से अधिक पर कैपिटा आमदनी थी लेकिन आज क्या हो गया। आज संचार के साधन बढ़ाये नहीं गये हैं। जहां पर कुछ बढ़े हैं वहां बढ़े

हैं। जहां पर रेल का साधन है वहां पर नहीं बढ़े हैं लेकिन पहाड़ों पर कौन से साधन हैं वहां तो बढ़ाना जरूरी था। जहां पर आवागमन के साधन हैं वहां पर आमदनी लोगों की बढ़ गई है। वहां पर रेल से या सड़क से आवागमन के साधन बढ़ गये हैं वहां पर लोगों का स्तर ऊंचा हो गया है। अच्छी सुविधा वहां पर हो गई है। बाजार भी हो गये हैं। सड़कें जहां पर बनी हैं वहां की हालत आप जाकर देखें। पूर्वी जिलों में जाकर देखें तो वहां पर सड़कों की हालत बहुत खराब है। पच्छिम में सड़कों की हालत इतनी खराब नहीं है। पूर्वी जिलों में सड़कों की हालत खराब होने के कारण एक्सीडेंट बहुत होते हैं। मैंने गुजरात को देखा है और राजस्थान को भी देखा है। वहां पर विभाग सड़कों को बहुत अच्छी तरह से मेन्टेन करता है। वहां पर इस तरह से संकेत लगाये गये हैं कि अगर भगवान ही चाहे तो तभी एक्सीडेन्ट हो सकता है क्योंकि जो सड़कों के कोने पर, ऊंचाई पर, या नीचाई पर संकेत लगाये गये हैं वह बहुत ही सही तरीके से लगाये गये हैं। मगर अपने प्रदेश में उस तरह से संकेत न होने से बड़े नुक्सानदेह परिणाम होते हैं। मंत्री जी विभाग को इस तरह की हिदायत दें कि जो सड़कें बनाई जायं उनमें सही तरीके से संकेत बनायें। इस बात की बहुत जरूरत है। इस बात की भी आवश्यकता है कि जहां पर पुल बनाये गये हैं वहां पर उसके किनारे पर थोड़ी ऊंचाई से दीवार बना दें। अगर वह साइड वाल बनी रहेगी तो बरसात में डर नहीं रहेगा। होता यह है कि बरसात में या वैसे ही मौसम में भी जो मोटर जाती हैं वह पुलों के नीचे गिर जाती हैं। इसलिये यह जरूरी है कि जहां आप एक तरफ कामों का विस्तार करें वहां विभाग का प्रयत्न और ध्यान इन कार्यों की क्वालिटी की तरफ भी जाना चाहिये।

कुछ आडिट रिपोर्ट के बारे में भी मैं कहूंगा। किस तरह से विभाग में अनियमिततायें होती हैं उसको देखने के लिये यह मेरे पास लेखा परीक्षा रिपोर्ट सन ६८ की है। नियम यह है कि एक सहायक इंजीनियर को २,००० रुपया व्यय करने का अधिकार है और ठेके से पहले एक एग्जिक्यूटिव इंजीनियर ५,००० रुपया व्यय कर सकता है। परन्तु आप इस रिपोर्ट के पृष्ठ ५९ पर देखें कि १.५८ करोड़ के करीब अधिकृत अदायगियां कर दी गई। क्या बात थी, क्यों यह अदायगियां कर दी गई? क्या ठेकेदारों से कोई उनकी दोस्ती थी २०-२२ साल से जो शिकायतें आडिट रिपोर्ट में आती हैं उन पर क्या ऐक्शन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ लिया जाता है। हम खुश होते अगर आज मंत्री जी सदन में कहते कि हम ने यह तय किया है कि जो शिकायतें आडिट रिपोर्ट में आयेंगी उनकी जांच की जायगी और ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायगी। यह भी देखा जायगा कि किस ने किन परिस्थितियों में सरकारी धन का अपव्यय किया है या दुरुपयोग किया है। सन् ६४ में ठेका देने की बात है, टेंडर की कार्यवाही नहीं हो सकी, सन् ६७ तक उन्होंने १५७.५२ लाख का पेमेन्ट कर दिया। मैं चाहता हूं कि विभाग और मन्त्री जी इन सारी चीजों को देखें और रोक लगायें।

इस के अलावा जहां आप पुल बनवाते हैं वहां आप के द्वारा विभिन्न विभागों के भवन, ब्लाकों के तहसील हेडक्वाटर्स के और थानों आदि के बनवाने की व्यवस्था होती है। दस हजार से अधिक के निर्माण-कार्य आप के यहां से होते हैं। भारत सरकार को बेचे गये ५६० क्वार्टरों के निर्माण को प्राक्कलनों की मंजूरी के पूर्व ही प्राधिकृत कर दिया गया। इसमें पृष्ठ ५४ पर लिखा है कि अन्य ४२६ क्वार्टरों को सौपने में १५ मास से ४१ मास तक की देरी हुई इनमें से ७८ क्वार्टरों को अभी तक भी यानी अक्तूबर, ६७ तक हस्तान्तरित नहीं किया गया, है जबकि उनको बनकर तैयार हुये ३५ मास से ४२ मास तक हो चुके हैं। इनमें से १२ क्वार्टरों में जिनकी लागत ५७,००० रुपये है बहुत अधिक दरारे पड़ गई हैं और वे रहने के लिये सुरक्षित नहीं हैं और इन क्वाटरों को १७,००० रुपये की अनुमानित लागत

[श्री रामप्यारे]

पर फिर से बनाया जा रहा है। तो यह क्वार्टर बने किन्हीं कर्मचारीगण के लिये और कब्जे से पहले हीं उनमें दरारे पड़ गई और उनको ठीक कराने के लिये फिर से १७ हजार रुपये की व्यवस्था करनी पड़ीं। इस सब को कौन देखेगा कि क्या हमारे विभागीय कर्मचारी और अधिकारी कर रहे हैं। देखने की जरूरत है, कि कौन ओवरसीयर या सहायक अभियंता इसका जिम्मेदार है और उसके वेतन से इस धन की रिकवरी होना चाहिये। आपने यह १७ हजार रुपये उनसे वसूल किये या नहीं ? यदि नहीं किये तो वह धन मंत्री जी की और उनके उच्च अधिकारियों के वेतन से वसूल होना चाहिये।

स्वतंत्रता के बाद हमारे यहां जनतन्त्र चल रहा है और जब इस तरह की शिकायतें किसी के खिलाफ आती हैं तो आप को बिना किसी हिचकिचाहिट के, बिना किसी राजनैतिक एप्रोच के सख्त एक्शन ऐसे लोगों के खिलाफ लेना चाहिये जिनकी लापरवाही या साजिश से सरकार का इस तरह का नुकसान होता है। जो ५–६ सौ ब्लाक बने हैं आज उन में तमाम पानी चू रहा है। ज्यादा क्या कहूं आप की नाक के नीचे ही दारुलशफा ए० ब्लाक में जो नये कमरे बने हैं उनमें आप जरा ठोक कर देखें तो धमधम बोलता है। मसाला निकलता मालूम होता है। इत्तिफाक से मुझे ऊपर वाला कमरा मिला है। जो माननीय सदस्य मेरे नीचे के मकान में दारुलशफा में रहते हैं, अकसर जब मेरी लैट्रीन और बाथरूप से पानी निकलता है और उनके कमरे में चूता है तो वे कहते है कि यह आप क्या कर रहे हैं तो मैं कह देता हूं कि मैं स्नान करता हूं और खाना आदि बनाता हूं। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में बतायें कि इस दारुलशफा का नक्शा बनाने और इस प्रकार का मैटीरियल लगाने के लिये कौन जिम्मेदार है और यह किस अधिकारी का दोष है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसका उत्तर दें कि उनके विरुद्ध जो इस प्रकार के निर्माण-कार्य के जिम्मेदार है, उचित कार्यवाही होगी। श्रीमन्, मेरे यहां पर बाहर से इंजीनियर आदि, रिहन्ड डाम से आते रहते हैं। वे अक्सर कहते हैं कि साहब आप हमारी शिकायत तो करते हैं सदन में लेकिन लखनऊ में जब यह क्वालिटी का हाल है तो और क्या हो।

आज जो सबसे बड़ा काम है वह है स्कूल के भवनों के बनाने का। इसको आप देखें कि इनकी लाइफ क्या होगी ? प्लानिंग विभाग के और इस विभाग द्वारा बनाये गये भवनों की जांच आप एक आयोग द्वारा करायें और देखें कि इन १८ वर्षों में कितने भवन बने और उनकी क्या-क्या क्वालिटी है। कहते हैं कि एक टैस्ट हाउस बना हुआ है। उस टैस्ट हाउस की तारीफ करते-करते हमारे जो भी मंत्री होते हैं नहीं अघाते हैं। मैं चाहूंगा कि वे इस टेस्ट हाउस द्वारा मंत्री जी जांच करायें कि दारुलशफा में कितना सीमेंट लगा है, किस प्रकार की ईटें लगी है, किस किस्म का गारा लगा है। इस प्रकार का भ्रष्टाचार तब तक दूर नहीं हो सकता है जब तक कि आप इंजीनियर को जिम्मेदारी नहीं देंगे कि जिसने यह भवन बनवाया है अगर इतने वर्ष के पहले ही गिरता है तो उसकी नौकरी समाप्त कर दी जायगी तब तक इस प्रकार का करप्शन चलता ही रहेगा और ये मकान जो बनेंगे कमजोर ही बनते रहेंगे। आज बहाना क्या होता है कि उस जमीन की बलुई मिट्टी थी, दूसरा ईट ऊपर से लाल थीं लेकिन बीच में बड़ी ही कमजोर थीं।

आपका इन्वैस्टीगेशन विभाग अभी खुला हुआ है। उसकी संख्या को ज्यादा बढ़ाइये और लखनऊ और सारे प्रदेश में जहां-जहां भी काम हो रहे हैं, चाहे वह स्कूल की बिल्डिंग हो चाहे सड़क के काम हों सबको बनाने के पहले उनके नमूने यहां रखें और जो यहां पर अधिकारी हों वे सडनली जाकर उन कामों को देखें कि ईटें ठीक प्रकार की लग रही है, सीमेंट कैसा लगा है १/४ प्रोपोर्शन में लगा या १/१० के प्रोपोर्शन में।

कुछ स्कूल, प्रचार घर बने और १० साल भी नहीं हुये उनमें से आधे से ज्यादा धराशायी हो गये और उनके नीचे बैठना भी मुश्किल हो गया है। जिस प्रकार से हमारे जिले में उसी प्रकार से बुन्देलखंड और पहाड़ी जिलों में भी हालत है। जो पहाड़ में पंचायत घर बने हैं, उनकी

उचित देखभाल होनी चाहिये और मैं चाहूंगा कि जो प्रोजेक्ट बने चाहे वे सुदूर इन्टीरियर में हों, उनके कन्स्ट्रक्शन के काम को एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स को समय-समय पर देखना चाहिये और उस कन्स्ट्रक्शन के काम की क्वालिटी को देखना चाहिये और यदि वे कहीं पर कोई गड़बड़ी करते हैं तो तुरन्त उस अधिकारी के विरुद्ध ऐक्शन लिया जाना चाहिये ।

आज हमारे प्रदेश में एक ऐसा वर्ग है जो हरिजन वर्ग कहलाता है और इनका परसैन्टेज नौकरियों में भरती के लिये सरकार द्वारा ४५ प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी में और २५ प्रतिशत क्लैरिकल में निश्चित किया गया है । हम उम्मीद करते हैं कि जो परसेन्टेज सार्वजनिक निर्माण विभाग में पूरा नहीं हुआ है वह आपके आते पूरा होगा, यह बड़ी खुशी की बात है । आप इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे । इस विभाग में शुरू से हरिजन मंत्री रहे हैं परन्तु फिर भी यह परसैन्टेज पूरा नहीं हो पाया है इस विभाग में । हो सकता है कि या तो वे मुख्य मंत्री से डरते होंगे या किसी अन्य से । आज जरूरत है न्याय करने की । जितने हमारे हक हैं उनको दिलाइये । पिछड़े लोगों को नौकरी में प्राथमिकता मिलनी चाहिये । मैं याद दिलाऊं कि ओवरसियर्स वगैरह के कुछ एडहाक अप्वाईन्टमेन्टस हुए । इसमें होता क्या है कि उनको कह दिया जाता है कि न्यूनतम योग्यता नहीं की है । पर उनको इन्टरव्यू में बुलाया क्यों जाता है । आप के रिजर्वेशन के क्या माने हैं, मैं पूंछना चाहता हूं । उत्तर साफ है । हमारे जो अधिकारी हैं वे गवर्नमेंट के आदेशों का पालन नहीं करते । हमारे मंत्री लोग जब अधिकारियों को बुलाते हैं तो उत्तर नहीं दे सकते ।

मैंने एक प्रश्न भी रक्खा था इस सम्बन्ध में कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में क्या रिजर्वेशन है । हाइडिल का ही उदाहरण बताऊं कि वहां ३७ हरिजन मैकेनिकल सुपरवाइजर्स की वान्ट निकली थी । ३७ में से एक भी नहीं लिया गया । कहा यह गया कि न्यूनतम योग्यता नहीं थी । तीन वर्षीय जो कोर्स होता है वह नहीं उन्होंने किया था । अगर तीन वर्षीय कोर्स वे गुड सैकेन्ड डिवीजन में कर लें तो आपका कौन सा आभार है । मेरी व्यक्तिगत रूप से अपील है कि प्रदेश में बीस साल तक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो अवसर मिला है उसको पूरी तरह निभाया नहीं गया है । इस प्रकार गरीब परिवारों का कल्याण होने वाला नहीं है । उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने वाला नहीं है । इन चन्द शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मैंने जो सुझाव दिये हैं करप्शन को रोकने के लिये उस पर ध्यान देंगे और जो वीकर सैक्शन है हमारे समाज में उसको उचित प्रतिनिधित्व मिले, उनको प्रतिनिधित्व देने का आप आश्वासन देंगे, यह कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री नरेन्द्र सिंह (जिला चमोली)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में और माननीय रामप्यारे जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । उपाध्यक्ष महोदय, रामप्यारे जी ने अपने लम्बे भाषण में, जिसे मैं अच्छी तरह से सुन नहीं पाया कुछ खास बातें कहीं हैं । उन्होंने अपने प्रदेश के पिछड़ेपन का इजहार किया है, सही है, हमारा प्रदेश आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है । उन्होंने आंकड़े देकर साबित किया कि सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण में आज उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों से पिछड़ गया है । लेकिन इसके लिये हमें रुपया चाहिये और लाखों, करोड़ों रुपया चाहिये । इसलिये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने कटौती के प्रश्न को प्रेस न करें, इस पर जोर न दें ।

माननीय राम प्यारे जी ने भ्रष्टाचार का उल्लेख किया है । इस विभाग का यह दुर्भाग्य ही रहा है कि इस पर सदा से ही भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि आज इस विभाग में भ्रष्टाचार उतना नहीं है जितना कि पहले था जब कि खुले आम इस सदन में उसको

[श्री नरेन्द्रसिंह]

"प्लन्डर विद-आउट डैन्जर" कहा जाता था। अगर थोड़ा सा भ्रष्टाचार है तो वह इस कारण से है कि इसके सिस्टम्स (प्रणालियों) में कुछ खराबी है। उदाहरण के लिये ठेकेदारी प्रथा इसका मूल कारण है। जिन लोगों के पास रोजी के कोई साधन नहीं होते, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत पूंजी लगा सकते हैं, वे लोग इस ठेकेदारी के काम को करते हैं। आपके जो बौन्डस होते हैं वे अंग्रेजी में होते हैं, ज्यादातर ठेकेदार लोग बिना पढ़े लिखे होते हैं, वे उसे बिना सोचे समझे कि उसमें क्या लिखा है उसको भर देते हैं। वे चूंकि अधिकांश वे पढ़े लिखे होते हैं इसलिये उनमें कट थ्रोट कम्पटीशन (गला घोट प्रति स्पर्धा) भी आपस में हुआ करता है।

जो इस्टीमेट्स होते हैं वे शुरू में बहुत कम के दिये जाते हैं। कम के इस्टीमेट्स पर रेट गिराकर वे टेन्डर देते है काम शुरू कर देते है और बाद को थोड़ा सा काम शुरू करके, ओवरसियर आदि से मिल कर रनिंग बिल ले लेते हैं, और उसको लेकर फिर चम्पत हो जाते है क्योंकि अगर वे आगे उस काम को करें तो उनको हजारों लाखों रुपये का घाटा हो जाय जो इस स्थिति में स्वाभाविक है। फिर यह ओवरसियर और इंजीनियर अन्य ठेकेदारों से शेष काम करवाते हैं, मौखिक उनको बता देते हैं तुमको इतना मिलेगा, वे बे पढ़े लिखे तो होते ही हैं, उनकी बातों में आकर काम शुरू कर देते हैं, किन्तु जब वे काम खत्म कर देते हैं तो उनको उतना पैसा नहीं मिलता जितना कि उनको देने के लिये कहा जाता है। फिर ये लोग कहते हैं कि भाई बांड में इतना भरा है, हम ज्यादा नहीं दे सकते। हमारे क्षेत्र के कई ठेकेदारों के परिवार इस प्रकार बरबाद हो गये। दो वर्ष पूर्व जब राज्यपाल महोदय हमारे यहां गये थे तो जिले के मुख्यालय गोपेश्वर में वहां के ठेकेदारों ने एक ज्ञापन भी उनको दिया था जिसमें कहा गया था कि चमोली जिले के ठेकेदारों का २२लाख रुपया शेष है जिसका भुगतान नहीं हुआ था। अभी एक माह पहले एक ठेकेदार ने, जब वह हर प्रकार से हार गया वैध तरीके से न्याय न पा सका और उसको भुगतान नहीं हुआ, आमरण अनशन शुरू किया, किन्तु बाद को जिलाधीश के इस आश्वासन पर कि उसका जो वाजिब पैसा है वह उसको दिलाया जायेगा, उसने अनशन समाप्त कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं रामप्यारे जी का आभारी हूं कि उन्होंने ग्रामीण अंचल की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। मैं भी जब बजट देखता हूं तो मुझे ग्रामीण क्षेत्रों के लिये बहुत कम या कुछ भी दिखायी नहीं देता। यहां लखनऊ में गोमती नदी पर तो ३–३, ४–४ पुल बने हैं और निरन्तर उनकी मरम्मत आदि पर तमाम रुपया खर्च होता रहता है, नये-नये पुल बनते रहते हैं, वह मैं देखता रहता हूं परन्तु हमारे क्षेत्र में जहां कि तमाम सारी खतरनाक नदियां हैं, उनके ऊपर बीसियों कीलोमीटर जाने पर भी पुल नहीं मिलेंगे जिसके कारण जनता को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हमारे यहां एक निगोल मती नदी है, इसके ऊपर पुल न होने से हर साल जन धन की काफी क्षति होती है और मैं बार-बार शासन से इस पर पुल निर्माण के लिये अनुरोध कर चुका हूं।

मान्यवर, जैसा कि रामप्यारे जी ने कहा, जो बजटेड पैसा है वह भी खर्च नहीं होता। श्री नगर-गढ़वाल में अलकनन्दा नदी पर एक पुल बनने के लिये ढाई लाख रुपया मंजूर हुआ था। बात १९६० की है, तब भी मैं इस आदरणीय सदन का सदस्य था, कई वर्ष बीत गये लेकिन आज

(इस समय २ बज कर ३७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राम चन्द्र विकल पीठासीन हुए।)

तक वह पुल नहीं बना है। केवल स्तम्भ खड़े हैं। यह पुल बन जाता तो टेहरी-गढ़वाल और पौड़ी-गढ़वाल आपस में मिल जाता। इससे यह होता कि वह स्थान, वह दृश्य रूमानिया से बडापेस्ट की तरह का बन जाता। सन् ६० से उस पुल के लिये ढाई लाख रुपया रखा गया है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हुआ, रुपया लैप्स हो गया। अधिष्ठाता महोदय, इस आदरणीय सदन में मेरे साथी शेर सिंह दानू जी ने आज प्रश्न काल में एक प्रश्न उठाया था कि सन् ६१ में अन्तरिम जिला परिषद् ने चमोली की प्राणमती नदी पर जिस पुल के निर्माण का काम शुरू किया था, उस पर निर्माण-कार्य कब से बंद है और उसका आज तक जो निर्माण नहीं हुआ, उसका क्या कारण है? मैंने

भी एक अनुपूरक प्रश्न पूंछा कि उसके निर्माण का काम अन्तरिम जिला परिषद् स सार्वजनिक निर्माण विभाग को कब हस्तान्तरित हुआ था। तो उसका मुझे उत्तर नहीं मिल पाया ? पंचायतराज मंत्री ने बताया कि इसकी सूचना नहीं है लेकिन हकीकत यह है कि जिस स्थान पर यह पुल बन रहा है उससे सात मील की दूरी पर उसके गार्डर्स और तमाम लोहे का सामान पड़ा हुआ है, लेकिन ७ मील की दूरी से वह सामान पुल के स्थान तक नहीं पहुंचा है और इसमें कई वर्ष का ८–९ वर्ष का समय लग गया है।

श्री शेर सिंह दानू जी ने मेल खेत के पुल का भी जिक्र किया है। इस पुल को ऐसे क्षेत्र के लिये बनाना था जिस के लिये अभी भी हिन्दुस्तान आजाद नहीं हुआ, वहां अब भी सभ्यता और संस्कृति का कोई निशान नहीं है। वहां अब भी ६–६, ८–८ महीने तक नदी के एक पार से दूसरे पार बिना पुल के कारण नहीं जाया जा सकता है। वहां अब भी लड़के स्कूलों में नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर एक भयंकर नदी है, जिसमें सैकड़ों जाने गई हैं। उसके २२ मील की दूरी पर तलवाड़ी में उसके गर्डर्स और फ्रैम पड़े हुये हैं, लेकिन वे अभी तक नहीं पहुंच सके हैं। इसमें मैं विभाग की लापरवाही कहूं या अपना दुर्भाग्य कहूं। यदि यहां पर पिलग्रिम रोड (यात्रा मार्ग) होता, जो यात्रियों की सुविधा के लिये बनाया गया था या यह स्थान सामरिक महत्व का समझा गया तो विभाग की ओर से ऐसा तर्क न पेश किया जाता, जो आज पेश किया जाता है।

मेरे एक दूसरे साथी माननीय शिवानन्द नौटियाल ने बार बार अपने प्रश्नों के द्वारा और भाषणों के द्वारा एक तथ्य की ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया था कि गठीछोड़ा जहां पर एक जल-विद्युत् परियोजना है, वहां इस परियोजना के लिये बड़ी कीमती मशीनें पहुंचती थीं, लेकिन कोई रोड नही थी। अत: कच्ची सड़क बनाई गई जो कि धंस गई और उसका नतीजा यह हुआ कि लाखों रुपये की कीमती सरकारी मशीन गिरकर पूरी तरह से क्षत विक्षत हो गई। यह है हमारे पर्वतीय इलाकों की दशा।

एक और बात की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं– सरकार द्वारा भूमिग्रहण प्रक्रिया जो अपनाई जाती है, वह जो दोषपूर्ण है उससे कृषकों का बड़ा अनहित होता है। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप किसानों की भूमि न लें। सरकार को सड़क भवन आदि बनाने हैं, वे हवा में तो बनेंगे नहीं उनके लिये भूमि चाहिये सो आपको आवश्यकता हो तो अवश्य लें, लेकिन उसके लिये जितनी भूमि ली जाय यानी जितनी भूमि आपको चाहिये उसकी सूचना विधिवत् रूप से आपको सम्बन्धित किसानों को दे देनी चहिये जिनकी भूमि लेने का आपका इरादा है। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। आप केवल गजट में प्रकाशित कर देते हैं और हमारे लोगों को ऐसे प्रकाशनों की जानकारी होती नहीं। होता यह है कि आप भूमि अधिग्रहण कर लेते हैं, कृषकों के खेत काट कर आप सड़क और भवन बना लेते हैं।

जब मुआवजा देने की बात आती है तो खटाई में पड़ जाता है सारा मामला। मुआविजा क्या देते हैं जैसे कि किसान भीख मांग रहा हो। मुआविजा उसको कहते हैं कि जिससे किसान जिसको उसकी भूमि से हटा दिया वह अपने को रिहैलिबिटेट (पुनर्वासन) कर सके। पर्वतीय क्षेत्र में जो कम्पेनसेशन की दर दी जा रही है वह अत्यन्त न्यून है, अन्यायपूर्ण है। उसको बढ़ाना दूसरी बात है जब कृषकों को अधिग्रहण की इत्तला नहीं होती और उनकी भूमि का अधिग्रहण चाहिये। हो जाता है कि आपकी सड़कें बनती जाती हैं, वह अपने मकानात भी बनाते जाते हैं, दूकानदारी या दूसरे व्यवसाय के लिये। जब कि भवन नहीं बनते डिपार्टमेंट खामोश रहता है, जब भवन बनकर तैयार हो जाता है, कृषक व्यापार करने लगता है तो उस पर मुकदमा दायर कर दिया जाता है। थराली के आस-पास बीसों किसानों पर मुकदमें चले हैं और ५०० रुपया जुर्माना हुआ और जब तक जुर्माना नहीं दिया, भवन नहीं गिराया तब तक पचास रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त जुर्माना देना पड़ेगा। यह भयंकर अन्याय है, बड़ी दोषपूर्ण कार्य प्रणाली है जिसे तत्काल समाप्त किया जाना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इस बजट के ऊपर यह कहना चाहता हूं कि इस बजट में पश्चिमी और पूर्वी प्रदेश में भेदभाव किया गया है । अभी मंत्री जी ने कहा कि मेरठ में सड़क की दूरी कम है । इस बजट में यह भी लिखा है कि जो ग्रामों में बनने वाली सड़क हैं उसकी लम्बाई मेरठ में २०० किलोमीटर है और देवरिया में २९ किलोमीटर है ।

श्री अधिष्ठाता—

दूसरे माइक से बोलिये । साफ आवाज नहीं आ रही है ।

श्री हरिवंश सहाय—

बजट में कहा गया है कि २० करोड़ रुपया यू० पी० फंड में २ सड़कों के बनाने के लिये है । मेरठ जिले में ८९ किलोमीटर जहां के माननीय मुख्य मंत्री जी हैं, अलीगढ़ में ४७ किलोमीटर जहां माननीय मुख्य मंत्री की श्रीमती जी हैं । बुलन्दशहर जहां के मंत्री जी हैं ४० किलोमीटर बन रही है । बिजनौर में जहां के स्वास्थ्य मंत्री हैं ५५ किलोमीटर । बरेली के एक मंत्री जी हैं, ५५ किलोमीटर । मुजफ्फरनगर में ३४ किलोमीटर, मुरादाबाद में ५५ किलोमीटर । और देवरिया जिले में १३ किलोमीटर बन रही है । देवरिया में १०० किलोमीटर सी सी ट्रक है । देवरिया में १४ चीनी मिले हैं । सी सी ट्रैक की सड़क इसलिये बनायी गयी थी कि बैलगाड़ियों में गन्ना मिलों तक जा सके । अब ट्रक से गन्ना गिराया जाता है । जिससे सी० सी० ट्रक बेकार हो गया है । २४० किलोमीटर कंकड़ सड़क है । मंत्री जी को मालूम होना चाहिये कि देवरिया जिला हर साल बाढ़ से पीड़ित रहता है । बाढ़ १९५६ में आयी, १९६४ में आयी । पिछले साल भी आयी थी जिससे वहां की कंकड़ सड़क बिलकुल बेकार हो गयी है । केवल १६० किलोमीटर पेंटेड सड़क है जिसको बाम्बे प्लान के हिसाब से ३० फीसदी सड़क ही है । और इसकी मरम्मत के लिये दूसरे प्रदेश में एक हिसाब रखा गया है १ हजार रुपया १ मील के लिये । देवरिया में बाढ़ आती है और सड़क खराब हो जाती है तो उसकी मरम्मत के लिये १ हजार रुपया है और पश्चिम में बाढ़ न आये और पेंटेड सड़क है तो उसकी मरम्मत के लिये भी एक हजार रूपया है जबकि पश्चिमी प्रदेश में पहाड़ों के नजदीक होने से कंकड़ पत्थर भी कम पैसे में उपलब्ध हो जाता है । पूर्वी जिलों में पारसाल बाढ़ आई थी और सार्वजनिक निर्माण विभाग ने पूर्वी जिलों के लिये स्पेशल फंड की मांग की थी । बहराइच के लिये ७०/८० लाख बस्ती के लिये ४०/५० लाख और देवरिया के लिये ३०/४० लाख रुपया लेकिन अभी तक उसकी सैंक्शन नहीं आई और न उनकी मरम्मत हुई है ।

हम लोग सार्वजनिक निर्माण विभाग के छोटे कर्मचारियों की यूनियन चलाते हैं । जब संविद की सरकार थी तो छोटे कर्मचारियों की सेवाओं को स्थायी करा दिया गया था और उनको गवर्नर शासन में इन्क्रीमेंट भी दिया गया था लेकिन अब यह सरकार उनकी छटनी कर रही है । छोटे कर्मचारियों से बेगार ली जाती है और १२, १२ घंटे उनसे काम लिया जाता है जब कि सेवा की कोई सुविधा नहीं है ।

यह सार्वजनिक निर्माण विभाग भ्रष्टाचार और स्कैंडल ही का आधार है । इस विभाग में जो अधिकारी जितना ही भ्रष्टाचारी होगा उसको उतनी ही बड़ी पदोन्नति मिलेगी । एक गोरखपुर के एक्जिक्यूटिव इंजीनियर हैं वर्मा साहब जो अब चीफ इंजीनियर हो गये और लाखों रुपये के गबन के लिये उनके खिलाफ जांच हो रही है । लाखों रुपया का स्टील व सरिया नानक सरन फर्म, कानपुर को अप्रैल, १९७० को बेचा गया । आयरन एंड स्टील कंट्रोलर, कानपुर से सामान बेचने

के लिये राय ली गयी और राय यह दी गयी कि सामान ठीक है उसे न बेचा जाय लेकिन अगर आप जांच करायेंगे तो मालूम होगा कि इसमें लाखों रुपया की गड़बड़ी है। देवरिया जिले में घाघरा पर पुल बनाने के लिये लाखों रुपये का स्टील था उसको बेच दिया गया और यह कह कर बेच दिया कि जब पुल बनेगा तो फिर खरीद लेंगे लेकिन जो स्टील ४० लाख रुपये कुइंटल दिया गया और बाजार में उसे १०० रुपये कुइंटल बेचा गया। हमारे जिले के तीन मंत्री हैं उन्हीं के माध्यम से परमिट कराकर ये चादरें ब्लैक में लाखों रुपये की बेच दी गई।

मैं यह निवेदन भी माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूं कि जब एक बार वह बुलन्दशहर गये थे तो वहां के जो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर कुमार साहब थे उनके बारे में उनका कहना था कि यह बेईमान हैं, बहुत कमीशन खाता है लेकिन पता नहीं किस कारण से आज भी उस जिले में मंत्री जी उसे रखे हुये हैं। इस विभाग में कर्मचारियों की सीनियारिटी का भी कोई हिसाब नहीं है, और उसके लिये कोई नियम अथवा कानून नहीं है। एक गोपनीय रिपोर्ट मंगा ली जाती है और जिसको चाहा जाता है उसे अच्छी एंट्री देकर पदोन्नति दी जाती है और जिसको नहीं चाहा जाता उसे बैड एंट्री दे दी जाती है। लेकिन उसको उसके लिये कोई नोटिस सफाई देने के लिये नहीं मिलता, न कोई मौका दिया जाता है जो उसे मिलना चाहिये।

मैं माननीय मंत्री जी का एक मुख्य बात की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि गोरखपुर से नैपाल के माध्यम से चीन को रोलर और तारकोल जाता है और देवरिया जिले में जो रोड्स बन रहे हैं यह सामान भी उसके माध्यम से जाता है। मान्यवर, मैं इसका सबूत भी पेश करना चाहता हूं। जो नेपाल में काठमान्डू—लासा रोड बनी है उस पर जो रोलर चालू हैं वह उत्तर प्रदेश के हैं। तारकोल भी उत्तर प्रदेश का है। इसके लिये आपके विभाग द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिये मैं आपको दूसरी बात बतलाना चाहता हूं कि बघौत-फादिलपुर रोड बहुत खराब है। बरसात के पानी से वह रोड खराब हो गई है। जहां से मैं आता हूं वह बिहार के किनारे से १८ मील पर है। देवरिया जिले के किनारे पर है। इस इलाके में एक एरिया है जिसको लोआखाली कहते हैं। छोटी गन्डक नदी के पास बसा है। इसकी ४० हजार की आबादी है। ५ महीने तक यह गांव घिरा रहता है। गांव के लोगों को गांव से बाहर जाने के लिये और गांव के बाहर से गांव के अन्दर जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है। अतः मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यहां पर भटनी में पुल बनाने की जो योजना चली आ रही है उस योजना को बनाने के लिये बजट में प्राविधान होना चाहिये था। एक और बात मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपके पास जो अन्तरप्रान्तीय सड़क बनाने की योजना उस इलाके में है और जो ६-७ ऐसी सड़कें हैं जो अन्तरप्रान्तीय सड़क बन सकती हैं जो कि देवरिया जिले में भी हैं....

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हुआ।

*श्री पन्ना लाल (जिला फतेहपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो सार्वजनिक निर्माण विभाग का अनुदान पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे मंत्री जी ने जो सार्वजनिक निर्माण विभाग का अनुदान रखा और जिस पर यह चर्चायें हुईं कि मेरठ में इतना होगा, बलिया में इतना होगा, तो अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके जरिये से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपनी ही लीपा पोती पर क्यों गन्दगी करते हैं। बजट तो आपका ही बनाया हुआ है। इधर से तो वह केवल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री पन्ना लाल]

पेश ही किया गया है। आपने सड़कें बनवाईं आपने सभी कुछ किया। इधर से तो कुछ थोड़ा सा उसमें तरमीम करके उसे वैसा ही रख दिया बाकी तो सारा बजट आपका बनाया हुआ है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके जरिये से फतेहपुर जिले की बात बता दूं और श्री रामप्यारे जी उसको मान लेंगे कि हमारे जिले में जितनी सड़कें ली गईं वे सब आपके जितने सिन्डीकेट के आदमी आये उन्हीं के इलाके की सारी सड़कें ली गईं और आपके जमाने में जो सड़कें ली गईं थीं वे ज्यों की त्यों रह गईं। आप यह कहते हैं---दीगरे नसीहत, खुदरा फजीहत। बजट बनाने में जो इतना कम समय था कि इस समय में उसमें क्या सुधार किया जा सकता था। अब सप्लीमेंटरी बजट आयेगा तो उसमें हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी और उसमें शिकायत कम होगी। मगर यह तो आपका ही बनाया हुआ बजट है....

श्री अधिष्ठाता---

इसकी भी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है।

श्री रियासत हुसैन---

अधिष्ठाता महोदय, तो क्या सरकार इस समय और-जिम्मेदारी के साथ चल रही है।

श्री पन्ना लाल---

इसमें आपकी भी जिम्मेदारी है और हमारी भी है। गल्ती किससे नहीं होती है। कोई सरकार यह नहीं कह सकती। गल्ती इन्सान से ही तो होती है। हमारे यहां फतेहपुर में एक ऐसी सड़क ली गयी है जो न तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की है और न सरकार की है वह एक कलेथा है जो थरिगांव से हथगांव को जाती है। यह १४ मील की सड़क है। यह पांच सात गांवों में होकर जाती है और इसको जिसको कि सिटी कमेटी ने रिकमेंड नहीं किया न किसी इंजीनियर ने ही इसको रिकमेंड किया। ऊपर से ऊपर ही इसको रख दिया गया है।

यह बात बिलकुल ठीक है कि हमारे जिले में सबसे कम सड़कें हैं। लेकिन फिर भी हमारे क्षेत्र में जो सड़कें रखी गयी हैं वे बहुत जरूरी सड़कें हैं। बिन्दकी से अलीपुर ११ मील का टुकड़ा है जो जी० टी० रोड को मिलाता है। जिला बोर्ड ने यह सोच कर कि गवर्नमेंट इसको ले लेगी, नहीं बनवाया और उसमें डेढ़-डेढ फुट के गड्ढे हैं। इसकी वजह से आगरा और राजस्थान को जाने वाले लोग ८--१० मील का चक्कर लगा कर जाते हैं। यह सड़क बन जायगी तो लोगों को बहुत फायदा हो जायगा। इसी प्रकार से दूसरी सड़क बिन्दकी से गुनौर है। वह सात मील की सड़क है। इसके बन जाने से भी बहुत चक्कर बच जायगा। इसी प्रकार से एक और भी ज्यादा आवश्यक सड़क अमौली से हमीरपुर की है। यह केवल ६ मील का टुकड़ा है लेकिन इसके न होने से ३२ मील का चक्कर लगाकर लोगों को जाना पड़ता है। इसके बन जाने से हमीरपुर, कानपुर और फतेहपुर के मार्ग मिल जावेंगे। इस सड़क पर माननीय मंत्री जी को पुल बनवाने की जरूरत नहीं है। अमौली के एक सेठ ने २७ हजार रुपया लगा कर उस पुल को बनवा दिया है। मुगल रोड बिन्दकी बस्ती में से होकर पास होती है। यह सड़क खराब है और इसकी नालियां भी खराब है। यहां तो सरकार सार्वजनिक निर्माण विभाग से इसको बनवा दें अन्यथा म्युनिसिपल बोर्ड को उसको बनाने की इजाजत दी जाय। यह सड़क ठीक न होने के कारण बस्ती के अन्दर डेढ़-डेढ़ फुट पानी भर जाता है। इसलिये उस सड़क की नालियां बनवाने की इजाजत म्युनिसिपलिटी को दे दी जाय।

फतेहपुर जिले में एक सूद साहब एक्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। उन्होंने जाते समय ९० तारकोल के ड्राम बेच दिये और रुपया लेकर चले गये। शिकायत करने पर उनके खिलाफ इंक्वायरी बैठायी लेकिन पता नहीं चला कि उसके बारे में क्या पता लगा। मालूम पड़ा कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर उनको बचाना चाहते थे। माननीय मंत्री जी इसको देख लें।

हमीरपुर रोड पर हमीरपुर जिले में बेतवा पर एक पुल बन रहा है। पंत जी के जमाने में वह पास हुआ था। ५ साल से बन रहा है लेकिन अभी तक पूरे कोठे भी नहीं बन पाये हैं। लखनऊ के कोई ठेकेदार हैं जो उसको डाले हुये हैं, रकम बढ़ाते जाते हैं और कहते हैं कि हमारा जो कुछ ऊपर का मामला है वह कैन्सिल कर दिया जाय, जमानत हमारी जब्त कर ली जाय, हम नहीं बनायेंगे। इसी तरह से बेतवा का पुल बेकार पड़ा हुआ है। अगर बेतवा का पुल बन जाय तो सारा हमीरपुर जिला अपने हेडक्वार्टर पर आराम से आ जाय। आज बेतवा का पानी पांच-पांच मील के एरिया में भर जाता है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि बेतवा का पुल बना दिया जाय।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

डाक्टर भगवत दयाल सिलोइया (जिला झांसी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो एक महत्वपूर्ण विभाग पर बोलने के लिये समय दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं देख रहा हूं कि विरोध पक्ष से हर दम विरोध ही होता है और जिसके हाथ में सत्ता होती है उसको कभी भी सहयोग देने की कोशिश नहीं करते हैं। २० साल के कांग्रेस शासन में कोई भी ऐसा निर्माण का कार्य नहीं हुआ जिसकी आलोचना न की गई हो। वही आरोप अब भी लागू है। लेकिन जब पांच वर्ष का समय मिला है सरकार को तो हमें संतोष से काम लेना चाहिये और सरकार को सहयोग देना चाहिये। सहयोग में ही हम विरोध प्रकट कर सकते हैं। अगर हम विरोध ही विरोध करते रहे तो हम सहयोग कैसे कर पायेंगे। अगर आपने कांग्रेस की ही तरह हवाई किले बनाये और केवल नारेबाजी करेंगे तो जो सहयोग आपको मिल रहा है वह नहीं मिलेगा। इसलिये मैं आपको चन्द सुझाव देता हूं जिन पर आपको गौर करना चाहिये।

निर्माण-कार्य के सम्बन्ध में अवसरवादियों और चापलूसों का जमघट लग जाता है और पदाधिकारियों के पास एक भी सच्चा आदमी नहीं पहुंच पाता है। दूसरे श्रमदान द्वारा जो भी चीजें बनती हैं उनको सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये और उसमें कुछ सहयोग देना चाहिये। तीसरे कर्मचारियों के बारे में जो पिछले २० साल से रवैया था वही अब भी है। डर तो लगा हुआ है पर विशेष डर नहीं है। आज भी मालिक और दास की प्रथा चली आ रही है। अगर छोटा कर्मचारी बड़े कर्मचारी का काम नहीं करता है तो उसका तबादला कर दिया जाता है या उसकी नौकरी ले ली जाती है। मेरा सुझाव है कि मजदूरों की सोसायटी को ठेका दिया जाय और उनसे कोई सिक्योरिटी वसूल न की जाय। जब तक आप ठेके मजदूरों की सोसायटीज को नहीं देंगे तब तक गरीबों का राज्य कैसे होगा? ठेकेदार तो सभी मालदार होते हैं और फिर मजदूरों को हम बढ़ावा नहीं दे पाते हैं। चौथे जो भवन निर्माण-कार्य होता है वह जिस विभाग का काम हो उन कर्मचारियों के द्वारा उस कार्य की आयु आंक देनी चाहिये कि इतने दिन तक यह भवन कायम रहेगा। बगैर इस बीच में वह कार्य गिर जाता है तो उसके कर्मचारियों को दंड मिलना चाहिये।

इसके अतिरिक्त अगर आपको करप्शन रोकना है तो यह सारा निर्माण का काम विजिलेन्स कमेटी को सौंप देना चाहिये। हर पार्टी के मेम्बरों की कमेटी बनाई जाय और जांच करवा ली जाया करे। उस कमेटी की रिपोर्ट सरकार को माननी चाहिये।

इसके अलावा शहरों में इतना ध्यान न दे कर देहातों की तरफ अधिक ध्यान देना चाहिये। हमारे गांधी जी और आचार्य विनोबा जी भी ग्रामोत्थान की रट लगाते हैं लेकिन अभी तक ग्रामोत्थान के विषय में कुछ नहीं हुआ है। बरसात के तीन महीने गांवों में निकलने के लिये जगह नहीं रहती है जिसके कारण उनको अपना अनाज वगैरह सस्ते दामों पर बेचना पड़ता है और ग्राम

[डाक्टर भगवत दयाल सिलोइया]

के अमीर लोग तीन महीने का स्टाक कर के रख लेते है और फिर खूब ऊंचे दामों पर बेचते हैं। इस लिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि बुन्देलखंड को जो हम पिछड़ा-पिछड़ा चिल्लाते है उसमें केवल ललितपुर ऐसा सब डिवीजन है जो सब से पिछड़ा हुआ है। इस समय आप गांवों में जायेंगे तो ऐसे-ऐसे गांव मिलेंगे जहां एलेक्शन के टाइम में तो शायद कोई जीप या और साधन पहुंच भी जायं लेकिन वहां के निवासियों ने अभी तक कोई गाड़ी या नयी जीप नहीं देखी है। बहुत से गांव वाले तो रेल भी नहीं देख सके हैं। कोई अधिकारी वहां जाते ही नहीं। अगर ललितपुर और महरौनी तहसील का सर्वे करा लें तो वहां ऐसी सड़कें मिलेंगी जो ४–४ और ५–५ मील बन जायं तो ललितपुर, झांसी और महरौनी का सड़क से सीधा सम्पर्क हो जायेगा। चार-चार मील के इन टुकड़ों का बन जाना हमारे ललितपुर के लिये बहुत जरूरी है और महरौनी तहसील का तो उससे उद्धार हो सकता है। ललितपुर से जखौरा वाया देलवारा और तालबेहट से जखौरा वाया बिजराणे बोलारी तक सड़क बन जाय तो यह एक ऐसा त्रिकोण बनाती है जिससे करीब आधी ललितपुर तहसील कवर हो जायेगी।

इस बात के लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि हमारे यहां राजघाट योजना के अन्तर्गत सड़क बन जायेंगी और डुंगरिया से पाली सड़क ऐसी है जिसके न बनने से हमारी परेशानी दूर नहीं हो पायेगी। इसलिये ललितपुर से जखौरा वाया डेलवारा, देवगढ़ से पुरा से धौरा, तालबेहट से जखौरा वाया बिजरोये बोलारी, डुगरिया से पाली तथा घटवार से पाली वे बेट, पवा गिरी से सड़खड़ी गुदेरा होते हुए उगरपुर, चौकी तक, महरौनी से बानपुर और हिंगोरा से मेहरबानकलां तक सड़क बन जाय तो उधर के डकैतों की समस्या भी हल हो सकती है। देवगढ़ से पुरा धौरी तक ऐसा रोड है जहां बरसात में कोई नहीं जा सकता है। वहां जो एक एक, दो दो और चार-चार या पांच पांच मील की सड़कें बना दी जायं तो बड़ी सड़क से सब का सम्पर्क हो जायेगा और मध्य प्रदेश के बोर्डर पर जो खुलेआम डकैत लोग घूमा करते हैं जिससे रात में कोई इधर से उधर नहीं जा सकता और सारे धौरा कस्बे में ताले बन्द हो जाते हैं, सड़क बन जाने से वहां डाकुओं की समस्या बहुत कुछ हल हो सकती है।

मैं माननीय मंत्री जी से बतलाना चाहता हूं कि आज भी ताल बेहट ब्लाक के जंगल में ऐसे-ऐसे केस पड़े हैं कि वर्तमान रेंजर व दरोगा तथा दूसरे प्रमुख लोग मिल कर शीशम के पेड़ को कौन कहे, चन्दन तक के वृक्ष कटवा डालते हैं, ऐसी सूरत में वहां करप्शन कैसे दूर हो सकता है जब तक कि अधिकारियों पर सख्ती न की जायेगी। महरौनी से बानपुर सड़क का बन जाना भी बहुत जरूरी है। अगर यह पूरी सड़क बन जाय तो ४० मील की बचत हो जायेगी। हमारी महरौनी ऐसी तहसील है जिसका रेलवे से कोई सम्बन्ध नहीं है। ललितपुर से रेलवे का थोड़ा सम्बन्ध है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि माननीय मंत्री जी मेरे सुझावों पर अवश्य ध्यान देंगे।

श्री मदन मोहन मिश्रा (जिला रायबरेली)—

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुदान पर बोलने का समय दिया। जो अनुदान माननीय मंत्री महोदय ने सार्वजनिक निर्माण विभाग का पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और जो कटौती के प्रस्ताव विरोधी दलों की ओर से पेश किये गये हैं, उनका मैं विरोध कर रहा हूं। कटौती मैंने भी पेश किया है इस लालच में कि शायद एकाध सड़क मेरे जिले की भी ले ली जाय लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसकी कोई आशा नहीं है। फिर भी एक अनुशासित सिपाही होने के नाते मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेते हुए कुछ आवश्यक सुझाव देता हूं।

मुझे आपके द्वारा मंत्री जी का ध्यान अपने जिले रायबरेली की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करना है कि मैंने पहले भी प्रार्थना की थी और आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ। मैं कुछ सड़कें जो प्रारम्भिक काल से उपेक्षित हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए

यह कहता हूं कि रायबरेली-अमावां रोड बहुत ही आवश्यक है। बरसात में ही नहीं, आज कल भी बैलगाड़ी या आदमी का पैदल चलना या साइकिल पर चलना असंभव सा है। यदि यह १० मील का टुकड़ा बना देते हैं तो लाखों आदमियों का आशीर्वाद इस सरकार को और आपको मिल सकता है। इसी तरह से रायबरेली-परशदेपुर की सड़क है। वहां पर एक पुल बन रहा है लेकिन सड़क न बनने से काफी परेशानी है। ४–४ सौ, ६–६ सौ और हजार-हजार रुपये में जो बैलों की जोड़ियां आती हैं वे ४–६ महीने के अन्दर ही समाप्त हो जाती हैं। इसी तरह से कुचरिया-उतरपारा-बेलागुसीसी-बेला टिकई-गौरा सड़क है जो बहुत ही आवश्यक है और उससे लाखों आदमी गुजरते हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप इसको भी बनवाने की कृपा करें। फिलहाल कुचरिया से उतरपारा केवल ढाई मील लम्बा टुकड़ा है और थोड़े दामों में बन सकता है। ताल्लुकेदारी के जमाने में बनाया गया था, उसके बाद किसी संस्था ने कोई ध्यान नहीं दिया और वह सड़क टूट-फूट चुकी है। मैं प्रार्थना करूंगा कि यह टुकड़ा बनवा देने की कृपा करें।

इसी तरह से डलमऊ-जगतपुर-सलोन २४ मील का टुकड़ा है और तीन एम० एल० एज० का क्षेत्र है। एक का क्षेत्र है डलमऊ से जगतपुर के बीच में, उसके बाद मेरा क्षेत्र पड़ता है और सलोन तक तीसरा पड़ जाता है। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि यह मिलिटरी इम्पार्टेन्स की भी रोड है इसलिये अगर इसको बनवा देते हैं तो बहुत बड़ा उपकार उस ओर की जनता पर तो होगा ही लेकिन देश के साथ और प्रदेश के साथ भी चूंकि वह मिलिटरी स्ट्रेटेजी की सड़क है, बहुत बड़ा लाभ होगा। इसी तरह से मलिकमऊ आयमा-रुस्तमपुर रोड की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए कहूंगा कि आप इस सड़क को भी बनवा दें जिससे लोगों को बहुत ज्यादा लाभ होगा। साथ दो मील का एक टुकड़ा है रायबरेली नवीन नार्मल स्कूल के पास डमरा रोड का है—यह सुल्तानपुर रोड से निकलती है। यह सड़क एक बार बनायी जा चुकी है, लेकिन इसकी उपेक्षा अब तक हुई और अभी तक रिपेयरिंग भी नहीं हुई। अगर ठीक करवा देंगे तो एक नयी बनायी सड़क जनता को मिल सकती है। इसी तरह से सुन्दीना गिनहरियावां-सिधौना रोड है। जब हवाई अड्डा बना सेकेंड वर्ल्ड वार में तब बनी थी। उसके बाद से निरन्तर उसकी उपेक्षा होती रही है, उसको भी बनवाने की कृपा करें। रायबरेली नगरपालिका की सड़कों की हालत बहुत ही खराब है। सीवर स्कीम चल रही है लेकिन जहां पर सीवर नहीं पड़ती है वहां की सड़कों को अगर थोड़ा सा प्रोत्साहन देने के लिये विशेष अनुदान दें और वह बन जायं तो आपकी जनता पर बहुत बड़ी कृपा होगी।

इसके साथ-साथ मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि लम्बाई सम्बन्धी जो आंकड़े १९४७ की पुस्तिका में दिये हुये हैं, वह भ्रामक हैं, रायबरेली में ३०८ किलोमीटर लम्बी सड़कें बनी हुई थीं और उसके बाद आज तक उसमें कोई खास तरक्की नहीं की गयी है, बल्कि जो राजमार्ग (स्टेट हाईवेज) हैं उनको जोड़ करके जो आंकड़े दिये गये हैं वे भी आपत्तिजनक हैं और गलत हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप थोड़ी दिलचस्पी लें। हमारे यहां के जो डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर नौटियाल साहब हैं वह बड़े अच्छे आदमी हैं, रिश्वतखोर नहीं हैं। इसलिये मुझे आशा है कि कोई भी काम उनको देंगे वह उसे अच्छे ढंग से करवा देंगे।

इसी के साथ-साथ मैं गर्ल्स कालेज की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। छात्राओं के रहने के लिये कोई छात्रावास नहीं है। मैं चाहूंगा कि इसके लिये अनुदान दिया जाय। इसी के साथ-साथ मैं गवर्नमेंट इन्टर कालेज की ओर भी आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। हरिजनों के लिये कोई भी छात्रावास नहीं है। जो पुरानी टूटी-फूटी बिल्डिंग है उनमें रोज सांप बिच्छू निकलते हैं। सुना है कि कोई योजना बनी है, लेकिन उस दिशा में अब तक कोई कार्य नहीं हुआ है। खुरहटी और तालागोपालपुर के बीच सई नदी बहती है। उस पर अगर एक पुल बन जाय तो लोगों की परेशानी दूर हो जाय और दूसरी तरफ जाने का मार्ग मिल

[श्री मदन मोहन मिश्रा]

जाय। इसी प्रकार से रोडवेज कर्मचारियों के लिये मैं मांग करूंगा कि उनके लिये क्वार्टर बनवा दिये जायें जिससे कि उनकी सेवाओं में एफिशियन्सी बढ़ जाय। इन शब्दों के साथ कटौती का जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसका विरोध करते हुए जो माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान के प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करता हूं।

*श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, चूंकि बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं इसलिये मैं तीन चार मिनट ही लूंगा। एक छोटी सी सच्ची कहानी सुनाऊंगा और उसी के साथ दो सुझाव माननीय मंत्री जी के समक्ष रखूंगा। कहानी वास्तविक घटना है १९४६ की। १९४६ में स्वर्गीय पं० जवाहर लाल नेहरू हमारे तहसील हेडक्वार्टर डोमरियागंज गये थे। उस वक्त मैं कांग्रेस के भक्तों में था और मैंने उनको चाय की दावत दी थी। मीटिंग के बाद जब चाय हुई मैं उनकी बगल में बैठा था। उन्होंने मुझ से अंग्रेजी में पूछा,

"Who is responsible for maintaining the Basti-Domaryaganj Road ?" मैंने कहा कि "District Board is responsible." उन्होंने पूछा कि बस्ती-डोमरियागंज सड़क ठीक रखने के लिये कौन जिम्मेदार है ? मैंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। फिर उन्होंने कहा "Who is the Chairman of the District Board ?" मैंने उत्तर दिया राजा साहब शोहरतगढ़। उन्होंने कहा कि "That Raja deserves to be shot dead for maintaining such bad roads."

यानी राजा को सड़कों को खराब रखने पर गोली मार देनी चाहिये। श्रीमन्, आज वह सड़क न जिला परिषद् के अन्तर्गत है और न राजा साहब उसके जिम्मेदार हैं। आज के वर्तमान राजा साहब हमारे समक्ष बैठे हुये हैं। मेरा इतना कठोर हृदय नहीं हो सकता कि मैं मंत्री जी को कहूं कि गोली मार दी जाय सड़क खराब रखने के लिये, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बस्ती से डोमरियागंज तक और इसके आगे बरनी तक सड़क बहुत खराब है, बावजूद इसके कि उसके ऊपर बहुत धन व्यय हो रहा है। सड़क का एक हिस्सा एल० आर० पी० में ले लिया गया है। सड़क जितनी खराब नहीं है उससे ज्यादा लापरवाही की वजह से चलने के काबिल नहीं है। इस पर बहुत सी पुलिया बनाई जा रही हैं।

ऐसा लगता है जैसे पुलिया बनाने में काफी कमीशन मिलता हो इस लिये बन रही है। कहीं इतनी पुलिया की जरूरत नहीं थी मगर हर दो फर्लांग के ऊपर पुलिया बनाई जाती है। दोनों तरफ स्लोप भी ठीक नहीं बनाते जिससे कि पुलिया बनाने से लाभ हो। अगर कोई तेजी से जाय तो मोटर टूट जाय और दुर्घटना हो जाय। पिछली बार मैं जा रहा था तो सड़क पर इतना टर्न था और कच्ची सड़क पर सोलिंग भी नहीं थी कि किसी तरह से मेरी छोटी गाड़ी थी रिस्क लेकर मैंने निकाल लिया अगर उधर से बस आ रही थी वह वापस चली गई। मैंने अपनी आंखों से ट्रक्स को उलटती हुई देखा है। मेरे यहां जाने का एक दूसरा रास्ता भी था मैंने सोचा कि उनको देखूं। उनकी भी हालत यह है कि इतने बड़े-बड़े गड्ढे थे और पानी भरा था कि १५ मील जाने में मेरी जीप के डिस्ट्रीब्यूटर में पानी भर गया और मेरी ट्रेन बस्ती से छूट गई। एक तीसरा रास्ता भी था जो पिछली दफा बाढ़ में बह गया। तो श्रीमन्, जहां तक मेरा संबंध है मैं तो उन्नीसवीं शदी में पहुंच गया। वहां अब शरीफ आदमी मोटर लेकर नहीं जा सकता। सरकारी बसें टैक्सपेयर को अदा करना होता है उनकी चिन्ता नहीं है और वह चल रही है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन् अब मैं सुझाव देना चाहता हूं और वह यह है कि रूरल रोड्स का आप अलग डिवीजन कायम करें। जब तक रुरल रोड्स और इन बड़ी सड़कों का एक ही प्रकार से और एक ही अधिकारी देखते रहेंगे तब तक रूरल रोड्स की तरफ ध्यान नहीं जायगा। स्वाभाविक है कि जिन सड़कों पर मंत्रिगण और बड़े अधिकारी चलते है उनकी चिन्ता होगी और ग्रामीण सड़कों की चिन्ता नहीं होगी। तो दो हिस्से में अपने विभाग को बांटे और एक विभाग रूरल रोड्स के लिये जिम्मेदार हो। उसकी आवश्यकतायें भी भिन्न हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वह मेटल्ड रोड्स हों। अगर पलिया बनाई जायं और साल में दो तीन बार एक ट्रैक्टर में ड्रग लगा कर घसिटवा दिया जाज तो वह सड़क काम देगी। मैंने इस तरह दूसरी जगहों पर देखा है। ट्रैक्टर के पीछे एक इम्प्लीमेंट लगा होता है और वह सड़क को बराबर कर देता है। इतने से देहात का काम चल जायगा।

दूसरा सुझाव, श्रीमन्, मैं यह देना चाहता हूं कि कुछ स्थानीय साधन जुटाने का भी प्रयास किया जाय। नई सड़क बनाने के लिये कहने का साहस नहीं पड़ता क्योंकि हमारी तो पुरानी सड़कें ही टूट रही है। जहां के लोग सड़क चाहते है वह सड़क के एक मील इधर और एक मील उधर जितनी खेती होती है वह काश्तकार ८ या १० वर्ष तक जितनी जमीन की मालगुजारी होती उतनी सड़क के लिये दें। उदाहरण के लिए एक मील सड़क के लिये एक लाख रुपये की जरूरत हो तो ५० हजार सरकार दे और ५० हजार रुपया वहां के लोगों से १० वर्ष में जैसे जमीन की मालगुजारी वसूल होती है, वैसे वसूल कर लें। जबर्दस्ती नहीं, अगर वहां के लोग लिखित रुप में इस बात की इजाजत देते हैं कि हम तैयार है तब। इस लिये आप ८–१० वर्ष में जितनी माल गुजारी लेते हैं उतनी सड़क की भी ले लें। इसलिये आप ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता दें और मैं समझता हूं कि कम से कम और कुछ लाभ न होगा तो हमारे ऊपर जो बहुत ज्यादा दबाव है वह तो कम होगा। हम कह तो सकते है कि सरकार आधा देने को तैयार है और आधा रुपया आप दें जो कि १० वर्ष में वसूल हो जायगा। जब वह लोग तैयार हो जायं तब सरकार आधा रुपया दे। इन शब्दों के साथ मैं आपक ज्यादा समय नहीं लूंगा।

चौधरी रघुराज सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने इस पी० डब्ल्यू० डी० बजट के सिलसिले में तकरीरें सुनीं और उसमें खास बात शुरू में यह कही गई कि ईस्ट के साथ बड़ी नाइन्साफी हो रही है। जितनी भी सड़क बनाई जा रही है वह सब पश्चिम में बनाई जा रही है। मैं उनको यह याद दिलाना चाहता हूं कि हमारा इस सूबे का हाई कोर्ट इलाहाबाद में है जो कि पूरब में है और यह पश्चिम से इलाहाबाद आना पड़ता है और अगर वह यहां नुमाइन्दगी के लिये आते हैं, तो सोचिये कि उनको कितनी दूर आना पड़ता है। इसके अलावा अंग्रेजों के जमाने में यह सूबा दो हिस्सों में था।—इसको आगरा और अवध कहा जाता था। इसके दो नाम थे और दो कानून भी थे। वहां के माल का कानून और था यहां का और था। और यही यूनाइटेड प्राविन्सेज आफ आगरा एण्ड अवध कहलाता था। तो क्या फिर दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाय। इस बात के लिये किसको खुशी होगी और कौन इसको मंजूर करेगा कि इसको फिर दो हिस्सों में बांट दिया जाय। इसका नतीजा यह होगा, अगर आप पूर्व और पश्चिम का सवाल पैदा करेंगे तब तो, हर शहर बंट जायगा, हर गांव बंट जायगा और हर मोहल्ला बंट जायगा। इसलिये मैं पुरजोर अलफाज में यह कहूंगा कि इस पूर्व और पश्चिम और पर्वतीय इलाके के सवाल को छोड़कर आप जितने भी सूबे के जिले हैं उनको एक समझें और पूर्व और पश्चिम का तजकिरा ही न करें। इसी में जनता का हित है और हमारे सूबे का भी।

जहां तक इस बजट का सवाल है, हमारे इस बजट में नई सड़कें भी है, पुलों का निर्माण भी है, पुरानी सड़कों की मरम्मत भी है, ये सारी चीजें इसमें मौजूद हैं। पिछले साल के मुकाबिले

[चौधरी रघुराज सिंह]

में इसमें रकम भी काफी रखी गई है अगर यह रकम कम है तो ऐसी कोई तजवीज उधर की तरफ से नहीं आई है कि किस तरह से इस रकम को बढ़ाया जाय। तो यह कि हर जगह की सड़कें एक साथ और फौरन बना दी जायं हर जगह पुल बना दिये जायं हर देहात में पक्की सड़क हो यह कैसे मुमकिन हो सकेगा। ताज्जुब मुझे तब होता है जब उधर बिला किसी खास तजवीज के साहबान एतराज करते हैं। आखिर इस सरकार को अभी जुम्मा जुम्मा कितने दिन हुये हैं जो इस तरह के गलत इल्जमात लगाये जाते हैं? आपने बीस वर्ष में क्या किया? अगर पुल नहीं बने, सड़कें नहीं ठीक हुईं, काम ठीक नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदारी इधर तो हो नहीं सकती। जिम्मेदारी तो उन्हीं की हो सकती है जिन्होंने बीस वर्ष तक हुकूमत की। जम्हूरियत के बिल्कुल खिलाफ हमने यह वाकया भी देखा कि एक पार्टी की सरकार को सदी के चौथाई हिस्से की लीज मिल गयी। तो भी उन्होंने क्या किया? लिहाजा अपने गरेबान में मुंह डाल कर पहले देखिये उसके बाद ऐतराज कीजिये। 'रोम वाज नाट बिल्ट इन ए डे'। तो थोड़ा सा मुनासिब वक्त इस सरकार को भी दीजिये। हमारे मुख्य मंत्री जी ने और पी० डब्लू० डी० मिनिस्टर साहब ने फिगर्स बताये, उससे आपको मुतमइन हो जाना चाहिये था कि कहां किस तनासब से सड़कें बनी और आयन्दा के लिये क्या तजवीज है। तकरीर उनकी बहुत मुफस्सिल थी। यह बात दूसरी है कि विरोधियों को ऐतराज करना ही है। उसका तो कोई इलाज नहीं हो सकता। थोड़ा सब्र कीजिये और मौका दीजिये सरकार को। उसके बाद देखिये कि कितनी सड़कें और पुल बनते हैं। इस वक्त तो उल्टा ऐतराज का मौका हमको है कि आपने आखिर पच्चीस साल में क्या किया?

एक बात की तरफ मैं अपनी सरकार की तवज्जह जरूर दिलाऊंगा कि हमारी पुरानी सरकार के जमाने का जो निजाम है, जो अफसरान हैं, जो कर्मचारी हैं, न मालूम किस किस्म के रवैये उन्होंने अख्तयार कर लिये हैं, उन पर पूरा कंट्रोल रखें, इस बात की बहुत सख्त जरूरत है और मैं समझता हूं कि हमारी सरकार इसमें कोई दकीका उठाकर नहीं रखेगी। मुझे उम्मीद है कि वह पुरानी खसलतें जो उनके अन्दर पैदा हो गयी थीं वह जल्द काफूर हो जायगी। इन अल्फाज के साथ मैं इस ग्रान्ट की पुरजोर मुआफकत करता हूं।

श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, चूंकि आप जल्दी जल्दी समय लोगों का खत्म कर रहे हैं इसलिये ज्यादा कहने की गूंजायश नहीं होगी, लेकिन मेरा निवेदन है कि दो चार बातें कहने के लिये मौका अधिक मुझे दें। मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट अनुदान का विरोध करता हूं और माननीय राम प्यारे जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

अधिष्ठाता महोदय, अगर यह कहा जाय कि सार्वजनिक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश में बिलकुल नाकामयाब हुआ है तो गलत न होगा। इसका प्रमाण यह पुस्तिका है जो विभाग ने प्रकाशित की है और इसमें इस बात को माना है कि १८ राज्यों में उत्तर प्रदेश बिहार को छोड़ कर हिन्दुस्तान में सबसे पिछड़ा इस मामले में है। प्रत्येक एक लाख की जनसंख्या पर जो सड़कों का निर्माण भारत में हो रहा है उनमें उत्तर प्रदेश बिहार को छोड़ कर सारे भारत में सबसे पिछड़ा हुआ है। इसका क्या कारण है विभाग ने इसका कोई संकेत नहीं दिया है और न मन्त्री जी ने ही संकेत दिया है कि क्या कारण है। और उनके दूर करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं और कौन से कदम उठाये जा रहे हैं। मैं कहूंगा कि जो अरबों रुपया जनता से टैक्स के रूप में वसूल किया गया है उसका दुरुपयोग ही हुआ है। इस विभाग की ओर से मनमानी की गई है।

अधिष्ठाता महोदय, इस विभाग में ११० गजटेड अफसर हैं जिनको ८० लाख रुपया वेतन में दिया जाता है। ११७ ओवरसियर हैं जिनके ऊपर लाख रुपया खर्च होता है। जो दूसरा वर्क चार्ज तथा क्लैरिकल स्टाफ है उस पर भी बड़ी धनराशि खर्च की जाती है। उसके बाद क्या होता है। जो कार्य दो वर्ष में पूरा होना चाहिये वह १० साल में पूरा हो पाता है। मन्त्री जी ने

इसका भी संकेत नहीं दिया है कि जितना रुपया सड़कों पर खर्च करते हैं उसका सवाया रुपया बाद में क्यों हो जाता है। जितने के आज तखमीने बनते हैं ६, ७ वर्ष के बाद जब वह बनते हैं तो सवाये और ड्योढ़े हो जाते हैं। तो फिर उनको क्या हक है कार्यकुशल अपने को कहलवाने का, उनको क्या सरकार के विश्वास पात्र कहने का हक है? उनको तनख्वाह लेने का क्या हक है? २ लाख रुपया अनुमानित हुआ है लेकिन बाद में ३ लाख लगा दिया। फिर भी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाया जाता। उस विभाग में एक पैसा ज्यादा खर्च करने पर चार्ज लगा देते हैं लेकिन उन पर कुछ भी नहीं है। पी० डब्लू० डी० में अरबों रुपया खर्च करने के बाद निश्चित अवधि में वह काम पूरा नहीं होता और दुगुना और तिगुना समय उसमें लग जाता है लेकिन फिर भी उनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं लगाया जाता है। इस तरीके से कार्य नहीं हो सकता है। उनके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया गया।

स्टाफ में जो छोटे कर्मचारी हैं, जो वर्कचार्ज के कर्मचारी हैं उनको रेगुलर करने की बात थी लेकिन उनको भी रेगुलर नहीं किया गया है। यह कहा गया था कि जितनी पोस्ट क्रियेट की हैं उनको रेगुलर किया जायगा और ३ वर्ष से अधिक कार्य करने वालों को वर्क चार्ज के कर्मचारियों को रेगुलर किया जायगा लेकिन यह भी नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में १,७०० ओवर सियर हैं उनके आवास की कोई सुविधा नहीं है। २०, २० मील पर उनको भेजा जाता है। उनके लिये कोई प्रबन्ध नहीं है। इस ठेकेदारी प्रथा को कायम रखने से जनता के धन का दुरुपयोग हो रहा है। जो कायदे हैं उनके अनुसार कार्य न करने से गड़बड़ होती है। १० फीसदी का पहले एस्टीमेट बना कर उनको दे देते हैं। और बाद में २० फीसदी गड़बड़ घोटाले का जोड़ते हैं। तो इसका नतीजा क्या होता है? इसका परिणाम यह होता है कि सड़क के काम को खराब करते हैं और उसके समय की अवधि को लम्बी कर देते हैं। इस सम्बन्ध में मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इसके लिये उनको एक ऐसा आयोग गठित करना चाहिये जो जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा ढिलाई की गई हो और जिनके द्वारा धन का दुरुपयोग किया गया हो उसके सम्बन्ध में निष्पक्ष जांच की जाय और वह जांच भी किसी विभाग के अधिकारी के अन्डर में न हो और जो भी रिपोर्ट और सिफारिश उस जांच की हो उसके अनुसार दोषी व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय। केवल इतना करने पर ही इस मामले में प्रगति लाई जा सकती है। यदि मंत्री जी इस बात पर विचार करें कि प्रदेश में सड़कों के कार्य इस प्रकार का हो कि यह प्रदेश भी अन्य राज्यों का मुकाबला कर सके तो सब से पहले आप को इस ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना होगा। मैं निवेदन करूंगा कि मेरे इस सुझाव को मंत्री जी अवश्य मानें। मैं दो तीन बातें कह कर जल्दी ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं फर्रुखाबाद के बारे में निवेदन करूंगा कि राजेपुर से दहेलिया, सलीमपुर, सरद, पभनगर, कड़हर तक एक कच्ची सड़क है और यहां की जनता को कोई यातायात की सुविधा नहीं है पर १९ मील रोड है। इस सड़क को पक्का करके बनाया जाय। यह बहुत पुरानी मांग है। एक फर्रुखाबाद नवाबगंज अलीगंज रोड है, यह केवल १९ मील का रोड है इसका बनना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक फर्रुखाबाद शाह विश्रात मार्ग है जो केवल १ मील का टुकड़ा है उसका बनना भी बहुत आवश्यक है। एक करोड़ की लागत की विश्रांत बनी है उससे मिला देगी।

इसके अलावा श्रृगीं रामपुर से चियासर के बीच खान्ता वाले का पुल बनना बहुत आवश्यक है और इसके न बनने से सैकड़ों गांव प्रभावित हैं। इसके बनने से जनता को बहुत सुविधा मिलेगी। इसके बाद रजीपुर ईसापुर, जरारी होता हुआ उघुरनपुर घाट रोड जो ८ मील का टुकड़ा है वह भी विभाग बनवाने की कृपा करें। एक जिला जेल के केन्द्रीय कारागार के पास से होती हुई श्यामनगर तथा भारत शीतगृह के बीच से आई० टी० आई० कालिज फर्रुखाबाद के पास साढ़े तीन मील का भी रोड का टुकड़ा भी अवश्य बनाया जाय। हमारे जिले की इन तमाम ५१ मील

[श्री महरम सिंह]

सड़कों को पूरा करने के लिये केवल ७५ लाख रुपये की जरूरत होगी। खान्ता नाले के पुल में भी करीब ३ लाख रुपया लगेगा, इससे जिले फर्रुखाबाद की जनता को बहुत सुविधा मिलेगी। माननीय राठौर जी हमारे जिले की मंत्री हैं, उनके क्षेत्र नवाबगंज से जो सड़क निकलती है वह बहुत आवश्यक है, मैं समझता था कि उनका बहुत प्रभाव होगा और वह इस मामले में कैबिनेट स्तर पर मनवायें और इस सड़क को बनवायें। कल ही अखबार में मैंने देखा कि रायबरेली जिले में १ करोड़ रुपये की लागत का काम सड़क बनाने तथा मरम्मत का होगा वहां मरम्मत व सड़कों के निर्माण इससे किया जायगा।

मैं जानना चाहूंगा कि क्या हक उनको है रायबरेली में एक करोड़ रुपया व्यय करने का? हमारा फर्रुखाबाद जिला ३ करोड़ रुपया केन्द्र को एक्साइज ड्यूटी का प्रतिवर्ष का देता है हर साल, क्या उसको १ करोड़ रुपये में इस वर्ष ५१ लाख की सड़कें बनवाने का हक नहीं है। मैं मंत्रीजी की इस असमानता की नीति का विरोधी हूं। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस विषय में स्थिति स्पष्ट करें अपने उत्तर भाषण में बतायें कि किस न्याय और हक के हिसाब से रायबरेली में १ करोड़ रुपया व्यय होगा और हमारे जिले में या अन्य जिलों में इस अनुपात से नहीं होगा। आज अन्य जिलों की हालत रायबरेली से भी बहुत खराब है। केन्द्र सरकार से तमाम रुपया स्टेट गवर्नमेंट के पास पिछड़े क्षेत्रों के लिये आता है और योजनायें बनाई जाती हैं और सर्वे वगैरा सब कुछ होता है लेकिन पक्षपात के द्वारा इस तरह से एक जगह सारा रुपया लगा दिया जाता है और हमारे जिले पिछड़े जिले रह जाते हैं। अन्त में फिर कहूंगा कि ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाय और सारे कार्य विभाग के द्वारा ही कराये जायं इसमें वर्क चार्ज से लेकर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर तक ३० हजार लोग खपाये जा सकते हैं। हां, गंगा व रामगंगा के पुल की मैं बहुत प्रशंसा करूंगा कि वह कार्य विभाग ने बहुत अच्छा किया है और उसको देखने से मालूम होता है कि हमारे यहां बहुत अच्छा काम विभागीय अधिकारी कर रहे हैं। मैं चाहता हूं और आशा करता हूं कि इन सब बातों के बारे में माननीय मंत्री जी अपने भाषण में संकेत देंगे।

श्री जलील अब्बासी (जिला बस्ती)—

अधिष्ठाता महोदय, आपका मैं बहुत आभारी हूं कि आपने इस अनुदान पर मुझे बोलने का और अपने विचार रखने का अवसर दिया। बहुत सी बातें बड़े जोर से माननीय सदस्यों की ओर से कही गई और विरोधी दल की तरफ से भी बहुत सी बातें रखी गईं और विशेष कर बहुत सी बातें उन में सही थी और उन बातों पर हमें बहुत गौर और गम्भीरता से सोचना होगा। जिस चीज की तरफ मैं ज्यादा जोर देना चाहता हूं वह है एफीशियेंसी। हमें देख कर दुःख होता है कि काम जो आरम्भ हो जाता है, वह खत्म नहीं होना जानता आपकी कृपा से मुझे बाहर जाने का मौका मिल गया था। मैंने देखा कि मास्को यूनिवर्सिटी, जो एयर कन्डिशन्ड है और १० मंजिले ऊपर है और दस मंजिल नीचे है और दुनिया की सब बड़ी यूनिवर्सिटियों में से है कैसे उन्होंने उसे ५ साल में बना ली। देखने वाले अगर सामने से खड़े होकर उसे देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं इसी तरह से जर्मनी में जाकर देखा कि वहां ८ मिनट में एक कमरा बन जाता है। यहां वह क्यों नहीं बन सकता है। अब एक प्रश्न उठता है कि आखिर हम किस बात में पीछे हैं। हमारे जो कर्मचारी हैं काम उन्हीं को करना होता है। तो फिर आप कैसे राज्य को दोष दे सकते हैं। कल आपका राज था, आज हमारा बना है, कल क्या होगा, कोई नहीं जानता। ऐसी हालत में कोई यकीन से नहीं कह सकता कि आने वाले १० दिन में क्या हो सकता है। ऐसी हालत में अगर हम सरकार को दोष दें तो हमारी बेवकूफी हो जिससे लोग उनकी तारीफ करें। कोई ऐसा आदमी हो ही नहीं सकता कि वह यह न चाहता हो कि उसके काम की प्रशंसा न हो।

(इस समय ३ बज कर ४७ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

लेकिन हम सब लोग बेबस हैं क्योंकि चाहे इंदिरा जी हों या और कोई माननीय मंत्री हो, इन आई० ए० एस० अधिकारियों से हमारी बस नहीं चलती है। आज हमारे बड़े बड़े जो अधि-

कारी हैं—वे आरामतलब हो गये हैं। मेरी प्रार्थना है, मैं अनुरोध करूंगा, सिफारिश करूंगा, जोर दूंगा और मैं आखीर में सत्याग्रह करूंगा कि हमारे माननीय मंत्री जी उस सड़क को देखें जो १९६२ में आरम्भ हुयी थी और आज ८ साल हो गये हैं लेकिन उसकी हालत जो ८ साल पहले थी उससे भी ज्यादा वह बरबाद हो गयी है। डुमरिया गंज बस्ती एक ३० मील की सड़क है। एक ५ मील पी० डब्ल्यू० डी० की और २५ मील बस्ती से एल० आर० पी० रोड है। नतीजा क्या हुआ है कि एल० आर० पी० का पैसा वाहियात में खर्च हो रहा है। हर ५ मील में एक पुलिया बनायी गयी है। मैं माननीय मंत्री जी को चेतावनी देता हूं कि वे कोई उपाय करें वरना बरसात में रोड-वेज की बसें खड़ी हो जायेंगी और जनता हाहाकार मचायेगी।

जो रास्ते बने हैं, वे कच्चे हैं। और कहीं कहीं पर पुलिया पर से रास्ता हटा दिया है। जाने वालों को मालूम नहीं होता कि यह बीच में से कटी है। मैं एक पुलिया को जीप द्वारा पार कर रहा था कि जैसे ही मेरी जीप उस पुल के ऊपर से गुजरी तो उसमें नाली सी बनी थी तो गाड़ी का अगला हिस्सा फंस गया। फिर हम लोगों ने उस जीप को मुश्किल से निकाला। तो जिस विभाग द्वारा यह पुल बनाया गया था मैं तो कहूंगा कि उसके बनवाने वाले यदि फांसी की सजा न दी जाय तो कम से कम उसे एक साल के लिये तो मुअत्तल कर ही देना चाहिये। इसलिये मैं एफिशियेन्सी पर जोर दे रहा हूं। इतने बड़े विभाग की जिम्मेदारी आपके ऊपर है पुलिस के क्वार्टर्स भी आप ही बनाते हैं। चाहे किसी भी विभाग की बिल्डिंग हो आपके ही द्वारा बनायी जायगी। अगर ऐसी ही हालत रही तो कैसे काम चलेगा। सरकार का काम चल नहीं सकता है जब तक विभाग में एफिशियेन्सी न होगी। भानु बाबू ने भी इस बात को कहा था और जो रूरल रोड्स बोर्ड के बारे में भानु बाबू ने कहा उससे मैं सहमत हूं।

मैं श्रीमन्, एफीशियेन्सी पर जोर देना चाहता हूं। रूरल रोड्स के लिये कहा गया है मैं चाहता हूं कि इस तजवीज पर गम्भीरता से विचार करें। कहा यह जाता है कि पूर्व–पश्चिम की बात छोड़ दीजिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि पूर्वी जिले बहुत कुछ नेगलेक्टेड हैं। इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। देहातों में रूरल रोड्स चाहे वे पश्चिमी हों या पूर्वी नेगलेक्टेड हैं। पंजाब को मैंने देखा नहीं है पर पंजाब की तारीफ सुनी है कि उसको बदल दिया गया। अगर पंजाब का नक्शा बदल सकता है तो यू० पी० का क्यों नहीं बदल सकता। मैं चाहता हूं कि सरकार रूरल एरिया के लिये एक अलग बोर्ड बना दे जिससे वहां की तरक्की हो सके। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की सड़कें भी निकम्मी पड़ी हुई हैं। उनके पास न फन्ड है और न एफिशियेन्सी। जब आपके पास ही फन्ड नहीं है तो उनके पास कैसे और कहां से आयेंगे। इसलिये मेरा अनुरोध है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की बड़ी-बड़ी चौड़ी सड़कें जैसे डुमरियागंज से बांसी, मानपुर से रुधौली, डुमरियागंज से चन्द्रदीपघाट इस तरह की तामाम सड़कों को सरकार ले ले जिससे वहां तरक्की हो सके। डुमरियागंज से बांसी सड़क, चूंकि बांसी तहसील हेडक्वार्टर है, बहुत ही आवश्यक सड़क है। इस पर रूरल मैनपावर स्कीम में काफी पैसा खर्च कर दिया। मिट्टी पड़ गई और मिट्टी पड़ने के बाद सोना तुलवाकर पैसा भी ले गये लेकिन बरसात अब मिट्टी फेंक रही है। आप फिर वहीं के वहीं पहुंच जायेंगे। मैं नहीं जानता, कि मौजूदा चीफ इंजीनियर की क्या राय है, परन्तु इसके पहले श्रीवास्तव साहब थे उन्होंने आश्वासन दिया था, कि जहां जहां रूरल मैनपावर स्कीम में मिट्टी डलवाई है उसको हम पक्का करेंगे वरना पैसा बरबाद हो जायेगा। मैं आपके द्वारा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि रूरल सड़कों पर जहां मिट्टी पड़ चुकी है उन्हें ले लिया जाय।

दूसरी बात मुझे यह अर्ज करनी है कि एन० आर० पी० सड़कों की जमीन का मुआवजा का आपने एलान तो कर दिया है, जिम्मेदारी किसी की नहीं है। मैं तो कहता हूं कि इसकी कुल जिम्मेदारी मंत्री जी के ऊपर है, सड़क आपने ली है। मैंने एक क्वैश्चन किया असेम्बली में उसका जबाव मिल गया पर उस पर हमें सप्लीमेंटरी करने का अवसर नहीं

[श्री जलील अब्बासी]

मिला क्योंकि मेरे सवाल का नं० ७९ था। वह जमीन आपने आठ बरस से ली है और उसका प्लान छोटा कर दिया है। सड़कों के पास बची हुई जमीन पर ओवरसियर साहबान अपनी तरकारी बो रहे हैं और आप उस काश्तकार को मुआवजा नहीं दे रहे हैं। यह बहुत ही शर्मनाक बात है। इस पर जल्द से जल्द तवज्जह देकर आप रुपया दिलायें। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान की, जो मंत्री महोदय ने पेश किया है पुरजोर ताईद करता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि सरकार की गलती कम और अधिकारियों की ज्यादा है।

*श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी-गढ़वाल)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े गौर से मंत्री जी का भाषण सुना। जब माननीय मुख्य मंत्री बोल रहे थे मैंने उनका भाषण भी सुना। मान्यवर, हमारे सामने बाम्बेप्लान के लक्ष्य रक्खे गये, स्टार और ग्रिड के बारे में कहा गया। आप देखें कि हमारे प्रदेश में सड़कों की कितनी दुर्दशा है। ३० प्रतिशत गांव हमारे प्रदेश में ऐसे हैं जिनमें ५ मील के अन्दर कोई सड़क नहीं है। ८ प्रतिशत गांव ऐसे हैं जिनमें ८ मील के अन्दर कोई सड़क नहीं है, केवल ५ प्रतिशत गांव ऐसे हैं कि जिन गांव में होकर मोटर जाती हैं। यह हमारे प्रदेश की सड़कों की तस्वीर है। अभी हमारे एक माननीय मित्र कह रहे थे कि इससे अच्छी सरकार नहीं हो सकती। सम्भव है नहीं हो सकती हो, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि केरल में पी० डब्लू० डी० के आंकड़ों को वे देखने की कृपा करें। वहां पर प्रति १०० किलोमीटर में ५० किलोमीटर सड़कें हैं, बंगाल में १०० किलोमीटर में १८ किलोमीटर सड़कें हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश में १०० किलोमीटर में ९ किलोमीटर ही सड़कें हैं। जन संख्या के लिहाज से भी इनका अनुपात देखिये। उत्तर प्रदेश में प्रति लाख जन संख्या पर ३२ किलोमीटर सड़कें हैं, जब कि केरल में प्रति लाख जन संख्या पर ९८ किलोमीटर हैं और बंगाल में ४९ किलोमीटर हैं। इन आंकड़ों के आधार पर हमारे माननीय मित्र देखें कि यह सरकार कितनी अच्छी है।

मान्यवर, क्या कारण है कि हमारे प्रदेश में संचार साधनों की इतनी कमी है? इसके दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कि जो अनुदान इस विभाग के लिये रखा जाता है वह पूरा का पूरा खर्च नहीं हो पाता। मेरे पास सन् ६२ से लेकर सन् ६६ तक की फीगर्स हैं, समय कम है इस लिये नहीं दे रहा हूं, औसतन १ करोड़ रुपया हर वर्ष बच जाता है, लैप्स हो जाता है, खर्च नहीं हो पाता। इस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्टस में इसका जिक्र है। फिर जो रुपया खर्च भी होता है उसका सही इस्तेमाल नहीं होता, काफी रुपया रिश्वतखोरी में चला जाता है। पहाड़ों पर सार्वजनिक विभाग की जो सड़कें बनती हैं उनमें खुलेआम १० प्रतिशत की रिश्वत ली जाती है। एक तरफ आफिसरान गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे छोटे कर्मचारियों की यह हालत है कि वे सदन के बाहर भूख हड़ताल कर रहे हैं। मान्यवर, उनकी मुख्य मांग यह है कि उनको रेगुलर करने के बारे में संविद सरकार ने जो घोषणा की थी उसको पूरा किया जाय, उनको रेगुलर किया जाय। उनकी दूसरी मांग यह है कि विद्युत् विभाग तथा सिंचाई विभाग में वर्क चार्ज कर्मचारियों को जो वेतन मिलता है वही इनको भी दिया जाय। जब सिंचाई विभाग और विद्युत् विभाग के वर्क चार्ज कर्मचारियों को समान वेतन मिलता है, तो यह भी तो सरकारी विभाग है, इनके कर्मचारियों को वही वेतन देने में सरकार को क्यों आपत्ति है? मंत्री जी से इन लोगों का प्रतिनिधि मंडल मिला था और उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को कहा है। मैं चाहता हूं कि जब वे डिबेट का उत्तर दें तो उनके बारे में भी स्पष्ट घोषणा करें कि जिस तरह से सिंचाई और विद्युत् विभाग में वर्क चार्जड, मस्टर रोल, रेगुलर कर्मचारियों का एक समान वेतन दिया जाता है, उसी वेतन को देने का कष्ट करेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका में समर्थन करता हूं। जबकि मेरे जिले को कुल ५ किलोमीटर सड़क इस बजट में दी गई है जो कि आजमगढ़ जनपद २८ लाख की आबादी वाला है, इस पर भी चूंकि मंत्री जी कार्य अच्छा कर रहे हैं, उनके बजट का समर्थन करता हूं। और आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि जो आंकड़े दिए गए हैं कि देवरिया में बाम्बे प्लान में इतने बन गये हैं, गाजीपुर में इतनी सड़क बन गई है। बनारस में इतनी सड़कें हो चुकी हैं और पश्चिमी जिलों में कम सड़कें हैं, के संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसे वह इस दृष्टि से न देखें। बल्कि इस दृष्टि से देखें कि कहां रेलवे के साधन हैं? पूर्वी जिलों में रेल के साधन बहुत कम हैं। बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां पर रेलवे साधन नहीं हैं। इसलिए यदि वहां सड़कें नहीं हैं तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट के कोई साधन नहीं हैं। आजमगढ़ में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर सड़कों का नाम अभीतक नहीं है।

प्रथम से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तक वहां पर कोई भी कच्ची या पक्की सड़क नहीं ली गई है। जैसे हमारा लालगंज क्षेत्र है, जिसको सभी लोगों ने देखा है। पिछले वर्ष राज्यपाल शासन के समय में राज्यपाल महोदय गये थे और उन्होंने इस सड़क के लिये शिफारिश किया था। लालगंज—तरवा वाया पडरौना सड़क बनने को पी० डब्लू० डी० द्वारा थी, उसका पूरा एस्टीमेंट बनकर पी० डब्लू० डी० विभाग में आया था, लेकिन वह सड़क बजट में नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कच्ची सड़कें हैं जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पक्की सीमेंट की सड़कें हैं। दोनों का मुकाबला कर लिया जाए। जो आंकड़ा दिया गया है ८२, ६८, ७० और ५० फीसदी का, जो सड़कें पश्चिम में बनी हुई हैं उसके मुकाबले में वहां पर ९५, ९६ और ९८ परसेन्ट बनें तो हम मुकाबला कर सकेंगे। मंत्री जी को चाहिए जहां पर ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं नहीं हैं, वहां पर उनको अवश्य उपलब्ध करायें वरना वहां पर कृषि का विकास सम्भव नहीं हो सकेगा और न उद्योग के क्षेत्र में वे लोग विकास कर सकेंगे। आजमगढ़ जिले को जब कि सबसे कम ५ किलोमीटर सड़क दी गई है पश्चिमी जिलों में ११०, १०५, १११, ९५, ९० किलोमीटर सड़कें दी गई हैं।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस बजट में या कांटीजेंसी में कहीं भी करने की कोशिश करें, इसे बढ़ानेकी कोशिश करें। इन शब्दों के साथ मैं उनके बजट का जोरदार समर्थन करता हूं।

*श्री चन्द्र मोहन (जिला गढ़वाल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों से यह चर्चा उठ रही है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी जिले, मध्यवर्ती जिले और पर्वतीय जिले। तो कुछ दलों की ओर से यह मांग भी आई कि हम पर्वतीय राज्य चाहते हैं, इसके पीछे एक भावना होती है और मैं शासन का ध्यान इस ओर खींचना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश भौगोलिक रूप से दो खंडों में विभक्त है, पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र। इस सम्बन्ध में अशोक मेहता ने १९६७ में कहा कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ों की समस्या मैदानों से भिन्न है। और उनकी प्लानिंग मैदानी क्षेत्रों से भिन्न होनी चाहिये। दूसरी बात मैं यह रखना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश विशुद्ध पहाड़ी प्रदेश को उन्होंने ९५ करोड़ रुपया पी डब्लू० के लिए रखा है जब कि आपके प्रदेश में ५० करोड़ रुपया है। उन्होंने सर्वोच्च प्राथमिकता पी० डब्लू० डी० को दी है। वहां आवश्यक समझते हैं, चाहे बागबानी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्र मोहन]

करें, या कामर्शल यूनिट खोलें, पर्वतीय जिलों के लिए संचार का साधन होना अत्यन्त आवश्यक है। पर्वतीय क्षेत्र की प्लानिंग मैदानी क्षेत्रों से भिन्न करें। मैं इनकार नहीं करता कि आप पहाड़ों पर रुपया खर्च कर रहे हैं लेकिन हमारी तरक्की के हिसाब से वह रुपया नहीं खर्च हो रहा है। हम समझते हैं कि उसका दुरुपयोग हो रहा है। बाम्बे प्लान का माननीय मुख्य मंत्री और माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने भी जिक्र किया और यह बताया कि सबसे ज्यादा प्रतिशत पहाड़ में हुआ है। आंकड़ों से साफ जाहिर भी होता है। किन्तु माननीय मंत्री जी देखेंगे कि सबसे कम गढ़वाल जिले में है, ६४.०९ परसेंट। अन्य जिलों का प्रतिशत बहुत ज्यादा आगे है। लेकिन इस बजट में जो सड़कें रखी गयी हैं सबसे कम गढ़वाल और टेहरी गढ़वाल को रखा है। आपने उस असमानता को और अधिक बढ़ा दिया। अल्मोड़ा में १४५ किलोमीटर, देहरादून में १९८ मिलोमीटर, नैनीताल में १०२ किलोमीटर, टेहरी में २५ किलोमीटर, और गढ़वाल में ४८ किलोमीटर।

आज असंतोष इस बात का नहीं है कि हम गरीब हैं या पिछड़े हुए हैं, या साधन कम हैं। असंतोष है वितरण का। किसी जिले को अधिक मिल गया किसी को कम मिला। उधर के सदस्यों को भी असंतोष है। त्रिवेणीय राय जी बोले, समर्थन करते हुए कहा कि मेरे जिले में केवल पांच मील है। इसलिए, असंतोष की भावना सिर्फ इस बात से प्रेरित है कि हमारे यहां वितरण की असमानता बढ़ती जा रही है। माननीय कृष्णानन्द राय ने भी कहा, माननीय रामप्यारे जी ने भी कहा और सही कहा कि जो प्रभावशाली व्यक्ति है राजनीतिक ढंग से,वह अपने यहां सड़कें, इंडस्ट्री हर चीज को खींचे लिये जा रहा है। आज पहाड़ों में इस बात की मांग उठ रही है। पर्वतीय क्षेत्र से, हमारे आठ जिलों से केवल १७ प्रतिनिधि हैं। मैदान के एक जिले से १६–१६ एम० एल० ए० आते हैं। यहां पर ४२५ में १७ एम० एल० एज० की कोई आवाज नहीं है। अगर पहाड़ी क्षेत्र को नजरअन्दाज कर दिया गया तो मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि अलग राज्य मांगने का आन्दोलन उठेगा, अगर इन अव्यवस्थाओं को रिमूव नहीं किया गया और सही तौर से न्याय नहीं किया गया। यह बात जो धीरे-धीरे उठ रही है, यह आग की लपटों में परिणत हो सकती है। इसके लिये उपाय करना होगा। सही वितरण करना होगा। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि गम्भीरता से सोचें। गढ़वाल जिले के साथ न्याय करें। तमाम पूर्वी प्रदेश, बुंदेलखंड और पर्वतीय जिलों के साथ विशेष रूप से न्याय करें और पूर्ण हिस्सा उनको देने का कष्ट करें।

श्री शिवकुमार (सुल्तानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कटौती का प्रस्ताव दिया था। मुझे बोलने के लिये अनुमति दे दें।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला कानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि सार्वजनिक निर्माण जैसे प्रमुख अनुदान पर मुझे आपने विचार प्रकट करने का मौका दिया।

पहली बात इस संबंध में यह बतलाऊंगा कि एक प्रश्न मैंने भेजा था कि क्या अपने प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये आवागमन के साधनों के महत्व को समझते हुए सरकार नहर की सर्विस रोड्स को पक्का कराने की योजना पर विचार करेगी तो उत्तर मिला कि ऐसी कोई योजना नहीं है। यह भी पूछा था कि व्यावहारिक कठिनाई इसमें क्या है, जिस पर सरकार खामोश रही। इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि अगर हमको अपने प्रदेश की उन्नति करनी है तो यह सभी लोग स्वीकार करेंगे कि बिना आवागमन के साधनों की उन्नति के ऐसा नहीं हो सकता। अगर सर्विस रोड्स को पक्का करने की योजना सरकार स्वीकार कर ले तो उसका बहुत सा खर्च बच जायगा। यह ठीक है कि नहर विभाग तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग

अलग-अलग विभाग हैं मेरा सुझाव है कि इन दोनो का कोआर्डिनेशन करके इस योजना को डिस्कस किया जाय ताकि आवागमन के साधन विस्तृत हो सकें । अगर यह योजना सरकार स्वीकार कर ले तो हमारे प्रदेश में पिछड़ापन नहीं रहेगा ।

इन सर्विस रोड्स पर तीन चौथाई तो सड़क की चौड़ाई मौजूद ही है । इस प्रकार मिट्टी भरने का काम जो है उसका खर्चा कम हो जायगा, उसमें बचत हो जायगी । ये नहरें ज्यादातर पिछड़े हुये गांवों में से होकर गयी हैं लिहाजा सर्वे कराने का खर्च भी बच जायगा और सर्विस रोड्स को पक्का करने से पिछड़े हुये इलाकों में सड़कों का जाल सा फैल सकता है । सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक अधिकारी से मैंने व्यवहारिक कठिनाई के बारे में पूछा तो उसने कहा कि ये सर्विस रोड्स भार वहन नहीं कर सकतीं क्योंकि सड़कों पर ट्रक जरूर चलेंगे लेकिन ऐसा मालूम होता है कि ये अधिकारी असलियत से परिचित नहीं हैं । जितनी भी सर्विस रोड्स हैं सब पर लगभग ट्रक चलते हैं और ऐसी कोई सूचना नहीं मिली कि कहीं पर कोई ट्रक धंस गया हो । अगर मंत्री जी आवश्यक समझते हों तो प्रदेश का पिछड़ापन दूर करने के लिये वह इस योजना पर विचार करें ।

मेरे जिले में रिंद नदी पर जो सड़क रूरा और शिवाली को कनेक्ट करती है उस पर कोई पुल नहीं है । इसके अलावा कालपी रोड पर एक गांव रायपुर पड़ता है । रिंद नदी प्रति वर्ष उसे काट रही है और आधा गांव ४-५ साल में कट जायगा । अगर एक बाई-पास बना दिया जाय तो उसका कटाव रुक जायगा और सड़क भी बच जायगी । धन्यवाद ।

श्री धूम प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आज बोलने का अवसर दिया है । मैं एक पिछड़े क्षेत्र से चुनकर आया हूं और वह है सुहावल क्षेत्र जो कि फैजाबाद में है । जब अंग्रेजी शासन यहां था तो हमारे क्षेत्र की जनता यह अपेक्षा करती थी कि जब कांग्रेस शासन आजायेगा तो हमारे यहां भी आवागमन के रास्ते बन जायेंगे, सड़कें वगैरह बन जायेंगी किन्तु मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि आज उस क्षेत्र में एक इंच भी सड़क नहीं बनी । वहां न पी० डब्लू० डी० की सड़क है, न जिला परिषद् की कोई सड़क है और न किसी भी विभाग की तरफ से एक इंच भी सड़क बनाई गई । इससे वहां की जनता रो रही है। आज सरकार को आये हुये २०-२२ साल हो गये हैं । इन २०-२२ सालों से हर साल यहां बजट पेश किया जाता है किन्तु उसमें हमारे क्षेत्र के बारे में बजट से धन व्यय की कोई योजना नहीं बनाई गई । इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय को यह सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के अन्दर मड़हा और बेतवा दो नदियां हैं जिनके ऊपर एक भी पुल नहीं बनाया गया है। उस क्षेत्र में किछांवा एक गांव है जहां पर कि एक बहुत बड़ा कालेज है और जहां पर लड़के और लड़कियां पढ़ने के लिये जाते हैं । वहां पर पुल न होने की वजह से बड़ी कठिनाई है । उसमें पुल बनाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है ।

श्रीमन्, हमारे क्षेत्र की जो मिलकीपुर-अमानीगंज सड़क बनाने की योजना बनाई गई है वह सड़क सुहावल क्षेत्र तक नहीं पहुंची उसे मिलकीपुर के आगे नहीं बढ़ाया गया है । वह सड़क पी० डब्लू० डी० की है । और एक सड़क अमानीगंज से रोनाही तक पास की गई है । किन्तु उसमें मिट्टी तक नहीं भरी गई है । रुदौली एक बहुत बड़ा कस्बा है । वहां अमानीगंज मंडी है । व्यापारी लोगों को कमर-कमर पानी में घुसकर चलना पड़ता है । वहां पर अंग्रेजों के जमाने में एक पुल फैजाबाद बाराबंकी की सरहद पर बनाया गया था । उस पुल पर मिट्टी तक नहीं भरी गई है। तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि अंग्रेजों के जमाने की वह सड़क थी

[श्री धूम प्रसाद]

और अब वह तितर-बितर हो गई है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। श्रीमन्, आज मड़हा नदी का पुल जो कि रायबरेली और फैजाबाद रोड पर जो ९वीं और १०वीं मील पर है उसको टूटे हुए १० साल हो गये हैं और उसका रास्ता बदलने के लिये और उसको देखरेख में पुल बनाने से ज्यादा धन व्यय किया जा चुका है। किन्तु वहां पर पुल बनाने की कोई योजना नहीं बनाई गई है। श्रीमन्, मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि हमारे क्षेत्र के अन्दर देवरा कोट स्टेशन से ड्योढ़ी बजार सड़क बढ़ाई जाय और उसका प्राविधान बजट में किया जाय। इसके लिये मेरे क्षेत्र की जनता आपकी आभारी रहेगी और पुल के निर्माण की योजना को बजट में सम्मिलित किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायू)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो यह चाहा था कि मैं आज इस ग्रांट पर न बोलूं किन्तु माननीय मंत्री जी ने जो ग्रांट पेश की है उसका समर्थन करते हुए मैं अपोजीशन से तो यह कहूंगा कि यदि वे चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सड़कें सबसे ज्यादा बनें और अच्छी बनें तो बजाय इसके कि वे कटौती का प्रस्ताव रखते, उसमें बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव रखते। इससे एक नई परम्परा भी बनती और नये तरीके से काम भी करते।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

कहीं अगर ऐसा हो सकता हो, तो हम कर दें।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

सुझाव तो दिया होता। उपाध्यक्ष महोदय मैं यह देख रहा हूं कि कोई भी ग्रांट हो पूर्वी पश्चिमी, सेंटर और पहाड़ी क्षेत्र का जिक्र होता रहता है। लेकिन इसमें जो सरकार की तरफ से जो आंकड़े दिये हुए हैं उनसे मालूम होता है कि मार्च १९६९ तक ९.१३ फीसदी पहाड़ों में, ५९.६० फीसदी बुन्देलखंड में, बीच में ६१.०४ फीसदी, पूर्व में ७२.४६ फीसदी और पश्चिम में ६१.९० फीसदी। लेकिन पूर्व के साथियों को शायद यह नहीं मालूम है कि इसके अलावा सप्लीमेंटरी ग्रांट भी है जो लगभग २० करोड़ रुपये का एक अनुदान है जिसमें भी पूर्वी जिलों को ही सबसे ज्यादा रुपया दिया गया है। और सबसे ज्यादा किलोमीटर सड़क दी गयी हैं। और चालू बजट में भी उसी प्रकार से हैं। इस हिसाब से पूर्वी जिलों में ९० फीसदी हो जाती है। अगर इसी तरह से पूर्वी पश्चिमी होता रहा तो पश्चिमी जिलों के निवासियों को यह सोचना पड़ेगा कि जब पंजाब के हिमांचल, हरियाना और पंजाब ३ भाग हो सकते हैं तो उत्तर प्रदेश के क्यों नहीं हो सकते। ताकि यह पूर्वी पश्चिमी और पहाड़ी जिलों की जो बात बार-बार कही जाती है हमेशा के लिये खत्म हो जाय। यह प्रदेश बहुत बड़ा है इसका विभाजन होना बहुत ही आवश्यक है।

दूसरी बात यह है कि यह कोई नयी बात नहीं है मंत्री जी ने अपने जिले के लिये सड़क बनवाई हों। १५ अगस्त, ४७ से आज तक हमेशा से ही यह परम्परा रही है कि जो भी मंत्री या मुख्य मंत्री होता है वह अपने जिले को सबसे ज्यादा सड़क देता है और विशेष रूप से अपने क्षेत्र को। फिर इस बार किया गया तो क्या नई बात है। परन्तु यह बात इस बजट में सही नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, हैरत की बात तो यह है कि बदायूं जिले में सबसे कम सड़कें हैं फिर भी इसमें जो सूची दी गयी है उसमें ४६२ कि० मी० लिखा है। मैं इसको चैलेंज कर सकता हूं। मेरे पास इसका पूरा ब्योरा है उसके अनुसार ज्यादा से ज्यादा ३५३ कि० मी० होता है। इसमें लिखा गया है कि जिला परिषद् की सूचना के अनुसार ४६२ कि० मी० दिखाया गया है। जिला परिषद् को ५० हजार की ग्रांट मिलती है फिर जिला परिषद् १ करोड़ रुपया कहां से खर्च कर देगा। जो इतनी लम्बी सड़क बना सके।

इसके बाद एक बात मैं यह कहूंगा कि मेरे जिले के मंत्री हैं और कैबीनेट रैंक के हैं। इत्तफाक से इस बजट में ५ सड़कें और पिछली सप्लीमेंटरी में ३ सड़कें बाद को जोड़ी गयी हैं और माननीय मंत्री जी के क्षेत्र को छोड़कर और किसी क्षेत्र में कोई सड़क नहीं है सिवाय एक के और इसी क्षेत्र के लिये डेढ़ करोड़ रुपया कृषि मंत्री जी के क्षेत्र को दिया गया है। इस प्रकार सड़कें और ठीक कराने का धन उन्हीं के क्षेत्र को दिया गया है, जो अनुचित है। यदि पूर्वी पश्चिमी और एक ही क्षेत्र का भला होता रहा और इम्बेलेंसेज रहे तो न जाने क्या हो जाय। मैंने माननीय मंत्री जी को एक सड़कों की सूची दी थी। सैदपुर से करेंगी रेलवे स्टेशन तक ८ मील में से ४ मील मेरे क्षेत्र में हैं और ४ मील मंत्री जी के क्षेत्र में। इसी प्रकार से वजीरगंज उसेंता, आंवला, बदायूं—आंवला, सैदपुर, बिलसी अरिल-रसूलपुर-मुहम्मदी, बदायूं-बिधोल वजीरगंज-कुंवरगांव बिनापुर, बिलहत-कन्दरा-दातागंज सड़कें बहुत जरूरी हैं। परन्तु कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया। माननीय रामकरन·····

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

यह हमारी पार्टी की तरफ से बजट आया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। और कटौती का विरोध करता हूं। इससे अच्छा बजट इतने कम समय में आ भी नहीं सकता था।

एक सदस्य—

मान्यवर, कई बार खड़ा हो चुका हूं, मुझे समय मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

जब किसी का नाम पुकार लिया जाय तो यह आग्रह अनुचित है। जब राम करन जी का नाम पुकार लिया गया तो यह संसदीय प्रथा है कि बीच में नहीं बोलना चाहिये। आपके दल को तो समय दिया है।

*श्री राम करन (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान खींचना चाहता हूं। पिछले बजट सेशन में पी० डब्लू० डी० के ऊपर कटौती का प्रस्ताव जिस वक्त मैंने पेश किया था माननीय धर्म सिंह जी जो आजकल सार्वजनिक निर्माण मंत्री हैं विरोध पक्ष में बैठे थे। मैंने उस वक्त सीधे सीधे आक्षेप यहां के अधिकारियों के ऊपर लगाया था कि २५ लाख रुपये का गोलमाल एल० आर० पी० में हुआ है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि एल० आर० पी० के उस वक्त एडिशनल चीफ इंजीनियर थे श्री हरगोपाल वर्मा जिनके जमाने में २५ लाख रुपये का घोटाला हुआ था। यही नहीं, और भी कितना घोटाला हुआ जिसकी तरफ सरकार का ध्यान खींचा गया था। आज जो बजट पेश हुआ है उसके सर्वे सर्वा चीफ इंजीनियर की शक्ल में हरगोपाल वर्मा जी बैठे हुये हैं, यह उनको उस घोटाले का पुरस्कार मिला है। यही नहीं, मैंने माननीय मंत्री जी को लिखा भी था कि हर गोपाल वर्मा जैसे भ्रष्ट अधिकारी को आप हटायें और उनको कम्पलसरी रिटायरमेंट दें। उस वक्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम करन]

एडिशनल चीफ इंजीनियर वर्मा ने जहां जहां दौरा किया वहीं वहीं घोटाला हुआ । मिसाल के तौर पर मैं एक बात कहना चाहता हूं । हमारे यहां एल० आर० पी० का सेक्शन ४ है उस पर १ करोड़ ७१ लाख मिट्टी की जरूरत थी जहां २ करोड़ ६६ लाख मिट्टी पड़ी है । कसया डिवीजन में एक ओवरसियर हैं एम० एस० गुप्ता जिनके भाई ने अपने दूसरे लोगों के नाम पर बीसों लाख रुपये के ठेके लिये हैं । इस ओर कई बार सरकार का ध्यान खींचा गया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई । चाहे जितनी शिकायतें एल० आर० पी० डिपार्टमेंट की हुई उन सारी शिकायतों को चीफ इंजीनियर की कुरसी पर बैठ कर हरगोपाल वर्मा जी दबाना चाहते हैं । जब तक वह हटेंगे नहीं कुछ नहीं हो सकता । ४४ करोड़ रुपये की योजना पर ६० करोड़ रुपये खर्च हो गये और ६० करोड़ और खर्च हो जायेगा लेकिन जब तक हरगोपाल जी इस कुर्सी पर बैठेंगे तब तक चाहे जितना खर्च हो जाय एल० आर० पी० की सड़क नहीं बन पायेगी ।

दूसरे मेरे क्षेत्र की जो सहिजनवा से बखिरा तक की सड़क है, जो १० मील गोरखपुर में है और ४ मील बस्ती में है, पिछले सैशन में मंत्री जी ने कहा था कि यह सड़क बनेगी लेकिन कटौती का प्रस्ताव और वर्मा जी के खिलाफ बोलने के कारण वह सड़क अबकी बार भी नहीं ली गयी है । मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं और मंत्री जी को आगाह करना चाहता हूं कि वह चीफ इंजीयिर के दफ्तर के अहाते में जायं वहां खुले तौर से यह कहा जाता है कि ५०० रुपये का घूस ओवरसियर के बारे में और डेढ हजार रुपये का घूस असिस्टेंट इंजीनियर के बारे में लेने की साठ-गांठ मंत्री और अफसर के बीच में है । मंत्री जी इसकी जांच पड़ताल करावें ।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप बैठें, आपका समय समाप्त हो गया । माननीय शिव कुमार ।

श्री राम करन---

यह स्वच्छ प्रशासन का नमूना है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का समय दिया । हमारे माननीय मंत्री जी ने बाम्बे प्लान के अन्तर्गत हमारे जिले में ८० फीसदी के ऊपर सड़कें बनाने की बात कही है, उसे सुन कर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ । जहां तक अपने जिले का मैंने दौरा किया है, कुछ चन्द सड़कों के अलावा बकिया सड़कें नाम के रूप में दिखाई पड़ती हैं । सुल्तानपुर जिले के बहुत बड़े हिस्से में कोई सड़क नहीं है । वहां एक ब्लाक जामो है, उस पूरे ब्लाक में एक इंच भी पक्की सड़क नहीं है । कुछ अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई सड़कें हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की बनाई हुई सड़कें हैं और कुछ विकास खंड की बनाई हुई सड़कें हैं । उन तमाम को जोड़ कर अगर बाम्बे प्लान के अनुसार ८० फीसदी के ऊपर तक बनी हुई सड़कें इनको कहा जाता है तब तो बात दूसरी है लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि जहां तक पी० डब्लू० डी० का सवाल है, उसके द्वारा जिले में आज तक केवल १६ मील सड़कें ही बनी हुई हैं आजादी से लेकर आज तक ।

इसके अलावा कई पुरानी सड़कें हैं जो दूसरे विभागों द्वारा बनवाई हुई हैं और उसके बाद यह बतलाया जाय कि बाम्बे प्लान के अनुसार इस जिले में ८० फीसदी से अधिक सड़कें बनी हुई हैं यह समझ में नहीं आता । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें एक बार पेड़ लगाने और कम्पोस्ट खाद के गड्ढे खुदवाने की स्कीम थी । हमारे जिले से इतने कम्पोस्ट खाद के गड्ढे बनाने की सूचना भेज दी गयी जितनी जमीन भी

पूरे जिले में नहीं थी । तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जिन सड़कों को बनवाने के लिये मैंने अपने प्रस्ताव में दिया है, उन सड़कों को बनवाने की कृपा करेंगे । माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्ताव मंजूरी का रखा है उसका मैं पूरा पूरा समर्थन करता हूं, इसके साथ ही साथ मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि सुल्तानपुर जिले के संबंध में जो प्रस्ताव मैंने रखा है उसको वे स्वीकार करें ।

श्री शेरसिंह दानू (जिला चमोली)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये उत्तर प्रदेश की सरकार का ध्यान सीमांत जिला चमोली की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं । सरकार सोचती है कि वहां पर काफी मोटर सड़कें बन चुकी हैं लेकिन मैं बात मानने के लिये तैयार नहीं हूं और न वहां की जनता ही इस बात को मान सकती है कि वहां काफी सड़कें बनी हैं । अभी तक वहां पर जो भी मोटर के लिये सड़कें बनी हैं वे केवल सुरक्षा एवं सैनिक दृष्टि से बनी हैं और वे भी पर्याप्त नहीं हैं । जहां तक वहां पर डेवलपमेंट मार्गों का सवाल है, वहां पर इस तरह की सड़कों का बहुत ही अभाव है । इसलिये मैं मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे जिला चमोली के आर्थिक विकास हेतु सड़कों पर अवश्य ध्यान दें । मैं अपने क्षेत्र के लिये नव निर्माण हेतु कुछ सुझाव देना चाहता हूं । १—थराली जनबिष्ट-देबाल-मुन्दौली वाण मोटर मार्ग, २—घाट थराली-ग्वालदम मोटर मार्ग, ३—कर्णप्रयाग, किरशाल-नौटी मोटर मार्ग, ४—मेहलचौरी-बछुवाबाण-गणाई मोटर मार्ग, ५—सोनला-कोट कंडारा-कोठुली-नारायणबगड़ मोटर मार्ग, ६—देवाल-मानमती-पिंडारी ग्लेशियर-मोटर मार्ग, ७—देवाल से घेस मोटर मार्ग । इसी तरह वहां पर पैदल मार्गों की अभी बहुत आवश्यकता है जिनका बनना अत्यंत आवश्यक है। वहां पर अभी भी लोगों को ३०-४० मील की दूरी से भी पैदल चल कर मोटर मार्गों तक आना पड़ता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूं । मैं ४० मील पैदल चल कर लखनऊ पहुंचता हूं । इसी तरह से बहुत से ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं जहां अभी विकास की हवा तक नहीं पहुंच सकी है । इसलिये सरकार ऐसे सभी की ओर ध्यान देने की कृपा करे ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है, उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । आपने वक्त बहुत कम दिया है इसलिये मैं आपके जरिये से कुछ सड़कों के बारे में माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं । मेरे इलाके में बाढ़ बहुत ज्यादा आया करती है। भवन, छोटी गंडक, बड़ी गंडक और मंझन नाले के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है वहां जब बाढ़ आती है तो हम लोगों के और उस क्षेत्र के किसानों के आने जाने का कोई रास्ता नहीं है कि हाटा पहुंच सकें और अपने खाने-पीने के साधन को खरीद सकें या उपयोगी वस्तुओं को खरीद सकें । हाटा से एक सड़क रधिया देवरिया होती हुई मिसवा बढारा होती हुई पिपराघाट तक जाती है। वह सड़क आर० एम० पी० में ली गयी थी और मिट्टी भी पड़ी हुई थी लेकिन उस सड़क को मंत्री जी ने नहीं लिया है । तो इस योजना में मंत्री जी उसको ले लें, मिट्टी बह गयी है बाढ़ के कारण तो इसको ले लें और अजीजनगर वाली सड़क में इसे मिला दिया जाय ताकि हम लोगों के आने जाने का मार्ग सुखमय हो जाय । मंत्री जी इसको नोट कर लें और इसको जरूर ले लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री रामप्यारे ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय रामप्यारे के समय में से एक मिनट हमको दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

एक मिनट आपको और एक मिनट निहाला सिंह को दे दिया जाय तो ५ मिनट में से कितना समय रहेगा ?

*श्री रामप्यारे—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से सभी उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जो चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कटौती के प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट किये। सबके विचार लाभप्रद हैं और प्रदेश की तरक्की के लिये मूल्यवान हैं दो तीन बातों की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना है। एक बात छोड़ गया था—एन्क्रोचमेंट का मामला। प्रदेश भरमें एन्क्रोचमेन्ट गलत ढंग से हो रहा है, एक्सीडेंट्स काफी होते हैं। तो मेरा सुझाव है कि यदि कहीं बस गयी हो जैसे कि एक केस आया था हमारे क्षेत्र का रनकूट का, वहां पर ५०—५० फिट की चौड़ाई अगर होनी चाहिये तो सुविधा को देखते हुए ३२—३२ फिट कर दीजिये। यह एन्क्रोचमेंट का कड़वा काम है, लेकिन इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये।

इसके अलावा सूखा में हमारे उन जिलों में जो पूर्वी थे मिर्जापुर, बांदा, इलाहाबाद, जौनपुर गाजीपुर, बस्ती इनमें श्रमदान में क्या सूखे में रोड पर काम हुआ था, जिसको पी० डब्ल० डी० वालों ने कराया था और विभाग वालों ने कराया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी रोड बनी हैं, सरकारी पैसा लगा है उनको पी० डब्ल० डी० वाले अपने हाथ में ले लें। एक निवेदन यह है कि जो आपके हाथ में सड़कें हैं उनके किनारे छायादार पेड़ थे। कुछ तो उनमें से ओवरसियर काटकर चारपाई इत्यादि बना ले रहे हैं तो मैं एक निवेदन करता हूं कि फारेस्ट डिपार्टमेंट वालों से कहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस कार्य को विभाग स्वयं करे और उसके आधार पर जो विभाग के वर्कर्स, मेट होते हैं वह उसकी सुरक्षा कर लें।

एक निवेदन यह करना है, हमारे कई साथियों ने कहा था, ओल्ड कौंसिलर्स रेजीडेंस में नम्बर तीन में आप देखें तो छत को रोकने के लिए खम्बे लगाये गये हैं। माननीय गवर्नमेंट के जो मेम्बरान हैं उनके बंगलों की तो सजावट की जाती है तो हम यह नहीं मानते कि हमारे माननीय सदस्य जो सम्मानित सदस्य हैं उनके निवास स्थान में इस तरह की हालत हो। तो मैं चाहूंगा कि विस्तार से हमारे विधायकों के रेजीडेंश्यल क्वार्ट्र्स हैं उनको दिखा लें और कमियों और खामियों को दूर करने की कृपा करें।

इसके अलावा जो हमने विस्तृत सुझाव कटौती प्रस्ताव रखते समय दिये हैं उन पर आप ध्यान दें और जैसा कि मैंने सिद्ध करने की कोशिश की थी, यह प्रदेश सबसे पिछड़ा क्षेत्र है रोड के मामले में। यदि औसत देखा जाय तो यहां ३२ किलोमीटर रोड है जब कि दूसरे प्रदेशों में, मैसूर में १२६ किलोमीटर है, गुजरात में ६० किलोमीटर है। आप देखें, गुजरात में ६० है, बिहार में ७३ है। तो जो सुझाव आये हैं उनसे काम नहीं चलेगा। इस विभाग के साधन बढ़ाये जाने चाहिये और जो डिफेक्ट्स हैं उनको दूर किया जाय और कार्य की क्वालिटी होनी चाहिये, जैसा कि होना चाहिये अन्य प्रदेशों की तुलना में। वित्त मंत्री जी ने ८ मई के भाषण में कहा है कि ३५ हजार वर्कर्स को रेगुलराइज करने जा रहे हैं। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उस तरह का वादा न हो जैसा कि मंगला प्रसाद सारस्वत ने किया था कि जिनकी ३ वर्ष की सेवायें हो गई हैं उनको परमानेन्ट करने जा रहे हैं। यदि आपने आश्वासन दिया है तो इन कर्मचारियों का भविष्य उज्ज्वल करें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री धर्मसिंह—

अध्यक्ष महोदय, जो राम प्यारे जी ने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसका मैं विरोध करता हूं। प्रस्ताव पेश करते समय यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में रुपये की कमी है, सड़कें बहुत बननी चाहिये और अगर हम अपने प्रदेश का दूसरे प्रदेशों से मुकाबला करते हैं आबादी के लिहाज से और बहुत सी बातों के लिहाज से, तो मान्यवर चाहे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले सभी ने यह बात कही और वह अपनी जगह पर सही है कि यह प्रदेश दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में बहुत पिछड़ा है सड़कों के मामले में, यहां पर सड़कों की कमी है, इसमें दो रायें नहीं हैं। यदि वास्तव में प्रदेश को आगे ले जाना है, यदि वास्तव में यहां पर लोगों का जीवन सुधारना है तो सबसे पहले गाजीपुर में कार्य होना चाहिये, इसमें दो रायें नहीं हैं, लेकिन सरकार पर यह आरोप लगाया जाय क्योंकि यहां पर मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री हूं, चौधरी चरण सिंह मुख्य मंत्री हैं, मेरठ के रहने वाले हैं और मैं भी बुलन्दशहर का रहने वाला हूं, सिंचाई मंत्री मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, उन पर यह चार्ज लगाया जाय तो मैं इतना कह देना चाहता हूं . . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग कृपा कर बैठें।

(व्यवधान)

श्री धर्मसिंह—

मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसमें दो राय नहीं हैं कि प्रदेश में सभी जगह सड़कों की आवश्यकता है, लेकिन इसमें भी दो रायें नहीं हैं, जहां तक उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों का सम्बन्ध है . . .

(व्यवधान)

बुन्देलखंड में भी आवश्यकता है सड़कों की और वहां सड़कें होनी चाहिए। मान्यवर, जो आंकड़े सदन के सम्मुख मैंने प्रस्तुत किये हैं और जो बाम्बे प्लान की पद्धति है उसके अनुरूप वह प्रस्तुत किये गये हैं और उनमें किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

बाम्बे प्लान की बात फ़ाड है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग कृपा कर बैठिए।

(व्यवधान)

श्री धर्मसिंह—

अगर कोई गलती हो तो मैं उसको सुधारने के लिये तैयार हूं। जो फारमूला बना है अगर उसमें कहीं गलती से कोई पक्षपात हो गया हो तो माननीय सदस्यों को दावत देता हूं कि वह मुझसे बात करलें और इंजीनियर साहबान के साथ बैठ कर मैं उसको ठीक कर लूंगा। जो दूसरी बात वर्क चार्ज के बारे में कही गई, उसमें दो राय नहीं हैं कि मान्यवर, वर्कचार्ज में जो कर्मचारी काम करते हैं उनके ऊपर वर्क लोड ज्यादा है।

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सही नहीं है कि मेरठ में केवल मुख्य मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में ९०,००,००० रु० खर्च किया जायगा ?

श्री धर्मसिंह--

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि वर्क चार्ज को रेगुलर करने का इरादा है और इसमें दो राय नहीं हैं कि इस सरकार को पूरे तरीके से वर्क चार्ज से हमदर्दी है। जब से मेरी जानकारी में यह मामला आया है विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। चाहे इधर के बैठने वाले या उधर के बैठने वाले जितने १७, १८ व्यक्तियों ने विचार प्रकट किये हैं सभी की हमदर्दी है। मान्यवर, उसमें तीन पहलू हैं।

(व्यवधान)

एस० वी० डी० ने १३,५१८ वर्कचार्ज को रेगुलर किया था। ९८५३ के करीब लोग रेगुलर होने पाये हैं और बाकी लोगों को पूरी तरह से कर दिया जायगा। इसके अलावा इस वक्त जो हमारे पास आंकड़े हैं उनको देखते हुए मैं यह घोषणा करता हूं कि यह जो तादाद है १३,५१८ रेगुलर करने की यह १८,००० हो जायगी और यह १८,००० जरूर रेगुलर होगी। मान्यवर, यह पहली जुलाई से लागू हो जायगी। तो इस तरीके से जो १३,५१८ इस्टैबलिशमेंट में थे जो रेगुलर कर दिए थे अब उनकी तादाद १८,००० के करीब हो जायगी जिनको रेगुलर कर दिया जायगा।

दूसरी बात मान्यवर, इस मामले में यह है कि हमारे यहां नेशनल हाई वे पर वर्कचार्ज द्वारा काम होता है। यह करीब १४७४ के हैं और इनके साथ सरकार को पूरी तरह से हमदर्दी है। उनके लिए हम ए० जी० से पत्र व्यवहार कर रहे हैं और स्पेशल मेसेन्जर भेजे हैं। उनसे बात करने के बाद गवर्नमेंट आफ इंडिया को लिखना होगा। केवल कागज की कार्यवाही है और उत्तर प्रदेश सरकार को किसी प्रकार का एतराज नहीं है। यदि हम उसकी घोषणा कर देते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार का नुकसान हो जायगा क्योंकि इनको जो चार्जेज दिए जाते हैं वह भारत सरकार द्वारा दिये जाते हैं। इसलिये ए० जी० से बात करने के बाद और भारत सरकार से बात करने के बाद, मान्यवर, इसकी भी पूरी तरह से घोषणा कर दी जायगी।

मान्यवर, वर्क चार्ज्ड के बारे में तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे-कार्य-प्रभावित कर्मचारी जो नियमित अधिष्ठान में नहीं लिये गये हैं, उनकी यह मांग रही है कि अत्यन्त महंगाई के कारण उनके वेतन में तुरन्त वृद्धि कर दी जाय। इसके लिये सरकार को अतिरिक्त भार सहना पड़ेगा, फिर भी उनकी कठिनाइयों को देखते हुये शासन ने यह निर्णय लिया है और मैं यह घोषणा करता हूं कि ऐसे कार्य-प्रभावित कर्मचारी जिनको नियमित अधिष्ठान में नहीं लिया गया है, के वेतन में १-७-१९७० से लगभग १० प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी कर दी जायगी। इस तरह से मान्यवर १० प्रतिशत बढ़ोत्तरी १-७-१९७० से कर दी जायगी।

श्री गोविन्द सिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह स्पष्टीकरण चाहूंगा कि जो वर्क-चार्ज्ड है और जो रेगुलर हैं, उनके बीच में जो वेतन की असमानता है, क्या उसको भी वह खत्म करने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह--

मान्यवर, जहां तक असमानता का सम्बन्ध है, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि क्या कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है। इसके साथ ही साथ, मान्यवर, शुक्ला कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट रिकमेंडेशन्स के साथ सरकार को दे दी है। जहां तक इंजीनियरिंग का सम्बन्ध है, उसमें एल० एस० जी० हैं, इर्रीगेशन है और उसमें

पी० डब्लू० डी० भी है। इस तरह से ३–४ डिपार्टमेंट का सम्बन्ध है। सरकार को पूरी तरीके से जानकारी है कि किस तरह से एस्टेबिलिशमेंट हो, किस प्रकार का कन्फरमेंशन हो, किस प्रकार का प्रामोशन हो और किस तरह की सीनियारिटी, इत्यादि पर हो। मैं सदन को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जहां तक शुक्ला कमेटी की रिपोर्ट का सम्बन्ध है, उसको एक्जामिन किया जा रहा है, क्योंकि कई विभागों का मामला है। इसलिये उसमें शीघ्रता से शीघ्रता की जा रही ह और जल्दी ही निर्णय ले लिया जायगा। इस समय यह बताना कठिन ह कि कितने समय में निर्णय ले लिया जायगा, लेकिन मुझे यकीन है कि कम से कम ३–४ महीने अवश्य लग जायेंगे। जल्दी में काम करने से कोई लाभ न होगा, क्योंकि हम एक परम्परा बनाने जा रहे हैं, कोशिश यही की जायगी कि ३–४ महीने में ही निर्णय ले लिया जाय, फिर भी हो सकता है कुछ समय और लग जाय।

मान्यवर, जहां तक ठेकेदारी को समाप्त करने का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में बहुत से विचार प्रकट किये गये और मैं उनका स्वागत करता हूं। जहां तक पी० डब्लू० डी० का सम्बन्ध है, मैंने सदन के समक्ष जब बजट प्रस्तुत किया था तो शुरूआत में ही खासतौर से यह निवेदन कर दिया था कि सरकार तो चाहती है ठेकेदारी को समाप्त करना। मान्यवर, इस प्रदेश में और इस सदन में भी बहुत से लोगों की यह मांग रही है, लेकिन यह सोचा जा रहा है कि आखिर इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है। बहुत से लोगों ने यह कहा कि कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाई जायं। ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने के लिये हम धीरे-धीरे ही अग्रसर हो सकते हैं। हम ५ विभागीय यूनिटों के द्वारा फर्रुखाबाद में गंगा पर पुल बना रहे हैं, बहुत सी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो इस तरीके से हम अग्रसर हो रहे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

कर्मचारियों के विषय में भी तो कहिये...

श्री धर्मसिंह—

जहां तक कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उसकी पूरी तरह से घोषणा कर दी गई है, शायद इन तमाम बातों को माननीय सदस्य ने सुना नहीं। चूंकि समय बहुत कम है...

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

जैसा कि मंत्री जी ने अपनी बजट स्पीच में कहा कि वे कर्मचारियों को सुविधा दे रहे हैं, तो क्या वह सही है और उस पर सरकार कायम रहेगी?

श्री धर्मसिंह—

बजट स्पीच देखने के बाद वित्त मंत्रीजी ने एब्सट्रैक्ट पढ़ा और पढ़ने के बाद उसको एक्जामिन किया। तो जब वह अपर हाउस में जवाब दे रहे थे तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि ३५,००० की फिगर्स जो है, वह गलत थी।

उस ३५ हजार की फिगर को क्लैरीफाई कर दिया गया है वित्त मंत्री जी के द्वारा और वह फिगर १८ हजार है जिसकी मैंने घोषणा कर दी है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

तो क्या सदन यह समझे कि ३५ हजार से फिगर घटा कर १८ हजार कर दी गयी है? श्रीमन्, हम लोग बराबर यह देख रहे हैं कि सरकार अपनी कही हुई बात पर कायम नहीं रहती। इसीलिए मैंने यह क्लैरीफिकेशन सीक किया है। माननीय मंत्री जी १८ हजार की फिगर देना चाहें तो कृपया बता दें कि ३५ हजार से १८ हजार क्यों कर दिया?

श्री धर्मसिंह—

मैंने तो अभी क्लेरीफाई कर दिया था। जब बजट प्रस्तुत किया गया तो ३५ हजार की फिगर थी। फाईनेन्स डिपार्टमेंट ने इस बात को देखा कि कहां गलती है। तो माननीय वित्त मंत्री जी ने अपर हाउस में जब जवाब दिया तो फिगर को १८ हजार माना जिसकी घोषणा मैंने इस वक्त सदन में कर दी है।

माननीय भानु प्रताप सिंह जी ने रूरल रोड्स का पृथक डिवीजन कायम करने की बात कही। मैं उनसे स्वयं मिलूंगा इस बात के लिए कि उनका क्या अभिप्राय था और किस प्रकार से उसको कार्यान्वित किया जाय इस पर मैं विचार करूंगा।

एक सदस्य—

एक जानकारी चाहता हूं। जिस तरह से और पुलों पर पुलिस और लाइट की व्यवस्था होती है उसी तरह से गोरखपुर में राप्ती के पुलिस पर क्या यह व्यवस्था कर सकते हैं ?

श्री धर्मसिंह—

उस पर विचार कर लिया जाएगा। श्रीमन्, माननीय भानु प्रताप सिंह जी ने कहा कि जो गांव वाले सड़क बनवाना चाहते हैं उसमें ५० प्रतिशत वह दें और ५० प्रतिशत सरकार दे। मान्यवर, इस पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। इन शब्दों के साथ इस बात को कहते हुए कि प्रदेश की सड़कों की कमी को हम दूर करना चाहते हैं, माननीय रामप्यारे जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि कृपा कर कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ३३—सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३३—सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त १४,५९,३७,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ३४—संचार साधनों का सुधार, के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३४—संचार साधनों का सुधार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ८८,२१,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ३५––सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्याय––

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३५––सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३,७५,७१,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ५१––सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५१––सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १९,१५,२३,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय नित्यानन्द जी की नियम ५६ के अन्तर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसको अस्वीकार किया गया है। वह उत्तर प्रदेश सरकार की लापरवाही से उत्तर प्रदेश के चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से सम्बन्धित पब्लिक सेक्टर के उद्योगों के लिये कम धनराशि रखे जाने के सम्बन्ध में है।

नियम ५१ के अन्तर्गत माननीय कृष्ण स्वरूप जी की एक सूचना को स्वीकार किया गया है जो कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा रायबरेली, फतेहगढ़ आदि स्थानों पर आयोजित परीक्षाओं का रद्द होना तथा परीक्षार्थियों को पुनः परीक्षा देने के लिये कानपुर बुलाये जाने से उत्पन्न परिस्थिति के बारे में है।

नियम ५१ के अन्तर्गत ही माननीय महराम सिंह जी की एक सूचना को स्वीकार किया गया है क्योंकि यह भी ऊपर वाली सूचना से सम्बद्ध है। उनकी सूचना यह है कि कानपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत फर्रुखाबाद, उन्नाव तथा रायबरेली जिलों के डिग्री कालेजों की परीक्षाओं को रद्द करने से उत्पन्न परिस्थिति के बारे में है।

नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी, माननीय अनन्तराम जायसवाल और माननीय हबीब अहमद की सूचना प्राप्त हुई थी जिसको नियम ५१ में स्वीकार किया गया है। वह इस प्रकार है कि झंडेवाले पार्क, असीनाबाद, लखनऊ में लगी प्रदर्शनी द्वारा साम्प्रदायिकता का विष फैलाना है।

[श्री उपाध्यक्ष]

इसी प्रकार से नियम ५२ में माननीय कृष्ण चन्द्र शर्मा, माननीय भगवत दयाल सिलोइया तथा माननीय प्रेम नारायण अहेरवार की सूचना प्राप्त हुई थी जिसको नियम ५१ में स्वीकार किया गया है। वह इस प्रकार से है कि लखनऊ–झांसी पैसेन्जर ट्रेन में ९, १० जून की रात्रि में डकैती और गाड़ी में उपस्थित पुलिस दस्ते द्वारा उदासीनता है। इसको नियम ५१ में स्वीकार किया गया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

जो सूचना मैंने नियम ५६ में दी है उस पर मैं एक मिनट लेना चाहता हूं। चौथे प्लान के अन्दर केन्द्रीय सरकार ने ३,१५० करोड़ रुपया पब्लिक सेक्टर के अन्दर उद्योग के लिये निश्चित किया था पूरे देश में। उनमें से उत्तर प्रदेश को केवल ४८ करोड़ रुपया मिला है अविलम्बनीय महत्व की बात यह है कि इस समय अगर हमारी प्रदेशीय सरकार इस बात का प्रयत्न करेगी हम लोगों के सहयोग से जिसको मैंने इस कार्य स्थगन प्रस्ताव में भी कहा है कि विरोधी दलों का सहयोग सरकार ले और इस प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाला जाय, क्योंकि जनसंख्या के अनुपात से पब्लिक सेक्टर के लिये ३०० करोड़ रुपया प्रदेश के लिये बहुत कम है। यहां की गरीबी और पिछड़ेपन को देखते हुये यह अविलम्बनीय इसलिये है कि इसी समय मौका है 'स्ट्राइक व्हेन दि आयरन इज हाट' के हिसाब से इसी समय माननीय मुख्य मंत्री जी विरोधी दलों का सहयोग लेकर केन्द्र पर दबाव डालें, आजकल मुख्य मंत्री जी का काफी तालमेल भी केन्द्र से है और वह दबाव डाल सकते हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस को नियम ५१ में स्वीकार किया जाय और इस विषय पर एक वक्तव्य हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

यह स्वीकार करने के लायक इस लिये नहीं है क्योंकि इसका महत्व कुछ भी हो लेकिन यह अविलम्बनीय नहीं है। बजट सत्र चल रहा है उसमें इस बात पर सरकार का ध्यान खींचा गया है इसलिये इस की कोई तात्कालिकता या अविलम्बनीयता नहीं है। इसीलिये इस को अस्वीकृत किया गया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने २ सूचनायें आप की सेवा में आज भेजी थीं....

श्री उपाध्यक्ष---

उसमें से एक तो स्वीका हुई है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मैंने एक सूचना नियम ५१ में और एक नियम ५२ में भेजी थी, नियम ५१ की जो है.....

श्री उपाध्यक्ष---

५२ वाली को ही ५१ में स्वीकार किया गया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

नियम ५१ की सूचना पी० आर० ए० आई० के बारे में थी।

श्री उपाध्यक्ष---

आप ने जो ५२ में दी थी वह पिछली बैठक का था, वह विचाराधीन था, वह स्वीकार हुआ है...

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैंने एक पी० आर० ए० आई० के बारे में सूचना दी थी, यह जो सफेद हाथी सरकार बांधे हुये है और उस पर जितना पैसा सरकार का व्यय हो रहा है वह सब बेकार जा रहा है और खास तौरसे उसका जो इंडस्ट्रीज सेक्शन है उस की सारी योजनायें बगैर तकनीकी छानबीन के, बगैर व्यवहारिकता और उपयोग को देखें हुये सारी योजनायें चलाई जा रही हैं और अफसर उस को चलाये हुये हैं। फर्रुखाबाद में महमूदाबाद में एक टेनरी चलाई गई, किस तरह से वह योजना चलाई गई उस का विवरण मैंने पढ़ा है और देखा है। इसी तरह से कायमगंज में मैन्गो प्लांट और फ्रट प्रिजरवेशन का उद्योग चलाया गया और उस पर तमाम सरकारी पैसा खर्च किया गया लेकिन.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप उसको उद्योग विभाग की मांग की बहस के समय बता सकते थे, इसकी कोई तात्कालिकता या अविलम्बनीयता नहीं है। आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर सकते हैं और सरकार का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

ऐसी संस्था को एक क्षण के लिये भी नहीं चलने देना चाहिये जबकि उस की कोई उपयोगिता ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप को अनुदान नहीं देना चाहिये था, अनुदान तो आप ने स्वीकार कर दिया, यह सदन है वह स्वीकार कर चुका.....

श्री अनन्त राम जायसवाल—

मैं उस दिन बोलना चाहता था लेकिन समय कम मिला, इसलिये केवल ५ मिनट का जो समय था उस में.....

श्री उपाध्यक्ष—

तो आप प्रश्न कर लें उसके बारे में।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

एक नियम ५२ का भी मेरा था....

श्री उपाध्यक्ष—

वह स्वीकार हुआ है। लेकिन एक आप का अभी नहीं देखा गया है, वह कल आयेगा।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, ६ तारीख से मैं बराबर अपने जिले की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में प्रेस करता रहा हूं। आपने कहा था कि आप इसे स्वीकार कर लेंगे, अगर अल्पसूचित प्रश्न दे दूंगा। लेकिन मुझे बड़ा खेद है कि ६ तारीख से लेकर आजतक नहीं आया। प्रश्न तो आगया और सरकार ने यह स्वीकार भी किया है कि ३ लाख रुपये का गबन हो गया, वहां की जनता परेशान है। उसके उपरान्त दूसरा सवाल आया लेकिन वह भी मन्जूर नहीं किया गया। फिर तीसरा सवाल.....

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा मालूम पड़ता है कि जब यहां पर कहते हैं तो अगर आप उस प्रश्न के नीचे यह लिख देते कि आपको इस प्रकार से सदन में आश्वासन दिया गया है तो जरूर देखा जाता। इस पर विचार न करने का यही कारण हो सकता है।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, यह (लिफाफा दिखाते हुए) आपके स्वच्छ प्रशासन का एक नमूना है····

श्री उपाध्यक्ष—

अभी इसको आप छोड़िए। इस तरह से नमूने नहीं दिखाये जाते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत एक सूचना दी थी और वह अवलम्बनीय महत्व की है। मुझे आप नियम ५३ के अन्तर्गत सुन सकते हैं और मुख्य मंत्री को भी सुन सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी सूचना मेरे पास नहीं है। माननीय अध्यक्ष के पास हो। आप उनसे मिल लें और बता दें कि वह अविलम्बनीय महत्व का प्रश्न है। आपने मुझे वह सूचना दी नहीं। वह माननीय अध्यक्ष के समक्ष है और जो उन्हें करना होगा वे कल करेंगे।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा पाठ्य-पुस्तकों के चयन में अनियमितताओं के संबंध में वक्तव्य

शिक्ष मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की अंग्रेजी, रसायन विज्ञान और कृषि विषयों की पुस्तकों में परिवर्तन करने की अनुमति शासन ने राजाज्ञा दिनांक २२ नवम्बर, १९६५ में दी थी। तदनुसार १९६६ में आवश्यक कार्यवाही की गई परन्तु जब यह कार्यवाही जारी थी तभी शासन ने राजाज्ञा दिनांक २२ मई, १९६७ में आदेश दिये कि अन्य कोई आदेश होने तक एतद्सम्बन्धी कार्यवाही स्थगित रहे।

पुस्तकों के चयन की वर्तमान कार्यवाही दिनांक ८ सितम्बर, १९६९ के शासनादेश से प्रारम्भ हुई जिसमें शासन ने यह आदेश दिया कि वर्तमान पुस्तकों के स्थान पर आमंत्रित की जा चुकी पुस्तकों में से उपयुक्त पुस्तकों को १९७२ की परीक्षा से चालू किय जाय। शासन के इस आदेश के अनुपालन में कृषि, रसायन विज्ञान और अंग्रेजी—तीनों विषयों की पुस्तकों के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ की गई और कृषि तथा रसायन विज्ञान के विषयों की पुस्तकों पर चयन परिषद् की ३१ मई, १ जून और १४ जून, की बैठकों में पूर्ण किया गया। इनके चयन में कोई विशेष वाद—विवाद नहीं हुआ और परिषद् की स्वीकृत प्रणाली के अनुसार और विनियमों के आधार पर विशेषज्ञ समीक्षकों की समीक्षा स्वीकार करते हुये परिषद् ने चयन सम्बन्धी अन्तिम निर्णय ले लिया। परन्तु अंग्रेजी विषय की पुस्तकों के चयन में वाद—विवाद इसलिये उत्पन्न हुआ कि अंग्रेजी विषय समिति ने विशेषज्ञों की समीक्षा न मान कर अपनी अलग ही चुनी हुई पुस्तकों की सूची प्रस्तुत की और यह चाहा कि परिषद् उन पुस्तकों का अनुमोदन करे। परिषद् इसके लिये तैयार नहीं हुई क्योंकि परिषद् के सम्मुख आने से पूर्व विषय समिति की सूची पाठ्यचर्या समिति के सम्मुख भी प्रस्तुत होती है और पाठ्यचर्या समिति ने विषय समिति के निर्वाचन से असहमति प्रकट की और यह प्रस्ताव रक्खा कि मेरिट (Merit) के अनुसार समीक्षकों की सम्मति और अंक के आधार पर अंग्रेजी विषय की पुस्तकों का भी चयन किया जाय जैसे कि कृषि और रसायन विज्ञान के विषयों में चयन किया गया है। और जैसी कि पद्धति १९५५ से परिषद् में पुस्तकों के चयन के नियमों के परिवर्तन के बाद से चली आ रही है, ३१ मई और १ जून की परिषद् की बैठक में जब वाद-विवाद के पश्चात् अन्त में परिषद् इस निर्णय पर पहुंच रही थी कि पुस्तकों का चयन स्थापित विधि से किया जाय तब परिषद् के एक सदस्य ने एक सूची प्रस्तुत की जिससे समीक्षाओं की गोपनीयता भंग होने का आरोप था।

परिषद् ने पहिली जून की अपनी बैठक स्थगित कर १४ जून को फिर सर्वसम्मति से मिलने का निर्णय किया और अध्यक्ष को अधिकृत किया कि आरोप की जांच कर परिषद् को अपनी आख्या प्रस्तुत करें ।

अध्यक्ष ने परिषद् के इस आदेशानुसार प्रस्तुत आरोप की जांच की जिसके अनुसार प्रस्तुत सामग्री से यह आरोप स्थापित नहीं होता कि समीक्षायें दूषित हुईं ।

तत्पश्चात् १४ जून, १९७० की बैठक में परिषद् ने अंग्रेजी की पुस्तकों का भी चयन किया और नियमानुसार पुस्तकों के चुनाव को अन्तिम रूप दे दिया । इस चयन के आधार के सम्बन्ध में दो विकल्प परिषद् सदस्यों ने रखे परन्तु उनमें से कोई भी विकल्प अंग्रेजी विषय समिति द्वारा प्रस्तावित पुस्तकों के चयन के अनुमोदन का नहीं था । बहुमत से परिषद् ने यह निर्णय किया कि पुस्तकों के चयन का आधार विशेषज्ञ समीक्षकों की समीक्षा के अंकों के योग पर रक्खा जाय ।

परिषद् ने तदनुसार पुस्तकों के चयन की कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण की है और उसमें किसी प्रकार की त्रुटि या असावधानी नहीं हुई है ।

श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि दिनांक १ जून, १९७० को जो बैठक परिषद् की हुई उसमें श्री बैजनाथसिंह, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के सदस्य ने पचास ऐसे नामों की सूची दी थी समीक्षकों की और जिसका आपने दावा किया कि गोपनीयता भंग नहीं हुई । तो फिर उसकी गोपनीयता का आधार आपके पास क्या है?

श्री श्रीपति मिश्र—

समीक्षकों की जो सूची होती है अंग्रेजी की विषय समिति ही उनका नाम बताती है और वह काफी तादाद में यानी तिगुनी तादाद में नाम बताती है और फिर उन्हीं में से समीक्षक रक्खे जाते हैं । जो समीक्षकों की सूची प्रस्तुत की गयी उसमें बहुत सी गलतियां थीं और यह नहीं बताया गया कि किस समीक्षक ने कौन सी पुस्तक की समीक्षा की । जो नाम दिये वे भी कुछ गलत थे । फिर भी जो जांच रिपोर्ट आयी है उससे यह मालूम नहीं होता कि गोपनीयता भंग हुई है ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

यह केवल वक्तव्य के लिये है ।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । इस एजेन्डे के आइटम ८ को देखिये जिसमें इसको केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है । मैं आपकी व्यवस्था भविष्य के लिये चाहता हूं कि क्या भविष्य में भी आप उन वक्तव्यों पर जो केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किये गये हों, आप प्रश्न पूछने की आज्ञा देंगे ? या यह आज्ञा केवल आज के लिये ही दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

जो केवल वक्तव्य के लिये होते हैं उन पर प्रश्न नहीं होते । स्पष्टीकरण कोई मांग सकता है । अब भविष्य में जो स्थिति होगी उसके अनुसार व्यवस्था होगी, अभी से उस कल्पनात्मक स्थिति के बारे में मैं क्या कह सकता हूं ?

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । क्या माननीय मंत्री जी इस बात की फिर से जांच करायेंगे कि जो अंग्रेजी की पुस्तकें हैं उनके लिखने वाले बहुत से ऐसे हैं जो अंग्रेजी के लेखक नहीं

[श्री मोहन लाल कपूर]

हैं तथा उनमें अधिकांश पुस्तकें जो स्वीकृत हुई हैं वे अधिकारियों की हैं ? जो लेखक हैं वे उन विषयों के लेखक हैं ही नहीं । विषय समिति ने सिफारिश कुछ और की है, किया कुछ और गया है । तो क्या इसकी जांच करा कर उन्हीं लेखकों की किताबें लेंगे जो वास्तव में संबंधित विषयों के लेखक हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

आपने कहा कि जो पुस्तकें स्वीकृत हैं उनमें अधिकारियों की अधिक हैं, यह गलत है । दूसरे यह जो कहा गया कि ऐसे व्यक्तियों की पुस्तकें हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते, यह भी सही नहीं है । अधिकारियों में से तो शायद एक अधिकारी की पुस्तक है । बाकी सब दूसरों की है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, कल ११ बजे तक के लिये ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
२२ जून, १९७० ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३८(२) के अन्तर्गत' ता० प्र० १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०३८ पर]

तालिका

मिलवार प्रस्तावित गन्ने की मात्रा जो १०—५—७० को अवशेष थी व अवशेष बान्डेड गन्ने की मात्रा को देखते हुए पेराई बन्द होने की सम्भावित तिथि

क्रम-संख्या	जिला	क्रम संख्या तथा मिल का नाम	१०—५—७० को अवशेष प्रस्तावित गन्ने की मात्रा (लाख क्विं०)	१९६९—७० सत्र की पेराई बन्द होने की संभावित तिथि (तिथि मिल की पेराई क्षमता तथा गन्ने की उपलब्धि व व्यावर्त न के आधार पर बदल सकती है)
१	२	३	४	५
		पश्चिम उत्तर प्रदेश		
१	मेरठ	१—सकोती ..	१.२७	जुलाई के दूसरे सप्ताह में
		२—दौराला ..	१.१७	जून के अन्तिम सप्ताह में
		३—जसवन्त ..	५.०४	जून के अन्तिम सप्ताह में
		४—मोहिउद्दीनपुर	७.२५	जुलाई के तीसरे सप्ताह में
		५—बेगमाबाद ..	२.४०	जून के तीसरे सप्ताह में
		६—सिम्भावली ..	६.७३	जुलाई के दूसरे सप्ताह में
		७—भवाना ..	७.५२	जून के तीसरे सप्ताह में
		८—बागपत ..	८.३८	जुलाई के अन्तिम सप्ताह में
२	मुजफ्फरनगर	९—मन्सूरपुर ..	७.०३	जुलाई के अन्तिम सप्ताह में
		१०—खतौली	९.८४	जुलाई के दूसरे सप्ताह में
		११—रोहाना ..	६.०४	जुलाई के अन्तिम सप्ताह में
३	बुलन्दशहर	१२—शामली	२०.४८	जुलाई के अन्तिम सप्ताह में
४	सहारनपुर व देहरादून	१३—बुलन्दशहर ..	२.३३	जुलाई के तीसरे सप्ताह में
		१४—इकबालपुर ..	—	जुलाई के अन्तिम सप्ताह में
		१५—डोईवाला ..	१.६५	जुलाई के दूसरे सप्ताह में
		१६—देवबन्द ..	१३.४६	जुलाई के अन्तिम सप्ताह में
		१७—लकसर ..	४.४७	जुलाई के अन्तिम सप्ताह में
		१८—सरसावां ..	४.८३	जुलाई के तीसरे सप्ताह में
		मध्य उत्तर प्रदेश		
५	नैनीताल	१९—काशीपुर ..	१३.४०	जुलाई के अन्तिम सप्ताह में
		२०—बाजपुर ..	१०.७८	अगस्त के पहले सप्ताह में
६	एटा ..	२१—न्योली ..	५.०१	जून के तीसरे सप्ताह में
७	मुरादाबाद ..	२२—अमरोहा ..	४.९५	जुलाई के दूसरे सप्ताह में
		२३—बिलारी ..	१२·१६	जुलाई के पहले सप्ताह में
८	बरेली ..	२४—बहेड़ी ..	१०.११	अगस्त के दूसरे सप्ताह में
		२५—बरेली ..	५.४६	अगस्त के दूसरे सप्ताह में

१	२	३	४	५
९	पीलीभीत	२६—पीलीभीत ..	२३.३२	जुलाई के अन्तिम सप्ताह में
		२७—मझोला ..	७.४३	जुलाई के दूसरे सप्ताह में
१०	बिजनौर ..	२८—धामपुर ..	१३.९४	अगस्त के पहले सप्ताह में
		२९—स्योहारा ..	२०.१८	अगस्त के दूसरे सप्ताह में
		३०—बिजनौर ..	६.४३	अगस्त के पहले सप्ताह में
११	शाहजहांपुर	२१—रोजा ..	४.६४	जुलाई के पहले सप्ताह में
१२	रामपुर	३२—रजाबुलन्द ..	२०.०८	अगस्त के दूसरे सप्ताह में
१३	सीतापुर	३३—हरगांव ..	३१·७३	अगस्त के पहले सप्ताह में
		३४—महोली ..	१६.९०	जुलाई के पहले सप्ताह में
		३५—विस्वां ..	६.५३	जुलाई के दूसरे सप्ताह में
१४	लखीमपुर खीरी	३६—गोला ..	५८.२३	जुलाई के अन्तिम सप्ताह में
		३७—खैरा ..	७·४९	जुलाई के तीसरे सप्ताह में
		पूर्वी उत्तर प्रदेश		
१५	बाराबंकी	३८—बाराबंकी ..	३.७१	जुलाई के पहले सप्ताह में
		३९—बुढ़वल ..	४.९३	अगस्त के दूसरे सप्ताह में
१६	गोंडा व	४०—नवाबगंज	२.७९	१०-६-७० को बन्द हो गई
	बहराइच	४१—तुलसीपुर	३.८४	जून के तीसरे सप्ताह में
		३२—जरवल रोड	६.९२	जून के अन्तिम सप्ताह में
१७	पडरौना	४३—खड्डा ..	२.३५	जून के दूसरे सप्ताह में

नोटः—केवल उन्हीं मिलों का ब्योरा दिया है जो ६ जून, १९७० को कार्यरत थीं ।

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०४५ पर)

तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का विवरण

कर्मचारियों की कुल संख्या	हरिजन कर्मचारियों की संख्या व नाम	प्रतिशत
१	२	३
१२३	.. ५ १—श्री पतिराज २—श्री दशरथ कुमार ३—श्री शिवशंकर ४—श्री कोदई ५—श्री जगधारी	४ प्रतिशत

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारयों का विवरण

कर्मचारियों की कुल संख्या	हरिजन कर्मचारियों की संख्या व नाम	प्रतिशत
१	२	३
८६	५ १—श्री अलगू २—श्री बलिकरन ३—श्री सुद मा ४—श्री रामदेव ५—श्री राम लोचन	लगभग ६ प्रतिशत ।

संसदीय प्रलेख संग्रह

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०४८ पर)

उद्योग जिनकी स्थापना हेतु नेशनल इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली ने अपनी संस्तुति दी है, की सूची

क्रमांक	उद्योग का नाम	औद्योगिक इकाइयों की संख्या जो स्थापित हो सकती हैं	प्रति औद्योगिक इकाई की संस्तुत लागत (लाख रु० में)	कुल व्यक्तियों की संख्या जिनको रोजगार मिल सकता है
१	२	३	४	५
	नैनीताल			
१	आरा मिल	१	१५.५०	४२
२	तिलहन पिराई	१	६.००	९०
३	खाद्य प्रक्रिया तथा डिब्बा बन्दी ..	२	१५.२०	१८६
४	पशु तथा मुर्गी चारा ..	१	१.१०	२३
५	आटोमोबाइल रिपेयर प्लांट ..	१	१०.३०	३६
६	टायर रिपेयरिंग एन्ड रेट्रीडिंग प्लान्ट ..	१	२.५०	१३
७	कृषि यंत्रों हेतु जाबिंग वर्कशाप ..	२	१.४०	९०
८	कैन मेकिंग	१	९.००	४२
९	बैक लाइट पार्ट्स	१	०.१०	१२
१०	शीत संग्रहालय	१	१३.००	२०
	योग ..	१२		५५४
	टेहरी-गढ़वाल			
१	आरा मिल	१	१५.५०	४२
२	कंकरीट ब्लाक	१	२.२०	२३
३	प्रेस्ड कंकरीट पोल	१	१.९०	२०
४	आटोमोबाइल रिपेयर प्लांट ..	१	१०.३०	३६
५	मेकेनिकल ट्वायज ..	१	३.८५	७८
६	कृषि यंत्रों हेतु जाबिंग वर्कशाप ..	१	१.४०	४५
	योग ..	६		२४४

अध्यक्ष सचिवालय

१	२		३	४	५
	पौढ़ी–गढ़वाल				
१	चर्म शोधन	.. ..	१	१२.६०	११३
२	आरा मिल	.. ..	१	१५.५०	४२
३	ग्रे कार्ड बोर्ड	.. ..	१	१०.८०	७५
४	रोजिन एवं टरपनटाइन	..	१	१५.००	७०
५	कृषि यंत्रों हेतु जार्बिक वर्क	..	१	१.४०	४५
६	टेनरी वेस्ट से सरेश निर्माण	..	१	१.७०	२२
७	आटोमोबाइल रिपेयर	..	१	१०.३०	३६
	योग	..	७		४०३
	अल्मोड़ा				
१	चर्म शोधन	.. ..	१	१२.६०	११३
२	आरा मिलें	.. ..	१	१५.५०	४२
३	राइस ब्रेन आयल	.. ..	१	१०.००	९०
४	राइस मिलिंग	..	१	४.२०	१४
५	खाद्य प्रक्रिया एवं डिब्बा बन्दी	..	२	१५.२०	१८६
६	टायर रेट्रीडिंग एवं रिपेयरिंग	..	१	२.५०	१३
७	आटोमोबाइल रिपेयर	..	१	१०.३०	३६
८	कृषि यंत्रों हेतु जार्बिग वर्कशाप	..	१	१.४०	४५
९	टेनरी वेस्ट से सरेश निर्माण	..	१	१.७०	२२
१०	स्ट्रक्चरल फेब्रीकेशन	..	१	७.००	१००
११	शीत संग्रहालय	.. ..	१	१३.००	२५
१२	दूध एवं अन्डों का पाउडर	..	१	२३.०	६०
	योग	..	१३		७४६
	चमोली				
१	आरा मिलें	.. ..	१	१५.५०	४२
२	राइस ब्रेन आयल	.. ..	१	१०.००	९०
३	राइस मिलिंग	.. ..	१	४.२०	१४
४	चमड़े के सामान तथा पाद त्राटी	..	१	२९.५०	१५४
५	रबड़ के खिलौने तथा वस्तुएं	..	१	०.०४	९
६	लाउड स्पीकर	.. ..	१	०.८८	१८
७	रेडिओ रिसीवर सेट्स (ट्रांजिस्टर)	..	१	०.२५	२५
८	आटोमोबाइल रिपेयर प्लांट	..	१	१०.३०	३६
९	कृषि यंत्रों हेतु जार्बिग वर्कशाप	..	१	१.४०	४५
	योग	..	९		४३३

विधान सभा उत्तर प्रदेश

१	२		३	४	५
	पिथौरागढ़				
१	आरा मिलें ..	..	१	१५.५०	४२
२	खाद्य प्रक्रिया तथा डिब्बा बन्दी	..	१	१५.२०	९३
३	सीमेन्ट प्लांट ..	..	१	४४.००	३४
४	कंटरीट प्लांट ..	..	१	२.२०	११
५	प्रेस्ड कंकरीट पोल ..	..	१	१.९०	२०
६	आर०सी०सी० पाइप (ह्यूम पाइप)	..	१	२.३०	२३
७	आटोमोबाईल रिपेयर ..	..	१	१०.३०	३६
८	कृषि यंत्रों हेतु जाबिंग वर्कशाप	..	१	१.४०	४५
९	अल्यूमिनियम के बर्तन ..	..	१	०.४५	२०
१०	घरेलू बिजली के सामान	..	१	०.४४	१३
११	शीत भण्डार ..	..	१	१३.००	२५
	योग	..	११		३६२
	उत्तरकाशी				
१	आरा मिलें ..	..	१	१५.५०	४२
२	सीमेन्ट ..	..	१	४४.००	३४
३	शटिल काक्स ..	..	१	०.०६	७
४	क्रीकेट बैट्स ..	..	१	०.०१	११
५	आटोमोबाइल रिपेयर वर्कशाप	..	१	१०.३०	३६
६	कृषि यंत्रों हेतु जाबिंग वर्कशाप	..	१	१.४०	४५
	योग	..	६		१७५
	देहरादून का जौनसार-बावर क्षेत्र				
१	आरा मिलें ..	..	१	१५.५०	४२
२	खाद्य प्रक्रिया एवं डिब्बा बन्दी	..	२	१५.२०	१८६
३	कंकरीट ब्लाक ..	..	१	२.२०	११
४	प्रेस्ड कंकरीट पोल्स ..	..	१	१.९०	२०
५	मोजइक फ्लोर टाइल्स	..	१	३.२०	२६
६	आर०सी०सी० पाइप्स (ह्यूम पाइप्स)		१	२.३०	२३
७	आटोमोबाइल रिपेयर ..	..	१	१०.३०	३६
८	कृषि यंत्रों हेतु आटोमोबाइल्स वर्कशाप ..		१	१.४०	४५
९	सिम्पिल माइक्रोस्कोप एवं टेलिस्कोप ..		१	१.१०	२८
१०	शीत संग्रहालय ..	..	१	१३.००	२५
	योग	..	११		४४२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए तारांकित प्रश्न ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०५२ पर)

सहकारी सम्प्रेक्षा संगठन, उत्तर प्रदेश

क्रमांक	भिन्न-भिन्न श्रेणी के पद		कुल स्वीकृत पद	अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या
१	प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी	..	४	—
२	द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित पद	..	१३	१
३	तृतीय श्रेणी के कर्मचारी	..	१,५७९	९५
४	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	..	१७१	९

संसदीय पुस्तकालय सभा

नत्थी "ङ"

(देखिए तारांकित प्रश्न ९५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०६१ पर)

क्रम संख्या	नाम व पूरा पता		भौजीपुरा समिति के अटा मांडा केंद्र पर डेली परती कलेन्डर के सर्वे					
			सट्टा क्विन्टल में			सट्टे के आधार पर मिलने वाली पर्चियों की कुल सं०	दिनांक ३० अप्रैल, १९७० तक जारी की गई पर्चियों की संख्या। १० क्विन्टल प्रति गाड़ी के हिसाब	
			बेसिक कोटा	अतिरिक्त योग कोटा	योग		संख्या	प्रतिशत
१	सर्वश्री वेहरी सिंह पुत्र राम सिंह ग्राम मोहम्दपुर	..	३५८	१,२६०	१,६१८	१६२	१२४	७७
२	,, प्रताप सिंह पुत्र धर्मदास ग्राम मोहम्मद पुर	..	७२७	१,०२०	१,७४७	१७५	११५	६६
३	,, भुन्डा सिंह पुत्र धर्मदास ग्राम मोहम्मदपुर	..	५०८	१,२६०	१,७६८	१७७	११४	६४
४	,, लखन सिंह पुत्र आसाराम ग्राम मोहम्मदपुर	..	१,२९८	१,७६०	३,०५८	३०६	१९५	६४
५	,, मु० राम सनेही पत्नी उगराय सिंह अटा उत्तरी	..	१,०६०	१,०४०	२,१००	२१०	१३८	६५
६	,, चौ० रंजीत सिंह पुत्र देवीदास ग्राम उत्तरी	..	२,६६०	१,२४०	३,९००	३९०	२६१	६७
७	,, चेतराम पुत्र कढेरा ग्राम पचपेड़ा	..	१,०८४	७००	२,७८४	२७८	१०२	५७
८	,, मुंशी राम पुत्र प्रानसुरी ग्राम ममीर	..	५०५	१,०९०	१,५९५	१६०	१०४	६५
९	,, फूलचन्द पुत्र नन्द राम ग्राम हंसा	..	१,९५९	७५०	२,७०९	२७१	१८३	६७
१०	,, शान्ती स्वरूप पुत्र नन्द किशोर ग्राम चमरुआ हिमकपुर		१०५	१,४१५	१,५२०	१५२	९६	६४
११	,, इशहाक अली पुत्र इशताक अली ग्राम रूपपुर	..	३६७	१,३००	१,६६७	१६७	१०४	६२
१२	,, सुख लाल पुत्र गंगाराम ग्राम कमुआ	..	९८९	६१८	१,६०७	१६१	१०३	६४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(देखिए तारांकित प्रश्न १०२ का उत्तर पीछे पष्ठ १०६३ पर)

सूची उन कृषकों की जिनका भुगतान दिनांक ५–५–७० को केन्द्र मोजीपुरा का दिनांक २०–४–७० तक हुआ

क्रमांक	नाम कृषक मय पिता	ग्राम	पर्ची नं०	एवं तिथि	पर्ची का रुपया	योग
					रु० पै०	रु० पैसे
१	सर्वश्री रफीक अहमद पुत्र मरदान खां	.. रमियापुर	११८३८९	४–४–७०	७९.१७	१६८.८४
२	तदेव	.. ,,	११८५६०	८–४–७०	८९.६७	
३	,, मुरशादअली पुत्र तुरांव अली	पीपसाना	११८१६१	१–४–७०	९०–३८	९०.३८
४	,, गिरवरगिर पुत्र सालिकगिर	चौपारा	११९३०३	२–४–७०	९८.१३	७४६.९८
५	तदेव	.. ,,	११९०११	१६–४–७०	९३.९०	
६	तदेव	.. ,,	११८३४७	३–४–७०	९१.०८	
७	तदेव	.. ,,	११८३६९	४–४–७०	९१.०८	
८	तदेव	.. ,,	११९३३९	१३–४–७०	९७.४३	
९	तदेव	.. ,,	११९१६१	१८–४–७०	९३.९०	
१०	तदेव	..	११८८१४	१२–४–७०	९१.०८	
११	तदेव	. ,,	११८६१५	८–४–७०	९०.३८	
१२	,, उमराव पुत्र किशनलाल	.. खानपुर	११८४७९	५–४–७०	९३.९०	१८५.६९
१३	तदेव	.. ,,	११८४७८	५–४–७०	९१.७९	
१४	,, राम दयाल पुत्र लोचन	.. मोजीपुरा	११९२४२	१२–४–७०	७७.७९	६३८.९४
१५	तदेव	.. ,,	११८२८७	२–४–७०	९८.१३	
१६	तदेव	.. ,,	११८८४१	१४–४–७०	९१.०८	
१७	तदेव	.. ,,	११८८१६	१२–४–७०	९०.३८	
१८	तदेव	.. ,,	११८२९७	३–४–७०	९१.०८	
१९	तदेव	.. ,,	११८३७०	४–४–७०	९१.०८	

लोक सभा सचिवालय

क्रमांक	नाम कृषक मय पिता	ग्राम	पर्ची नं०	एवं तिथि	पर्ची का रुपया योग रु० पै०	रु० पै०
२०	सर्वश्री मुक्ता प्रसाद पुत्र भागीरथ	.. खानपुर	.. ११८५०५	५–४–७०	८६.९२	
२१	तदेव	.. ,,	.. ११८१३५	१–४–७०	९३.९०	२७१.९०
२२	तदेव	.. ,,	.. ११८३६०	४–४–७०	९१.०८	
२३	लाल सिंह पुत्र सेवाराम	.. बुझिया	.. ११८१९९	१–४–७०	८१.९४	
२४	तदेव	.. ,,	.. ११८४६५	३–४–७०	९१.०८	२६५.५६
२५	तदेव	.. ,,	.. ११८७०७	१४–४–७०	९२.४९	
२६	पूरनलाल पुत्र बालकराम	.. चौपारा	.. ११८२३४	२–४–७०	८९.६७	१८९.९२
२७	तदेव	.. ,,	.. ११९२७३	१२–४–७०	१००.२५	
२८	रामदेई पुत्र राम सहाय	.. सागलपुर	.. ११८५६२	८–४–७०	९१.०८	९१.०८
२९	युधिष्ठिर वर्मा पुत्र तुलाराम	.. अखत्यारपुर	.. ११८८९०	१४–४–७०	९०.३८	९०.३८
३०	सुदामा पुत्र उमराव	.. मकरन्दापुर	.. ११८२९६	३–४–७०	९०.३८	९०.३८
३१	राम प्रसाद पुत्र नरायन	.. ,,	.. ११८६९१	१०–४–७०	९०.३८	९०.३८
३२	सुन्दरलाल पुत्र डालचन्द	.. ,,	.. ११८९५१	१५–४–७०	९२.४९	९२.४९
३३	मो० शेर खां पुत्र चांद खां	.. देवहरिया	.. ११८६९०	१०–४–७०	९१.०८	९१.०८
३४	यूसूफ खां पुत्र उसमान खां	.. डईया	.. ११८२३३	२–४–७०	९१.०८	९१.०८
३५	ढाकन पुत्र दीन दयाल	.. प्रहलादपुर	.. ११८६०१	८–४–७०	९०.३८	९०.३८
३६	देवदत्त पुत्र किशलाल	.. अम्बरपुर	.. ११८५०७	६–४–७०	९०.३८	९०.३८
३७	यासीन खां पुत्र शेर खां	.. रम्पुरा माफी	११८६४१	९–४–७०	९१.०८	९१.०८
३८	गंगा राम पुत्र भीमसेन	.. बुझिया	.. ११८७४६	११–४–७०	९२.४९	९२.४९
३९	झम्मन पुत्र जोरावर	.. पचदौरा	.. ११८७५५	११–४–७०	९२.४९	९२.४९
४०	प्यारे पुत्र भूपाल	.. पीपलसाना	.. ११९१७८	१९–४–७०	१००.८८	१९५.४९
४१	तदेव	.. ,,	११९००४	१६–४–७०	९४.६१	
४२	गंगा राम पुत्र गुन्छी	.. प्रहलादपुर	.. ११८१६०	१–४–७०	९१.०८	१८२.१६
४३	तदेव	.. ,,	.. ११८५०८	६–४–७०	९१.०८	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

४४	हिमचल पुत्र कल्यान	.. पीपलसाना	.. ११८१५२	१–४–७०	८२.६९	
४५	तदेव	.. ,,	.. ११८४४७	३–४–७०	८५.५१	
४६	तदेव	.. ,,	.. ११८५१३	६–४–७०	७१.७४	४४०.७४
४७	तदेव	.. ,,	.. ११८६४३	९–४–७०	८९.६७	
४८	तदेव	.. ,,	.. ११८८९३	१४–४–७०	९१.८०	
४९	केवलराम पुत्र केसरी	.. पचदौरा	.. ११८५८७	८–४–७०	८७.६९	८७.६९
५०	टीकराम पुत्र मजनू	.. पीपलसाना	.. ११८६३०	९–४–७०	९३.२०	९३.२०
५१	छेदीलाल पुत्र कल्यान	.. पीपलसाना	.. ११९१००	१७–४–७०	८०.५८	८०.५८
५२	लाला राम पुत्र कौमिल	.. सैदपुर	.. ११८३०७	३–४–७०	८६.२२	
५३	तदेव	.. ,,	.. ११६९३९	१५–४–७०	७७.१२	१६३.३४
		योग				४८९५.१०

(ह०) गन्ना विकास निरीक्षक,
भोजीपुरा।

नत्थियाँ

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—११५ एल० ए०—१९७१—८४५।

उत्तर प्रदेश विधान सभा